खण्ड-244, अंक-5
मंगलवार, 3 पौष, शक संवत् 1885
(24 दिसम्बर, 1963 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 244 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६४

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	५६९–५७३
प्रश्नोत्तर	५७३–६०
प्रश्नों के उत्तर न मिलने पर आपत्ति	६०७
उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (क्षेत्राधिकार का प्रयोग) विधेयक, १९६३ (मेज पर रखा गया)	६०८–६१
श्री सालिग्राम जैसवाल तथा श्री रियासत हुसैन की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना	६१०–६१
श्री नैनसिंह की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न	६११–६
बलिया, बस्ती और गोरखपुर जिलों को विशेष सहायता देने हेतु पूर्वी जिलों की सूची में जोड़ने के सम्बन्ध में याचिका (प्रस्तुत की गई)	६२१
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गई) ..	६२
नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं	६२३
सरकार द्वारा चावल कम मूल्य पर खरीद कर अधिक दाम पर बेचने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	६२४–
श्री मैनेजरसिंह का विशेषाधिकार का प्रश्न	६२७–
श्री नरसिंहनारायण पांडेय द्वारा बही खातों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	६२८–६
सदन में गणपूर्ति	६२
श्री सालिग्राम जैसवाल, श्री रियासत हुसैन तथा श्री नैनसिंह की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना	६३०–६३
कानपुर नगरमहापालिका के अन्तर्गत सम्मिलित गांवों की अर्जित कृषि भूमि का मुआवजा देने के सम्बन्ध में सूचना	६३४–६३८
फारूक हत्याकांड सम्बन्धी गोलीकांड की जांच रिपोर्ट के सम्बन्ध में वक्तव्य (जारी)	६३८–६४८
श्री नैनसिंह को जेल में सुविधायें न मिलने के सम्बन्ध में गृहमंत्री का वक्तव्य (जारी)	६४८
फारूक हत्याकांड सम्बन्धी गोलीकांड की जांच रिपोर्ट के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	६४८–६४९
श्री नैनसिंह को जेल में सुविधायें न मिलने के सम्बन्ध में गृह मंत्री का वक्तव्य ..	६४९–६५०
उत्तर प्रदेश नगर (कर-भार) (संशोधन) विधेयक, १९६३ (जैसा कि प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ उस पर विचार जारी) ..	६५०–६६९
राज्य सरकार एवं उसके अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय संकट का दुरुपयोग करने के सम्बन्ध में नियम ५३ के अन्तर्गत चर्चा	६६९–६९०
मौजूदा असिस्टेन्ट टु आई० जी० पी० का सर्विस स्टेटस आदि के विषय में नियम ५० के अन्तर्गत चर्चा	६९०–६९५
नस्थियां	६९६–७१४

उत्तर प्रदेश विधान परिषद्

मंगलवार, २४ दिसम्बर, १९६३

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में १० १/२ बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३८५

अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० प्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंघईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याण चन्द मोहिले, श्री (उपनाम क्षुब्ध गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री

गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदाबेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री

जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डे राय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री

परमाईलाल,श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलबीरसिंह,श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिन बिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगल प्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हुसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री

रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री

रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शन्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शांन्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री

शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेव प्रसाद, श्री
सुखराम दास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम बिशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—गृह मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह, गृह उपमंत्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त, शिक्षा उपमंत्री, डाक्टर रामनारायण पांडेय तथा एडवोकेट जनरल, श्री कन्हैयालाल मिश्र भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, २४ दिसम्बर, १९६३

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

डाइरेक्टर मेडिकल हेल्थ, लखनऊ के यहां नर्सों की छट्टी के प्रार्थना-पत्र

**१—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि डायरेक्टर मेडिकल हेल्थ, लखनऊ के यहां स्टाफ नर्सों के इस वक्त बहुत से प्रार्थना-पत्र मेटरनिटी लीव (प्रसव के समय छट्टी) के लिये पड़े हैं ? उन पर उचित आदेश न देने के कौन-कौन से कारण हैं ?

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)—

जी हां । प्रार्थना-पत्रों के साथ आवश्यक सूचना और प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हुये हैं।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

क्या मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि नियम से कितने समय में विचार होकर निर्णय हो जाना चाहिये ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

नियम तो कुछ नहीं है लेकिन विलम्ब की हम जांच करा रहे हैं और उनसे जवाब भी मांग रहे हैं ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

जांच और अनुसंधान का काम कब तक खत्म हो जायगा ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

डिलीवरी हो जाने के बाद ही बात होती है ।

वित्त अधिकारियों की नियुक्ति में संरक्षण

**२—श्री मन्नालाल (जिला खीरी)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में जिला परिषदों के हेतु कितने वित्त अधिकारियों की नियुक्ति के लिये पद रखे गये हैं, और उनमें कितने स्थान सुरक्षित हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

उत्तर प्रदेश में जिला परिषदों के हेतु ५१ वित्त अधिकारियों की नियुक्ति के लिये पद रखे गये हैं ।

वित्त अधिकारियों के पदों को उत्तर प्रदेश वित्त तथा लेखा सेवा (Uttar Pradesh Finance and Accounts Service) के संवर्ग (Cadre) में सृजित किये जाने का निश्चय किया गया है । अतः उस सेवा में भर्ती के लिये राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का अनुसरण किया जायेगा । क्योंकि संरक्षण के सामान्य नियम पहले ही से विद्यमान हैं । अतः उसके लिये कोई विशेष व्यवस्था करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

श्री मन्नालाल—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ५१ वित्त अधिकारियों में से नियम से कितने स्थान हरिजनों के लिये सुरक्षित होंगे ?

श्री जयराम वर्मा—

१८ फीसदी ।

श्री मन्नालाल—

सुरक्षित स्थानों की पूर्ति के लिये हरिजनों को शैक्षिक योग्यता में कोई छूट दी गई है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री जयराम वर्मा—

यह नियमों में होगा जो अभी बने नहीं हैं ।

श्री मन्नालाल—

इन्हें उम्र में कोई छूट देने का विचार है ?

श्री जयराम वर्मा—

नियम बनने पर ही जवाब देना सम्भव हो सकेगा ।

श्री मन्नालाल—

क्या इस पर विचार करेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

वित्त अधिकारियों में से कितने अधिकारी किन-किन विभागों से प्रोमोशन से आ रहे हैं और कितने परिगणित जाति के होंगे ?

श्री जयराम वर्मा—

एक तिहाई प्रोमोशन से आयेंगे । किन-किन सेवाओं से वे आवेंगे, इसके बारे में अभी फैसला नहीं हुआ है । प्रोमोशन के बारे में यह कहना संभव नहीं है कि इनमें कितने हरिजन होंगे ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

बाहर से जो वित्त अधिकारी लिये जावेंगे उनके चुनाव की कौन एजेंसी होगी और उनका वेतन-क्रम क्या होगा ?

श्री जयराम वर्मा—

यह सब नियमों में होगा जो अभी बने नहीं हैं ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

वित्त अधिकारी की योग्यता और वेतन क्रम क्या होगा ?

श्री जयराम वर्मा—

योग्यता नियमों में होगी और वेतनक्रम २५०–८५०६० का होगा ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

जिस काम के लिये ये प्रार्थना-पत्र मांगे गये हैं उनका फौरी भरना जरूरी है या नहीं ? अगर जरूरी है तो नियम पहले क्यों नहीं बनाये गये ?

श्री जयराम वर्मा—

जल्दी की जा रही है लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन से भी राय लेनी पड़ती है, तो देर कुछ लग ही जाती है ।

श्री रामअवधसिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या इन अधिकारियों की नियुक्ति में जिला परिषद् के एकाउन्टेन्टों को भी मौका दिया जायगा ?

श्री जयराम वर्मा—

नियमों में अगर वे आते हैं तो उन्हें भी मौका मिलेगा ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

जो लोग पदोन्नति से स्थान प्राप्त करेंगे अगर उनमें सुरक्षित लोगों की जगह कम हुई तो नये एप्वाइंटमेन्ट्स में उन्हें प्रतिशत के हिसाब से जगह देंगे ?

श्री जयराम वर्मा—

१८ प्रतिशत उन्हें जगह मिलेगे ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

मुख्य मन्त्री द्वारा हवाई जहाज का प्रयोग

*१—श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मुख्य मंत्री ने सितम्बर, १९६३ में कितने बार सरकारी हवाई जहाज का प्रयोग किया है ?

खाद्य मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)—

११ (ग्यारह) बार ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

यह एक ही मास में की गई और विशेषतया किस उद्देश्य से की गई ? कोई सरकारी काम था या निजी ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

सरकारी काम से ही इस्तेमाल हुये हैं।

श्री कल्पनार्थासिह—

मैं इस महीने का टोटल खर्चा जानना चाहता हूं हवाई जहाज के इस्तेमाल करने में ?

श्री हबरीत्त कांडपाल—

इसमें खर्चे का सवाल नहीं है हिन्द फ्लाइंग क्लब के साथ गवर्नमेंट का एग्रीमेंट है। वे स्वयं हवाई जहाजों की मेंटीनेंस करते हैं और सरकारी फ्लाइट्स का खर्चा भी वही वहन करते हैं।

श्री नरसिहनारायण पांडेय—

क्या सरकार कोई ऐसा प्रतिबन्ध करने पर विचार कर रही है कि सरकारी हवाई जहाज गैर-सरकारी कामों में इस्तेमाल न किया जाय ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

किसी गैर-सरकारी काम में इस्तेमाल नहीं हुआ है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

ये दौरे कहां से कहां तक हुये, यह माननीय मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली, कोसी, इलाहाबाद, आगरा, बुलन्दशहर तथा मेरठ। कुछ स्थानों में बाढ़ देखने के लिये।

श्री लखीसिह (जिला मथुरा)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह जो ११ (ग्यारह) बार यात्रा की गयी, उनमें कौन-कौन से सरकारी काम थे ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या यह सही है कि इन यात्राओं में वह यात्रा भी सम्मिलित है जब कि हाई कमांड ने उनको निजी रूप से बुलाया था ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

यह मुमकिन हो सकता है ।

श्री रघुनाथ सिंह (जिला वाराणसी)—

क्या माननीय मंत्रीजी यह बतायेंगे कि क्या मुख्य मंत्री द्वारा हवाई जहाज के प्रयोग करने में कुछ नियम या प्रतिबन्ध भी लागू हैं ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

इसमें क्या प्रतिबन्ध हो सकता है । जो जल्दी का काम आ जाता है, उसमें जाना पड़ता है ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या माननीय मंत्री जी निजी यात्रा पर हुये खर्चे को कांग्रेस पार्टी या मुख्य मंत्री जी से वसूल करने की कृपा करेंगे ?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

उनको मुख्य मंत्री की हैसियत से बुलाया जाता है, इसलिये वह जाते हैं ।

गुन्नौर तहसील के लिये नलकूप

*२—श्री सूरजपालसिंह यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या जिला बदायूं, परगना सहसवान, तहसील गुन्नौर में दिनांक २९ अप्रैल, १९६३ व १ मई, १९६३ को कुछ ट्यूबवेल बनाने के लिये जांच की गयी थी और उसमें कितने ट्यूब वेल बनाने के लिये एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने सरकार को लिखा है, और उस पर सरकार का क्या विचार है ?

विद्युत उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

अधिशासी अभियन्ता नलकूप खंड बदायूं ने जिला बदायूं की तहसील गुन्नौर के सम्बन्धित क्षेत्र का निरीक्षण केवल २९-४-६३ को किया जिसके फलस्वरूप १२ नलकूपों के निर्माण का प्रस्ताव उन्होंने भेजा है और इस पर विचार किया जा रहा है ।

श्री जुगलकिशोर (जिला बदायूं)—

क्या सिंचाई मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन नलकूपों को कब तक बनाने की व्यवस्था की गई है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

उन पर विचार हो रहा है, सिफारिश जरूर की गई है लेकिन यह क्षेत्र ऐसा है कि जहां पर पानी की ऊंचाई ऊपर है और जलवायु ऐसी नहीं है कि वहां ज्यादा अच्छे नलकूप बन सकें लेकिन फिर भी आपके कहने से जांच कराई गई थी और उसी के फलस्वरूप विचार किया जा रहा है कि यहां नलकूप बनाये जायं या नहीं क्योंकि यहां नलकूप बनाने में काफी नुकसान होगा ।

श्री जुगलकिशोर—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस तहसील में इस समय कितने नलकूप काम कर रहे हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इस क्षेत्र में कोई नहीं है, पहली बार स्कीम थी लेकिन वहां सम्भव नहीं है और नलकूप नहीं बन सके ।

नलकूप प्रखण्ड, वाराणसी के दफ्तर में अनियमिततायें

*३—श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी जिलान्तर्गत नलकूप प्रखण्ड, वाराणसी के दफ्तर में लगभग दो मास पूर्व हिसाब-किताब की कुछ अनियमिततायें पायी गयीं थी ? यदि हां, तो वे क्या हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जी हां, जुलाई, १९६३ में आडिट पार्टी द्वारा इस कार्यालय का संपरीक्षा (Inspection) किया गया था और संपरीक्षा में जो भी अनियमिततायें पाई गईं उनको महालेखाकार ने अपनी आडिट निरीक्षण रिपोर्ट (A. I. R.) के रूप में संकलित करके उसकी प्रतिलिपि अधिशासी अभियंता के पास भेज दी है । उस पर उचित कार्यवाही हो रही है । A. I. R. में लेखा सम्बन्धी मामलों पर टिप्पणी की गई है और वे मुख्यतः निम्नलिखित विषयों से सम्बन्धित हैं :

(१) स्टाक एवं टूल्स और प्लान्ट रजिस्टरों का एरियर में होना,
(२) ससपैन्स हेड में भारी बकाया,
(३) स्टाक का रिजर्व लिमिट से अधिक होना,
(४) फेल हुये नलकूपों से पाइप न निकालने के कारण हानि,
(५) जौनपुर जिले में नलकूप के abandonment से infructuous खर्चा ।

*४—श्री गयाप्रसाद—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि यह अनियमिततायें किसने पकड़ीं और इनके लिये कौन-कौन कर्मचारी दोषी पाये गये ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जैसा प्रश्न संख्या ३ में बताया जा चुका है यह अनियमिततायें महालेखाकार की आडिट पार्टी द्वारा पाई गई । इनके सम्बन्ध में जांच हो रही है ।

*५—श्री गयाप्रसाद—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि क्या उसको ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि अनियमितता पकड़ने वाले व्यक्तियों की जान लेने के लिये कुछ गुंडों को तैनात किया गया ? यदि हां, तो क्या वे गुंडे पकड़े गये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जी नहीं । बल्कि वाराणसी डिवीजन के कार्यालय के ही डिवीजनल एकाउन्टेन्ट के पीछे कुछ गुंडे अवश्य लगेथेजिसकी रिपोर्ट पुलिस विभाग में स्वयं डिवीजनल एकाउन्टेन्ट द्वारा की गई थी, परन्तु गुंडे पकड़े गये या नहीं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई इसकी सूचना पुलिस विभाग से अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

श्री गयाप्रसाद—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि नलकूप प्रखंड में रिजर्व स्टाक की क्या लिमिट है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

आडिट रिपोर्ट में थोड़ी बहुत अनियमिततायें तो निकलती ही हैं । जब रिपोर्ट आ जाती है तब उनको दुरुस्त किया जाता है । रिपोर्ट काफी बड़ी है अगर उसको यहां पंढ़ गा तो काफी समय लग जायगा । मेरे पास वह है, जो माननीय सदस्य देखना चाहें देख सकते हैं ।

श्री गयाप्रसाद—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि डिवीजनल एकाउन्टेन्ट पर, जिन गुन्डों द्वारा प्रहार हुआ, उनके क्या क्या नाम हैं और अभी तक उन पर क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

प्रहार की बात तो कोई कही नहीं, उन्होंने कहा कि उनके पीछे कुछ गुंडे लगे हुये हैं जिसकी रिपोर्ट उन्होंने लिखायी । पुलिस से अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आयी है कि उस पर क्या कार्यवाही हुई ।

श्री गयाप्रसाद—

जो रिपोर्ट लिखायी गई, उसकी कापी तो होगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

रिपोर्ट की कापी मेरे पास नहीं है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो महालेखा निरीक्षक ने अपनी आडिट रिपोर्ट में कमियों को बतलाया है, उनके सम्बन्ध में सरकार ने अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

वह तो हमेशा का कायदा है जब कि आडिट रिपोर्ट विभागों के पास जाती है और उनमें जो अनियमितता पायी जाती है उसे उनके सामने दिखला दिया जाता है । कुछ तो आडिट द्वारा काट दी जाती हैं और जो नहीं कटतीं, वे फिर विभाग के पास आती हैं और उन पर उचित कार्यवाही की जाती है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

श्रीमन्. मैं निश्चित रूप से पूछ रहा हूं कि क्या क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

गवर्नमेंट के पास आडिट रिपोर्ट आने पर उसे फिर जांच के लिये विभाग के पास भेजा जाता है । अगर उसका जवाब वे सन्तोषजनक दे देते हैं तब तो ठीक है और अगर कुछ बाकी रहा तो फिर उस पर उचित कार्यवाही की जाती है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि खर्चे के हिसाब किताब में कितने रुपये की गड़-बड़ी है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

गड़बड़ी का क्या सवाल है ? आडिट रिपोर्ट मेरे पास है । अगर डिटेल आप देखना चाहें तो देख सकते हैं । इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो अनयुजुअल हो, यह तो आडिट रिपोर्ट का एक साधारण फीचर है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी ने उस आडिट रिपोर्ट को स्वयं पढ़ा है ? यदि नहीं, तो किस आधार पर वे कह रहे हैं कि रुपये के हिसाब किताब में कोई गड़बड़ी नहीं है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

आडिट रिपोर्ट मेरे सामने है, बड़ी लम्बी लिस्ट है, अगर आप कहें तो उसे मैं पढ़ भी दूं । लेकिन डिपार्टमेंट्स से जब तक आडिट आब्जेक्शन का जवाब न आ जाय तब तक उसे पढ़ने से कोई फायदा नहीं है । कोई चीज होती है तो उसे विभाग क्लिअर कर देते हैं कि ऐसी चीज नहीं है । तो उसका कोई फैसला इस वक्त नहीं दिया जा सकता । साधारणतः जो आडिट होता है उसका यह एक कायदा है ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

सस्पेंस एकाउंट बहुत बाकी है, तो माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वह बकाया कितने रुपये का है और किस कारण से वह बकाया रह गया है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मेरे पास आडिट रिपोर्ट है, आप मेरे कमरे में आ जायं तो मैं आपको पूरी रिपोर्ट दिखला दूंगा और बतला दूंगा ।

श्री रघुनाथसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी इसकी विशेष जांच कराने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग के कर्मचारियों से ही उन गुंडों को ऐसी हरकत करने की प्रेरणा हुई थी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

उसकी जांच हो रही है, अभी रिपोर्ट आयी नहीं है । सस्पेंस एकाउंट वाली फीगर मेरे पास है, अगर आप चाहें तो उसे मैं पढ़ दूं, काफी फीगर्स हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

श्रीमन्, मेरा निश्चित सवाल यह है कि आडिट रिपोर्ट में जो अनियमिततायें पायी गयीं, वे क्या-क्या हैं ? माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उससे मालूम होता है कि वे साफ बतलाने के लिये तैयार नहीं हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

इस सवाल के उत्तर में वे बतला चुके हैं ।

श्री रघुनाथसिंह—

क्या मंत्री जी विशेष रूप से इस बात की जांच करायेंगे कि यह गुन्डों की हरकत सिंचाई विभाग के ही लोगों की प्रेरणा से हुई थी ?

श्री उपाध्यक्ष—

वह प्रेरणा के बारे में कैसे बता सकते हैं ।

इलाहाबाद जिले में नलकूप

*६—श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जिले में तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कितने ट्यूबवेल किन-किन स्थानों में लगाये जायेंगे और इन स्थानों का चयन का आधार क्या है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

कुल ५० नलकूप लगाये जाने की आयोजना है जिसमें से २० नलकूपों का निर्माण हो चुका है और दस नलकूपों के लिये स्थानों का चुनाव कर लिया गया है शेष २० नलकूपों के लिये स्थान आदि का चुनाव अभी नहीं किया गया है जिन स्थानों पर नलकूपों का निर्माण हुआ है तथा दस नलकूपों के लिये जो स्थान चुने गये हैं उनका विवरण संलग्न है ।

नलकूपों के निर्माण हेतु स्थान का चुनाव वहां के स्थल पानी का श्रोत (Spring Level) आस पास बने हुये नलकूपों की कार्य क्षमता (performence) तथा बिजली की लाइन की निकटता आदि को ध्यान में रखते हुये किया जाता है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ. ६९६ पर)

श्री सत्यनारायण पांडेय—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्होंने सम्पूर्ण इलाहाबाद जिले का सर्वेक्षण कराया है और जो आधार वह कहते हैं वह वहां की और तहसीलों में भी मौजूद हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

सर्वे कर के ही निश्चय किया गया है कि ५० नलकूप वहां बनेंगे, जिसमें से २० बन चुके हैं और १० बनने जा रहे हैं और २० अगली योजना के लिये रखे गये हैं ।

श्री सत्यनारायण पांडेय—

जो सूची मंत्री जी ने दी है उसको देखने से मालूम होता है कि २० बन चुके हैं और १० के स्थान का चुनाव हो चुका है और वे सब हंडिया और फूलपुर तहसीलों में ही हैं, इलाहाबाद की ८ तहसीलें हैं तो क्या वह सर्वे के आधार पर और तहसीलों में भी नलकूप बनाने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

फिर विचार कर लेंगे जैसे जैसे स्कीम और धन आता जायगा और सम्भव होगा तो और तहसीलों के लिये भी विचार कर लिया जायगा ।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

जो सर्वेक्षण कराया गया है नलकूप लगाने के लिये उसके बारे में मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि सर्वेक्षण स्ट्रेटा और बालू के कण कैसे प्राप्त होंगे और कैसे बालू में चलाई जायगी इन सब का ब्योरा है या नहीं क्योंकि पिछले दिनों जो नलकूप फेल हुये हैं उनमें कहा जाता है कि जलस्तर ठीक नहीं मिला और स्ट्रेनर फट गया क्योंकि बालू के जर्रे मिल गये ?

तो जो पिछला तजुर्बा है उससे फायदा उठा करके सर्वेक्षण हुआ है या पिछले जैसा ही हुआ है और उनका निर्माण विभाग कर रहा है या कोई कम्पनी कर रही है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

सर्वेक्षण उस तजुर्बे की बिना पर तो हुआ है, लेकिन यह बात भी सही है कि जब नये ट्यूबवेल बनते हैं तो कुछ ऐक्सप्लोरेटरी नेचर के होते हैं और जब स्ट्रेटा पर पहुंचते हैं तभी पता चलता है । लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं तो बन्द करना पड़ता है । ऐक्सप्लोरेटरी ट्यूबवेल में ही ऐसा होता है ।

कौन बना रहा है इसकी सूचना नहीं है । अगर आप पूछें तो बाद में बता दूंगा ।

श्री वैजनाथ पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

मंत्री जी बतलावेंगे कि हंडिया तहसील में किवाई क्षेत्र में पिछली सिंचाई उप समिति की बैठक में ट्यूबवैल्स के लिये प्रार्थना पत्र दिये गये थे और माननीय राममूर्ति जी ने आश्वासन दिया था कि २० ट्यूब वैल्स लगायें जायेंगे । तो मैं जानना चाहता हूं कि कितने लगाये जा रहे हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इसकी सूचना नहीं है, अगर आप मिलेंगे तो पूछ कर बता दूंगा ।

श्री रामायणराय—

मैं जानना चाहता हूं कि जो इलाहाबाद जिले में ट्यूबवैल्स लगाये जा रहे हैं इनका प्राक्कलन क्या है और अनुमानित लाग त प्रति ट्यूबवैल क्या लगने वाली है क्योंकि पिछले दिनों ऐसे प्राक्कलन बने कि १५ हजार की लागत पर ट्यूबवेल शुरू किया गया और वह ५० हजार रुपये कीं लागत पर खत्म हुआ । तो प्रारम्भिक प्राक्कलन किसके द्वारा बनाये जाने वाले हैं और प्रति ट्यूबवेल की अनुमानित लागत क्या है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

पहले २० नलकूप बनाये गये यह तो पुरानी स्कीम थी और नई स्कीम में ११० बन रहे हैं उसमें से १० नलकूप इलाहाबाद में बनने हैं । ११० की अनुमानित लागत १ करोड़ रुपये के करीब है ।

श्री कल्पनार्थसिंह—

जो सर्वे किया जा रहा है नलकूप लगाने के लिये उसमें कौन कौन सी बातें देखी जाती हैं और उनको देखा गया है कि नहीं जहां ट्यूबवेल लगाने का प्रोपोजल है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

वह तो मैंने बतलाया । फिर बता दूं । यह देखते हैं कि स्प्रिन्ग लेविल क्या है, वहां बिजली के साधन उपयुक्त हैं कि नहीं, जो पहले नल कूप बने उनका परफार्मेंस क्या है, लोग पानी लेना चाहते हैं कि नहीं तथा नलकूप में लागत क्या होगी, क्या रिटर्न मिलेगा यह सब देखते हैं ।

श्री कल्पनार्थसिंह—

भूगर्भ शास्त्रियों की राय ली गई है कि नहीं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

अगर कहीं ट्यूबवेल बना और लोग पानी लें नहीं तो बनाने से कोई फायदा नहीं । भूगर्भ शास्त्री तो इतना बतायेंगे कि पानी मिल सकता है कि नहीं । बहुत सी जगहों पर नलकूप बने हैं और पानी भी काफी है लेकिन लोगों की आदत नहीं है इसलिये पानी लेते नहीं ।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

मैं जानना चाहता हूं कि १६ वर्षों के स्वराज्य के बाद तहसील मंझनपुर ऐसा क्षेत्र है जिसमें न बिजली है, न एक भी नलकूप है, वहां सिंचाई के भी साधन बिलकुल सीमित हैं । तो मैं जानना चाहता हूं कि तहसील मंझनपुर में बिजली और नलकूप की व्यवस्था इस योजना में करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

बिजली और नलकूप देना एक ही चीज पर मुनहसिर करता है कि कितना रुपया आप इन कामों के करने के लिये दें । हमारे यहां जो ११० नलकूपों की स्कीम थी उसमें से १० नलकूप इलाहाबाद में हैं । एक स्कीम ५०० नलकूपों की और ला रहे हैं, अगर आप मंजूर कर देंगे तो २० नलकूप और इलाहाबाद में बढ़ा देंगे । इसके बाद भी बढ़ायेंगे जैसे जैसे रुपया आप मंजूर करते जायेंगे ।

तरबगंज तहसील में गांव ऊंचे करने की योजना

*७—श्री गिरजाप्रसाद (जिला गोंडा)-(अनुपस्थित)—

क्य सरकार बताने की कृपा करेगी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में गोंडा की तहसील तरबगंज और बाराबंकी की तहसील फतेहपुर में बाढ़ और कटाव रोकने की कोई योजना पूरी की जायेगी ?

सिंचाई मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—

जी हां, गोंडा जिले के तरबगंज में ६० बाढ़ग्रस्त गांवों को ऊंचा किये जाने की योजना है । बाराबंकी जिले की तहसील फतेहपुर के लिये कोई योजना नहीं है ।

गोरखपुर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी का निवास स्थान

*८—श्री मैनेजरसिंह—

क्या परिवहन मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों का कार्यालय एवं निवास स्थान पृथक-पृथक रखने का निर्देश सरकार द्वारा किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश का पालन किन-किन क्षेत्रों में हुआ है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

सरकारी कार्यालय भवनों से अधिकरियों का निवास अलग रखने के सम्बन्ध में जो आम आदेश जारी किये गये थे उनके पालन करने में परिवहन आयुक्त को जो कठिनाई हो रही हैं, वह शासन के विचाराधीन हैं

*९—श्री मैनेजरसिंह—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के कार्यालय भवन तथा निवास स्थान एक ही भवन में हैं ? यदि हां, तो उक्त भवन का कुल किराया कितना है और उसमें से कितना किराया परिवहन अधिकारी निवास स्थान के लिये देते हैं ? भवन का कितना हिस्सा उनके निवास स्थान के रूप में इस्तेमाल हो रहा है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

जी हां । कुल किराया १०६.२५ रु० है, जिसमें से प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी अपने निवास स्थान के लिये ३८.२५ रु० किराया देते हैं । भवन का कुल क्षेत्रफल ४,५९५ वर्ग फीट है, जिसमें से १,६५५ वर्ग फीट परिवहन अधिकारी के निवास में शामिल है ।

*१०—श्री मैनेजरसिंह—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतलायेंगे कि उक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, गोरखपुर के कार्यालय भवन के प्रांगण में कितनी भूमि है और उक्त भूमि की उपज एवं पेड़ों के फल की आय पांच वर्ष के भीतर प्रतिवर्ष कितनी और कहां जमा हुई ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

कार्यालय के अहाते का कुल क्षेत्रफल ५.३८ एकड़ है । अधिकांश भाग में मोटरें आदि खड़ी होती हैं । फलों के पेड़ों में एक पेड़ आम का है । उक्त भूमि में से करीब आधे एकड़ के टुकड़े में, जो आर० टी० ओ० के निवास स्थान के हिस्से में पड़ता है, अहाते में रहने वाले कर्मचारी निजी तौर पर कुछ फसल व सब्जी उगा लेते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं रखा जाता ।

श्री मैनेजरसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि परिवहन आयुक्त को क्या कठिनाइयां हैं उस राजाज्ञा के पालन करने में ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

यह राजाज्ञा जनवरी, १९६३ में प्रसारित की गयी थी । इसके अनुसार विभागाध्यक्ष का निवास और उनका दफ्तर एक ही स्थान पर नहीं होना चाहिये । लेकिन कठिनाई यह है कि इस आदेश के पहले ही किराये पर मकानात लिये जा चुके थे, १९४६ में और उनका लीज अभी पुरा होने को बाकी है । दूसरी प्रशासनिक कठिनाई यह है कि आर० टी० ओ० के दफ्तर में लोग गाड़ियाँ पास कराने आते हैं जिसके लिये काफी स्थान चाहिये । पुराने मकानात रेंट कंट्रोल

के हैं और सस्ते किराये के हैं। निवास स्थान भी साथ होने में एक सहूलियत यह है कि ईमरजेंसी के समय मौत के वक्त या बारात के लिये अगर गाड़ी की जरूरत हो तो उनको परमिट की व्यवस्था करने में आसानी होती है। इसके अलावा नये मकानात मिलने में कठिनाई भी है और वे ज्यादा किराये के भी होंगे और स्थान भी कम होगा। यही सब कठिनाइयां हैं।

श्री मैनेजरसिंह—

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कठिनाइयों की बड़ी लम्बी सूची दी। मैं समझता हूं कि जो कठिनाइयां बतायीं वह बिल्कुल बेबुनियाद हैं। राजाज्ञा इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए प्रसारित हुई और इसलिये प्रसारित की गई कि विभागाध्यक्ष जो किराये पर मकान लेत है उसका अधिक हिस्सा अपने रहने के लिये ले लेते हैं और कम किराया देते हैं। इसी भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये यह आज्ञा प्रसारित की गई। फिर उसके पालन करनें में क्या दिक्कत है ?

परिवहन मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—

यह आज्ञा हर डिपार्टमेंट के लिये है। अभी जो पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी साहब ने जवाब दिया वह यह कि इस डिपार्टमेंट में यह जरूरत महसूस हो रही है कि आर० टी० ओ० हर वक्त मौजूद रहे। वह एक स्पेशल चीज है और दूसरे यह वाकया है कि ३०–४० वर्ष पहले कम किराये पर मकानात लिये गये थे। मकानों की दिक्कत है। हमारी स्कीम है कि हम खुद दफ्तर बनायें और एक आध जगह उसको शुरू भी करने जा रहे हैं। तो कई तरह की दुश्वारियां इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को महसूस हो रही है। उसी को उन्होंने गवर्नमेंट के सामने पेश किया है।

श्री मैनेजरसिंह—

माननीय मंत्री जी ने दफ्तर के स्थान की कठिनायी बतायी। क्या वे ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते कि दफ्तर जिस मकान में इस वक्त है वह उसी में रहे और अधिकारियों को यह निर्देश दें कि वे अपने रहने के लिये एलाटमेंट के लिये दरवास्त दें ?

श्री उपाध्यक्ष—

उन्होंने तो कहा कि उनका वहां रहना भी बहुत जरूरी है।

श्री मैनेजरसिंह—

माननीय मंत्री जी ने दो तर्क दिये और दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। जो जो कठिनाई मकान की है क्या आप इस प्रकार का निदश देंगे कि अधिकारी अपने लिये एलाटमेंट का आवेदन-पत्र दें और कार्यालय उन्हीं इमारतों में रहें ?

श्री मुजफ्फर हसन—

मैंने तो कई तरह की कठिनाइयों का जिक्र किया और उसमें यह भी जिक्र किया कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने लिखा है कि आर० टी० ओ० का दफ्तर के साथ रहना जरूरी है। मैं और अर्ज करूं कि जो दफ्तर हमने उस वक्त कायम किये थे वे बहुत नाकाफी हो रहे हैं और रेकार्ड तक रखने की जगह नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि बसीअ जमीन लेकर इस बात का इंतजाम किया जाय। जो जनरल आर्डर गवर्नमेंट के हर मुहकमे के लिये हुए हैं उनका हर जगह एक तरह से एप्लाई होना दुश्वार हो रहा है।

आजमगढ़ जिले में नलकूपों से सिंचाई

*११—श्री सुरजनराम विशारद (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत लगाये गये चालू ट्यूबवेलों से कुल कितने एकड़ भूमि की सिंचाई होती है ?

श्री गिरधारीलाल—

आजमगढ़ जिले के चालू नलकूपों से पिछले पांच वर्षों में औसतन खरीफ में १६,२३२ एकड़ और रबी में २८,०३० एकड़ भूमि की सिंचाई हुई है।

रामगंगा बांध निर्माण में गबन की जांच

*१२—श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

क्या यह सत्य है कि बिजनौर जिले के कालागढ़ स्थित रामगंगा बांध परियोजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य में गबन के संबंध में गुप्तचर विभाग द्वारा भी भ्रष्टाचार आदि की जांच की गयी है ? यदि हां, तो क्या परिणाम सामने आये तथा सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

सूचना अभी एकत्र की जा रही है।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

रामगंगा बांध परियोजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य में गबन के संबंध में यह प्रश्न है। इसकी विभागीय जांच भी हो रही है और गुप्तचर विभाग से भी हो रही है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जो सूचना एकत्र की जा रही है वह विभाग द्वारा एकत्र की जा रही है अथवा गुप्तचर विभाग से एकत्र कर रहें हैं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

मैंने सूचना इसलिये कहा कि कोई पूरी रिपोर्ट आयी नहीं है। विभाग से भी पूछा जा रहा है और गुप्तचर विभाग से भी पूछा जा रहा है, लेकिन अभी कोई निश्चय नहीं किया गया।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

इस गबन की जांच के लिये कब आदेश दिये गये और यह सूचना कब तक आ जायगी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

यह सूचना कब तक आ जायगी, इसके संबंध में यह है कि विभाग इसको देख रहा है। उसकी रिपोर्ट हमारे सामने आयेगी उस समय हम देख लेंगे और प्रयत्न करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसका समुचित उत्तर आपके सामने दे दें।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने गबन जांच के लिये कब आदेश दिये ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

श्रीमन्, गबन वाली बात तो मैंने मानी नहीं है। मैंने यह कहा कि एक ट्रक पकड़ा गया, अब यह किस का था और क्या है इसकी जांच हो रही है गुप्तचर विभाग द्वारा तथा हमारे विभाग द्वारा अभी तक कोई डेफीनिट रिपोर्ट नहीं आई इसलिये लिखा है कि सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

श्रीमन्, मेरा प्रश्न गबन के संबंध में है और मंत्री जी ने अभी गबन की बात को स्वीकार-नहीं किया है तो फिर वे जांच किस बात की कर रहें हैं ? मेरे प्रश्न की जांच कर रहें हैं या कोई दूसरी कल्पना उन्होंने कर ली है जिसकी जांच कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

आपके प्रश्न के संबंध में ही जांच हो रही है। अभी सूचना एकत्रित की जा रही है। अभी वे इस नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं कि गबन है या नहीं।

नलकूप प्रखण्ड, वाराणसी में क्लर्कों के विरुद्ध शिकायतें

*१३—श्री गयाप्रसाद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला वाराणसी नल कूप प्रखंड में कितने ऐसे क्लर्क एवं दूसरे ग्रेड के कर्मचारी हैं जो कि एक ही स्थान एवं एक ही जिले में पांच साल से अधिक से कार्य कर रहें हैं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

नलकूप प्रखंड वाराणसी में १४१ ऐसे कर्मचारी ह जो एक ही स्थान अथवा जिले में ५ साल से अधिक से कार्य कर रहें हैं । इनमें से ७ क्लर्क एवं १३४ दूसरे ग्रेड के कर्मचारी हैं ।

*१४—श्री गयाप्रसाद—

क्या इस विभाग में कुछ ऐसे भी क्लर्क कार्य कर रहें हैं जिनको एक ही स्थान पर कार्य करते ८ साल हो गये, परन्तु शिकायत होने पर भी उनका तबादला नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

जी हां । सिंचाई विभाग में इस प्रकार के भी कुछ क्लर्क हैं जो एक ही स्थान पर ८ साल से अधिक से कार्य कर रहें हैं और उनका तबादला नहीं किया गया । इनका तबादला किया जाना किसी अवधि विशेष के बाद जरूरी नहीं है वरन् इनका तबादला विभागीय आवश्यकता के अनुसार किया जाता है । ११ क्लर्कों के विरुद्ध शिकायती पत्र प्राप्त हुये जिनमें से ४ की जांच के बाद आरोप निराधार पाये गये । उनमें से ३ कर्मचारियों का तबादला आवश्यक नहीं समझा गया तथा १ कर्मचारी का तबादला कर दिया गया है । शेष शिकायती पत्रों की जांच के बाद ही कोई निर्णयात्मक कदम उठाया जा सकता है ।

श्री गयाप्रसाद—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि क्लैरिकल स्टाफ के लोग जो दफ्तर में एक ही टेबिल पर बैठकर १०/१२ साल से काम करते हैं उनका संबंध ऊपर के अधिकारियों से और ठेकेदारों से हो जाता है जिससे उन्हें भ्रष्टाचार के लियें प्रोत्साहन मिलता है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

श्रीमन्, छोटे कर्मचारियों को साधारणतया बदलते नहीं है इसलिये कि दूसरी जगह जाकर उनको मकान वगैरा की दिक्कत होती है । अगर शासन को पता चलता है कि उनका रहना ठीक नहीं है तो ऐसी दशा में उनको बदलते हैं ।

श्री गयाप्रसाद—

जो ११ क्लर्कों के प्रति शिकायती पत्र प्राप्त हुये थे उनमें चार के विरुद्ध लिखा है कि कार्यवाही की गयी, उन ४ में से १ का ट्रांसफर किया गया । जो अपने स्थान पर पुनः रख लिये गये, तो कृपया यह बतायेंगे कि इनके बारे में कौन सी शिकायतें थीं जिनके आधार पर आप कहते हैं कि निराधार पायीं गयीं या कहते हैं कि सही पायी गयीं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

अगर आप कहें तो निकाल कर शिकायतें पढ़ दूं, लेकिन समय लगेगा । चार, जिनकी जांच की गयी, शिकायत ठीक नहीं पायी गयीं । ऐडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउन्ड पर एक को बदल दिया ।

श्री गयाप्रसाद—

मुख्य मुख्य शिकायतें बतला दें ।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

बड़ी देर लगेगी ।

श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)—

क्या सिंचाई मंत्री महोदय बतायेंगे कि इन ११ क्लर्कों के खिलाफ जिन महानुभावों के प्रति बरख्वास्त थी, जांच कर्ता महोदय ने वह प्रार्थना-पत्र जो आपके विभाग में भेजे, उनसे बयान लिया था, या नहीं ? बयान लिया तो बयान क्या है उसको बताने की कृपा करेंगे ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

मुझे तो शिकायती पत्र पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि इतनी हैं । छोटी मोटी शिकायतें हैं । अगर आप कहें तो पढ़ दूं लेकिन देर लगेगी । शिकायती पत्र यहां हैं, लेकिन बयान नहीं हैं । शिकायत तो यह है कि बहुत दिन हो गये, किसके रिश्तेदार हैं, किस आदमी को फेवर करते हैं, इसी तरह की शिकायतें हैं ।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—

माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि शिकायतों की जो जांच हुई है वह किस अधिकारी द्वारा हुई है और क्या शिकायतकर्ता और क्लर्कों के समक्ष जांच हुई है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

असिस्टेंट इंजीनियर ने जांच की है । उनको बुलाया जरूर गया होगा लेकिन इसकी सूचना मेरे पास नहीं है । बहुत से शिकायती पत्र ऐसे हैं जिनमें कोई दस्तखत ही नहीं हैं ।

वाराणसी जिले के लिये नलकूप

*१५—श्री रघुनाथसिंह—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आय-व्ययक वर्ष, १९६३-६४ में वाराणसी में जो ३० राज्य नलकूप बनाने की योजना है, उसमें कटेहर विधान सभा क्षेत्र में कितने नलकूप लगेंगे और कहां कहां लगेंगे ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

वाराणसी जिले में २० नलकूप लगाने का प्रस्ताव है । इसमें से कटेहर विधान सभा क्षेत्र में चालू वित्तीय वर्ष में कितने और कहां-कहां नलकूप बनाये जायेंगे यह अभी निश्चित नहीं है ।

श्री रघुनाथसिंह—

क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो वाराणसी जिले में प्रस्तुत नलकूप हैं, इस प्रस्तुत वित्तीय वर्ष में उनमें कितने बन चुके हैं और जो नहीं बन चुके हैं क्या इस वर्ष के समाप्त होते होते बन जायेंगे ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

यह तो प्रस्तुत हैं । अभी चालू वर्ष में कार्य आरम्भ होने का प्रस्ताव है ।

श्री रघुनाथसिंह—

हमने यह पूछा है कि आय-व्ययक वर्ष १९६३-६४ में वाराणसी में जो ३० राज्य नलकूप बनाने की योजना है, उसमें कटेहर विधान सभा क्षेत्र में कितने नलकूप लगेंगे और कहां कहां लगेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने यह नहीं पूछा है कि कितने बन गये हैं, आपने पूछा है कि कितने लगेंगे ।

श्री रघुनाथसिंह—

प्रस्तुत वित्तीय वर्ष में दो तीन महीने ही बाकी रह गये हैं बीतने को आ रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—

मंत्री जी चाहें तो जवाब दे दें।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

मैंने यह कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में कार्य प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है। अभी इसमें दो तीन महीने बाकी हैं। यह प्रस्ताव है कि इस वर्ष के अन्दर ही काम प्रारम्भ कर दे। जब काम प्रारम्भ होगा तो खत्म होगा ही।

श्री रघुनाथसिंह—

मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रस्तुत वित्तीय वर्ष के ७, ८ के महीने बीत गये हैं। वादा किया गया था कि इस वर्ष बन जायेंगे तो अभी तक कुछ भी नलकूप नहीं बन पाये हैं तो कब तक बनेंगे ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

योजना बनने के बाद रुपया सेंक्शन होने में समय लगता है। अब वह स्कीम आ गई है तो काम चालू होगा ही।

श्री कल्पनाथसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि वहां एक एक नलकूप ६ हजार घंटे चलता है और अगर इतने घंटे नहीं चलता है तो कितने घंटे चलता है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

इसकी मुझे सूचना नहीं है कि वहां पर कितने हजार घंटे चलता है। पूर्वी जिलों में इतने घंटे नहीं चलता है फिर भी जो कुयें बनाने का प्रस्ताव है उनको बनाना प्रारम्भ करेंगे।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि ८ महीने बीत जाने पर काम शुरू होने के लिये जो सामान चाहिये वहां वह मौजूद नहीं है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

मुझे तो यह जानकारी नहीं है, लेकिन आप तो यह जानकारी मुझे दे रहें हैं ?

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि अभी तक कितने नलकूप का काम आरम्भ कर दिया गया है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

मैं बार-बार यह पढ़ चुका हूं कि कार्य आरम्भ करने का प्रस्ताव है। आरम्भ करने वाले हैं।

सिंचाई विभाग, बलिया में मशीनों का नीलाम

*१६—श्री भोमा प्रसाद (जिला आजमगढ़) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मंत्री दिनांक २४ सितम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या २० के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि ये तीनों इंजन विभाग द्वारा कब खरीदे गये थे और कितने दिन चले और बीच में कौन कौन- पार्ट्स टूटे तथा क्रय-करके लगाये जाने वाले पार्ट्स की सूची कार्यालय में है, कि नहीं ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

सन् १९५५–५६ ।

इन इंजिनों द्वारा बहुत से नलकूप चलाये गये जैसे जैसे नलकूपों का विद्युतीकरण होता गया ये एक नलकूप से दूसरे नलकूप पर लगा दिये गये। अतः ऐसी परिस्थिति में यह मालूम करना कि प्रत्येक इंजिन कितने कितने दिन चले तथा इनके कौन-कौन से पार्ट्स टूटे व क्रय किये गये सम्भव नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि जब एक इंजिन दूसरे नलकूप पर ले जाया जाता है तो ले जाने का खर्चा, सवारी का खर्चा कहीं आप के दफ्तर में रहता है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह कई चीजों पर डिपेन्ड करता है। इसकी डिटेल की सूचना नहीं है। लेकिन एक जगह से दूसरी जगह जाता होगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

इसका उत्तर उन्होंने ऐसा गलत दिया है कि मामूली आदमी भी ऐसा उत्तर नहीं देगा। साफ लिखा हुआ है कि यह इंजिन कितने दिन चले, इसका उत्तर कहते हैं कि बताना मुश्किल है। १९५५–५६ में खरीदा गया, तो १९५५–५६ से कब तक चला ? अगर इसकी भी जानकारी नहीं है तो क्या कहा जाय ? इंजिन एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने में क्या खर्चा हुआ और इंजिन कभी टूटा है या नहीं टूटा है, मशीन का पुर्जा अगर कभी टूटा है तो बाजार से खरीदते होंगे, उसका दाम मालूम होना चाहिए, यह कोई उत्तर उन्होंने नहीं दिया.....

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसा है कि आपने टूटने-फूटने की बात तो कही है, लेकिन लाने ले जाने वाली बात नहीं कही है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

नहीं-नहीं, श्रीमन्, दोनों बातें हैं। जब यह उत्तर दिया है कि एक नलकूप पर इंजिन लगाया जाता है और जब उसका विद्युतीकरण हो जाता है तो दूसरी जगह उसको ले जाकर लगाते हैं। तो जब दूसरी जगह ले जाते हैं तो उसमें सवारी लगती होगी, कार्यकर्ता लगते होंगे, इसका उत्तर यह कहते हैं कि हमारे पास नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष—

अर्ज यह है कि कितना भाड़ा लगा, कितना खर्चा लगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

भाड़ा तो मैं पूछता नहीं, यह तो कहते हैं कि हमारे पास यह है ही नहीं। मैं यह जानना चाहता हूं कि आप के नलकूप का जब विद्युतीकरण होता है तो इंजिन को दूसरी जगह ले जाते हैं, तो उसमें सवारी लगती होगी, कार्यकर्ता लगते होंगे, खर्चा लगता होगा, इसकी जानकारी तो आप के दफ्तर में होगी। अगर इस वक्त आप के पास जानकारी नहीं है तो इसको आज स्थगित कर दीजिए और अगले मर्तबे उत्तर दे दीजियेगा।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पांडेय जी ने यह प्रश्न किया था कि—"....बताने की कृपा करेंगे कि ये तीनों इंजिन विभाग द्वारा कब खरीदे गये थे और कितने दिन चले और बीच में कौन-कौन

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

पार्ट्स टूटे तथा क्रय-कर के लगाये जाने वाले पार्ट्सों की सूची कार्यालय में है कि नहीं, यदि हां, तो वह क्या है ?" मैंने उत्तर दिया कि १९५५-५६ में खरीदे गए। कितने दिन तक चले इसकी सूचना इसलिए नहीं है कि यह इंजिन पाइलट प्रोजेक्ट्स जो हैं उनमें जब जब कुएं बनते हैं तो उन कुओं में लगाते हैं और जब वहां बिजली आ जाती है तो इनको दूसरी जगह ले जाते हैं। तो यह विभाग में रहते हैं और उसमें हरएक इंजिन का अगर अलग-अलग रेकार्ड रहे तो बहुत विस्तृत जानने की बात है। जहां तक पार्ट्स की बात है वह हमारे स्टोर में रहते हैं। यह तो होता नहीं कि हर एक इंजिन के लिए अलग से पार्ट्स खरीदें। हमारे स्टोर में पार्ट्स रहते हैं और जब-जब आवश्यकता पड़ती है तो वहां से दे दिये जाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि अलग-अलग स्थिति नहीं रहती, इसलिए बताना सम्भव नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

श्रीमन्, मैंने यह नहीं कहा है कि बाहर से खरीदे जाते हैं। हमने तो यह कहा कि इंजिन में पार्ट्स टूटे या नहीं टूटे... (व्यवधान)
अगर टूटे हैं तो स्वीकार करें कि लगाए गए हैं.....(व्यवधान) यह तो यह कहते हैं कि इसका कोई हिसाब ही नहीं रहता है....

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय रामसुन्दर जी, यह तो आपका सवाल है नहीं। आप इतने डीटेल की बात पूछ रहे हैं। वह कहते हैं कि इतने डिटेल की बात नहीं बता सकते।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

तो आप इसको स्थगित कर दीजिए, दूसरे रोज के लिए ?

श्री उपाध्यक्ष—

इतने डीटेल का उत्तर उनके पास नहीं है।

(व्यवधान)

श्री रामसुन्दर पांडेय—

श्रीमन्, हमारा सवाल यह है कि पार्ट्स टूटे हैं या नहीं ?

श्री कल्पनार्थासिह—

श्रीमन्, बहुत हल्ला हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—

यही तो मैं कह रहा हूं कि बातचीत न करें आपस में। रामसुन्दर जी, ऐसा है कि जितना डिटेल आप मांग रहे हैं, उतना इस वक्त में वह नहीं दे पा रहे हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

तो स्थगित कर दीजिए किसी दूसरे रोज के लिए।

श्री उपाध्यक्ष—

स्थगित करने का सवाल नहीं है। आप फिर से दूसरा प्रश्न कर लीजिए।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

उसमें तो दो-चार महीने लग जायंगे। आप स्थगित कर दें।

श्री कल्पनार्थासिह—

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये इंजिन इस समय कहां और किस हालत में रखे हुये हैं या उनसे क्या काम लिया जा रहा है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यद्यपि इस सवाल से इसका सम्बन्ध नहीं है, लेकिन में बतला दूं कि हमारा कुछ सामान नीलाम हुआ था उसमें ये तीन इंजिन एक साहब ने खरीद लिये थे। दो इंजिन तो वे साहब ले गये और एक इंजिन अभी तक वहां पड़ा है या नहीं, इसका ठीक पता मुझे नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

आज तक इनके कितने पार्ट्स टूटे, क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतलायेंगे ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

यह इंजिन १९५६ में खरीदे गये थे, उस समय से इनके कितने पार्ट्स टूटे यह इतना विस्तृत सवाल है कि इसकी सूचना मंगाने में जो धन व्यय होगा उसे भी पांडेय जी पसंद नहीं करेंगे।

उपशाखा सीकड़ी कोल नहर

*१७—श्री भीमाप्रसाद (अनुपस्थित) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दोहरीघाट, मुख्य नहर की उपशाखा सीकड़ी कोल, जिला आजमगढ़ का पूर्ण निर्माण कब तक हो जायगा तथा सीकड़ी कोल से आगे न जाने के लिये लगभग ३६ ग्राम सभाओं के प्रधानों ने सम्बन्धित इन्जीनियरों को प्रार्थना-पत्र दिया है ? यदि हां, तो उस पर कौन-सी कार्यवाही की गयी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

उपशाखा सीकड़ी कोल न बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में काश्तकारों के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये थे। इन प्रार्थना-पत्रों की जांच के सिलसिले में ३३ ग्राम प्रधानों से विभागीय तौर से संपर्क स्थापित किया गया जिनमें से २९ ग्राम प्रधान इस शाखा के बनने के पक्ष में नहीं थे और ४ ग्राम प्रधान बनने के पक्ष में थे। तत्पश्चात् जिलाधीश एवं जिला नियोजन अधिकारी, आजमगढ़ की सम्मति मांगी गई। जिला नियोजन अधिकारी ने सूचित किया है कि उपशाखा को बढ़ाने के सम्बन्ध में दो ब्लाकों में मीटिंगें की गईं और लोगों का एकमत न होने के कारण यह मामला जिला परिषद् के समक्ष अन्तिम निर्णय लेने के हेतु रखना पड़ेगा।

खण्डासा परगने में झीलों से पानी निकासी

*१८—श्री धूमप्रसाद (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार को मालूम है कि फैजाबाद क्षेत्र मंगलसी के परगना खन्डासा की झीलों का पानी न निकालने से गंजी, उरद, अरहर, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि की फसल नष्ट हो गयी ? यदि हां, तो क्या सरकार इन फसलों को बचाने का प्रबन्ध करेगी और किस प्रकार से ? क्या सरकार इन झीलों का पानी निकलवाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—

वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

*१९—श्री धूमप्रसाद—

क्या सरकार उस नाले को जो खोदा जा चुका है घुसैला झील, कोला, कुदरौता, बकैना, खपडाही, पनाई, वख्वा आदि झीलों से जो पचीसों ग्राम को हानि पहुंचती है, मिलाने की व्यवस्था करेगी ?

नोट—तारांकित प्रश्न १७ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री गिरधारीलाल—

एक नाला उधेला ड्रेन खोदा जा रहा है जिसे कोला उधेला, हरदोइया, खरयौना व बरैला झीलों से मिलाया जा रहा है। शेष झीलों के लिये कोई योजना नहीं है।

बदोसराय परगना में सिंचाई साधनों का अभाव

*२०—श्री गिरजाप्रसाद (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जिला अन्तर्गत परगना बदोसराय के किन्तूर, रसूलपु आदि ग्रामों में खेती की फसलें सींचने का क्या प्रबन्ध है ?

श्री गिरधारीलाल—

इन ग्रामों में विभाग की ओर से सिंचाई का कोई प्रबन्ध नहीं है।

*२१—श्री गिरजाप्रसाद (अनुपस्थित)—

क्या उपरोक्त ग्रामों को नहर से पानी न देकर नलकूप द्वारा सिंचाई करने की योजना विचाराधीन है ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां, इन ग्रामों के कुछ क्षेत्र में नलकूप द्वारा सिंचाई करने की योजना विचाराधीन है।

बदायूं जिले में गंगा बांध टूटने से क्षति

*२२—कुंवर रुकुमसिंह राठौर (जिला बदायूं)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि बदायूं जिला व तहसील के गंगा का पिपरौला बांध भी टूट गया ? यदि हां, तो इससे कितनी क्षति हुई ?

*२३—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बदायूं के उसहत परगना तथा गुन्नौर गंगा बांध टूटने से कितनी क्षति हुई ?

*२४—क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि उक्त बांधों के टूटने से जो हानि हुई है उसके लिये सरकार क्या-क्या सहायता प्रदान करने का विचार करती है।

श्री गिरधारीलाल—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

बरेली क्षेत्र में असिस्टेंट ट्रैफिक इन्स्पेक्टर्स का चुनाव

*२५—श्री जसरामसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या परिवहन मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि यदि बरेली रीजन में असिस्टेंट ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स की जगह खाली नहीं थी तो ३० अप्रैल, १९६३ व १ मई, १९६३ को चुनाव क्यों किया गया ? यदि जगह खाली थीं, तो चुने गये व्यक्तियों को अभी तक नियुक्त क्यों नहीं किया गया ?

श्री मुजफ्फर हसन—

यह चुनाव ए० टी० आई० के कुछ अनुमानित रिक्त स्थानों को भरने के लिए एक प्रतीक्षा सूची (waiting list) बनाने के लिये किया गया था। चुने गये उम्मीदवारों में से ६ की नियुक्ति की जा चुकी है। शेष नियुक्तियां जैसे-जैसे स्थान रिक्त होंगे, की जावेंगी।

छिबरामऊ विकास क्षेत्र में विशुनगढ़ तालाब से पानी निकासी

*२६—श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सिंचाई मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि फर्रुखाबाद जिले के छिबरामऊ विकास क्षेत्र में विशुनगढ़ के तालाब से बरसाती पानी निकालने के लिये एक सरकारी नाला

(खारजा) बना हुआ है, लेकिन इसके आखिर में जहां पर खारजा दूसरे नाले में गिरता है वहां पर खारजा दो-तीन फर्लांग कम गहरा और चौड़ा है ? यदि हां, तो क्या तालाब का पानी न निकलने से विशुनगढ़ व आस-पास के मजरे पानी से डूब जाते हैं और मकानों के गिरने के अलावा फसल चौपट हो जाती है ?

*२७—अगर हां, तो क्या मन्त्री महोदय इसकी शीघ्र ही उचित व्यवस्था करने की कृपा करेंगे ?

श्री गिरधारीलाल—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

हिण्डन के कटाव में कपासा गांव

*२८—श्री जयगोपाल (जिला सहारनपुर)—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कपासा, परगना हरौड़ा, जिला सहारनपुर को हिन्डन नदी काट रही है ? यदि हां, तो कितने ग्राम कट गये और सरकार इस कटाव को रोकने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां। ग्राम कपासा का लगभग १/६ भाग कट गया है। इस समय सर्वेक्षण प्रगति में है। सर्वेक्षण के पश्चात् ही उचित योजना के सम्बन्ध में कुछ कहा जा सकेगा।

धौलाना, दादरी ब्लाक में बाढ़ नियन्त्रण योजना

*२९—श्री मेघनार्थसिंह शिशोदिया (जिला मेरठ)—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वह मेरठ जिले के धौलाना ब्लाक के अन्तर्गत ग्रामों धौलाना, बासतपुर, हिन्डालपुर, जादोपुर, करनपुर जट्ट व नरायनपुर को प्रत्येक वर्ष की भीषण बाढ़ व वर्षा से बचाने की कोई योजना बना रहे हैं ? यदि हां, तो क्या ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां, आवल ड्रेन के पुनरुद्धार की एक योजना है जिससे ग्राम धौलाना, हिन्डालपुर तथा करनपुर जट्ट को लाभ पहुंचेगा। यह योजना राज्य बाढ़ नियंत्रण से स्वीकृत होने पर तथा आवश्यक धन उपलब्ध होने पर ही कार्यान्वित हो सकेगी। शेष ग्रामों के लिये अभी कोई योजना नहीं है।

*३०—श्री मेघनार्थसिंह शिशोदिया—

क्या सिंचाई मंत्री ग्राम बिसाहड़ा (ब्लाक दादरी, जिला बुलन्दशहर) को बाढ़ व वर्षा के पानी से बचाने के लिये ग्राम के दक्षिण वाले नाले को चौड़ा व गहरा करने तथा राजबहा की नीचे वाली साइफन को चौड़ा व तीन दर की करने का विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—

सर्वेक्षण के पश्चात् ही कुछ कहा जा सकेगा कि यह काम किया जा सकेगा कि नहीं।

[२४ दिसम्बर, १९६३ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

उत्तरकाशी में मुन्सफी के मुकदमें

*१—श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर काशी में कितने मुकदमें गत तीन वर्ष से मुन्सिफ की नियुक्ति के अभाव में विचाराधीन हैं ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—

१९६२ के आखिर में उत्तर काशी में कुल ३९९ मुकदमे विचाराधीन थे—इनमें से १९५८ के ९; १९५९ के ३४; १९६० के ७४ और बाकी १९६१ और १९६२ के थे।

*२—श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर काशी में मुन्सिफ अदालत में मुन्सिफ की नियुक्ति गत तीन वर्षों से अब तक न होने का क्या कारण है ?

श्री सैयद अली जहीर—

उत्तर काशी में कोई अलग मुन्सिफी अदालत नहीं है—इसलिये वहां मुन्सिफ की नियुक्ति का प्रश्न नहीं उठता।

*३—श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि इसके पूर्व मुन्सिफी के मुकदमों को देखने की क्या व्यवस्था थी और वह क्यों बदल गयी और बदलने के साथ जो प्रस्ताव इन मुकदमों के निपटारे का था वह अमल में क्यों नहीं लाया गया ?

श्री सैयद अली जहीर—

उत्तर काशी जब टेहरी जिले का एक सब-डिवीजन था तो सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट, उत्तर काशी को मुन्सिफ के अधिकार प्राप्त थे। एक पूरा जिला बन जाने के बाद उत्तर काशी जिले के सभी सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेटों को मुन्सिफ के अधिकार प्राप्त थे। इन मैजिस्ट्रेटों को फौजदारी के मुकदमों, इन्तजामिया और प्लानिंग के कामों की वजह से दीवानी के मुकदमों को सुनने के लिये समय नहीं मिल पाता था। इसलिये अब उत्तर काशी जिले को मुन्सिफ टेहरी के अधिकार क्षेत्र में कर दिया गया है। मुन्सिफ टेहरी वहां के मुकदमों को उत्तर काशी जाकर सुनेंगे।

*४—६—श्री रामसुन्दर पांडेय—

[हटा दिये गये।]

मैनपुरी जिले में राजनीतिक पीड़ितों को पेन्शन

*७—श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में सन् १९६२ से सन् १९६३ तक कितने राजनीतिक पीड़ितों को पेंशनें दी गयीं हैं उनमें से कितनों को पेन्शनें बिना जिलाधीश की राय मांगें सरकार ने स्वयं स्वीकार कर दी हैं और कितने-प्रार्थना-पत्रों में जिलाधीश की राय लेकर स्वीकार की हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—

मैनपुरी जिले में १९६२ में ५ व्यक्तियों को और १९६३ में (१७ दिसम्बर, १९६३ तक) ९ व्यक्तियों को राजनैतिक पेन्शनें स्वीकृत की गईं। इन १४ व्यक्तियों में से १२ को जिलाधीश की आख्या प्राप्त करने के बाद और २ को बिना जिलाधीश की आख्या प्राप्त किए पेन्शनें स्वीकृत की गईं।

बरुआ सागर के निकट झाल निर्माण पर व्यय

*८—श्री काशीप्रसाद द्विवेदी (जिला झांसी)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले में बरूआ सागर के पास बरेठी साख के कुलाबा नं० ५ की गूल पर जो गूल जनता की है सरकारी व्यय पर एक झील बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्यों और उस पर कितना व्यय हुआ है ?

श्री गिरधारीलाल—

प्रश्न में उल्लिखित गूल पर 'झील' नहीं बल्कि एक 'झाल' कृषकों की प्रार्थना पर बनाया गया है। इसके निर्माण पर १६६ रु० व्यय हुआ है।

*९–१०—श्री कैलाश (जिला देवरिया)—

[७वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

*११–१३—श्री जसराम सिंह—

[७वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

*१४–१६श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—

[५वें बुधवार के लिये प्रश्न संख्या १४१–१४३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*१७–१९–श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर) तथा श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—

[७वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

*२०–२२—श्री हरीशकुमार गंगवार—(जिला बरेली)—

[७वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

वाराणसी जिले के लिये बिजली

*२३—श्री रघुनाथसिंह—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में वाराणसी जिले के कितने गावों को बिजली देने की योजना है ? उनमें कितने और कौन-कौन गांव कटेहर विधान सभा क्षेत्र के हैं ?

श्री गिरधारीलाल—

तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत वाराणसी जिले में स्थानों के विद्युतीकरण की स्थिति नत्थी की गई सूची में दी हुई है। चूंकि विद्युतीकरण किये जाने वाले स्थानों का ब्योरा निर्वाचन क्षेत्र (Constituency) के अनुसार नहीं रखा जाता अतः यह बताना कि कौन-कौन स्थान कटेहर विधान सभा क्षेत्र के हैं, सम्भव नहीं है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६९७ पर)

सरजू नहर योजना का स्थगन

*२४—श्री गंगाप्रसाद—

क्या यह सही है कि पूर्वी जिलों में बहराइच, गोंडा और बस्ती में सिंचाई का कोई साधन नहीं है और सरजू कैनाल प्रोजेक्ट से ही जनता आशा लगाये थी जो बन्द हो गयी है ? यदि हां, तो सिंचाई का दूसरा साधन क्या निकाला गया है ?

श्री गिरधारीलाल—

बहराइच, गोंडा और बस्ती जिलों में राजकीय नलकूपों व जलाशयों से सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं। सरजू नहर योजना राष्ट्रीय संकट के कारण स्थगित की गई है और उसके स्थान पर दूसरी योजना बनाने का प्रश्न नहीं उठता।

*२५—श्री गंगा प्रसाद—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरजू कैनाल प्रोजेक्ट पर कितने कर्मचारी कार्य कर रहे थे और जो सामान मंगाया गया था उसको उठाने में कितना व्यय होगा और सामान किस प्रोजेक्ट पर जायेगा ?

श्री गिरधारीलाल—

सरजू कैनाल प्रोजेक्ट पर २९७ कर्मचारी कार्य कर रहे थे। जो सामान योजना के लिये मंगाया गया था वह कई अन्य प्रोजेक्टों द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा है। सामान को उठाने का खर्च अलग-अलग कई प्रोजेक्टों द्वारा किया गया और उसकी सूचना एकत्रित करने में काफी समय लगेगा।

*२६-२८—श्री रघुवीर सहाय कँथवार—

[७वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

*२९-३०—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

[७वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

नलकूप लगाने का आधार, सहारनपुर व मुजफ्फरनगर जिले में नलकूप

*३१—श्री यशपालसिंह वर्मा (जिला सहारनपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ट्यूबवेल्स का District Wise कोटा निर्धारित करने का क्या आधार है ?

श्री गिरधारीलाल—

जिलेवार कोटा निर्धारित करते समय विभिन्न जिलों में नलकूपों की आवश्यकता तथा निर्माण हेतु उपलब्ध नलकूपों की संख्या के अलावा कुछ और बातों का ध्यान रखा जाता है जो संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ६९८ पर)

*३२—श्री यशपाल सिंह वर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष जिला सहारनपुर व जिला मुजफ्फरनगर को कितने-कितने ट्यूबवेल एलाट किये गये हैं ?

श्री गिरधारीलाल—

इस वर्ष अभी तक जिला सहारनपुर तथा मुजफ्फरनगर को क्रमशः ११ तथा ८ नलकूप एलाट किये गये हैं।

*३३-३४—श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)—

[७वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

देवरिया ब्लाक में नलकूप

*३५—श्री कृष्णा (जिला देवरिया)—

क्या सिंचाई मंत्री देवरिया ब्लाक के अन्तर्गत गम्भीरपुर और बैकुण्ठपुर में जहां कि पानी की बहुत कमी है नलकूप लगवाने की कृपा करेंगे ?

श्री गिरधारीलाल—

देवरिया ब्लाक के ग्राम गम्भीरपुर तथा बैकुंठपुर में नलकूप लगाने का तृतीय पंचवर्षीय योजना में कोई प्रस्ताव नहीं है।

*३६—श्री कृष्णा—

[७वें मंगलवार के लिया स्थगित किया गया ।]

सिंचाई योजनायें

*३७—श्री शारदानन्द (जिला सीतापुर)—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में कितनी सिंचाई परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ करने की योजना तैयार की गयी थी। उनमें से कितने पर कार्य हो रहा है तथा कितनी योजनाएं ऐसी हैं कि जिन पर कार्यारम्भ होने के बाद रोक दिया गया है तथा अभी अधूरी पड़ी हैं कितनी शेष हैं ?

श्री गिरधारी लाल—

सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ६९९ पर ।)

प्रयाग महापालिका चुनाव में मोटर दुर्घटना

*३८—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

क्या सरकार को इसकी सूचना कि प्रयाग में १ नवम्बर, ६३ के प्रथम सप्ताह में महापालिका उपचुनाव से सम्बन्धित एक जलूस पर एक मोटर चढ़ गयी जिससे कि एक २० वर्षीय नवयुवक की सत्काल हत्या हो गयी तथा २० लोग बुरी तरह घायल हो गये ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी हां, परन्तु २० घायल व्यक्तियों में से केवल २ के ज्यादा चोटें आई थीं ।

*३९—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

यदि हां, तो पूरी घटना क्या है तथा मृत व्यक्ति के परिवार वालों को एवम् घायल व्यक्तियों को सरकार द्वारा क्या क्षतिपूर्ति दिलायी गयी है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

यह मामला पुलिस की जांच के उपरान्त न्यायालय में विचाराधीन है । अतः घटना का पूर्ण विवरण देना न्याय संगत नहीं होगा । उक्त दुर्घटना प्रादेशीय सरकार की गाड़ी द्वारा नहीं हुई । अतएव सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति का प्रश्न नहीं उठता ।

*४०—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दोषी चालक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुजफ्फर हसन—

चालक के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया ।

*४१-४२—श्री राजेन्द्रसिंह—

[हटा दिये गये ।]

रोडवेज फर्रुखाबाद डिपो के ड्राइवर

*४३—श्री सूबेदारसिंह (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज, फर्रुखाबाद डिपो से सम्बन्धित ड्राइवरों से निर्धारित समय से अधिक ओवर टाइम कार्य लिया जाता है ? यदि हां, तो ओवर टाइम कार्य लेने के क्या नियम हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—

ऐसा नहीं है । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

*४४—श्री सूबेदारसिंह—

क्या यह सत्य है कि ड्राइवरों से जितने दिन ओवर टाइम कार्य लिया जाता है, उस पूरे समय का भत्ता उन्हें नहीं दिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों और कितने ऐसे ड्राइवर हैं जिन्हें ओवर टाइम का पूरा भत्ता नहीं दिया गया है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी नहीं, शेष प्रश्न नहीं उठता ।

*४५—श्री सूबेदारसिंह—

क्या यह भी सत्य है कि फर्रुखाबाद डिपो के वर्कशाप में कुछ ड्राइवरों को नाइट ड्यूटी देनी पड़ती है और उसी रात्रि के बाद दिन में उन्हें लम्बी यात्रा पर बस लेकर जाना पड़ता है ? यदि हां, तो ऐसे कितने ड्राइवर हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—

केवल एक ड्राइवर को रात्रि में वर्कशाप में ड्यूटी देनी पड़ती है तथा निर्धारित विश्राम के पश्चात् उसे कभी-कभी दूसरे दिन रूट पर बस ले कर जाना पड़ता है ।

सयाना क्षेत्र से नलकूप के लिये मांग

*४६—श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार अनूपशहर ब्रांच गंगा नहर और इससे सम्बन्धित रजबहों को अक्तूबर मास में हर साल चलाया करेगी जैसा कि उसने गत अक्तूबर मास में चलाया और किसानों को फायदा पहुंचाया ?

श्री गिरधारी लाल—

भविष्य में नहरों के चलाये जाने के बारे में अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि नहरों का चलाया जाना किसानों की आवश्यकता तथा मांग पर निर्भर है ।

*४७—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार को मालूम है कि विधानसभा क्षेत्र सयाना, जिला बुलन्दशहर के ग्राम मुंडी बकापुर में लगभग १,७५० एकड़ उपजाऊ भूमि सिंचाई की सुविधा न होने के कारण बेकार पड़ी हुई है ? क्या वहां के कृषकों ने सन् १९५९ से अब तक कितने ही प्रार्थना-पत्र सरकार को राजकीय नलकूप का निर्माण करने के हेतु भेजे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार मुंडी बकापुर में एक नलकूप का निर्माण जल्द से जल्द कराने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारी लाल—

इस क्षेत्र में लगभग ९८२ एकड़ भूमि है जिसमें राजकीय सिंचाई सुविधा नहीं है । कृषकों ने राजकीय नलकूप निर्माण हेतु प्रार्थना-पत्र दिये हैं किन्तु इस क्षेत्र में ३८२ एकड़ भूमि ऊसर है तथा शेष ६०० एकड़ भूमि तीन पानी के निकासी द्वारा छोटे छोटे भूमि के टुकड़ों में बटी हुई है । इस कारण वहां पर कोई नलकूप लगाना सम्भव नहीं है ।

*४८-४९—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

[हटा दिये गये ।]

जौनपुर जिले में ट्रक दुर्घटना मछलीशहर बस स्टेशन तथा बस-चेकिंग

*५०—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १४ नवम्बर, १९६३ को ८॥। बजे रा त चील्ह से जौनपुर जाने वाली बस की चेकिंग किसके द्वारा की गयी और उक्त चेकिंग से कितने यात्री बिना टिकट पाये गये और इस प्रकार कितने सरकारी धन की हानि हुई ?

श्री मुजफ्फर हसन—

चील्ह से जौनपुर जाने वाली किसी बस की चेकिंग नहीं की गई किन्तु भदोही से जौनपुर जाने वाली बस संख्या यू० पी० सी० ७४१८ की चेकिंग गृह मंत्री द्वारा की गई । चेकिंग के समय उस बस में बिना टिकट कोई यात्री नहीं पाया गया । अतः धन की हानि का प्रश्न नहीं उठता ।

*५१—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ११ नवम्बर, १९६३ से १९ नवम्बर, १९६३ तक जौनपुर जिले में कितनी मोटर दुर्घटनायें हुयीं ? सरकार ऐसी दुर्घटनाओं की रोक थाम के लिये क्या कदम उठाने जा रही है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

प्राइवेट ट्रक द्वारा एक दुर्घटना दिनांक ११-११-६३ को हुई । मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट की धारा १०३ (१) में दी हुई सजा को बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है । इसके अलावा इन्फोर्समेन्ट स्क्वाड को आदेश दिये गये हैं कि वे अपने चेकिंग में इस ओर विशेष ध्यान दें ।

*५२—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि मछलीशहर बस स्टेशन, जिला जौनपुर की इमारत अभी तक नहीं बनने का क्या कारण है जब कि उस स्टेशन से सरकार को कई हजार रुपये की प्रति मास की आमदनी है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

उपयुक्त भूमि न मिल सकी ।

*५३—श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

[७वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*५४-५५—श्री मैनेजरसिंह तथा श्री कल्पनाथसिंह—

[७वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*५६—श्री मैनेजरसिंह तथा श्री कल्पनाथसिंह—

[५वें बुधवार के लिये प्रश्न संख्या १४४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

जौनपुर जिले में बसों की चेकिंग

*५७—कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)—

क्या परिवहन मंत्री महोदय कृपया बतायेंगे कि नवम्बर, १९६३ में उन्होंने स्वयं कितनी राजकीय बसों की जांच बिना टिकट सवारी ले चलने अथवा अधिक सवारी से चलने आदि जैसी अनियमितताओं की कीं ? उनमें से जौनपुर जिले में कितनी थीं तथा उनका परिणाम क्या निकला ?

श्री मुजफ्फर हसन—

मैंने कोई बस चेक नहीं की। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

जैतीपुर रजबहा पर साइफन बनाने का आदेश

*५८—श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम आदमपुर, तहसील हसनगंज, जिला उन्नाव के निवासियों ने दिनांक २० अक्तूबर, सन् १९६२ ई० को एक प्रार्थना-पत्र इस आशय का दिया था कि रजबहा-जैतीपुर में ४ मील ४ फर्लांग पर एक फुट ब्रिज व एक साइफन का निर्माण किया जाय ? यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां, ऐसा एक प्रार्थना-पत्र कार्यालय, शारदानहर, उन्नाव में अक्तूबर, १९६२ ई० में प्राप्त हुआ था। मामले की छानबीन से पता चला कि फुट ब्रिज की आवश्यकता नहीं है। किन्तु साइफन के निर्माण के लिये मुख्य अभियन्ता को आदेश दे दिया है।

*५९-६०—श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

[७वें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ७-८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*६१-६३-श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

[हटा दिये गये।]

*६४—श्री जगन्नाथ राव—

[हटा दिया गया।]

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन पास करने वाले असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर्स

*६५—श्री रियासत हुसैन—

क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि गवर्नमेंन्ट आफ यू० पी० सिंचाई (ए) विभाग के नोटिफिकेशन नं० १५७५ ए० XXIII-१-ए०-४३-६०, दिनांक ५ मई, १९६० के अनुसार किन-किन असिस्टेंट मेकैनिकल इन्जीनियर्स ने प्रोफेशनल एग्जामिनेशन पास किया और क्या वे सब लोग कन्फर्म हो गये ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारी लाल—

आलोच्य नोटीफिकेशन के अन्तर्गत प्रोफेशनल एग्जामिनेशन पास करने वाले असिस्टेन्ट मैकेनिकल इंजीनियर्स की संख्या ७ है, जिनकी सूची प्रस्तुत है। इनमें से ५ आदमी कन्फर्म हो चुके हैं। और केवल दो आदमी कन्फर्म नहीं हुये हैं, क्योंकि उनको अभी इसके योग्य नहीं समझा गया।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ७०० पर)

*६६-६७—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

[६ठें सोमवार के लिये प्रश्न संख्या १४-१५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*६८-७०—श्री पातीराम अहरवार (जिला फर्रुखाबाद)—

[७वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

आगरा जिले में ट्रक दुर्घटनायें

*७१—श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)—

क्या यातायात मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि आगरा नगर तथा जिले में पिछले ६ माह में कितनी ट्रक दुर्घटनायें हुयीं और उनमें कितनें व्यक्तियों की मृत्यु हुई व कितने घायल हुये और कितने केस रजिस्टर किये गये ?

श्री मुजफ्फर हसन—

३० नवम्बर६३ तक ३७ ट्रक दुर्घटनायें हुईं जिनमें ६ व्यक्ति मरे तथा २४ घायल हुए। यह सभी केस रजिस्टर किये गये।

राजनीतिक पीड़ितों के सहायतार्थ प्रार्थना-पत्र

*७२—श्री उमाशकर (जिला आजमगढ़)—

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि उनके पास सन् १९६२ में १ जनवरी से ३१ दिसम्बर तक कितने राजनीतिक पीड़ितों ने प्रार्थना-पत्र देकर मांग की है कि उनकी आर्थिक सहायता की जाय ताकि वे अपना औद्योगिक ऋण तथा दूसरे ऋण चुका सकें ?

श्री मुजफ्फर हसन—

१ जनवरी से ३१ दिसम्बर, ६२ तक राजनीतिक पीड़ितों के कुल ८,८०९ प्रार्थना पत्र आर्थिक सहायता के लिये प्राप्त हुये। यह बताना मुमकिन नहीं है कि उनमें कितने प्रार्थना पत्र औद्योगिक तथा दुसरे ऋणों की अदायगी के लिये क्योंकि कार्यालय में प्रार्थना-पत्रों का इस तरह वर्गीकरण करके विवरण नहीं रखा जाता।

*७३—श्री उमाशंकर—

क्या सरकार ने कुछ पीड़ितों को ऋण चुकाने के हेतु ऐसी आर्थिक सहायता की है ? यदि हां, तो उनके नाम और पते क्या हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

अतारांकित प्रश्न

१–२—श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—

[७वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

फर्रुखाबाद नहर शाखा

३—श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद नहर शाखा (ममौरा डिवीजन) कितने मील लम्बी है और उस पर कितने पुल कितनी-कितनी दूरी पर बने हैं तथा प्रत्येक पुल की कितनी चौड़ाई है ?

श्री गिरधारीलाल—

उक्त नहर की लम्बाई मील ६१–७–२७० है। वांछित सूचना माननीय सदस्य मेरे कमरे में देख सकते हैं।

४—श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने पुल सन् १९५० के बाद नये बनाये गये और कितनी-कितनी चौड़ाई के तथा किस-किस स्थान पर और क्या वे पुराने, कम चौड़े पुल तोड़ कर बनाये गये हैं ?

श्री गिरधारीलाल—

१९५० के बाद कोई नया पुल नहीं बनाया गया, कुछ पुलों का नवीकरण हुआ उनकी भी सूचना माननीय सदस्य मेरे कमरे में देख सकते हैं।

५—श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या मंत्री जी फर्रुखाबाद नहर शाखा के मी० ३० फर्लांग ४–५ में नया चौड़ा पुल बनाने की कृपा करेंगे जिससे गाड़ियां आ जा सकें ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गिरधारीलाल—

चूंकि उक्त स्थान के बायें ओर कोई रास्ता नहीं है इसलिये नया पुल बनाना उचित न होगा।

बादशाहपुर–जौनपुर सड़क पर बस दुर्घटना, औराई बस स्टेशन

६—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ८ नवम्बर, १९६३ को घटित मोटर दुर्घटना मु० बादशाहपुर-जौनपुर में कितने लोग मरे और कितने घायल हुये ? उक्त दुर्घटना का क्या कारण था ?

श्री मुजफ्फर हसन—

उक्त दुर्घटना में एक विद्यार्थी की मृत्यु हुई। इसके अलावा कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ। दुर्घटना का सही कारण मैजिस्ट्रेट की जांच के बाद मालूम हो सकेगा।

७—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि औराई बस स्टेशन, वाराणसी से दिन भर में कितनी बसें पास होती हैं, औराई में अभी तक बस स्टेशन न बनने का क्या कारण है ?

श्री मुज़फ्फर हसन—

९६ बसे पास होती हैं। उपयुक्त जमीन लेने की कोशिश हो रही है।

मेरठ क्षेत्र में मोटर गाड़ियों के परमिट

८—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार कृपा करके यह बताने का कष्ट करेगी कि प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी मेरठ ने दिनांक ४–५–६–७ अप्रैल, १९६१ को मोटर गाड़ियों के कितने नये परिमट दिये हैं और क्या इन तिथियों की मीटिंग में प्राधिकारी ने मोटर गाड़ियों का कोई परमिट किसी ट्रांसपोर्ट कोआपरेटिव सोसाइटी को भी दिया है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

४, ५, ६ व ७ अप्रैल, १९६१ की बैठकों में ३४८ परमिट दिये गये जिनमें से एक परमिट माडर्न ट्रांस्पोर्ट कोआपरेटिव सोसाइटी, बुलन्दशहर, को भी दिया गया।

९—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बतायेगी कि प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ने या इनके सचिव ने अपने मण्डल में कितने अस्थायी परमिट जारी कर रखे हैं और इन अस्थायी परमिटों में से किसी ट्रांस्पोर्ट कोआपरेटिव सोसाइटी को भी अस्थायी परमिट दिया है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

४०४ अस्थाई परमिट हैं। किसी ट्रांस्पोर्ट कोआपरेटिव सोसाइटी को अस्थाई परमिट नहीं दिया गया।

१०—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी, मेरठ ने दिनांक १-२-३ दिसम्बर, १९५९ को मोटर गाड़ियों के कितने नये परमिट दिये थे और इन तिथियों की मीटिंग्स में पदाधिकारी ने मोटर गाड़ियों का कोई परमिट किसी ट्रांस्पोर्ट कोग्रापरेटिव सोसाइटी को भी दिया था ?

श्री मुजफ्फर हसन—

३४ परमिट दिये थे परन्तु किसी ट्रांस्पोर्ट कोग्रापरेटिव सोसाइटी को कोई परमिट नहीं दिया ।

फरही तथा बेला ड्रेनों की खुदाई का ठेका

११—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फरही तथा बेला ड्रेन की खुदाई सिंचाई विभाग बलिया, द्वारा, कब-कब और किन-किन ठेकेदारों के जरिये करायी गयी और खुदाई के पहले एवं बाद को भूमि का धरातल क्या-क्या रहा ?

श्री गिरधारीलाल—

वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ७०१ पर)

१२—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक ठेकेदार को कितनी-कितनी मिट्टी काटने का ठेका दिया गया था और उन्होंने कितनी-कितनी मिट्टी काटी और कितना-कितना पेमेन्ट उनको किया गया ?

श्री गिरधारीलाल—

इसका ब्योरा संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ७०२ पर)

१३—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेला ड्रेन के ठेकेदार ने अधीक्षक अभियन्ता वाराणसी को १८ जून, १९६३ को आवेदन-पत्र देकर भुगतान न होने की शिकायत की है ? यदि हां, तो जांच किस अधिकारी द्वारा करायी गयी और परिणाम क्या है ?

श्री गिरधारीलाल—

प्रथम भाग—जी हां ।

दूसरा भाग—संबंधित सहायक अभियन्ता द्वारा ।

तीसरा भाग—इस ठेकेदार से १६.०० लाख घन फुट मिट्टी की खुदाई के लिये ऐग्रीमेन्ट हुआ था, किन्तु उन्होंने इस ऐग्रीमेन्ट के अन्तर्गत बेला ड्रेन पर खुदाई का काम नहीं किया, अतएव भुगतान का प्रश्न ही नहीं उठा ।

लखनऊ रोडवेज क्षेत्र में हरिजन ए० टी० आई० मुअत्तल कर्मचारी

१४—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या परिवहन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि रोडवेज, लखनऊ क्षेत्र में कुल कितने ए० टी० आई० हैं और उनमें से कितने हरिजन वर्ग के हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन--

इस क्षेत्र में कुल ८० ए०टी० आई० हैं जिनमें से १ हरिजन है।

१५--श्री रघुवीरसहाय कैथवार--

क्या परिवहन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि रोडवेज, लखनऊ क्षेत्र के सभी ए० टी आई० सेलेक्शन कमेटी द्वारा अप्रूब्ड हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन--

एक ए० टी० आई० को छोड़कर जिन्हें सेलेक्शन कमेटी ने कार्य संतोषजनक न होने के कारण अप्रूव नहीं किया, बाकी सब ए० टी० आई० अप्रूब्ड हैं।

१६--श्री रघुवीरसहाय कैथवार--

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतलायेंगे कि रोडवेज, लखनऊ क्षेत्र के हर प्रकार के कितने-कितने कर्मचारी कितने समय से मुअत्तल हैं ? क्या सभी मुअत्तल कर्मचारियों को समय के अन्दर चार्जशीट दी गयी थी ? यदि नहीं, तो कितनों को और क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन--

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है। १४ कर्मचारियों को समय के अन्दर चार्जशीट नहीं दी जा सकी जिसका कारण तालिका के स्तम्भ ४ में उल्लिखित है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ७०३-७०५ पर)

रामगंगा योजना

१७--श्री रामचन्द्र विकल--

क्या सिंचाई मंत्री कृपा कर बतलायेंगे कि रामगंगा योजना का कार्य कब से आरम्भ हुआ और अब तक क्या-क्या कार्य किया जा चुका है ?

श्री गिरधारीलाल--

रामगंगा योजना पर प्रारम्भिक कार्य तो १९५६ में शुरू किया गया था, किन्तु निर्माण सम्बन्धी विस्तृत पैमाने पर कार्य सितम्बर, १९६१ में आरम्भ हुआ। इस समय तक योजना के कार्य के लिए सड़कें, पुल, कर्मचारिवर्ग व दफ्तर इत्यादि के लिये मकान बन चुके हैं। योजना के अन्तर्गत प्रशाखाओं के निर्माण तथा रिमार्डलिंग का भी कार्य हुआ है। सुरंगों पर कार्य हो रहा है तथा योजना के दो बड़े मिट्टी के बांधों पर कार्य आरम्भ हो गया है।

१८--श्री रामचन्द्र विकल--

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रामगंगा योजना पर इस समय कितने इंजीनियर और ओवरसियर कार्य कर रहे हैं और भविष्य के लिये कुल कितने इंजीनियर व ओवर सियर चाहिये ?

श्री गिरधारीलाल--

राम गंगा योजना पर इस समय ९१ इंजीनियर और १३५ ओवरसियर कार्य कर रहे हैं। भविष्य में अधिक से अधिक लगभग १९० इंजीनियर और २८० ओवरसियर इस योजना पर कार्य करेंगे, ऐसा अनुमान है।

१९--श्री रामचन्द्र विकल--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस योजना की अनुमानित लागत क्या है ?

श्री गिरधारीलाल—

इस योजना की अनुमानित लागत ६७.९८ करोड़ रुपया है ।

२०–२१–श्री मुहम्मद रफी खां—

[७वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

मोटर गाड़ियों का सरकारी क्रय

२२—श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या सरकार कृपया २४ सितम्बर, १९६३ के लिए तारांकित प्रश्न संख्या ६६ व ६७ के सन्दर्भ में बताने का कष्ट करेगी कि उपरोक्त अवधि में लखनऊ और कानपुर से कितनी गाड़ियां किस-किस फर्म से खरीदी गयीं और कुल कितने स्वीकृत फर्म हैं और उनके नाम क्या हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—

वांछित सूचना संलग्न सूची 'क', 'ख', 'ग', व 'घ' में दी हुयी है ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ७०६–७०९ पर)

२३—श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या सरकार कृपया उपरोक्त प्रश्न से सम्बन्धित बताने का कष्ट करेगी कि इन फर्मों से गाड़ी लेने की कोई क्रमानुसार लिस्ट बनायी है या नहीं कि उसी क्रम से इन फर्मों से गाड़ी खरीदी जाय ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी नहीं ।

सयाना क्षेत्र में नलकूप

२४—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधान सभा क्षेत्र स्याना, जिला बुलन्दशहर में पहली नवम्बर, सन् १९६२ से १५ अगस्त, सन् १९६३ तक कितने सरकारी ट्यूबवेल कहां–कहां खराब हुये हैं और उनकी मरम्मत कर के उनको कितने-कितने दिन में चालू कर दिया जायगा ?

श्री गिरधारीलाल—

५८ नलकूप खराब हुए । यह नलकूप जिन ग्रामों में स्थित हैं उनके नाम संलग्न सची में दिये हैं। खराबी दूर कर ली गई है और इस समय सब नलकूप चालू दशा में हैं ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ७१० पर)

२५—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार को ज्ञात है कि राजकीय नलकूप न० जे० बी० ९, ग्राम भभरौली, राजकीय नलकूप नं० के० बी० ४२, ग्राम गड़ियां, राजकीय नलकूप नं० के० बी० ३९, ग्राम थल (बुलन्दशहर), नलकूप डिवीजन क्य० आम तौर से खराब रहते हैं और सही प्रकार से सिचाई नहीं कर पाते, जिसके कारण फसलों को अधिक हानि पहुंचती है ? क्या सरकार इन नलकूपों को सही प्रकार चलाने पर जल्द ध्यान देगी ?

श्री गिरधारीलाल—

राजकीय नलकूप सं० जे० बी० ९, पुराना होने के कारण फेल हो गया था । इसका फरवरी, १९६२ में पुनः निर्माण हो चुका है और अब यह संतोषप्रद चल रहा है । राजकीय

[श्री गिरधारीलाल]

नलकूप संख्या के० बी० ४२ तथा के० बी० ३९,२७ वर्ष से अधिक पुराने हैं और अपनी आयु व्यतीत कर चुके हैं। अतः इनको फेल घोषित कर दिया गया है और ये इस वर्ष के पुनः निर्माण के प्रोग्राम में शामिल कर लिये गये हैं ।

अलीगढ़ क्षेत्र में नई बस सर्विस

२६—श्री मेघनार्थसिंह शिशोदिया—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वह जनहित में निम्न मार्गों पर सीधी और अधिक बसें शीघ्र चलाने की कृपा करेंगे—

(१) अलीगढ़–खैर–टप्पल–जेबर–खुर्जा,
(२) खुर्जा–सोमना–खैर–अलीगढ़,
(३) खुर्जा–सोमना–खैर–टापल–खुर्जा ?

श्री मुजफ्फर हसन—

यह विषय रीजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी के मातहत है जो एक अर्ध न्यायाधिक निकाय (quasi-judicial body) है अतः इस विषय में शासन द्वारा कुछ कहना न्याय संगत नहीं होगा।

२७—श्री मेघनार्थसिंह शिशोदिया—

क्या परिवहन मंत्री निम्न मार्गों को गजट करके उन पर सीधी प्राइवेट बसें चलवाने की व्यवस्था करेंगे—

(१) दनकौर–सिकन्दराबाद–गुलावठी–धौलावना–देहरा,
(२) बुलन्दशहर–गुलाठी–धौलाना–देहरा,
(३) मेरठ—हापुड़–पिलखुवा–मसूरीपुल–देहरा–धौलाना ?

श्री मुजफ्फर हसन—

इस विषय पर रीजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी निर्णय ले सकती है ।

नलकूप क्षेत्र , आजमगढ़ में अमीनों और मुन्शियों की सूची

२८—श्री सत्यदेव (ज़िला आजमगढ़) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता नलकूप विभाग, आजमगढ़ द्वारा ११ अगस्त, १९६० को अमीनों एवं उन के विभाग में काम करने वाले मुन्शी के उम्मेदवारों की कोई सूची नियत की गयी थी तथा उक्त सूची पर आपत्ति करने की आज्ञा २२ अगस्त, १९६० को दी गयी थी ? यदि हां, तो उक्त दोनों पत्रों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री गिरधारीलाल—

अधिशासी अभियन्ता, नलकूप विभाग, आजमगढ़ ने ११–८–६० को विभाग के अमीनों और मुन्शी उम्मीदवारों की एक सूची नियत की थी और अपने २२–८–६० के पत्र द्वारा उस पर आपत्ति करने की आज्ञा दी थी । उक्त सूची और पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ७११–७१२ पर)

हरदोई जिले का बाढ़ क्षेत्र

२९—श्री पूरनलाल (जिला हरदोई)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हरदोई जिले के अन्तर्गत तहसील शाहाबाद में कितने ऐसे गांव हैं, जो कि बाढ़ से ग्रस्त रहते हैं और सरकार इस बारे में क्या प्रबंध करने जा रही है ?

श्री गिरधारीलाल—

जिला हरदोई की तहसील शाहाबाद में लगभग १९४ ग्राम बाढ़ से प्रभावित होते हैं। इन ग्रामों के बचाव के लिये, धनाभाव के कारण, अभी कोई योजना नहीं बनाई जा सकी है।

हरदोई के लिये ए० सी० करेण्ट

३०—श्री परमाईलाल (जिला हरदोई)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हरदोई नगर में पूरे क्षेत्र के लिये ए० सी० करेण्ट की व्यवस्था कब तक हो जायेगी ?

श्री गिरधारीलाल—

यह व्यवस्था मार्च, १९६४ के अन्त तक हो जाने की आशा है।

नहरी क्षेत्र फर्रुखाबाद के एस० डी० ओ०, ओवरसियर के विरुद्ध शिकायत

३१—श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक ३० जुलाई, १९६२ का कोई प्रार्थना पत्र नलकूप विभाग, मैनपुरी के द्वितीय सब-डिवीजन, फर्रुखाबाद के एस० डी० ओ० तथा खिमसेपुर, जिला फर्रुखाबाद के ओवरसियर के विरुद्ध श्री केशवसिंह, निवासी बनकिया, जिला फर्रुखाबाद द्वारा उन्हें मिला है ? अगर हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां। यह पत्र मिला था और उसमें वर्णित शिकायत की जांच अधीक्षण अभियन्ता नलकूप मंडल, अलीगढ़, द्वारा कराई गई थी, अधीक्षण अभियन्ता की रिपोर्ट हाल ही में मुख्य अभियन्ता के कार्यालय में प्राप्त हुई है जिस पर वह विचार कर रहे हैं।

मथुरा-हसनपुर बस सर्विस

३२—श्री लखीसिंह—

क्या परिवहन मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि मथुरा से हसनपुर बस चालू करने में क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है और यह कब-तक चालू हो जायगी ?

श्री मुजफ्फर हसन—

इस अन्तर्प्रदेशीय मार्ग पर बसें चलाये जाने हेतु आवश्यक लिखा पढ़ी पंजाब प्रदेश की सरकार से की जायेगी। यह बताना सम्भव नहीं है कि इस मार्ग पर बसें कब तक चल पायेंगी ?

प्रश्नों के उत्तर न मिलने पर आपत्ति

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

श्रीमन्, मेरे १९ व २० में दो अल्प सूचित प्रश्न स्वीकृत हो गये थे, लेकिन आज वे नहीं आये। और इसके अतिरिक्त आप देखिये कि नत्थी 'ग' में ३० प्रश्न ऐसे हैं कि जो स्थगित किये गये हैं। मेरे प्रश्न २०,२१,२२ नम्बर पर हैं। उनकी फाइल सरकार के पास है, लेकिन उनको फिर स्थगित कर दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष—

इतनी जल्दी इस समय में इस सब का उत्तर नहीं दे सकता। देख कर बतला दूंगा।

उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (क्षेत्राधिकार का प्रयोग) विधेयक, १९६३

श्री उपाध्यक्ष—

सचिव, विधान सभा अब उच्च न्यायालय विधेयक सदन की मेज पर रखेंगे ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । जिस बिल को आप सदन की मेज पर रखवाने जा रहे हैं उस सम्बन्ध में मैं एक वैधानिक प्रश्न उठाना चाहता हूँ । १९४८ में यह हाईकोर्ट एमलगमेशन आर्डर जो हुआ था तब से बराबर १४ वर्षों से हाईकोर्ट अच्छी तरीके से काम करती चली आ रही है । जब यह बिल आप सदन की मेज पर रखवाने जा रहे हैं तो मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि क्या हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की कंसेंट इस पर ली गयी ? क्या हमारे न्याय मंत्री या सरकार को इस बात की सूचना मिली कि उनको काम करने में इस आर्डर की वजह से दिक्कत हो रही है या एडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस में बाधा पड़ रही है ? इसके अलावा इस सम्बन्ध में एडवोकेट जनरल से राय ली गयी या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष—

देखिये .....

श्री काशीनाथ मिश्र—

सुन लीजिये मेरी बात । फिर बाद में व्यवस्था दीजियेगा । एडवोकेट जनरल भी इसके खिलाफ थे और माननीय चीफ जस्टिस की राय भी इस पर नहीं ली गयी .....

श्री उपाध्यक्ष—

यह प्वाइंट आफ आर्डर कहां है ?

श्री काशीनाथ मिश्र—

सुन लीजिये, तो चीफ जस्टिस से कंसेंट न लेना और एडवोकेट जनरल से राय इस सम्बन्ध में न लेना, मैं समझता हूं कि जुडिशियरी पर एक्जीक्यूटिव का एक दबाव है और हमारे संविधान की मर्यादा है कि जुडिशियरी और एक्जीक्यूटिव बिलकुल अलग-अलग रहेंगी । यह संविधान के विपरीत है और इसलिये आप ऐसे विधेयक को सदन की मेज पर रखने से रोकें ।

श्री उपाध्यक्ष—

बात सुनिये । यह तो कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है । १६३ के अनुसार यह विधेयक मेज पर रखा जा रहा है । इसमें लिखा है कि 'जब कोई विधेयक जो परिषद् में प्रारम्भ हुआ हो और परिषद् ने उसको पारित किया हो, सभा में प्राप्त हो तो विधेयक की प्रतिलिपियां यथाशीघ्र मेज पर रखी जायेंगी ।' इसमें कौन-सा वैधानिक प्रश्न है ?

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष—

आप बोले जा रहे हैं बिना इजाजत के । बैठ जाइये, मैं इजाजत नहीं देता ।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

प्वाइंट आफ आर्डर । माननीय काशीनाथ जी आपकी आज्ञा के बिना कह रहे हैं तो उनका कथन प्रोसीडिंग्स में नहीं लिखा जाना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह जो बाद में कहा, वह नहीं लिखा जायगा ।

[× × ×] श्री उपाध्यक्ष की आज्ञा से निकाल दिया गया ।

सचिव, विधान सभा---

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित एवं उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिए प्राप्त उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (क्षेत्राधिकार का प्रयोग) विधेयक, १९६३ को सदन की मेज पर रखता हूं ।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ७१३-७१४ पर)

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)---

मेरा एक प्वाइंट आफ आर्डर है, श्रीमन् । माननीय सचिव ने जो विधेयक सदन की मेज पर रखा है वह विधान सभा की सहमति के लिये रखा है । मैं ऐसा महसूस करता हूं कि जैसा कि काशीनाथ मिश्र जी ने कहा है, यह एक वैधानिक प्रश्न है, और काबिले गौर है । आप भी और न्याय मंत्री इस पर गौर करें । ला कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में साफ तरीके से कहा है कि इस तरह का अमलगमेशन का कोई प्रस्ताव नहीं आ सकता है । आज इसको ला कमीशन की स्पिरिट के खिलाफ सदन में प्रस्तुत किया जा रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह आप किस रूल के मुताबिक कह रहे हैं, यह तो बता दीजिये ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

आप अर्ज तो सुन लें । आपने एक चीज को विधान सभा की सहमति के लिए रखा है । मैं ऐसा समझता हूं कि हर सदस्य को अधिकार है कि उस पर अपनी सहमति दे या न दे ।

श्री उपाध्यक्ष---

अभी तो नियम १६३ के अनुसार सदन की मेज पर इसकी प्रतियां रखी गयी हैं, आपको समय मिलेगा; जब यह पेश होगा उस समय तो आप सब कुछ कह सकते हैं ।

[× × ×]

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

आपने जो व्यवस्था दी इसके पहले वह मैं समझ नहीं सका । जो उन्होंने बोला है वह निकाल दिया जायगा या उसमें रहेगा ?

श्री उपाध्यक्ष---

जो पहले उन्होंने कहा है वह तो रहेगा, लेकिन मेरी इजाजत के बिना खड़े होकर बोलने लगे ।.....

[× × ×]

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी---

मुझे दो बातें कहनी हैं । पहली बात तो यह है कि माननीय मिश्र जी ने जो कहा उसमें प्वाइंट आफ आर्डर भी नहीं रेज किया और आपसे आज्ञा भी नहीं ली और आपने कहा कि निकाल दिया जायगा जो कुछ उन्होंने कहा । ठीक है । दूसरी बात यह कि उसी के आधार पर माननीय नरसिंहनारायण जी ने सारे अपने विचार व्यक्त किये और वह प्रोसीडिंग का पार्ट बन गया । मेरा मतलब यह नहीं है कि वह पार्ट न बने, लेकिन दोनों चीजें असंगत हो गयीं । जिसके विषय में सारी बातें कही गयीं वह तो निकाल दिया जायगा, लेकिन वह बातें रह जायंगी । यह एक ऐसी बात हो जाती हैं जिससे बड़ी दिक्कत होती है ।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं अर्ज करूं कि मेरी व्यवस्था यह है कि पहले काशीनाथ जी ने जो बात कही वह तो रहेगी लेकिन दोबारा जब मैंने कहा कि आपको इजाजत नहीं है और फिर भी वह बोलते रहे, वह नहीं रहेगा । और माननीय नरसिंहनारायण जी ने जो प्वाइंट आफ आर्डर उठाया वह बात फिर रहेगी ।

[× × ×] श्री उपाध्यक्ष की आज्ञा से निकाल दिया गया ।

श्री काशीनाथ मिश्र---

मैं आपकी इजाजत से कुछ कहना चाहता हूं, मेरी बात सुन लीजिये। हमारे हक को इस तरह से न छीना जाय .....।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

इस स्टेज पर यह नहीं हो सकता।

श्री काशीनाथ मिश्र---

आप बताइये कि एडवोकेट जनरल की राय ली गयी .....।

श्री उपाध्यक्ष---

आप यह किस नियम के अन्तर्गत कह रहे हैं ? अभी तो यह टेबिल पर रखा गया है नियम १६३ के अनुसार। इसमें कोई एतराज करने की बात नहीं है। जब विवाद के लिये रखा जाय तब आप आपत्ति कर सकते हैं।.....

(व्यवधान)

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

यह विधान सभा की सहमति के लिये प्राप्त हुआ है....

श्री उपाध्यक्ष---

सहमति के लिये विधान परिषद् से आया है, अभी आपकी सहमति थोड़े ही हो गयी है ? अभी विवाद नहीं हो सकता। जब १६४ में विचार के लिये आयेगा, तब आप कुछ कह सकते हैं।

श्री सालिग्राम जैसवाल तथा श्री रियासत हुसैन की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना

श्री उपाध्यक्ष---

मेरे पास गाजियाबाद से कुछ माननीय सदस्यों की गिरफ्तारी के संबंध में सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट का तार आया है जो इस प्रकार है—

"Sri Saligram Jaiswal, Member Legislative Assembly, Meja Constituency, Allahabad and Sri Riasat Husain, Member, Legislative Assembly, 34, Moradabad Rural Constituency arrested under section 3 (A) of the Uttar Pradesh Gur Re Gur (Restriction on Border Movement) Order, 1963 read with Rule 125(9), Defence of India Rules at Ghaziabad(.) Letter follows :

Sub-Divisional Magistrate.

यह वहां से २३ तारीख को २.४५ पर दिया गया है और यहां टेलीग्राफ आफिस में यह ४.४५ पर रिसीव हुआ और शाम को अध्यक्ष महोदय के मकान पर डिलीवर हुआ और उसको उन्होंने यहां भेज दिया।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)---

अध्यक्ष महोदय के यहां डिलीवरी हुई और आप यहीं विराजमान रहे। (हंसी)

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)---

इनकी गिरफ्तारी कब हुई थी ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह कोई सूचना नहीं है। इसमें लिखा है, "लेटर फालोज"।

श्री कल्पनार्थसिंह---

गिरफ्तारी किस वक्त हुई यह सूचना उन्हें देना चाहिये था इसमें । इससे सदन को अवगत न कराना (व्यवधान).....

श्री उपाध्यक्ष---

लेकिन जब तक सूचना नहीं आ जाती तब तक कुछ नहीं बताया जा सकता ।

श्री नैनसिंह की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---

श्रीमन्, मैं तो ऐसा समझता हूं कि यदि वह सूचना आयी होती तो आपने कहने की कृपा की होती । माननीय नैनसिंह, जो इस सदन के माननीय सदस्य हैं, वह कल अपने २५, २६ साथियों के सहित मुजफ्फरनगर में गिरफ्तार कर लिए गये । मुझे टेलीफोन से सूचना मिली कि गिरफ्तार किये जाने के बाद उनको उनके साथियों के सहित कल रात मुजफ्फरनगर जेलखाने में रखा गया और उनको वहां पर जाड़े में ठिठराया गया, उनको न कोई कम्बल दिया गया और न कोई ओढ़ना दिया गया (शेम, शेम)

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)---

आपको यह खबर कैसे लगी ?

श्री गेंदासिंह---

माननीय गृह मंत्री जी पूछते हैं कि यह खबर मुझे कैसे लगी, तो जो सत्याग्रह करके गिरफ्तार होते हैं क्या मंत्री जी समझते हैं कि उनका दुनिया में कोई पूछनेवाला नहीं है ? मैंने कहा कि मुझे टेलीफोन से आज सवेरे सूचना मिली है ।

श्री उपाध्यक्ष---

अभी तक मेरे पास कोई सूचना नहीं है । जब वह सूचना आयेगी तो सदन को अवश्य बता दूंगा ।

श्री गेंदासिंह---

मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं और गृह मंत्री जी से खास तौर से कि सदन को इस बात की सूचना अवश्य देनी चाहिये कि वह कब गिरफ्तार किये गये और किस जेल में रखे गये और उनके साथियों के साथ जो सलूक रात भर किया गया उसकी सूचना हमें मिलनी चाहिये कि वह सही है या गलत । तो मेरी यह प्रार्थना है कि आज शाम तक माननीय गृह मंत्री जी इसका पता लगाकर सदन को बतायें कि यह बातें कहां तक सही हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय गृह मंत्री जी इसका प्रयत्न करेंगे और इसकी सूचना देंगे ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---

माननीय गेंदासिंह जी ने गम्भीर बातें कही हैं....

श्री उपाध्यक्ष---

वह पता लगाकर ही तो बता सकते हैं ।

श्री चन्द्रजीत यादव---

माननीय गृह मंत्री जी को बताने दीजिये, आप क्यों बताने लगते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष---

उन्होंने यह मान तो लिया कि वे आज पता लगाकर सूचना सदन को शाम तक दे देंगे ।

श्री हरगोविन्दसिंह---

मेरे पास अभी कोई सूचना नहीं आयी है और जो सूचना माननीय गेंदा सिंह ने दी कि उनको न कम्बल दिया गया और न ओढ़ने के लिये यह मैं समझता हूं कि बिलकुल निराधार हैं; क्योंकि जेल में उनको कम्बल दिया गया या नहीं, इसकी सूचना उनको कैसे मिल सकती है, यह मेरी समझ में नहीं आया ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

श्री नैनसिंह जी की गिरफ्तारी मुजफ्फर नगर में कल हुई, उसकी सूचना न आपको है और न अभी तक गृह मंत्री जी को है, वह यह कबूल कर रहे हैं, तो इतने वक्त के बाद भी सूचना नहीं दी गयी है इसलिये मैं उन अधिकारियों के खिलाफ विशेषाधिकार अवहेलना के प्रश्न की नोटिस देता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---

देखिये, अभी तक कोई सूचना न मुझे है और न गृह मंत्री जी को । इसलिये गेंदा सिंह जी ने जो कहा है मंत्री जी उसकी सूचना मंगाकर आज्ञा देने की कोशिश करेंगे । उन्होंने यह मान लिया है कि वह करेंगे । इसके अलावा कोई और बात तो इस वक्त हो नहीं सकती ।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)---

मान्यवर, मैं आपसे यह आग्रह करना चाहता हुं कि हमारी प्रक्रिया नियमावली में जो प्रक्रिया दी गयी है ऐसे अवसरों के लिये और हमारे बार-बार आग्रह करने पर आप जो इस सदन की नियमावली और इस सदन की मर्यादा के रक्षक के प्रतीक बैठे हुये हैं, उसको क्यों नहीं पालन करवाते हैं ? आप नियम ८४ व ८५ देखें । इसमें यह भी दिया हुआ है कि यह सूचना किस प्रोफार्मा में आयेगी । पिछली बार भी जब माननीय बलवानसिंह जी गिरफ्तार हुए थे उस समय मैंने यह आग्रह किया था कि जब भी इस माननीय सदन का कोई माननीय सदस्य बंदी किया जाता है उसकी सूचना भेजने की एक पद्धति इसमें बतलाई गयी है लेकिन बार बार उस पद्धति का अतिक्रमण किया जा रहा है । आप स्वयं उस नियम को देखें, उसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई माननीय सदस्य बंदी किया जाय तो समुचित प्रपत्र में बंदीकरण के कारण तथा सदस्य के निरोध या कारावास का स्थान भी दर्शाते हुए ऐसे तथ्य की सूचना तुरन्त अध्यक्ष को देगा । श्रीमन्, इसमें तुरन्त शब्द का प्रयोग किया गया है । तो इस नियमावली में दिये हुए प्रपत्र में जिस अधिकारी ने सूचना नहीं दी है और जिसके विरुद्ध माननीय कल्पनार्थासिंह जी ने विशेषाधिकार का प्रश्न प्रस्तुत किया है, मैं भी उसका समर्थन करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---

जो नियम आपने पढ़ा है उसमें जो 'तुरन्त' शब्द आया है उसके मानी यह नहीं होते कि जिस वक्त गिरफ्तार किया जाय उसी वक्त खबर दी जाय, उसका मतलब है "विदाउट डिले" । लेकिन अगर इन्टेन्शनली डिले करता है तब उसके विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जा सकता है । इस संबंध में बहुत सी व्यवस्थायें माननीय अध्यक्ष 'लोक सभा' और हाउस आफ कामन्स की हैं जिनमें उसका मतलब विदाउट अनरीजनेबिल डिले से ही लिया गया है । यह प्रश्न बाद में उठाया जा सकता है; इसलिये इस पर और विवाद नहीं होगा ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

श्री रामायण राय जी ने नियम ८४ का हवाला दिया । लोक सभा में भी इस प्रश्न पर स्पीकर द्वारा अपना मत व्यक्त किया गया है । हमारे नियमों में और प्रपत्र में साफ बताया गया है कि किस प्रकार से आपको सूचना दी जायगी । यह आश्चर्य की बात है कि जिस बात की सूचना माननीय गेंदा सिंह जी को १२ घंटे में हो जाती है उसकी सूचना आप को अभी तक नहीं हुई है । आप हम ४३० सदस्यों के हकों के प्रहरी हैं । इसमें चेयर को एक अधिकार दिया गया है। अगर समय से सूचना नहीं दी जाती है तो इसमें चेयर और ४३० माननीय सदस्यों की प्रतिष्ठा का सवाल पैदा हो जाता है । जो अध्यक्ष अपने स्वाभिमान और मर्यादा की रक्षा नहीं कर सकता वह हमारी विधान सभा ....

श्री उपाध्यक्ष--

आप नहीं बैठेंगे तो मैं यह आज्ञा दे दूंगा कि जो आप बोल रहे हैं उसको रिकार्ड न किया जाय ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मेरा मतलब यह है कि नियमों के विरुद्ध करने वाले के खिलाफ आप कोई ऐक्शन लेंगे या नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष--

जब उसकी सूचना आयेगी तब देखा जायगा । कोई आपके कहने से तो ऐक्शन नहीं ले लिया जायगा ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

यह सदन की प्रतिष्ठा का सवाल है । यू० पी० असेम्बली का ही यह सवाल नहीं है बल्कि हाउस आफ कामन्स तथा लोक सभा में भी ऐसा ही होता है ।

(व्यवधान)

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

श्रीमन्, मैं एक दूसरा व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि क्या आपको अधिकार है कि आप किसी माननीय सदस्य से यह कहें कि आप जो भाषण दे रहे हैं उसको मैं प्रोसीडिंग्स से हटवा दूंगा, नहीं तो आप बोलना बन्द करें । आपने दुनिया भर के पार्लियामेंट्स के इतिहास का जो हवाला दिया, मैं जानना चाहता हूं कि दुनिया के पार्लियामेंटरी इतिहास में किस पार्लियामेंट की कौन सी रूलिंग है जिसमें चेयर की तरफ से कहा गया है कि किसी माननीय सदस्य से कि आप बैठ जायं नहीं तो मैं आपकी स्पीच को एक्सपंज करा दूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

हाउस को कंट्रोल करने का चेयर को अधिकार है और अगर कोई माननीय सदस्य चेयर की बात नहीं मानता, उसकी आज्ञा का उल्लंघन करता है तो चेयर को इस बात का अधिकार है कि इस तरह की बात उनसे कही जाय, जैसा कि मैंने कहा था ।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)--

मान्यवर, अभी माननीय गेंदा सिंह जी ने जो सवाल उठाया है, उसके ऊपर मुझे आशा है कि माननीय गृह मंत्री जी अपना वक्तव्य देंगे, लेकिन चूंकि सदन आज उठने वाला है, तो आज वे अपना वक्तव्य देंगे या नहीं, इस संबंध में क्या पोजीशन है, इस पर आप जरूर व्यवस्था दें ।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय गृह मंत्री जी ने मान लिया है और वे कोशिश करेंगे कि इस पर आज ही अपना वक्तव्य दें..... (व्यवधान)

श्री झारखण्डेराय---

आपने उनसे पूछ लिया है कि आज वे वक्तव्य देंगे या नहीं ?

श्री हरगोबिन्दसिंह---

श्रीमन्, मेरी समझ में नहीं आता कि इतना हो हल्ला क्यों है। आपको खबर मिल गयी, माननीय गेंदा सिंह जी को खबर मिल ही गयी और तार से आपके पास खबर आ ही गयी है ।

श्री उपाध्यक्ष---

वह दूसरा है, यह नहीं है ।

श्री हरगोविन्दसिंह---

खैर, आपको खबर मिल गयी और जो प्रपत्र होता है उस पर खबर आ रही है और मेरे पास खबर आ गयी तो मैं जरूर बतला दूंगा ।

*श्री गेंदासिंह---

श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री ने कहा कि मुझे सूचना हो गयी, लेकिन मेरी सूचना कोई गिनती में नहीं है । मुझे इस मौके पर यह निवेदन करना है कि सदन के सदस्य होने की हैसियत से हमें प्रिविलेज मिला हुआ है कि अगर मैं कहीं गिरफ्तार हो जाऊं इस प्रदेश में या कहीं बाहर भी गिरफ्तार हो जाऊं और यह मालूम हो जाय अधिकारियों को कि मैं विधान सभा का सदस्य हूं तो उसकी सूचना आपको तुरन्त अवश्य हो जानी चाहिये । इधर कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि अगर कोई विधान सभा का सदस्य गिरफ्तार हो जावे और छोड़ दिया जावे, चाहे १५ दिनों तक पुलिस वाला उसे घुमाता रहे, जेलखाने में ले जाकर न डाले, तो कोई जरूरत नहीं है कि वह आपको सूचना दें । माननीय गृह मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकारी अधिकारियों के दिमाग में यह बात बहुत स्पष्ट रहनी चाहिये कि अगर लेजिस्लेचर का कोई सदस्य गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी सूचना बगैर किसी देर के, सबसे पहले उसकी ड्यूटी है कि विधान सभा के अध्यक्ष को जरूर दे दे और जिस प्रकार से इत्तिला का प्रावीजन रूल्स में है ऐसी इत्तिला उसको करनी चाहिये ।

एक बात मैं और कह दूं कि कल शाम को ही मान लिया जाय कि रात को जेलखाने में रहे तो ऐसी बात नहीं है कि उसकी सूचना किसी मैजिस्ट्रेट या कलेक्टर को न हुई होगी । जिस वक्त कलेक्टर या मैजिस्ट्रेट को यह सूचना हुई तो उसकी यह जिम्मेदारी थी कि उसकी सूचना ठीक समय से, जैसे उसको जानकारी हुई वैसे ही आपको सूचित करें । अगर उसने सूचित नहीं किया तो यह उसका कसूर है और मैं समझता हूं कि इसको जरा मजबूती के साथ देखने की जरूरत है । आपको हमसे चाहे जितनी नाराजगी हो, क्योंकि हम आपके गुड़ कंट्रोल आर्डर को तोड़ रहे हैं, लेकिन आपकी नाराजगी का मतलब यह नहीं है कि विधान सभा के सदस्यों को जो सुविधा मिली हुई है वह सुविधा भी उनसे छीन ली जाय या उसके साथ इस तरह की बदसलूकी की जाय कि जेल में रात को जाड़ें में ठिठुरने दिया जाय । इसके लिये सरकार को शर्म होनी चाहिये और उस अधिकारी का जिस ने यह गलती की है माननीय गृहमंत्री जी को कड़े हाथ से उसके कानों को अपने हाथ में लेना चाहिये । उन को मुजफ्फरनगर से इत्तला मंगाने में दिक्कत नहीं होगी, जब तक सदन बैठा है तब तक वह हमें और आप को सूचित यहां कर दें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री हरगोविन्दसिंह--

मुश्किल यह होगी कि जिस प्रपत्र के मुताबिक वह सूचना देते हैं वह तो मैं किसी तरह भी नहीं दे सकता ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

इस प्रपत्र के मुताबिक अध्यक्ष को सूचना देने का सवाल है ।

श्री हरगोविन्दसिंह--

मैं तो फोन से ही पूछ सकता हूं और उसके बाद आप को इत्तला दे सकता हूं ।

श्री भगवान दास यादवेन्दु (जिला आगरा)--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठ जायं ।

श्री भगवानदास यादवेन्दु--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, मैं ३ बार खड़ा हो चुका हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठ जायं ।

इसमें २ प्रश्न हैं और कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिये, एक तो यह कि जिलाधीश की इत्तिला स्पीकर के पास आना चाहिये और अगर वह नहीं आती है और नियम ८४ की अवहेलना होती है तो सदन को अधिकार है कि वह उनके खिलाफ विशेषाधिकार का प्रश्न उठाये और दूसरे माननीय गेंदा सिंह जी ने जो बात उठाई है उस के बारे में माननीय गृह मंत्री जी फोन से मालूम कर के सदन को इत्तला देने की बात कर रहे हैं, फोन से सूचना आ जायगी, उसका प्रपत्र से कोई ताल्लुक नहीं है ।

श्री कल्पनार्थसिंह--

श्रीमन्, नियम ८४ की अवहेलना तो हो चुकी है, क्योंकि माननीय गेंदा सिंह जी को इसकी सूचना मिल गई है और माननीय गृह मंत्री जी को अभी तक उसकी सूचना नहीं है । जब वह कल रात को जेल में बन्द हुए और रात को ६ या ७ बजे के बाद कोई भी लाक-अप में नहीं डाला जा सकता जब तक कि उसको किसी मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस न किया गया हो और वारन्ट न लिया गया हो । तो जिस मैजिस्ट्रेट ने यह सब किया उसको आप को सूचना देना चाहिये थी । उनको वारन्ट ईशू करते ही जेल भेजने से पहले ही सूचना आपके पास भेजनी चाहिये थी ।

श्री उपाध्यक्ष--

सवाल यह है कि अभी सूचना नहीं आई और मैंने तथ्य माननीय गृह मंत्री जी को बता दिया है कि अभी सूचना नहीं आई है जो कि नियम ८४ में आना चाहिये थी । अब यह प्रश्न खुला रहेगा कि इस के बारे में क्या किया जाय । जब सूचना आ जाय, वह गलत हो या प्रपत्र पर न हो या देरी से आये, यह सब बातें तो बाद में तय होंगी, वह इस वक्त तय नहीं हो सकतीं । अभी तो माननीय मंत्री जी कोशिश करेंगे कि आपको सूचना मंगा कर वह आज ही दे दें, सूचना इस तरह आप को हो जायगी और प्रपत्र की बात तो ओपेन रहेगी ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

अगर नियम ८४ का पालन नहीं किया गया है तो आप उस नियम को खत्म कर दें या उस अफसर के विरुद्ध विशेषाधिकार का नोटिस जारी करें क्योंकि जब तक नियम ८४ है उसको नियम ८४ के अनुसार प्रिविलेज का नोटिस जाना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

जब तक यह पता न चले कि क्या इन्फारमेशन आती है और क्या सरकमस्टेंसेज हैं, कैसे देरी हुई; वह सब पूरी बात नहीं आती तब तक किसी प्रकार का निर्णय करने का सवाल नहीं उठता।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

यह काम तो विशेषाधिकार समिति करेगी कि देर से आयी या समय से। आप तो उनको भेज देंगे, आप कैसे तय करेंगें ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो ठीक है। लेकिन अभी गेंदा सिंह जी ने बताया कि उसे कनफर्म हो जाने दीजिये। आज ही तो वह करेंगे।

श्री रामायणराय--

माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने आपसे एक शिकायत की। जहां तक विशेषाधिकार की अवहेलना का सवाल है, उसके लिये जो शरतें दी गई हैं उनको आप देखें कि कौनसा प्रश्न सदन में विशेषाधिकार का प्रश्न हो सकता है। इसके लिये आवश्यक नहीं है कि जिलाधीश की सूचना आने के बाद इस बात को निश्चय किया जाय। इसके लिये साफ-साफ नियमों में है कि किसी सदस्य की ओर से अधिकारपूर्वक सदन के सामने शिकायत प्रस्तुत की जा सकती है। माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने आपकी सेवा में शिकायत की कि माननीय नैन सिंह की गिरफ्तारी की सूचना समय के भीतर वहां के जिलाधीश या तत्संबंधी अधिकारी ने नहीं भेजी। शिकायत जैसे ही आपकी सेवा में प्रस्तुत की गई प्रश्न विशेषाधिकार का हो गया। उसके बाद माननीय कल्पनाथ सिंह जी को आपको सुनना चाहिये और उसके संबंध में दूसरे पक्ष को जो कुछ कहना हो कहे। आप नियम देखें "विशेषाधिकार की अवहेलना व अवमान को किस प्रकार सदन की सूचना में लाया जाय--किसी सदस्य के, अथवा सदन के, अथवा उसकी किसी समिति के विशेषाधिकार की अवहेलना को अध्यक्ष की सम्मति से किसी सदस्य की ओर से शिकायत द्वारा भी आ सकता है"। तो ठीक इसी नियम के अन्तर्गत माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने आपकी सेवा में सूचना भेजी।

दूसरे यह कि अध्यक्ष ने एक अवसर पर माननीय सुदामा प्रसाद गोस्वामी का इस्तीफा इसलिये नहीं माना कि वह उचित प्रपत्र में नहीं था। यह व्यवस्था यहीं हो चुकी है। तो यहां तो प्रपत्र का भी सवाल नहीं है। सूचना आनी चाहिये। इसलिये यह विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है; आप इस पर हमको सुनने की इजाजत दें।

श्री उपाध्यक्ष--

अभी माननीय गेंदा सिंह जी ने बताया कि माननीय नैन सिंह अरेस्ट हो गये। अभी हम नहीं कह सकते कि किन परिस्थितियों में अरेस्ट हुए, उसमें डिले रीजनेबिल है कि नहीं। इसलिये इसका फैसला अभी नहीं हो सकता। आपने जो नोटिस दिया है, अगर डिले अनरीजनेबिल होगी तो उनके खिलाफ भेजा जायगा। इस समय कैसे फैसला हो सकता है ?

श्री नेकराम शर्मा--

श्रीमन्, आप जो व्यवस्था देते हैं उसका हमें आदर करना चाहिये और करते है। अभी आपने व्यवस्था दी कि जैसे ही कोई सदस्य गिरफ्तार हो उसकी सूचना इमीडियेटली आनी चाहिये। माननीय गेंदा सिंह जी ने जो प्रश्न उठाया वह महत्वपूर्ण इसलिये है कि मान लीजिये कोई सदस्य आज सुबह गिरफ्तार हो जाय और पुलिस उसको ४ घंटे बाद छोड़ दे तो इसलिये जो मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में और नियम ८४ में स्पष्ट लिखा है कि "शैल इमीडियेटली" उसकी सूचना देगा उसका पालन होना चाहिये। आप तो पुराने सदस्य हैं आप जानते हैं कि जैसे ही कोई सदस्य गिरफ्तार हो फौरन वायरलेस

या तार से उसकी सूचना आ जानी चाहिये आपके पास । श्रीमन्, इस परम्परा को आप स्वयं जानते है और आप इस सदन के आदरणीय सदस्य रह चुके हैं। लेकिन हमारी प्रार्थना यह है कि अगर पुलिस ने और सरकारी कर्मचारियों ने अपनी यह आदत डाल ली कि सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया और बाद में छोड़ दिया और सूचना नहीं दी तो यह ठीक नहीं होगा। इस चीज को रोकने के लिये ही नियमों में यह है कि सूचना आपके पास वायरलैस या अर्जेन्ट टेलीग्राम से फौरन आनी चाहिये। श्रीमन्, यह संसदीय परम्परा और इतिहास के विरुद्ध है कि जब कोई सदस्य बोल रहे हैं तो सेक्रेटरी आपका ध्यान आकर्षित करें।

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, माननीय सदस्य बोल रहे हैं तो चेयर को मुखातिब कर रहे हैं या सेक्रेटरी को ? आपको माननीय सदस्य की ओर अटेंटिव रहना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

हमारे सचिव यहां पर इसीलिये रहते हैं कि हम वक्तन फवक्तन उनको कंसल्ट कर सकते हैं। आप जो कह रहे हैं उसके संबंध में उनसे पूछें तो कोई एतराज की बात नहीं है।

श्री भगवानदास यादवेन्दु—

श्रीमन्, कमरे में कंसल्ट करना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

यहां भी करेंगे।

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, अध्यक्ष महोदय को इतना अटेंटिव रहना चाहिये कि अगर कोई माननीय सदस्य ऐसी वैसी बात कह जांय तो उनको कंट्रोल कर सकें। अगर आपका ध्यान सेक्रेटरी की तरफ है तो मिस कर सकते हैं। श्रीमन्, कोशिश का प्रश्न नहीं है, बल्कि हमारे नियम स्पष्ट हैं कि यदि कोई माननीय सदस्य गिरफ्तार हों तो उसकी सूचना आपके पास फौरन आनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

देखिये, आप दो चीजों को कंफ्यूज कर रहे हैं। एक तो इत्तला के बारे में गृह मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा। माननीय गेंदासिंह जी ने जो बात उठाई उसके बारे में कहा कि सूचना एकत्रित करके सदन को देंगे। यह बात खत्म हो गई। अब रही प्रपत्र की बात, उसके लिये मैंने कह दिया कि अगर नियम ८४ का वायलेशन हो गया तो न मैं, न अध्यक्ष और न सदन उसको टालरेट करने के लिये तैयार हैं। लेकिन उसके लिये विचार करना होगा, मौका देना होगा। अभी हम नहीं कह सकते हैं कि किन सरकम्स्टेंसेज में वह अरेस्ट हुये। सूचना आने पर हम देखेंगे कि डिले का कारण नहीं था तो प्रिविलज का मोशन आयेगा। लेकिन अगर कारण बताया और माननीय अध्यक्ष और सदन ने उसको ठीक समझा तो प्रिविलेज कमेटी में भेजने का निर्णय नहीं होगा। इस समय कुछ निर्णय नहीं किया जा सकता है।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, इस समय १२–१५ हो गये हैं और अभी तक कोई इत्तला नहीं आई है। अगर बाद में आती है तो यह तय होगा कि डिले हो गई इत्तला करने में, यानी विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न बन गया। अगर सूचना आती है तो बकिया चीजों पर विचार करने के लिये इसको समिति में भेज देंगे या फिर से हमें अर्ज करना पड़ेगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

जैसा आपने कहा कि १२–१५ तक कोई सूचना नहीं मिली है। इसी के साथ यह भी है कि अगर सूचना दो घंटे के बाद आती है और डिले का कारण बताया जाता है तो जब तक सारी बातों पर गौर न कर लिया जाय तब तक नहीं कह सकते हैं कि इसको विशेषाधिकार समिति में भेजा जायगा या नहीं।

कुंवर श्रीपालसिंह—

डिले का कारण बताने का प्रपत्र में कोई प्रश्न नहीं है और न नियमों में प्राविधान है।

श्री उपाध्यक्ष—

हाउस आफ कामंस में तो यहां तक है कि डी वैलरा की गिरफ्तारी हुई और एक हफ्ते के बाद सूचना आई तो भी स्पीकर ने यह माना कि यह विदिन टाइम है।

कुंवर श्रीपालसिंह—

वही चीज विशेषाधिकार समिति निर्णय करेगी कि डिले सही हुई या गलत हुई।

श्री उपाध्यक्ष—

जब आपका नोटिस आ जायगा तो देख लिया जायगा। काफी डिले हो गयी तो विशेषाधिकार समिति को दिया जायगा।

इस संबंध में अब काफी बात हो गयी। जो मैंने व्यवस्था दे दी है वही रहेगी। इस पर अब बात न कीजिये।

श्री मैनेजरसिंह—

मैं दूसरे पक्ष पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

आदरणीय सदन के सम्मानित सदस्य आदरणीय गेंदासिंह जी, जिनकी सच्चाई और शराफत की सभी तारीफ करते हैं, उस पक्ष के बैठने वाले भी, उन्होंने कहा कि माननीय नैनसिंह गिरफ्तार हुए, उनको रात में ओढ़ने के लिये कम्बल या कोई ओढ़ना नहीं दिया गया। माननीय गृह मंत्री ने यह कहा कि मुझे सूचना नहीं है और फिर भी उन्होंने कहा कि बेबुनियाद है ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि आदरणीय सदन के एक सम्मानित सदस्य द्वारा टेलीफोन की सूचना के आधार पर साधिकार रूप से बताये, तथ्य को सरकार के सम्मानित सदस्य गैरजिम्मेदारी पूर्ण ढंग से कह सकते हैं कि वह बेबुनियाद है ?

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप कोई व्यवस्था देने के पूर्व अगर आपको व्यवस्था देने में कठिनाई हो तो सचिव महोदय या अध्यक्ष महोदय से परामर्श कर लें। इस प्रकार से अगर आप व्यवस्था देंगे तो इस आदरणीय सदन की मर्यादा भंग होगी।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है .....

श्री मैनजरसिंह—

आप सरकारी पक्ष के रक्षक नहीं हैं। इस आदरणीय सदन की मर्यादा के रक्षक हैं। आप अपनी पोजीशन का अहसास करें। सरकार का मंत्री यह कहे कि सूचना मेरे पास नहीं है लेकिन यह हो नहीं सकता जबकि सम्मानित सदस्य इस बात को साग्रह कहते हैं। आप अगर इस तरह की गैरजिम्मेदाराना बातों पर अंकुश नहीं लगाएंगे तो इस आदरणीय सदन की मर्यादा नहीं स्थापित कर पायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

इस मामले में आप क्या चाहते हैं ?

श्री मैनेजरसिंह—

मैं चाहता हूं कि आप गृह मंत्री जी को तम्बीह करें। उन्होंने इस तरह का गैरजिम्मेदाराना वक्तव्य दिया है उसको वापस लें। जब विधिवत सूचना आये तो जो चाहें कहें।

श्री उपाध्यक्ष—

अच्छा, उनको फिर सुन लें।

श्री हरगोविन्दसिंह—

जो मैंने उस वक्त कहा था उसको फिर दोहराता हूं। माननीय सदस्य अच्छी तरह से सुन लें। मैंने यह कहा कि मुझे कोई सूचना नहीं है कि जेल में उनको कम्बल दिया गया या नहीं दिया गया है। यह इस कारण निराधार मालूम होता है कि गेंदासिंह जी को भी उसकी सूचना नहीं हो सकती। जेल से कोई गेंदासिंह जी को टेलीफोन नहीं करेगा कि उनको कम्बल मिला या नहीं।

श्री चैतन्यराजसिंह (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपने एक व्यवस्था दे दी और आपने इमीडियेटली इन्फार्मेशन को रीजनेबिल टाइम में सूचना देने की बात कही। मैं यह निवेदन करूंगा कि आप इस पर अच्छी तरह से विचार करें। यह कोई मामूली प्रश्न नहीं है। यह इस सदन के माननीय सदस्यों के मौलिक अधिकार का प्रश्न है। इसलिये आप इस पर कोई इतनी जल्दी से व्यवस्था न दें। इसको विदहोल्ड कर लें और २ बजे लंच टाइम के बाद अपनी आप व्यवस्था दें।

श्री उपाध्यक्ष—

मेरी व्यवस्था हो चुकी है। अब उसके बारे में कोई सवाल सामने नहीं है।

श्री चैतन्यराजसिंह—

मैं यह निवेदन करूंगा कि आप इस सदन की मर्यादाओं के प्रहरी हैं। आपको बहुत बड़े अधिकार हैं। आप मिनिस्टर साहब को आदेश दें कि वह अरजेंट काल से सूचना मंगायें और मैं समझता हूं कि अरजेन्ट काल से सूचना २ बजे तक जरूर आ जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया बैठ जायं। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक गिरफ्तारी की बात है वह तो समाप्त हो गई। मैंने उस प्रश्न पर अपनी व्यवस्था दे दी। मैनेजरसिंह जी ने एक नई बात कही। उन्होंने यह कहा कि माननीय गृह मंत्री ने जो बात कही वह उचित नहीं है। अब प्रश्न यह है कि माननीय गृह मंत्री ने क्या कहा और उसके क्या माने हैं। यह उन्होंने अभी बतला दिया। उन्होंने यह कहा कि यह बात समझ में नहीं आती कि माननीय गेंदासिंह जी को इतनी जल्दी से यह खबर कैसे लग सकी। यह सूचना उनको किसी दूसरे आदमी से लगी होगी। जब किसी दूसरे आदमी ने उनको खबर दी तो यह सही खबर है या गलत, यह देखने की बात रह जाती है। मैं समझता हूं माननीय गृह मंत्री जी ने जो कुछ कहा वह बेजा बात नहीं कही।

(व्यवधान)

श्री चैतन्यराजसिंह—

आप मेरी बात तो सुन लीजिये। आप हमारे गार्जियन हैं। आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी। (व्यवधान)

(अनेक सदस्यों के बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

देखिये, मैं एक साथ १० आदमियों की बात नहीं सुन सकता; एक आदमी बोले तो मैं सुनूं।

श्री चैतन्यराजसिंह—

आप हमारी रीजनेबिल बात भी नहीं सुनते।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप बैठ जायं। मैं आपसे अर्ज करूं कि जिस बात को चैतन्यराज जी कह रहे हैं वह तो समाप्त हो चुकी और उस पर फैसला हो चुका। वह प्रश्न सामने नहीं है।

(व्यवधान)

श्री राधेश्याम शर्मा—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आदरणीय गृह मंत्री जी को यह बात कहने की आवश्यकता कैसे पड़ गई कि गेंदासिंह जी की बात गलत है? इसका मतलब साफ यह है कि आपके पास कोई सूचना नहीं है। इसका मतलब यह है कि गृह मंत्री जी जानबूझ कर इस सदन के वातावरण को दूषित करते हैं और जानबूझकर ऐसी शरारत रोज ब रोज यहां पर किया करते हैं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप माननीय मुख्य मंत्री जी से और माननीय राज्यपाल महोदय से कहें कि वह ऐसे गृह मंत्री को निकाल दें, नहीं तो रोज ऐसी बातें यहां पर हुआ करेंगी।

(व्यवधान)

(अनेक सदस्यों के खड़े होने पर।)

श्री उपाध्यक्ष—

मेरा निवेदन यह है कि जिस माननीय सदस्य को बोलने के लिये मैं कहूं, वही बोलें।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

हमारे नियम ८४ में "तुरन्त" शब्द का प्रयोग किया गया है और हमारा १०, १२ साल का अनुभव है कि जब सदस्य गिरफ्तार किये जाते हैं तो सूचना तुरन्त आप के पास आती है।

श्री उपाध्यक्ष—

पांडेय जी, सुनिये। इस पर मैं व्यवस्था दे चुका हूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

मैं आपकी व्यवस्था पर व्यवस्था चाहता हूं; 'तुरन्त' शब्द इसमें क्यों प्रयोग किया गया है? (व्यवधान) आप उसकी सीमा निर्धारित कर दीजिये कि १० दिन में, २ दिन में या ३ दिन में सूचना आनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

१० दिन नहीं हो सकता। मैं इस पर व्यवस्था दे चुका हूं और इसलिये कुछ सुनना नहीं चाहता। (व्यवधान) 'तुरन्त' शब्द के बारे में मैंने व्यवस्था दे दी है। जैसी परिस्थिति होगी उस केस में उसी तरह से उसके अर्थ लगाये जायेंगे। इस बारे में, मैं अब कुछ सुनना नहीं चाहता।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

जो बात मैंने अभी सुनी उसके लिये मुझे बड़ा दुख है। माननीय गेंदा सिंह जी ने किसी आधार पर ही अपनी बात कही थी। उनको सूचना व्यक्तिगत रूप से विश्वासपात्र व्यक्ति से प्राप्त हुई थी। उनको जो सूचना थी उस पर वह विश्वास करते थे और इसीलिये उस बात को उन्होंने सदन में कहा। हमारे गृह मंत्री जी ने जिनको सूचना पाने का कोई आधार नहीं है उस पर अपना ऐसा वक्तव्य दे दिया कि जिससे उनके वक्तव्य की काट हो जाती है। ऐसी अनेक घटनायें इस सदन में हो चुकी हैं और उनकी कोई रोक दिखायी नही देती; इसलिये मैं आपका अधिक समय न लेकर २ मिनट के लिये अपने दल के साथ वाक आउट करता हूं।

(जनसंघ दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री विजयपालसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

आपकी व्यवस्था के विरुद्ध मैं भी अपने दल सहित वाक आउट करता हूं।

(व्यवधान)

(कम्युनिस्ट दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री मैनेजरसिंह—

मैं भी अपने दल के सदस्यों सहित आधे मिनट के लिये सदन का त्याग करता हूं ।

(प्रजा समाजवादी दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री काशीनाथ मिश्र—

माननीय राधेश्याम जी ने जो मौलिक सवाल उठाया है कि इस सदन में जो उत्तेजना पैदा हुई उसकी सारी जिम्मेदारी माननीय हरगोविन्द सिंह पर है जो गृह मंत्री हैं और अगर आप उनको निकालने के लिये राज्यपाल के पास सिफारिश करते हैं और मुख्य मंत्री सुचेता कृपालानी जी के पास सिफारिश करते हैं तो ठीक है, लेकिन आपने अभी तक चूंकि उनको निकालने के लिये कोई सिफारिश नहीं की है इसलिये इसके विरोध में मैं सदन स वाकआउट करता हूं ।

(समाजवादी दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री उपाध्यक्ष—

न मुझे और न किसी और को इस संबंध में कोई राइट है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

मैं एक व्यवस्था चाहता हूं । अगर आप संविधान की धारा १९४(३) देखें तो उसमें है कि हमारे सदस्यों के वही अधिकार हैं जो हाउस आफ कामंस के सदस्यों के अधिकार हैं . . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप किस बारे में कहना चाहते हैं ?

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

मैं कह रहा हूं, आप तो सुनते नहीं हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप मुझे बता दीजिये कि विषय क्या है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

श्रीमन्, नियम ८४ का उल्लंघन हुआ है, यहां की समिति और सदस्यों के विशेषाधिकार की अवहेलना हुई है । इसलिये मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप खुद नोटिस लें और इसको विशेषाधिकार की अवहेलना मान कर सदन खुद नोटिस ले . . .

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर व्यवस्था हो चुकी है और अब आप इस संबंध में कुछ नहीं कह सकते ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

तो मैं इस व्यवस्था से असहमति प्रकट करता हूं और सदन से पांच मिनट के लिये वाक आउट करता हूं ।

(श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय सदन त्याग कर चले गये ।)

बलिया, बस्ती और गोरखपुर जिलों को विशेष सहायता देने हेतु पूर्वी जिलों की सूची में जोड़ने के सम्बन्ध में याचिका

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से श्री गौरीशंकर राय, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, बलिया द्वारा, हस्ताक्षरित निम्न याचिका उपस्थित करता हूं—

[श्री मैनेजरसिंह]

"सेवा में, उत्तर प्रदेश विधान सभा,

लखनऊ।

पूर्वी उत्तर प्रदेश के अभावग्रस्त जिलों के उत्थान के लिये पटेल आयोग की संस्तुति के अनुसार जिन जिलों को विशेष सहायता दी जा रही है उसमें बलिया, बस्ती, गोरखपुर जिलों को भी शामिल किया जाय क्योंकि ये भी उतने ही अभावग्रस्त जिले हैं।

हस्ताक्षर—गौरीशंकर राय,
प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, बलिया।"

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

मुझे एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना मिली है। वह गुड़ खांडसारी की रोक के बारे में है। इस पर काफी चर्चा हो चुकी है और दो दफा चर्चा हो चुकी है। कोई नयी बात नहीं है। इसलिये मैंने इसको स्वीकार नहीं किया है।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, जरा इस संबंध में अगर आप इजाजत दें तो मैं दो मिनट निवेदन कर दूं। ऐसा है कि नयी परिस्थिति तो यह उत्पन्न हुई कि करीब दो ढाई सौ आदमी गिरफ्तार हो चुके इस काम के लिये कि गुड़ पर लगी पाबन्दी हटायी जाय और, श्रीमन्, अगर इस बात को छोड़ दें आप, तो मुख्य बात यह है कि एक तरफ जो गुड़ पैदा करने वाले हैं उनकी कीमत तो इतनी गिर गई है कि जिसका हिसाब नहीं है और जमुना के उस किनारे जिस कीमत में गुड़ यहां बिकता है उसकी दुगुनी कीमत पर गुड़ बिक रहा है। सरकार ने यह जिम्मा लिया था कि गुड़ को रोक करके यहां पर गुड़ ठीक कीमत पर बिकवायेगी। श्रीमन्, आज गुजरात में असेम्बली के सामने प्रदर्शन हुआ और उस पर पुलिस को रोक लगाने की जरूरत पड़ी और दूसरे सूबों में भी बदम-जगी बढ़ रही है। यह समझा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश जो है वह गुड़ पर पाबन्दी लगाकर दूसरे सूबों को तकलीफ दे रहा है और, श्रीमन्, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध एक वातावरण उत्पन्न हो रहा है पंजाब में, महाराष्ट्र में, गुजरात में जिन-जिन सूबों में गुड़ जाता था उन सब जगह। यह प्रश्न ऐसा है कि माननीय मुख्य मंत्री जी स्वतः वहां गयी थीं, और मैं आज ही दिल्ली से आया हूं, मैं ऐसा समझता हूं कि इस प्रश्न पर अच्छी तरह इस विधान सभा को विचार करना चाहिये। इस काम को करने में सरकार अपने को असमर्थ पा रही है। यह सरकार उसको स्मग्लिंग कहती है। श्रीमन्, यह स्मग्लिंग तो है नहीं। एक तरफ गुड़ का भाव जब गिरा दिया गया और दूसरी तरफ गुड़ को रोक नहीं सकते क्योंकि दो सौ मील की सरहद है तो असम्भव है कि उसको रोका जा सके। इसलिये सरकार को इस पर विचार करके केन्द्रीय सरकार को सलाह देनी चाहिये। वह कहते हैं कि यू० पी० की सरकार ने सलाह नहीं दी और सबसे बड़ी शिकायत मुझे यह है, श्रीमन्, कि यू० पी० की सरकार नहीं चाहती है कि गुड़ पर से पाबन्दी हटायी जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

देखिये, इसके नियम जो हैं उनमें यह किसी तरह से नहीं आता इसलिये मजबूरन इसको मैंने स्वीकार नहीं किया है।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

उपाध्यक्ष जी, यह एक ऐसी समस्या है कि जिसको लेकर एक अजीब स्थिति प्रदेश में पैदा हो गई है। दो सौ से ऊपर किसान इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं, इस सदन के सम्मानित सदस्य

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गिरफ्तार हुए हैं तो फिर वह कौन सा मौका आयेगा जब इस पर विचार होगा ? सरकार ने काले कानूनों के जरिये प्रतिबन्ध लगाना शुरू किया है, तो कौन सा वक्त आयेगा जब इस सदन में इसकी चर्चा होगी ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जाइये। सत्याग्रह हो रहा है, यह सभी लोग जानते हैं। लेकिन उससे नियम जो कार्य–स्थगन प्रस्ताव के हैं वह नहीं बदल जाते। इस विषय पर दो दफा बहस भी हो चुकी है। गेंदा सिंह जी ने स्वयं बताया, गवर्नमेन्ट भी कह चुकी है कि हम भी नहीं चाहते हैं। फिर इसके बारे में कोई बहस की बात नहीं रह गयी है। मैंने इसे नामंजूर कर दिया है, इस पर बहस नहीं होगी।

श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं—आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूं– वह यह कि मुझे यह बताया जाय कि यह वाक आउट किस सिलसिले में हुआ था ?

श्री उपाध्यक्ष—

मैं क्या बताऊं ?

श्री प्रेम सिंह—

अगर आप नहीं बताते हैं तो मैं भी वाक–आउट करता हूं।

(श्री प्रेमसिंह ने सदन का त्याग किया।)

एक सदस्य—

महोदय जी, जरा एक हमारी बात सुन ली जाय। आज से सदन उठने जा रहा है। १८ तारीख को हमने अल्पसूचित प्रश्न दिया था जिसको आपने अस्वीकार कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कक्ष में आ जाइये तब बता दूंगा।

नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

मेरे पास नियम ५२ की कई एक सूचनायें हैं। एक सूचना राधेश्याम जी ने दी है बड़े दिन के त्योहार के बारे में, इसको मैंने अस्वीकार कर दिया है। राजा राम जी मिश्र तथा अन्य सदस्यों ने जिला परिषद्, फैजाबाद के बारे में एक दिया है। मैंने उसे उचित कार्यवाही के लिये मंत्री जी के पास भेज दिया है।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)—

इसे पढ़ कर तो सुना दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जाइये।

श्री जगदम्बाप्रसाद—

जिसको अध्यक्ष अस्वीकार करते हैं उसको भी पढ़ कर सुना देते हैं, यह परम्परा अध्यक्ष महोदय ने डाली है, उसी के विरुद्ध आप कार्य कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

मैंने सुन लिया। यह कोई परम्परा नहीं है कि हर चीज पढ़ कर सुनाई जाय। मैं आपका समय बचाने के लिये बताये देता हूं कि फैजाबाद जिला परिषद् के अध्यक्ष द्वारा बहुत से अध्यापकों के ट्रांस्फर से यह संबंधित है। वैसे तो यह लोकल-बाडीज का विषय है, यहां पर आ नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैंने सरकार के पास उचित कार्यवाही के लिये भेज दिया है।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---

आपने कहा कि यह विषय आ नहीं सकता है, लेकिन फिर भी उसे उचित कार्यवाही के लिए भेज रहे हैं। तो इससे आपको ही लांछन आयेगा, हमारे ऊपर नहीं, क्योंकि फैजाबाद ही ऐसा जिला है जहां परिषद् के अध्यक्ष विरोधी दल के आदमी हुये हैं। उनकी इस किस्म से मदद करेंगे तो आप पर ही लांछन आयेगा।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)---

क्या यह व्यवस्था हो रही है कि अब से जितने जिला परिषदों के ट्रांसफर के मामले आयेंगे वह नियम ५२ के विषय बनेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष---

नियम ५२ का विषय कहां बना है ? आप सुनने की कृपा कीजिये।

एक सत्यवीर सिंह जी का है, बिजनौर शुगर मिल के संचालक आदि के बारे में। वह भी मैंने उचित कार्यवाही के लिये संबंधित मंत्री महोदय के पास भेज दिया है। एक विजय सिंह जी तथा मुन्नू सिंह जी का है हल्द्वानी तथा लालकुवां की चीनी मिल के बारे में; इसे भी मैंने मंत्री जी के पास भेज दिया है। एक माननीय काजी जलील अब्बासी तथा माननीय अजीज इमाम का है, यह भी शुगर फैक्टरी के बारे में है, इसे भी मैंने मंत्री जी के पास भेज दिया है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

मेरा भी था।

श्री उपाध्यक्ष---

एक काशीनाथ मिश्र जी का है बलिया में टैक्स की वसूली आदि के बारे में, उसे भी मैंने माननीय मंत्री जी के पास भेज दिया है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)---

मेरा शीत लहर के बारे में था।

श्री उपाध्यक्ष---

वह मैंने अस्वीकार कर दिया है।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)---

एक मेरा था।

श्री उपाध्यक्ष---

वह भी मंत्री जी के पास भेज दिया है।

सरकार द्वारा चावल कम मूल्य पर खरीद कर अधिक दाम पर बेचने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

रसद मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)---

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कल दफा ५२ के अन्तर्गत यह कहा था कि सरकार ४७ रुपये प्रति क्वीन्टल के हिसाब से चावल खरीदती है और ६४ रुपये के हिसाब से

बेचती है। इस बारे में उनको भ्रम हो गया है। मैंने इसको देखा। कई किस्म का चावल है। ग्रेड ३ का चावल ४७ रुपये ५६ नये पैसे का है। यह फेयर प्राइस शाप्स पर ५६ रुपये ३६ नये पैसे के हिसाब से बेचा जाता है। ५ वें ग्रेड का चावल ३०.८१ रुपये के भाव से खरीदा जाता है और ३९.३६ के हिसाब से बेचा जाता है। चौथे ग्रेड का चावल ४२.४७ रुपये में खरीदा जाता है और ५०.३६ में बेचा जाता है। इसी प्रकार सेकिंड ग्रेड का चावल ५०.२४ में खरीदा जाता है और ५९.३६ में बेचा जाता है। इसमें ट्रान्सपोर्ट के चाजज, रिटेलर का मुनाफा, आक्ट्राय आदि सभी खर्चे शामिल हैं। तो पता नहीं माननीय सदस्य को कैसे भ्रम हो गया।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, भ्रम की बात नहीं, मैं स्वयं वहां गया और मैंने वहां जाकर दुकानदारों से मिल कर, बात करके यह जानकारी प्राप्त की। जहां भी जाने का अवसर हुआ, मैं स्वयं गया। जब मैंने स्वयं वहां जाकर पता लगाया कि यह भाव है और उसी आधार पर मैं कह रहा हूं कि गोंडा, बलरामपुर और दो तीन स्थान पूर्वी उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं, वहां पर यह गड़बड़ी हो रही है, तो क्या मंत्री जी मेरी व्यक्तिगत सूचना को सही मानकर कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मेरी समझ में यह बात बैठ नहीं रही है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मैं खुद उनको बता रहा हूं। मेरी व्यक्तिगत जानकारी है।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

आप उन दूकानदारों का नाम लिखकर दे दीजियेगा, तब कार्यवाही हो जायगी।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—

दूकानदारों का नाम लिखकर देने के लिये मंत्री जी ने कहा। तो क्या मंत्री जी जिस तरह से पुलिस पहरा देती है उसी तरह से इसकी भी व्यवस्था करेंगे कि उनके जानमाल की हिफाजत वहां हो सके ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, हर एक की अपनी जिम्मेदारी भी तो कुछ है।

श्री गेंदासिंह—

क्या खाद्य मंत्री जी मेहरबानी करके यह करेंगे कि गुड़ के लिये जो सिद्धांत लागू है कि बड़े बड़े मिलों को सप्लाई हो और गुड़ न बनने पावे, वही सिद्धांत चावल के मामले पर भी लागू करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मैं समझा नहीं कि गेंदा सिंह जी की क्या मंशा है, शायद उनका व्यंग था। जहां तक चावल का सम्बन्ध है, उसमें इस वक्त १ रुपये मन की वृद्धि हुई है और जैसा मैंने डिबेट में बताया था कि, इसी कारण स्टेट में इस तरह की चावल की लेवी हम कर रहे हैं और उसको हम फेयर प्राइस शाप्स पर बांट रहे हैं। वैसे १ रुपये मन की वृद्धि कोई ज्यादा नहीं है।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

क्या मंत्री जी को इस बात का पता है कि चावल के दामों में उतार चढ़ाव जो हो रहे हैं उससे हमारे प्रदेश के पूर्वी अंचल जैसे बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़ और देवरिया के कुछ इलाकों से बहुत अधिक मात्रा में चावल बिहार जा रहा है और वहां से नेपाल होते हुये तिब्बत जा रहा है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

हां, ऐसी शिकायतें आयी थीं। तिब्बत में तो नहीं मगर बिहार में अब की बार चावलों की कीमत हमारे यहां से बहुत ज्यादा है और इसलिये प्रलोभन होता है वहां ले जाने के लिये मगर हमारा प्रबन्ध ऐसा हो गया है कि बहुत से केसेज पकड़े गये, उनमें से कई एक को सजा हुई और बहुत सा माल पकड़ा गया।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

क्या उत्तर प्रदेश की भिन्न-भिन्न मंडियों में चावल के भावों में अन्तर है और क्या इनमें समानता लाने के लिये कोई प्रयास किये जा रहे हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

समानता को लाना भी नहीं चाहिये और लाया भी नहीं जा सकता क्योंकि अलग-अलग रेट्स के चावल हैं। जो भाव मैनपुरी में एक चावल का होगा वही भाव उस चावल का बलिया में कैसे हो सकता है क्योंकि उस पर ट्रांसपोर्ट चार्जेज लगेंगे और तरह-तरह के खर्चे आयेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

मेरा आशय कोर्स चावल से है।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

कोर्स चावल का एक ही भाव है, ट्रांसपोर्ट खर्च का फर्क है।

श्री झारखण्डेराय—

क्या मंत्री जी को पता है कि तराई का चावल नैपाल को जा रहा है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

नैपाल की तरफ तो नहीं जा रहा है। जा रहा है बिहार की तरफ। उसके लिये बैरियर बना दिये हैं। मुमकिन है कि किसी दूसरे रास्ते से जाता हो, लेकिन इस बार्डर से नहीं जाता है।

श्री शारदानन्द (जिला सीतापुर)—

मंत्री जी को क्या कठिनाई है इन दूकानों का स्वयं पता लगाने में, जहां ज्यादा कीमत पर चावल बेचा जाता है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

आप कुछ नाम पता बतायें तब तो।

श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)—

मैं गोंडा जिले से आता हूं जहां चावल की खान है, मगर इस वर्ष सूखा से चावल नहीं हुआ और लोग परेशान हैं। मंत्री जी वहां के लिये कोई व्यवस्था करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

आप एक पत्र लिख दें सब डिटेल देते हुये, फेयर प्राइस शाप हम वहां खोल देंगे।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

उनके मुनाफे का क्या प्रतिशत है जो चावल की बेसिक कीमत पर सरकार स्वयं लेती है और क्या रिटेलर को दिलाती है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

रिटेलर को ५ प्रतिशत से अधिक नहीं दिया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेन्ट द्वारा निर्धारित भावों पर हम खरीदते हैं।

श्री लक्ष्मीसिंह (जिला मथुरा)—

मैंने कई पत्र तस्कर व्यापारियों और उच्चाधिकारियों के बारे में लिखकर मुख्य मंत्री को दिये हैं। उनके बारे में मेरे जिले में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तस्कर व्यापारियों का सवाल तो नहीं है।

श्री टम्केश्वरप्रसाद—

आपकी पालिसी इस सम्बन्ध में क्या है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

नो-प्राफिट नो लास, और १० रुपये का फर्क है।

श्री जे० पी० मिश्र—

क्या माननीय मंत्री जी मेरी इस सलाह को मानने के लिये तैयार हैं कि जिन इलाकों में चावल पैदा होता है, आपने कूटने के छोटे-छोटे कारखानों पर जो पाबन्दी लगा दी है, उसे हटा दें ताकि भाव ठीक रह सकें ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

सेंट्रल गवर्नमेन्ट के एक ऐक्ट के अनुसार मिलें लगाने की इजाजत मिलती है। दो तरह की होती हैं, एक सैलर और दूसरी हुलर। सैलर से नुकसान नहीं होता है, हुलर से ५ से ६ परसेंट तक चावल का नुकसान होता है, फिर भी उसमें रुकावट नहीं है। कानूनन दे सकते हैं। मगर आम तौर पर हम लोगों को यही कहते हैं कि नेशनल लास बचाने के लिये सैलर को लगावें और वह काफी मात्रा में दे रहे हैं।

श्री कल्पनार्थसिंह—

गोरखपुर आर० एफ० सी० रीजन में पिछले साल में कितने सैलर और हुलर के लाइसेंस दिये हैं, क्योंकि मंत्री जी की कथनी और करनी में कुछ अंतर मालूम होता है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यद्यपि मेरे पास ठीक आंकड़े नहीं हैं मगर बर्जनों दिये हैं और मेरी कथनी और करनी एक ही है।

श्री जे० पी० मिश्र—

हरदोई जिले में मंत्री जी ने कितनी इजाजत दी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

हरदोई में भी दिये हैं मगर ठीक बताने के लिये सूचना की जरूरत होगी।

श्री मैनेजर सिंह का विशेषाधिकार का प्रश्न

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है और मैं चाहूंगा कि आप सरकार से इसकी जानकारी करावें। बलिया जिले में एक पर्चा बांटा गया है जो इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और जिला परिषद् के अध्यक्ष की तरफ से है। वह यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यवाहक अध्यक्ष, श्री अलगूराय शास्त्री, का बलिया में शुभागमन। उत्तर प्रदेश सरकार का कोई भी नया पद इस आवरणीय सदन की स्वीकृति से सृजित होता है। प्रेस का नाम इस नोटिस पर है।

श्री उपाध्यक्ष—

किसी दूसरे की गलती से सरकार की क्या जिम्मेदारी है ? सरकार में ऐसा कोई पद सृजित नहीं हुआ है । इसके लिये यहां कुछ नहीं हो सकता है ।

श्री मैनेजर सिंह—

आप सरकार से जानकारी करावें कि कोई ऐसा पद सृजित हुआ है या नहीं । यदि नहीं, तो प्रेस ऐक्ट में सरकार इस प्रेस के विरुद्ध कार्यवाही करे । मैं विशेषाधिकार का नोटिस देता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

इसका हाउस से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

एक सदस्य—

विशेषाधिकार का प्रश्न कैसे उठता है ?

श्री मैनेजरसिंह—

यदि कोई गलत छापकर भ्रम पैदा करता है तो वह इस आदरणीय सदन की मर्यादा को भंग करता है । मैं यह आपको दे रहा हूं । आप इस पर अध्ययन और मनन कर के तथा सचिवों से परामर्श करके व्यवस्था दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह विशेषाधिकार की परिधि में नहीं आता है ।

श्री मैनेजरसिंह—

कोई यह छाप दे कि हमारे उपाध्यक्ष का दिमाग खराब है, तो क्या वह हाउस का अपमान नहीं है, जबकि हमारे उपाध्यक्ष ठीक हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

उसमें होता है क्योंकि उपाध्यक्ष ठीक हैं ।

श्री मैनेजरसिंह—

श्रीमन्, इसमें भी आदरणीय सदन के अधिकारों का सवाल है । इसको मैं आपके पास भेजे देता हूं । आप उसे देख लें ।

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें कोई सवाल नहीं है ।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय द्वारा बही-खातों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न यह है कि एक ओर तो आपने यह व्यवस्था दे दी कि मैं रजिस्टरों पर दस्तखत कर दूं, लेकिन दूसरी तरफ जो बहीखाता मैंने वित्त मंत्री जी को आपकी आज्ञा से दिया था उसके बारे में लिख कर आया है कि उसको मैं उनसे वापस ले लूं। तो क्या उस पर दस्तखत कराने के लिये आप कोई प्राविधान नहीं कर सकते ?

श्री उपाध्यक्ष—

आपने हमारे यहां दो बही खाते पेश किये थे, उन पर आपके दस्तखत हो चुके हैं । किसी को सीधे-सीधे आपने क्या दिया है, इस बारे में हम क्या कह सकते हैं ?

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

मैंने दो बहीखाते ६२ के अनुपूरक अनुदानों के समय प्रस्तुत किये थे। वह अखबारों में भी छपे हैं। मैंने आपसे निवेदन किया था कि गृह मंत्री जी यहां नहीं हैं उनके कमरे में जाकर मैं उनको दिये आता हूं। जब पूरे मामले पर जांच हो रही है, तो यह क्या तमाशा है कि दो बहीखातों पर दस्तखत कराये जायं और दो पर नहीं। १९६१ की एक्सेस ग्रान्ट के समय वाले बहीखाते गृहमंत्री जी के कमरे में दिये और १९६२ के अनुपूरक अनुदानों के समय आपको दिये।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

हमें जहां तक पता है दो ही बहीखाते दिये गये थे।

श्री मैनेजरसिंह—

इन सब बहीखातों का जिक्र इस आदरणीय सदन में कई बार हुआ है। ये एक सरकार के माननीय सदस्य के द्वारा की गयी गोलमाल के सम्बन्ध में है। यदि दो पर दस्तखत करा लिये गये हैं तो शेष दो पर कराने में क्या गुरेज है ?

श्री उपाध्यक्ष—

वह तो गृह मंत्री जी के पास हैं। उनके पास उनके लिये जायं। उनसे हमारा क्या सम्बन्ध है ?

(इस समय १ बजकर २ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १२ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

सदन में गणपूर्ति

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका ध्यान इस तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं कि आज २ बजकर १० मिनट तक सदन की घंटी बजती रही और तब जाकर इस सदन का कोरम पूरा किया गया। मैं आपका ध्यान हाल ही में लोक सभा के माननीय अध्यक्ष द्वारा दी गयी एक व्यवस्था की ओर दिलाना चाहता हूं। वहां लंच आवर के लिये कोरम की कोई व्यवस्था न होने के बावजूद भी उन्होंने व्यवस्था दी कि सरकारी पार्टी का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह कोरम को पूरा रखे और कोरम के अभाव में उन्होंने दो घंटे के लिये सदन को उस दिन स्थगित कर दिया। तो पब्लिक एक्सचेकर का रुपया इस तरह से बर्बाद नहीं किया जाना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—

लम्बे भाषण की जरूरत नहीं है। मैं समझ गया कि आपका मतलब क्या है। आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

आज विरोधी दल ने लंच के पहले ५ मिनट ज्यादा समय सदन का लिया और इस तरह से १ बजकर ५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ, इसलिये इनकी यह शिकायत गलत है। इस पर आप व्यवस्था दें।

श्री अधिष्ठाता—

यह कोई व्यवस्था का विषय नहीं है। लेकिन सदन को जानना चाहिये कि माननीय कल्पनाथ सिंह ने जो बात कही, यह सही है कि कोरम को कायम रखना, यह सरकार का कर्त्तव्य होता है। उसको चाहिये कि वह कोरम को मेन्टेन करने के लिये प्रयत्न करे। इनकी तरफ से व्हिप जारी होना चाहिये। आज कोई गैर सरकारी दिन तो है नहीं। जब सरकारी बिल का बिन है तो सरकार को इसके लिये चिन्ता होनी चाहिये।

श्री सालिग्राम जायसवाल, श्री रियासत हुसैन तथा श्री नैनसिंह की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना

श्री अधिष्ठाता—

मुझे सदन को एक-दो सूचनायें देनी हैं। यह टेलिग्राम मेरे पास आया है—

"Speaker Legislative Assembly, Lucknow

Sri Saligram Jaiswal and Sri Riyasat Hussain M.L.A. admitted to Jail on December 23, 1963, under Section 125 D.I.R."

दूसरा है—

"Sri Nain Singh, Member Legislative Assembly arrested today at 3.30 p. m. for contravening the provisions of Gur Movement Control Order, 1963 while importing Gur from Ramra Ghat Tahsil Kairana, district ZUF to the State of Punjab and is at present lodged in the District Jail at ZUF. Formal communication on the subject is being sent separately."

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में आज ही इस सदन में चर्चा हुई और माननीय जेड० ए० अहमद साहब, माननीय गेंदासिंह, माननीय माधोप्रसाद त्रिपाठी और मैंने तथा कई और माननीय सदस्यों ने वहां के अधिकारियों के खिलाफ विशेषाधिकार की अवहेलना की एक नोटिस दी है। हम लोगों का यह कहना है कि कल, जैसा कि इस टेलिग्राम से जाहिर होता है, उन्हें गिरफ्तार किया गया, इसके बावजूद भी सदन को सूचना नहीं दी गयी और इस सम्बन्ध में मैं चाहता हूं कि आप उस मामले को देखें और इसको विशेषाधिकार समिति के हवाले करें क्योंकि नोटिस देने के बाद यह वायरलेस आया है। कल से आज तक इस विषय पर विचार होता रहा है और इस बीच में वायरलेस देने के लिये काफी समय था। अगर वहां के अधिकारी माननीय अध्यक्ष को इसकी सूचना दे दिये होते तो इस सदन की जानकारी में नियमों का उल्लंघन न होता।

श्री अधिष्ठाता—

मैंने टेलिग्राम में पढ़ा ३.३० पी० एम०। उन्होंने टेलिग्राम भेज दिया और इसमें पोस्टल डिपार्टमेन्ट की कोई गलती है तो उसके लिये उनको सजा हम नहीं दे सकते हैं। उन्होंने लिखा है कल की तारीख में श्री नैन सिंह गिरफ्तार किये गये। (टु डे से मतलब कल की तारीख से ही है)

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, आप फिर उसको जरा पढ़ लें, वे साढ़े ३ बजे अरेस्ट किये गये। मेरा तो कहना है कि चाहे पोस्टल डिपार्टमेन्ट की गलती हो, चाहे किसी अधिकारी की गलती हो, जो भी डिले करने का जिम्मेवार होगा वह विशेषाधिकार की अवहेलना में आता है।

उन्होंने स्वयं कहा है कि वह ३.३० पर गिरफ्तार हुये।

श्री अधिष्ठाता—

यह वायरलेस मेसेज २.११ पर रिसीव हुई है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

वह भेजा कब गया ?

श्री अधिष्ठाता—

इतने ज्यादा डिटेल इसमें नहीं हैं।

श्री कल्पनाथसिंह—

इसीलिये हम कहते हैं कि इस को प्रिविलेज कमेटी में जाना चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता—

मेरी समझ में नहीं आता कि डिले कहां हुई । कल ३.३० पर उनकी गिरफ्तारी हुई और कल ही एक वायरलेस मेसेज भेजी गई जो यहां २.११ पर आ गई । समय तो लबर आने में लगेगा ही ।

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं सदन को सूचना दे दूं कि कल वह ३.३० बजे दोपहर को गिरफ्तार हुये और एक ऐसी जगह पर गिरफ्तार हुये जो मुजफ्फरनगर से ३० मील की दूरी पर है और ९ बजे रात को वायरलेस स्पीकर के नाम भेजा गया जबकि यह लोग ८ बजे रात को जेल भेजे गये ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

श्रीमन्, इस से तो मामला और गम्भीर हो जाता है, वायरलेस के आने में तो २ मिनट भी नहीं लगते । मुझे तो ऐसा लगता है कि आज सुबह जब यहां सदन में उनकी गिरफ्तारी की चर्चा हुई तब माननीय मंत्री जी ने वहां जिला अधिकारियों से पूछा टेलीफोन से तब जिला अधिकारियों ने यह सूचना अब भेजी है और यह खबर अब गृह मंत्री जी के इशारे पर आई है । इसलिये इस मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजा जाय ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मैं कहना चाहता हूं कि यह मंत्री लोग सदन की कार्यवाही को और सरकार की कार्यवाही को एक में मिलाकर होचपोच करना चाहते हैं और जनतन्त्र की मर्यादा पर पर्दा डालना चाहते हैं और इसलिये कि गृहमंत्री हरगोविन्दसिंह का पर्दा फाश हो यह मामला प्रिविलेज कमेटी को जाना चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता—

बिना इजाजत लिये आप बोलने लगते हैं, आप बैठें ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मैं यह कहना चाहता हूं एक मिनट में....

श्री अधिष्ठाता—

आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री कल्पनाथसिंह—

आप ने जो अभी पढ़ा वह शब्द 'इम्पोर्ट' है या 'एक्सपोर्ट' है ? आपने अभी 'इम्पोर्ट' पढ़ा है ।

श्री अधिष्ठाता—

जो मैंने पढ़ा है वही होगा ।

श्री कल्पनाथसिंह—

आप उसको फिर से पढ़ दें ।

श्री अधिष्ठाता—

फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

माननीय गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि रात को वह शहर में आये और ९ बजे वायरलेस भेजा गया . . .

श्री हरगोविन्दसिंह—

९ बजे रात को जिलाधीश ने स्पीकर को वायरलेस भेजा।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

लेकिन जब सुबह कुर्सी पर उपाध्यक्ष आये तो उन्होंने कहा कि कोई मेसेज नहीं आई है और तमाम सुबह से बहस हो गई कि कोई सूचना नहीं आई है। वह कहते हैं कि रात को ९ बजे सूचना भेज दी और चेयर से कहा गया कि कोई सूचना सुबह तक नहीं आई तो कौन सच है और कौन झूठ ?

श्री अधिष्ठाता—

मैं सारे फैक्ट्स आपके सामने रखता हूं। २ बज कर ११ मिनट पर यह वायरलैस स्टेशन पर पहुंचा सुबह और स्पीकर के यहां १ बजकर २० मिनट पर पहुंचा।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मैं गृह मंत्री के खिलाफ प्रिविलेस का नोटिस देता हूं, क्योंकि उन्होंने कहा कि स्पीकर को ९ बजे रात को भेज दिया। और आपने कहा २ बजकर ११ मिनट पर पहुंचा। तो कौन सी बात इसमें ठीक है ?

श्री जे० पी० मिश्र—

यह मिस स्टेटमेंट आफ फैक्ट है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, मैंने जहां तक सुना गृह मंत्री जी ने कहा कि ९ बजे रात को जिलाधीश ने सूचना भेजी स्पीकर के पास। अब सवाल यह है कि अगर ९ बजे स्पीकर को सूचना भेजी वायरलेस से तो वायरलैस से लखनऊ खबर पहुंचने में इतनी देर हो यह तो अजीब बात मालूम होती है। जिस समय सूचना भेजी उसी समय यहां सूचना हो जानी चाहिये थी।

अब एक बात और ध्यान में रखें कि साढ़े दस बजे से सदन बैठता है। १२, साढ़े १२ बजे सवाल उठा कि सूचना आयी कि नहीं। उपाध्यक्ष जी मौजूद थे उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई सूचना नहीं है . . . .

श्री अधिष्ठाता—

मैंने कहा कि १ बजकर २० मिनट पर आया है।

श्री गेंदासिंह—

तो गृह मंत्री जी का कहना गलत है। अगर ९ बजे जिलाधीश ने भेजी तो इतनी देर तक वायरलेस बीच में कहाँ रहा, कोई खराबी हुई, क्या हुआ ? यह तो ऐसी चीज है कि ९ बजे की वायरलैस सूचना यहां १ बजकर कुछ मिनट पर पहुंचे यह कोई मामूली बात नहीं है। इसकी छानबीन होनी चाहिये कि १२, १३ घंटे उसको कहाँ लग गये। डी० आई० आर० हम लोगों पर सख्ती से लगाया जा रहा है और मुजफ्फरनगर से १२, १४ घंटे में सूचना हासिल हो इसकी किस पर जिम्मेदारी है ? मैं समझता हूं कि मेरे जिम्मे यह होता तो मैं सारे स्टाफ को बरखास्त कर देता। गृह मंत्री जी सुन लें कि इसी वास्ते अब आवश्यकता हो गई है कि जो यह १२, १३ घंटे की देर हुई और १ बजे के बाद स्पीकर को सूचना मिली तो इतनी बात तो है ही कि डिले कुछ हुई है स्पीकर को सूचना मिलने में। अब जांच की जरूरत इसलिये है कि प्रिविलेज का सवाल तो हो गया, जो डिले हुई उसमें कोई बेकसूर तो नहीं फंस

रहा है। अगर हमारे अधिकारी के अख्तियार की बात न हो और किसी पुर्जे की वजह से देर हुई हो तो उसका पता लगना चाहिये, और अधिकारी को माफ किया जा सकता है। लेकिन अगर देर हुई और जानबूझ कर हुई तो मैं समझता हूं हमारे प्रिविलेज का हनन हुआ है और ऐसी हालत में इस सवाल की जांच करने के लिये इसको विशेषाधिकार समिति को भेज दें जो जांच करेगी कि डिले कैसी है। क्या ऐसी है जो माफ करनी चाहिये। और अगर किसी का कसूर है तो वह तो प्रोसीजरल मामला है, माफी मांग लें।

श्री काशीनाथ मिश्र—

अभी जो आपने श्रीमन्, कहा कि वायरलैस स्टेशन पर २ जब कर ११ मिनट पर पहुंचा सुबह और उपाध्यक्ष साढ़े १२ बजे कह रहे थे कि हमको कोई सूचना नहीं मिली, और २ बजकर ११ मिनट पर सुबह वायरलेस स्टेशन पर आया और आपके दफ्तर में १ बजकर २० मिनट पर आया है, तो श्रीमन्, २ बजकर ११ मिनट से लेकर १ बजकर २० मिनट तक वायरलैस को लखनऊ में ही वायरलैस स्टेशन से स्पीकर तक पहुंचने में, १०–१२ घंटे लग गये। इसकी जांच होनी चाहिये। यह सदन और स्पीकर साहब की प्रतिष्ठा का सवाल है। इसलिये आप इसको प्रिविलेज कमेटी में जरूर भेजें।

श्री जेड० ए० अहमद (जिला आजमगढ़) —

अधिष्ठाता महोदय, देखिये, मैं समझता हूं कि इस मसले पर जांच जरूर होनी चाहिये क्योंकि वायरलैस की मैसेज में १२-१३ घंटों का लग जाना ठीक बात नहीं है। आज तो यह गिरफ्तारी का प्रश्न है। लेकिन कल को मान लीजिये कोई बल्वा हो जाय या कोई और सीरियस घटना हो जाय और आपका वायरलैस इस तरह से काम करे कि तार से भी ज्यादा देर लगाये तो मैं समझता हूं कि यह बात ठीक नहीं है। मंत्री जी को इसकी जांच करनी चाहिये और जांच करके असलियत का पता लगाना चाहिये। जाहिर है कि वह संतोषजनक जवाब नहीं है कि ९ बजे वायरलैस किया और २ बजे के करीब रिसीव हुआ और १–२० पर स्पीकर साहब के यहां आया। या तो ऐसा हुआ कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने वायरलैस भेजा, लेकिन वह भेजा नहीं गया। अगर भेजा गया और लखनऊ में आ गया तो स्पीकर तक आने में इ नी देर क्यों हुई? मैं समझता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिये और यह प्रिविलेज के मोशन का सवाल हो जाता है। अगर कोई कारण है तो इसका सवाल नहीं उठता। इसलिये इसकी जांच होना जरूरी है।

श्री अधिष्ठाता—

इस पर काफी बहस हो चुकी है। मैं डाक्टर साहब की बात से सहमत हूं कि इसमें देरी हो गई है। इसलिये मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री जी इसकी जांच करें और सदन में रिपोर्ट करें कि क्यों देरी हुई। थोड़े से घंटों की देरी के लिये मैं प्रिविलेज के मोशन के लिये महत्व नहीं देता हूं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

अधिष्ठाता महोदय, सुबह गेंदासिंह जी को निजी जानकारी हो गई थी उसके लिये गृह मंत्री जी ने छींटाकशी की थी। उसके लिये वे माफी मांगें।

श्री गेंदासिंह—

श्रीमन्, मैं आप से एक मिनट के लिये इजाजत चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि आपकी रूलिंग के विरुद्ध मुझे नहीं कहना चाहिये। मैं इसी को ध्यान में रखकर खड़ा हुआ हूं कि आप अपनी रूलिंग पर पुनः विचार करेंगे। यह जो आपने कहा कि इतनी देर के लिये विशेषाधिकार के प्रश्न के लिये यह मामूली बात है। मैं आपका ध्यान माननीय नारायणदत्त तिवारी की गिरफ्तारी की ओर ले जाऊंगा। किसी माननीय सदस्य को गिरफ्तार करने के बाद सुविधा सिर्फ इतनी है कि उसकी सूचना तुरन्त स्पीकर महोदय को भेजी जाय।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय गेंदासिंह जी, आप आसन ग्रहण करें। मैं आपको बताऊं कि आज स्पीकर महोदय नहीं थे। हो सकता है कि वह उनको लोकेट न कर पाया हो। माननीय बलवानसिंह जब गिरफ्तार हुये थे तो उस समय भी यही स्थिति हुई थी, २/३ घंटे की देर के लिये विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न बना दें तो मैं नहीं समझता हूं कि इतना महत्व रखता है। १–२० पर खबर आई इसलिये मैं इसको विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं समझता हूं।

श्री गेंदासिंह—

श्रीमन्, आपकी रूलिंग हिस्टोरिकल महत्व रखेगी, इसलिये इसको देने में आदमी को बहुत सोच समझकर काम करना चाहिये। मैंने जो यह कहा था कि जाड़े में उनको ओढ़ना तक नहीं दिया गया, इसके संबंध में माननीय गृह मंत्री जी को क्या जानकारी हुई है ?

श्री अधिष्ठाता—

मंत्री जी को जानकारी हो तो बता सकते हैं।

श्री हरगोविन्दसिंह—

श्रीमन्, बस यह है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को फोन किया है, वहां से जब जानकारी होगी तो बता दूंगा।

श्री कल्पनाथसिंह—

अधिष्ठाता महोदय, मंत्रीजी ने इसकी जानकारी तो की कि कितने बजे वहां से वायरलेस हुआ और कितने मील की दूरी पर वे गिरफ्तार किये गये, लेकिन इसकी जानकारी करने की आवश्यकता उनको नहीं महसूस हुई कि गुड़ के मामले में जिन लोगों ने लाखों किसानों के लिये अपने को न्योछावर करनी की सोची है उनको मंत्रीजी की पुलिस ओढ़ना तक नहीं दे सकती है और मंत्रीजी ने वायदा करने के बावजूद भी सदन को अवगत नहीं कराया। मैं चाहता हूं कि मेहरबानी करके आप पुलिस मंत्रालय को दुरुस्त करें कि वह ठीक सूचना देने की कृपा करे।

श्री अधिष्ठाता—

आप स्थान ग्रहण करें। इसका कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है।

*कानपुर नगर महापालिका के अन्तर्गत सम्मिलित गांवों की अर्जित कृषि भूमि का मुआवजा देने के सम्बन्ध में सूचना

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—

उस दिन प्रश्न यह पूछा गया था कि मुआवजा जमा किया गया या नहीं, तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि नियमों के मुताबक लैंड एक्वीजीशन आफिसर की आदलत में १५ लाख रुपया मुआवजे का महापालिका की ओर से जमा हो गया था और जितने लोग लेने वाले हैं उनको नोटिस दिया गया। उसमें से कुछ लोगों ने ले लिए हैं और ज्यादातर लोगों ने नहीं लिया।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, जिस वक्त यह प्रश्न स्थगित किया गया था आज के लिये तो सवाल यह था कि जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनको मुआवजा दिया गया या नहीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उसमें से दो ऐसे हैं जो काश्तकार हैं ही नहीं, उनकी कुछ भी जमीन नहीं थी। केवल दो आदमी ऐसे थे जिनकी कुछ जमीन थी। उनको नोटिस दे दिया गया था और बावजूद नोटिस के उन्होंने मुआवजा नहीं लिया।

---

*२० दिसम्बर, १९६३ की कार्यवाही भी देखें।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—

क्या यह सही है कि जिन लोगों ने मुआवजा नहीं लिया है उन्होंने विरोधस्वरूप नहीं लिया है इसलिये कि उनको मुआवजा बहुत कम दिया गया है और नियम के मुताबिक और मार्केट रेट में बहुत अन्तर है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

यह हो सकता है कि वे ज्यादा मांगते हों, लेकिन नियमों के मुताबिक नहीं दिया गया यह सही नहीं है। जो लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट में और हमारे महापालिका अधिनियम में जिस तरह का इस्तेमाल जमीन का हो रहा है उसके हिसाब से मुआवजा मार्केट रेट से दिया जाता है। वह २८८.७२ रुपया आया है जैसा कि मैंने अर्ज किया था और उसी हिसाब से दिया जा रहा है।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)—

क्या यह सही है कि हरिद्वार में जब हैवी एलेक्ट्रिकल्स के लिये इसी प्रकार भूमि अर्जित की गयी थी और वहां मुआवजा बहुत कम मिल रहा था तो बाद में ३० लाख रुपया और मुआवजे के लिये प्रदान किया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार कानपुर में भी पुनः विचार कर के ज्यादा मुआवजा देने की कृपा करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

नियमों के ही अनुसार मुआवजा दिया जा सकता है और जैसी जमीन होगी, जिस तरह का उसका इस्तेमाल होगा यह कलेक्टर और लैंड एक्वीजीशन आफिसर के ऊपर है कि वे मुआवजा उसी तरह से फिक्स करें।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

मैंने माननीय मंत्री जी का उत्तर सुना कि जो गिरफ्तार किये गये हैं उनमें से कुछ किसान नहीं है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि वे लोग क्यों गिरफ्तार किये गये ? क्या गेंदासिंह वाला डी० आई० आर० वहां भी चल रहा था ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

वे ऐसे आदमी थे जिनको एजीटेटर कहा जा सकता है, हालांकि मैं तो नहीं कहता, लेकिन उनकी जमीन नहीं है, न उनका खेतों से ताल्लुक है। वे झगड़े में शामिल थे इसलिये उनके खिलाफ रिपोर्ट हुई। पुलिस ने जाकर उनको गिरफ्तार किया होगा।

श्री नरसिंह नारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि किस दर से किसान मुआवजा मांग रहे हैं और सरकार की तरफ से किस दर से मुआवजा दिया जा रहा है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

मैंने अर्ज किया कि किसान और मुआवजा मांग रहे हैं। वह कहते होंगे कि कम है और ज्यादा मिलना चाहिये, लेकिन जो मुआवजा हमारी तरफ से दिया जा रहा है वह लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट के अनुसार और जैसा कि महापालिका अधिनियम में पास हुआ है जैसी जिसकी जमीन होती है वैसा मुआवजा दिया जाता है। मान लीजिये कोई जमीन बस्ती से लगी हुई है। मकान के इस्तेमाल में हो सकती है तो उसका मुआवजा ज्यादा होगा। कोई जमीन कामर्शियल परपज के लिये इस्तेमाल की जा रही है चाहे परती जमीन हो, तो भी मुआवजा ज्यादा न होगा। जो कृषि के लिये इस्तेमाल की जा रही है उसका कृषि के हिसाब से जो मुआवजा आयेगा वह दिया जायगा।

श्री संतसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)--

क्या माननीय मंत्री को जानकारी है कि कानपुर में कारपोरेशन ने आसपास के किसानों की जमीन सस्ते दामों पर खरीद कर ग्रीन बेल्ट की स्कीम बनायी है जिसमें २० लाख के करीब प्राफिट होने जा रहा है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

यह नया सवाल है इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी ।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट के अन्दर इसलिये कि झगड़ा न हो, लोगों को मुनासिब मुआवजा मिले, पहले प्राइवेट सेटिलमेंट का प्रयत्न किया जाता है । तो क्या एक्वायर करने के पहले प्राइवेट सेटिलमेंट का प्रयत्न किया गया ? यदि हां, तो क्या फल हुआ ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

यह डिस्ट्रिक्ट आथारिटीज पर है । मेरे खयाल में आपस में तय करने की बात थी । जो जमीन अभी एक्वायर की गयी, है, वह स्टेशनसाईडिंग फैक्टरी वगैरह बननी है उसमें एक्वायर करनी पड़ी । आपस की बातचीत से नहीं होता है तो कानून के मुताबिक एक्वायर करनी पड़ती है ।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी--

स्पष्ट नहीं हुआ कि प्राइवेट सेटिलमेंट के लिये प्रयत्न हुआ या नहीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

मैंने अर्ज किया कि यह तो लोकल आफिसर्स पर है । उन्होंने किया होगा । उसके बाद एक्वीजीशन हुआ ।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी--

जबरदस्ती तो तब होती है जब प्राइवेट सेटिलमेंट फेल कर जाता है । गवर्नमेंट के पास सब रेकार्ड होंगे ।

(उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्रीमती सुशीला रोहतगी--

यह जानते हुये कि यह मुआवजा जो मिला है यह महापालिका अधिनियम के अन्तर्गत है और वह अधिनियम लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट पर आधारित है क्या सरकार विचार करेगी कि लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट, १८९४ में बनाया गया है,उसको परिवर्तित किया जाय और आज की कीमतों के अनुसार मुआवजा मिले ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

यह तो पूरे मंत्रिमंडल के तय करने की बात है । बाद में अगर कोई जरूरत समझी जायगी तो विचार किया जायगा ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--

श्रीमन्, उस बूढ़े कानून में भी इस बात की गुंजायश है कि मार्केट वैल्यु से दाम दिया जाय और यह भी गुंजायश है कि क्लेक्टर को सर्टिफिकेट भेजना पड़ता है कि प्राइवेट नेगोशिएशन फेल कर गया । तो क्या २८८ रुपये एकड़ से ऊपर १ हजार रुपया, २ हजार रुपया का भाव वहां नहीं है ? दूसरे यह कि क्या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने सर्टिफिकेट नहीं दिया और सचिवालय ने बगैर उनके सर्टिफिकेट के नोटिफाई कर दिया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

यह जो कीमत की बात कही माननीय गेंदासिंह जी ने यह तो जमीन के ऊपर निर्भर करती है । जैसा मैंने अर्ज किया था मार्केट वैल्यू उस जमीन का इस्तेमाल कैसे हो रहा है इसके

हिसाब से लगायी जायगी । यही नियम है और जो उन्होंने दूसरी बात कही, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जब एक्वायर करता है तो वह तभी करता है जब पहले प्राईवेट सेटिलमेंट के निगोशियेन्स फेल हो जाते हैं और इसी तरह से किया गया है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, सवाल का उत्तर नहीं मिला ।

श्री अधिष्ठाता—

वह तो अब पास हो गया । आप फिर से पूछ सकते हैं ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

इस समय माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर विराजमान हैं । आपके माध्यम से क्या मैं उनसे पूछ सकता हूं कि इस तरह का अन्याय होने जा रहा है किसानों के साथ, तो क्या वह स्वयं इस मामले में दखलन्दाजी करके सही मुआवजा दिलाने की कोशिश करेंगी ?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

मायर जी के प्रश्न में पहला अंश था अन्याय का उसके विषय में तो मैं जानती नहीं हूं । अन्याय तो पहले एस्टेब्लिश होना चाहिये । तो इस बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकती । और मुआवजा मैं समझती हूं कि कानून के मुताबिक उनको सही दिया जा रहा है । अगर उसमें कोई सख्ती है तो वह हमारे पास रिप्रिजेंट करें और अगर वह करेंगे तो जरूर इसे देखा जायगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रुपया मुआवजे का खजाने में कब जमा किया गया है और किसानों के ऊपर जो मुकदमा चलाने की बात है और उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश जो की गई है वह कब की गई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

रुपया तो पहले ही जमा कर दिया जाता है । उसके बाद ऐक्वीजीशन की कार्यवाही शुरू होती है । तो रुपया तो पहले ही जमा कर दिया गया था और उसके बहुत दिनों के बाद यह कार्यवाही हुई और इसलिये हुई कि लोगों ने झगड़ा किया ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

कब रुपया जमा हुआ और किसानों के खेतों पर कब कब्जा करना शुरू किया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

देखिये, तारीख तो कुछ निश्चय नहीं है । लेकिन मैं यह कहता हूं कि ऐक्वीजीशन की कार्यवाही शुरू हो ही नहीं सकती जब तक रुपया जमा नहीं होता है । तो यह काफी दिनों पहले रुपया जमा हो गया था और यह अभी चन्द दिन हुये जब कि यह गिरफ्तारियां हुई हैं ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

इस बात को देखते हुये कि अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा कि नियमों के मुताबिक मुआवजा उनको दिया जा रहा है, उनके साथ अन्याय का उनको कुछ पता नहीं है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि गोरखपुर फर्टिलाइजर की जमीन जो ली गई है उसमें बाजार रेट से नियमों को अलग रखकर मुआवजा दिया जा रहा है, हरिद्वार में जो बिजली कंपनी की स्थापना हो रही है उसमें भी और गाजियाबाद में भी बाजार रेट से ही मुआवजा दिया जा रहा है, इन नियमों के होते हुये भी बाजार भाव और रजिस्ट्री वगैरह के रेट देखकर मुआवजा दिया जा रहा है, तो इसको देखते हुये इस मामले में भी बाजार दर पर वह मुआवजा दिलाने की कोशिश करेंगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

बाजार भाव पर ही मुआवजा दिलाने की कोशिश की जायगी। जो आप कह रहे हैं बाजार भाव पर ही देंगे।

श्रीमती सुशीला रोहतगी---

यह देखते हुए कि, कानपुर से दो प्रतिनिधिमंडल हमारी मुख्य मंत्रा णी से, एक १८ सितम्बर को और दूसरा १७ दिसम्बर को इसके सम्बन्ध में मिल चुका है और उनसे अपने मुआवजे की दरों को बढ़ाने के लिए कह चुका है, क्या माननीय मुख्य मंत्राणी पुनः इस पर विचार करने की कृपा करेंगी और मुआवजा बढ़ाने की कृपा करेंगी ?

(मुख्य मंत्री का नाम पुकारा जाने पर)

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। पिछले बार यह तय हो चुका है कि माननीय मुख्य मंत्री कहा जायगा, तो अब जो माननीया मुख्य मंत्राणी कहा जा रहा है, तो यह फिर से आप बता दें कि माननीय मुख्य मंत्राणी या माननीय मुख्य मंत्री क्या कहा जाना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय सदस्य के सुनने में गलती हुई। मैंने माननीय मुख्य मंत्री कहा।

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

इस सारे मामले पर हम लोग गौर कर रहे हैं, और गौर कर लेंगे।

फारूक हत्याकांड सम्बन्धी गोलीकाण्ड की जांच रिपोर्ट के सम्बन्ध में वक्तव्य

गृह उपमंत्री (श्री शिवप्रसाद गुप्त)---

१४ अप्रैल, १९६२ की रात्रि में इलाहाबाद के थाना कोतवाली के सामने एकत्रित हुई एक भारी भीड़ को तितर-बितर करने के लिये पुलिस द्वारा गोली चलाई गई जिसकी जांच के लिये आयुक्त, फैजाबाद डिवीजन को सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था। जांच निम्नांकित बातों को जानने के उद्देश्य से कराई गई :

१---१४ अप्रैल को हुई वे कौन-सी घटनायें थीं जिनके कारण पुलिस को गोली चलानी पड़ी ?

२---क्या गोली चलाने के लिये पर्याप्त कारण थे ?

३---क्या जो बल प्रयोग किया गया वह आवश्यक एवं न्यूनतम था ?

४---क्या मैजिस्ट्रेट और पुलिस ने स्थिति को यथोचित रूप से संभाला ?

५---क्या जो प्रदर्शन १४ अप्रैल को कोतवाली के सामने हुआ था उसे मामले से दिलचस्पी रखनेवाला किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा आयोजित किया गया था ?

आयुक्त की रिपोर्ट सरकार को सितम्बर, १९६३ में प्राप्त हुई। इससे ज्ञात होता है कि आयुक्त ने ९६ आदमियों का साक्ष्य अंकित किया और घटनास्थल आदि का भी निरीक्षण किया। आयुक्त ने जांच घटना क्रम में उस समय से आरम्भ की जिस समय से फारूक की मृत्यु जेल में हुई और उन्होंने इससे पूर्व घटना क्रम के विषय में जांच नहीं की क्योंकि उस समय फारूक की मृत्यु से संबंधित विषय में सी० आई० डी० द्वारा जांच की जा रही थी।

जांच से आयुक्त ने जिन तथ्यों को पाया है वे इस प्रकार हैं :---

फारूक को पुलिस ने किसी तथा कथित अपराध के संबंध में गिरफ्तार किया था और कुछ समय अपने कब्जे में रखने के बाद नैनी जेल भेजा था जहां १४-४-६२ को उसकी मृत्यु हो गई। सेन्ट्रल जेल नैनी के सुपरिटेन्डेन्ट ने अतिरिक्त जिलाधीश (एक्जक्यूटिव) को ९.३० व १० बजे के बीच फारूक की मृत्यु की सूचना दी और उनसे पं ायतनामा कराने के लिये आदेश देने को कहा। अतिरिक्त जिला ीश, जिलाधीश से बात कर नहीं पाये। उन्होंने अतिरिक्त सिटी मैजिस्ट्रेट को पंचायत नामा बनाने के लिये नियुक्त किया। जिलाधीश को इसके बारे में १०.३० बजे सबेरे सूचना भेजी गई। अतिरिक्त सिटी मैजिस्ट्रेट ११ बजे जेल पहुंचे, जहां पर उन्होंने जेल अधिकारियों के बयान अंकित किये और कोतवाली के थानेदार को १ बजे टेलीफोन द्वारा बुलाया ताकि वे लाश को शव परीक्षा के लिये लाश घर (मोरच्युरी) ले जायं। थानेदार तथा एक अन्य सब इन्सपैक्टर २ बजे जेल पहुंचे। ऐसा प्रतीत होता है कि ८ या ९ बजे प्रातःकाल तक फारूक के संबंधियों को जेल अथवा पुलिस के द्वारा फारूक की मृत्यु की सूचना मिल चुकी थी क्योंकि उसकी विधवा श्रीमती हसीना जेल के फाटक पर लाश मांगने के लिये १० बजे पहुंच गई थी।

कुछ व्यक्ति फारूक की विधवा के साथ सभा सचिव श्री ए० के० वसु के पास ११ व १२ बजे के बीच पहुंचे। श्री बसु ने जिलाधीश से टेलीफोन पर पूछा कि क्या लाश बिना पोस्टमार्टम कराये दी जा सकती है। जिलाधीश ने बतया कि ऐसा नहीं किया जा सकता। जिलाधीश ने सिटी मैजिस्ट्रेट तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से भी फारूक की मृत्यु के बारे में बातें की। शाम को ५ बजे उन्होंने मेडिकल आफिसर डाक्टर वाशिष्ठ से पूछा कि क्या शव परीक्षा समाप्त हो गई है। मेडिकल आफिसर ने जिशाधीश को सूचित किया कि ५.१५ या ५.३० बजे जब वे लाश घर से चले थे तब तक न तो फारूक के शव के आने के बारे में कोई सूचना प्राप्त हुई थी और न शव ही आया था। अगले दिन डाक्टर ने ८.३० बजे सुबह फारूक की मृत्यु के सबंध में सूचना अपने निवास स्थान पर पाई और वे ८.४० बजे लाश घर पहुंचे। फारुक की विधवा १४ तारीख को लोगों से अपने पति की लाश प्राप्त करने के लिये मिलती रही। वह शाम को साढ़े सात या ७.४५ बजे कोतवाली पहुंची। उसके साथ लगभग २४, २५ व्यक्ति थे। कुछ राह चलने वाले और कुछ तमाशबीन लोग संभवतः वहां एकत्रित हो गये। विधवा तथा उसके साथी जो व्यक्ति एकत्रित थे उनकी मांग थी कि लाश शीघ्र वापस की जाय। विधवा के कोतवाली पहुंचने के कुछ समय बाद सर्किल इंस्पेक्टर और सर्किल आफिसर कोतवाली पहुंच गये। सौ, दो सौ व्यक्तियों की भीड़ इकट्ठी हो गयी। विधवा ने पुलिस अधिकारियों को एक लिखित शिकायत पुलिस अधिकारियों को दी। जो लोग उसके साथ कोतवाली गये थे उनमें से कुछ लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल थाने में उक्त अधिकारियों से, जिन में सीनियर सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ पुलिस तथा अतिरिक्त जिलाधीश नियोजन भी थे, मिले। इस बीच भीड़ बढ़नी शुरू हो गयी। कोतवाली के आस-पास की आबादी में अवांछनीय प्रकृति के लोग बड़ी तादाद में रहते हैं और ये लोग भी भीड़ में शामिल हो गये। प्रतिनिधि मंडल के मिलने के बाद सीनियर सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ पुलिस ने माइक्रोफोन द्वारा एकत्रित भीड़ को सूचित किया कि फारूक की मा पोट से संबंधित दोनों सब-इंस्पे टरों को मुअत्तल कर दिया गया है और लाश पोस्ट मार्टम के बाद वापस कर दी जायगी। भीड़ जो पहले से ही बढ़नी शुरू हो गयी थी उसमें तमाशाई और गुन्डे काफी संख्या में शामिल हो गये। उक्त प्रतिनिधिमंडल की वार्ता समाप्त हो जाने के बाद भीड़ में उग्रता के लक्षण स्पष्ट होने लगे। सीनियर सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ पुलिस के माइक्रोफोन द्वारा सूचना देने के बाद ईंट पत्थर चलना शुरू हो गया और भीड़ ने उत्तेजनात्मक नारे लगाये। न्यूनतम बल का प्रयोग करने के विचार से ९.४५ पर पहले अश्रु गैस छोड़ा गयी। भीड़ पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और भीड़ को १०.४५ और ११ बजे के बीच ८ बार लाठी चार्ज करना पड़ा। किन्तु उसका भी भीड़ पर कोई विशेष असर नहीं पड़ा। भीड़ को अनेकों चेतावनियां दी गयीं। अंतिम बार सिटी मैजिस्ट्रेट ने चेतावनी दी कि अगर भीड़ हटेगी नहीं तो गोली चलानी पड़ेगी। सिटी मैजिस्ट्रेट भीड़ को पहले ही गैर कानूनी घोषित कर चुके थे। भीड़ ने १२ गाड़ियों को तोड़ा फोड़ा जिससे लगभग ३,०१८ रुपये का नुकसान हुआ। ईंट पत्थर चलने से २७ पुलिस कर्मचारियों को और सिटी मैजिस्ट्रेट को चोटें आयीं। कोतवाली के सामने लगे टेली-

[श्री शिवप्रसाद गुप्त]

फोन के बक्से को भी क्षति पहुंचायी गयी। कोतवाली पर जलती हुई वस्तुयें फेंकीं गयीं। लूटपाट के प्रयत्न किये जाने लगे और फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी में आग लगाने का प्रयास किया गया। स्थिति इतनी भयंकर हो गयी थी कि यदि पुलिस गोली न चलाती तो सरकारी सम्पत्ति नष्ट हो जाती। सरकारी कर्मचारियों को और अधिक चोटें पहुंचायी जातीं और उनकी जानें तक ले ली जातीं और दूकानें तोड़ फोड़ कर लूट ली जातीं। अतः अधिकारी गोली चलाने के आदेश देने के लिये मजबूर हो गये। गोली ११ बजे के बाद चलायी गयी थी। सब से पहले एक पुलिस इंस्पेक्टर ने.....

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है। जांच की रिपोर्ट सरकार से मांगी गयी थी और उस समय उन्होंने उत्तर में कहा था कि स्थिति उस समय आउट आफ कंट्रोल हो गयी थी। तो क्या भयंकर स्थिति हो गयी थी यही हम जानना चाहते हैं? वे ग्रह स्पष्टीकरण करें कि वह कौन सी भयंकर स्थिति थी जिसके कारण गोली चलानी पड़ी?

श्री अधिष्ठाता—

उनको कह लेने दीजिये :

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

सबसे पहले एक पुलिस सब-इंपेक्टर ने रिवाल्वर से गोली चलाई। उसने चार फायर किये कुल मिला कर २० बुलेट्स का प्रयोग किया गया। पहली और दूसरी वौलीज़ के दौरान भीड़ में कुछ हलचल अवश्य हुई किन्तु लोग पीछे नहीं लौटे। तीसरी के दौरान में कुछ लोग वापस लौटने लगे अतः गोली चलाना बन्द कर के लाठी चार्ज किया गया। किन्तु उस बीच भीड़ ने फिर भयंकर रूप धारण किया अतः गोली चलाना फिर शुरू किया गया। दो वौलीज और चलायीं गयीं। इस प्रकार कुल ५ वौलीज चलायी गयीं। जैसे ही भीड़ तितर बितर हो गयी गोली चलाना बन्द कर दिया गया। गोली चलाने से ७ आदमी घायल हुये जिस में से दो अस्पताल में मर गये। आयुक्त का निर्णय है कि जो भीड़ एकत्रित हुई थी उसके गठन तथा आकार को और उसने जो भीषण कार्य किये थे, देखते हुये अधिकारियों के पास उसे तितर-बितर करने के लिये गोली चलाने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था। भीड़ को तितर बितर करने के लिये उनकी राय में न्यूनतम बल का प्रयोग किया गया। उन्होंने यह भी स्पष्ट रूप से कहा है कि गोली ११ बजे के बाद चलाई गयी थी और उससे पहले अधिकारियों ने बड़े धैर्य से काम लिया और बल के सभी अन्य हल्के प्रकारों का प्रयोग करके देख लिया था जो निरर्थक सिद्ध हुये थे।

मैजिस्ट्रेटों तथा पुलिस द्वारा इस घटना के संबंध में की गयी कार्यवाही के विषय में आयुक्त ने यह बातें कही हैं—

(क) फारूक के शव को जेल से लाश घर तक ले जाने में बड़ी ढिलाई बर्ती गयी और ऐसा प्रतीत होता है कि साधारण तौर पर कार्यवाही की गयी और मामले को कोई महत्व नहीं दिया गया। इस मृत्यु के मामले में विशेष रूप से शीघ्रतापूर्वक कार्यवाही करने की आवश्यकता थी क्योंकि व्यक्ति की मृत्यु जेल में हुई थी और वे स्थितियां जिसमें उसे कोतवाली में बन्द रखा गया था कुछ असाधारण थीं।

मृत्यु के बारे में एक अधिकारी द्वारा दूसरे संबंधित अधिकारी को सूचना देने में तथा अधिकारियों के जेल तक पहुंचने में विलम्ब हुआ। पुलिस द्वारा लाश को जेल से लाश घर तक ले जाने में विशेष रूप से देर हुई।

(ख) यह आश्चर्य की बात है कि कोतवाली पुलिस की इंटेलीजेंस व्यवस्था इतनी कमजोर है कि यद्यपि विधवा तथा उसके मददगार प्रमुख व्यक्तियों से मिलते रहे, किन्तु उसे इसके बारे में कोई सूचना न मिली।

(ग) यदि दोनों सब इंस्पेक्टर जो जनता के अनुसार फारूक की मार-पीट तथा मृत्यु से संबंधित थे, के विरुद्ध कोतवाली के सामने भीड़ एकत्रित होने के पहले ही कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाती तो होने वाले एजीटेशन में इतनी तेजी न आती, किन्तु अधिकारियों को इस आने वाली कठिनाई का कोई अन्दाजा नहीं था क्योंकि इसके बारे में किसी ने उन्हें सूचित नहीं किया था।

(घ) भीड़ के कोतवाली के सामने एकत्रित हो जाने के बाद एक बैठक की गई जिसमें सरकार की तरफ से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिलाधीश (नियोजन), सर्किल अफसर आदि थे तथा दूसरी ओर ११ गैर सरकारी व्यक्ति थे। यह बैठक सफलता के साथ नहीं समाप्त हुई और तनाव को कम करने के लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो सकी। फिर भी अधिकारियों ने बैठक का संचालन उस ढंग से किया जो उनके विचार से सर्वोत्तम था।

आयुक्त ने कहा है कि उपद्रव के समय कोतवाली पर केवल अतिरिक्त जिलाधीश (नियोजन) तथा सिटी मैजिस्ट्रेट ही उपस्थित थे। सिटी मैजिस्ट्रेट भी देर से पहुंच पाये थे। इस प्रकार शुरुआत में मैजिस्ट्रेसी की ओर से केवल अतिरिक्त जिलाधीश (नियोजन) ही घटनास्थल पर थे।

यद्यपि यह कहना कठिन है कि यदि जिलाधीश या अतिरिक्त जिलाधीश (एग्जिक्युटिव) घटनास्थल पर उपस्थित होते तो घटना का तारतम्य ही कुछ और रूप में होता, किन्तु आयुक्त का ऐसा विचार है कि संभवतः इन वरिष्ठ अधिकारियों, विशेष रूप से जिलाधीश की उपस्थिति से कुछ लाभ हुआ होता। यह सही है कि जिलाधीश टेलीफोन द्वारा कोतवाली से बराबर संपर्क बनाये रहे और वहां उपस्थित अधिकारियों ने उन्हें वहां बुलाना आवश्यक नहीं समझा। जिलाधीश से कोतवाली पर आने के लिये अधिकारियों ने उस समय कहा जब ईंट पत्थर चलना प्रारम्भ हो गया था। वे तुरन्त चल पड़े किन्तु कोतवाली न पहुंच सके और चौकी शाहगंज पहुंचे। आयुक्त के मत में ऐसी स्थिति में अधिक से अधिक यह कहा जा सकता है कि जिलाधीश ने स्थिति की गंभीरता के आंकने में भूल की। वे जानबूझ कर कोतवाली न जाने अथवा अपने कर्तव्य का पालन न करने के दोषी नहीं हैं।

एक राजनीतिक पार्टी के कुछ सदस्यों ने फारूक की विधवा की शिकायतों में दिलचस्पी ली और उन्हें उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने में उसकी सहायता की किन्तु आयुक्त ने किसी व्यक्ति या पार्टी को बल्वे को संगठित करने या बल्वे के लिये उकसाने का जिम्मेदार नहीं ठहराया है। आयुक्त के अनुसार बल्वे को उन समाज विरोधी तत्वों ने ज्यादा उकसाया जो कोतवाली के सामने एकत्रित हो गये थे।

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, सदन यह जानना चाहता है कि वह कौन-कौन सी परिस्थितियां थीं जिनके कारण पुलिस को गोली चलानी पड़ी, उसका जिक्र कहीं इस बयान में नहीं है?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

मैंने श्रीमन्, बयान में यह बताया कि फायर ब्रिगेड में आग लगाने की कोशिश की गयी, २८ पुलिस मैन जख्मी हुये, भीड़ उत्तेजित थी, किसी तरह शान्त नहीं हो रही थी, वह बेकाबू हो गयी थी, लाठी चार्ज हुआ उससे भी भीड़ नहीं हटी, आदि ऐसी बातें थीं जिसके कारण पुलिस को गोली चलानी पड़ी। उसके पास और कोई चारा नहीं था।

श्री कल्याणचन्द्र मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार यह बतायेगी कि यह जांच किन-किन बातों की जांच के लिये बिठाई गई थी?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

शुरू में यही तो बताया गया कि १४ अप्रैल को कौन सी घटना है जिसके लिये पुलिस को गोली चलानी पड़ी, क्या उसके लियें पर्याप्त कारण थे, बल प्रयोग न्यूनतम था या नहीं, आदि बातें थीं।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, १६ अप्रैल को जब सदन में कार्य-स्थगन प्रस्ताव पेश हुआ था उस समय माननीय चन्द्रभानु गुप्त, जो उस समय मुख्य मंत्री थे, ने यहां कहा था कि प्रजा समाजवादी पार्टी के नेता जो वहां से चुन करके आये हैं उस जलूस का नेतृत्व कर रहे हैं, मगर कमीशन की रिपोर्ट में यह चीज स्पष्ट है कि प्रजा समाजवादी दल का उसमें हाथ नहीं था। तो सदन को जो यह गलत सूचना माननीय चन्द्रभानु गुप्त ने दी तथा जिन अधिकारियों की सूचना के आधार पर उन्होंने यह बात कही उनके प्रति आप क्या कार्यवाही करेंगे ? क्या सरकार खेद प्रकाशन करेगी उसके लिये ?

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—

इसमें खेद प्रकाशन करने की कोई बात नहीं है, उसका प्रश्न नहीं उठता। इसलिये यह बात उस समय उन्होंने कही थी कि उनके कान में ऐसी खबरें डाली गयीं कि राजनीतिक पार्टियों ने उसका नेतृत्व किया।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, उस समय सदन को यह आश्वासन दिया गया था कि जांच रिपोर्ट आने पर यदि सदन उसे स्वीकार नहीं करेगा तो उसकी जुडीशियल जांच कराई जायेगी। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इसकी जुडीशियल जांच करायेगी ताकि इस महत्वपूर्ण पहलू पर विचार हो सके ? इसमें श्रीमन् मुख्य घटना के संबंध में यानी क्यों फारूक की हत्या हुई, कैसे हुई, भीड़ इतनी उत्तेजित क्यों हुई, इन बातों पर तो कोई जांच हुई ही नहीं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

रिपोर्ट में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जो जांच थी वह इस बात की थी कि जो फायरिंग पुलिस को करनी पड़ी वह ठीक थी या नहीं। उसके पूर्व की क्या घटनायें थीं उनकी जांच न उस समय हो सकती थी और न इस समय, इसलिये कि वह सबजुडिस था। दोनों थानेदारों पर मुकदमा चलाया गया और सेशन जज की अदालत से छूट गये हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील कर रखी है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सत्यनारायण पांडेय के इस प्रश्न के उत्तर में कि तत्कालीन मुख्य मंत्री, श्री चद्रंभानु गुप्त, ने कहा था कि मोहिले जी के भाई उस जुलूस के अगुआ थे। वह उत्तर किस आधार पर उन्होंने दिया था जब जांच रिपोर्ट में वह बात सत्य नहीं पायी गयी। यह कह है कि उनसे, मुख्य मंत्री जी से, किसी ने कान में आकर कह दिया था और ऐसा बयान उन्होंने दे दिया। तो मैं आप से जानना चाहता हूं कि सदन में कोई मंत्री किसी के कान में आकर कह देने पर हाउस में जवाब देते हैं या सरकारी अधिकारियों और सचिवालय की रिपोर्ट के आधार पर ? इसका स्पष्टीकरण चाहता हूं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

मैं उनकी बात समझ नहीं पाया, लेकिन....

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

उनका प्रश्न सुनकर तब उत्तर दीजिये।

श्री हरगोविन्दसिंह—

मेरे उत्तर से अगर उनका समाधान न होगा तो वे फिर सवाल कर लेंगे, मेरी बात तो पहले सुन लें। जांच में यह कहा गया है कि राजनीतिक दलों के कुछ लोगों ने इसको ऊंचे तक पहुंचाने का प्रयत्न जरूर किया।

श्री कल्पनार्थसिंह—

एक व्यवस्था का सवाल है। मंत्री जी ने उनकी बात सुनी नहीं और उत्तर दे दिया। मैं आपके द्वारा उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे रामसुन्दर जी को सुन लें और तब जवाब दें।

(श्री रामसुन्दर पांडेय द्वारा प्रश्न पुनः पूछने पर।)

श्री हरगोविन्दसिंह—

श्रीमन्, मैं तो क्या वाकयात वहां हुये थे वह बतला सकता हूं। कोई ओपीनियन तो किसी चीज पर दे नहीं सकता और चूंकि यह जो रिपोर्ट हमारे सामने है उसमें उसका कोई जिक्र नहीं है इसलिये मैं यह नहीं मान सकता कि वह बात जो कही गयी थी झूठ थी।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—

जिलाधीश को गोली चलने से कितने घंटे पहले सूचना हो गयी थी ? माननीय मंत्री जी ने कहा कि सवा १२ बजे उनको सूचना हो गयी थी। मिस्टर अजय बसु, जो पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी थे, उन्होंने सवा १२ बजे सूचना भेजी? राजेन्द्रकुमारी जी बाजपेयी, माननीया सदस्या, ने भी करीब ३ बजे सूचना जिलाधीश को दे दी थी। तो उस समय कोई कार्यवाही न करके रात के साढ़े ९ बजे दफा १४४ लगाई गई इसका क्या कारण है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

श्रीमन्, मैंने बहुत गौर से उनको सुनने की कोशिश की, लेकिन कुछ समझ नहीं पाया।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—

श्रीमन्, साढ़े नौ बजे गोली चली और १० बजे चली लेकिन जिलाधीश को इसकी सूचना साढ़े बारह बजे पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी श्री अजय वसु के द्वारा प्राप्त हुई। उन्होंने साढ़े बारह बजे लाश मांगने की सूचना दी तथा इसकी सूचना माननीया राजेन्द्रकुमारी जी ने भी दी। लेकिन अधिकारियों ने कोई कार्यवाही तब तक नहीं की जब तक कि कांग्रेस वाले हर दरवाजे को न खटखटा चुके। तब ७ बजे कोतवाली पहुंचे। वहां भीड़ इकट्ठा हो गयी थी। पति की मृत्यु एक दिन पहले हो चुकी थी उस दिन व दूसरे दिन कोई पोस्ट मार्टम नहीं हुआ, तीसरे दिन जा कर हुआ। तब तक नगर में दफा १४४ नहीं लगायी गयी थी। तो क्या यह सही है कि वहां पर कोई ईंटा पत्थर नहीं चलाया गया और लोगों पर जबरदस्ती गोलियां चलायी गयीं ? मैं अपनी सूचना से बताता हूं कि वहां अस्पताल में जो लोग दाखिल थे वे सब गोली खाये हुये थे, कोई भी ईंटा पत्थर खाया हुआ नहीं था। कोई ऐसा पुलिस का अधिकारी वहां दाखिल नहीं था। इन्हीं सब बातों को देखते हुए हम ने जुडीशियल इंक्वायरी की मांग की थी। तो क्या इन सब बातों को देखते हुए सरकार जुडीशियल इंक्वायरी की मांग को स्वीकार करेगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इसमें माननीय सदस्य ने जो बहुत से तथ्य स्वतः स्वीकार कर लिये हैं वे सब निराधार हैं। बहुत सी बातें जो कही गयी हैं, रिपोर्ट में उनको गलत समझा गया है। लिहाजा जुडीशियल इंक्वायरी की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

मैं माननीय सदस्यों को यह बतला देना चाहता हूं कि आमतौर से स्टेटमेंट पर कोई प्रश्न नहीं होते हैं, लेकिन आज आखिरी दिन होने की वजह से मैंने यह लेटीट्यूड दे दिया था। लेकिन जिस प्रकार से सवाल पूछे जा रहे हैं उनसे उनका कोई अन्त दिखाई नहीं देता है।

श्री कल्पनार्थसिंह—

रिपोर्ट को सदन के सामने आ जाना चाहिये। इसके अलावा तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि सदन के माननीय सदस्यों को यदि कमीशन की रिपोर्ट से संतुष्टि

[श्री कल्पनार्थासिंह]

न होगी तो न्यायिक जांच करा दी जायगी। इसलिये मैं आप से आग्रह करता हूं कि आप सरकार को इस बात के लिये मजबूर करें कि वह जांच रिपोर्ट को छपवा कर सदन के प्रत्येक सदस्य को दे, इसके ऊपर चर्चा के लिये समय मुकर्रिर किया जाय, तथा भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी के बायदे के अनुसार न्यायिक जांच वर्तमान मुख्य मंत्री करायें।

श्री हरगोविन्दसिंह—

जांच बड़ी निष्पक्ष हुई है। इसलिये जुडीशियल जांच कराने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री सत्यनारायण पांडेय—

श्रीमन्, आप कह रहे हैं कि स्टेटमेंट पर आप ज्यादा प्रश्न नहीं करने देंगे ?

श्री अधिष्ठाता—

मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। जो नियमावली में है वही कह रहा हूं।

श्री सत्यनारायण पांडेय—

श्रीमन्, आपने नियमावली का हवाला देते हुए कहा कि आप स्टेटमेंट पर कोई प्रश्न नहीं करने देंगे। लेकिन वह वैसा स्टेटमेंट नहीं है जो मिनिस्टर्स दफा ५२ के अन्तर्गत दिया करते हैं। मैं आपका ध्यान माननीय अध्यक्ष द्वारा कही गयी बातों की ओर दिलाना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी ने कहा था सदन के सामने स्टेटमेंट होने के बाद हम इस बात को तय कर लेंगे कि वह रिपोर्ट यहां रखी जायेगी या न रखी जायगी। इसका यह अर्थ है कि जब उस रिपोर्ट का जिस्ट बतला दिया गया तो इस पर विचार होना ही चाहिये कि वह रिपोर्ट सही है या नहीं है। अध्यक्ष महोदय ने आश्वासन दिया था, इसलिये मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है और आप से नम्र निवेदन है कि आप इसको साधारण स्टेटमेंट की श्रेणी में न रखें। हम चाहते हैं कि यह रिपोर्ट सदन के सामने आवे। अगर आज न हो सके तो माननीय मंत्री इसके लिये आश्वासन दें कि रिपोर्ट छपने के बाद सदन के सामने रखी जायगी और इस पर हमें पूरा अवसर दिया जायगा ताकि हम यह साबित कर सकें कि यह रिपोर्ट गलत है। क्योंकि इसमें बहुत ही परस्पर विरोधी बातें हैं। इसलिये मेरा अनुरोध है कि अगर आज न हो सके तो किसी दूसरे दिन इस रिपोर्ट पर सदन में पूरी चर्चा करने का अवसर दिया जाय जब कि वह रिपोर्ट छप कर आ जाय।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

श्रीमन्, १६ अप्रैल, १९६२ को जिस दिन इस सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव आया था उस दिन की कार्यवाही को आप देखने की कृपा करें। उस दिन तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री चन्द्रभानु गुप्त ने कहा था कि अगर हमारे सामने बैठने वाले माननीय सदस्य अगर जांच रिपोर्ट को मंजूर न करें तो मैं जुडिशियल इन्क्वायरी करने के लिये तैयार हूं, हम उससे भागते नहीं हैं। ये शब्द हैं माननीय चन्द्रभानु गुप्त जी के। अब माननीय मुख्य मंत्री को इस सप्लीमेन्टरी सवाल के ऊपर तय करना चाहिये और माननीय गृह मंत्री तथा उधर बैठने वाले सदस्यों को भी इस पर विचार करना है कि यह रिपोर्ट सदन में रखी जाय या नहीं।

श्री अधिष्ठाता—

आप अपना स्थान ग्रहण करें। मैं डिबेट को क्लोज करने नहीं जा रहा हूं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, अपना निर्णय देने के पूर्व मुझे भी एक मिनट सुन लेंगे क्योंकि उसके बाद फिर मेरे लिये बोलना मुश्किल हो जायगा।

श्री अधिष्ठाता—

आप को सुन लेंगे, आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

श्रीमन्, गोलीकांड की रिपोर्ट हाउस के सामने रखी जानी चाहिये। इस सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष महोदय का निर्णय हो चुका है। गोलीकांड की रिपोर्ट हाउस के सामने रखी जाय और उस पर बहस करने के लिये हमें पूरा दिन मिले।

श्री अधिष्ठाता—

आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, माननीय रामसुन्दर पांडेय व माननीय सत्यनारायण पांडेय ने जो प्रश्न उठाया है, इस सम्बन्ध में मेरा आप से सादर और साग्रह निवेदन है कि जांच के तीन ही तरीके हैं। एक तो यह कि विभागीय जांच हो, जैसे किसी दारोगा के खिलाफ कोई शिकायत है तो उसकी इन्क्वायरी पुलिस कप्तान करे। दूसरा तरीका यह है कि किसी के खिलाफ कोई शिकायत होने पर सरकार किसी उच्च अधिकारी को अपनी तरफ से नियुक्त करे अंडर दि इन्क्वायरी कमीशन ऐक्ट, जो उसकी जांच करे, और तीसरा तरीक है कि सरकार हाईकोर्ट के किसी जज को नियुक्त करे। इस प्रकार के तीन ही तरीके जांच के हैं, लेकिन यह जांच तो इन्क्वायरी कमीशन ऐक्ट के अन्तर्गत की गई है और मंत्री जी ने कहा है कि यह न्यायिक जांच से कम शानदार नहीं है तो इस जांच की रिपोर्ट पर अगर एक दिन बहस के लिये दे देंगे तो क्या उससे माननीया सुचेता कृपालानी की सरकार उलट जायगी?

श्री अधिष्ठाता—

आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री उग्रसेन—

हम ही ने गोली खाई और पुलिस ने बदमाशी से गोली चलाई और हम कब यह मांग करते हैं कि दारोगा और कप्तान को गोली से उड़ा दिया जाय, हमारी मांग तो केवल यह है कि हम प्रदेश की जनता को बता दें कि किस तरह से वहां की पुलिस ने जुल्म किया है और माननीय गृह मंत्री जी कितने सबल हैं कि वह हमारी बौछार का मुकाबला कर सकें। इसलिये मैं माननीय पांडेय जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि एक दिन खुलकर इस पर बहस हो जाय ताकि दूध का दूध और पानी का पानी, नीर क्षीर विवेक अलग अलग हो जायं।

श्री अधिष्ठाता—

क्या मंत्री जी इस रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखने के लिये तैयार हैं?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी नहीं।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

मैं आप से यह निवेदन करना चाहती हूं कि हमारे हिसाब से यह रिपोर्ट काफी अच्छी तरह से तैयार की गयी है क्योंकि वह कमिश्नर हमारे एक जिम्मेदार और सीनियर आदमी थे और वह उस समय इलाहाबाद में थे भी नहीं इसलिये ज्यादा उनके बारे में सफाई की जरूरत नहीं है। हमारी तसल्ली है कि रिपोर्ट ठीक है, लेकिन अगर कुछ माननीय सदस्यों के मन में तसल्ली नहीं है तो वह कृपा करके मेरे पास आ कर दो चार बातें इस सम्बन्ध में कर लें और समझ लें कि क्या कदम उठाना उचित होगा?

श्री उग्रसेन—

ठीक है तो श्रीमन्, आप अपने फैसले को अभी स्थगित रखें और जब उनसे बात हो जायगी सदन के माननीय सदस्यों की तब निर्णय दें।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, उस वक्त के माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि अगर हमारे सामने बैठे माननीय सदस्यों को संतोष नहीं होगा तो मैं उनकी मांग का आदर कर के उस को सदन की मेज पर रखूंगा। अब सब मांग कर रहे हैं कि सदन की मेज पर रिपोर्ट को रखा जाय और उस को देखने के बाद हम बता सकें कि हम क्यों उससे सन्तुष्ट नहीं हैं। यह उनका स्पष्ट सदन को आश्वासन था मुख्य मंत्री और गृह मंत्री का और अब जब कि हम लोग सन्तुष्ट नहीं हैं तो आप को निर्णय करना है। उस वक्त जो माननीय अध्यक्ष पीठासीन थे उन्होंने भी कहा था कि अगर माननीय सदस्य प्रश्न उठावेंगे तो मैं सरकार को कहूंगा कि वह इसको मेज पर रखे। इस-लिए आप अब निर्णय दें कि वह रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी जाय।

दूसरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि यह एक संसदीय प्रथा और परम्परा है और रूलिंग भी हुई है कि अगर सदन में कोई कारेसपांडेंस या उसका भाग या कोई इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट का कोटेशन भी पढ़ा जाय, अगर जिस्ट बता दें तो दूसरी बात है, लेकिन अगर कोटेशन पढ़ा जाय तो मेम्बर्स की मांग होने पर उस को सदन की मेज पर रखना चाहिये और यह नजीर भी है कि अगर प्राइवेट कारेसपांडेंस की एक लाइन भी कहीं पढ़ दी गई तो मेम्बर्स की मांग पर पूरी कारेसपांडेंस सदन की मेज पर रखी गई है। यहां पर इस रिपोर्ट के कुछ भागों को मंत्री जी ने पढ़ कर सदन में सुनाया है, तो आप कृपा कर के अपनी व्यवस्था दें कि मंत्री जी पूरी रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखें तभी हमें सन्तोष हो सकता है।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय गृह मंत्री जी बता दें कि उनको क्या आपत्ति है?

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, जो आप के सामने माननीय चन्द्रजीत यादव जी ने प्रश्न पेश किया इस सम्बन्ध में भूतपूर्व मुख्य मन्त्री माननीय चन्द्रभानु गुप्त जी ने आश्वासन दिया था, आप उस प्रोसीडिंग को देख लें, कि यह रिपोर्ट सदन के सामने प्रस्तुत की जायगी। यह स्पष्ट आश्वासन था। इसलिये मैं निवेदन करूंगा माननीय यादव जी का समर्थन करते हुये कि गृह मंत्री जी सदन में रिपोर्ट प्रस्तुत करें। जो भूतपूर्व मुख्य मन्त्री ने आश्वासन दिया था उसकी पूर्ति होनी चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय गृह मंत्री जी को टेबिल करने में क्या आपत्ति है?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जितनी बातें रिपोर्ट में ऐसी थीं जो सदन से सम्बन्धित थीं वे सब रख दी गई। उसके अलावा कमीशन ने बहुत सी सिफारिशें की हैं वह मैं सदन के सामने नहीं रखना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

इस संबंध में मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं कि क्या रूल्स हैं:

"A Minister of the Crown is not at liberty to read or quote from a despatch or other state paper not before the House, unless he is prepared to lay upon the table. This restraint is similar to the rule of evidence in courts of law, which prevents counsel from citing documents whch have not been produced in evidence. The principle is so reasonable that it has not been

contested; and when the objection has been made in time, it has been generally acquiesced in. It has also been admitted that a document which has been cited ought to be laid upon the table of the House, if it can be done without injury to the public interests. A minister who summarizes a correspondence. but does not actually quote from it, is not bound to lay it upon the table. The rule for the laying of cited documents cannot be held to apply to private letters or memoranda."

इसमें यह है कि रीजन्स आपको देने पड़ेंगे क्यों टेबिल पर नहीं ले करना चाहते जो आपने अभी पढ़ा है।

श्री उग्रसेन—

गृह मंत्री जी कानून पढ़े हैं। ऐवीडेंस ऐक्ट में है ...

श्री अधिष्ठाता—

आप अपने कमेन्ट न दें।

श्री उग्रसेन—

ऐवीडेंस ऐक्ट में जो बातें हैं वह यहां लागू होंगी। अगर गवाह सबूत के तलब करने से कोई खास मामले पर असर पड़ता हो तब तो तलब कर सकते हैं और अगर गवाह को झूठा साबित करने के लिये करें तो नहीं कर सकते हैं।

श्री अधिष्ठाता—

जब तक नाम न लूं आप न बोलें।

श्री जे० पी० मिश्र—

जो माननीय उग्रसेन जी ने बिना आपकी आज्ञा के कहा है उसको प्रोसीडिंग से निकाल दें।

श्री हरगोविन्दसिंह—

श्रीमन्, रिपोर्ट के दो पार्ट्स हैं। एक तो फैक्चुअल कि क्या-क्या घटनायें हुईं। सदन का सम्बन्ध उन्हीं घटनाओं से है। वह फैक्चुअल इवेन्ट्स मैंने रिपोर्ट से सब उद्धृत कर दिये। उसके बाद रिकमन्डेटरी जो हिस्सा है उसको यहां देना पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं होगा।

श्री चन्द्रजीत यादव—

मैंने निवेदन किया था कि सरकार को अगर यह बात थी तो बिलकुल उद्धृत नहीं करना चाहिये था। अब मैं समझता हूं कि आपकी रूलिंग के बाद माननीय गृह मंत्री का जो वक्तव्य है वह आप की रूलिंग के विरुद्ध है और सदन की मर्यादा के प्रतिकूल है। मैं जानना चाहता हूं कि इन्क्वायरी कमीशन ने ऐसी क्या सिफारिशें की हैं जो सदन से छिपाई जायं। अगर कुछ अंश पढ़ कर सुनाया है तो हमको कैसे पता लगे कि किस अंश को पढ़ कर सुनाया और किसको जब तक कि हमको यह देखने को नहीं मिलती। और अगर हमारे सामने नहीं पेश की जाती तो हम सोच सकते हैं कि उसमें सरकार के कर्मचारियों पर कुछ ऐसपर्शन्स हो सकते हैं जो सरकार हमसे छिपाना चाहती है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि आप उस रिपोर्ट को जब आप ने कह दिया कि सदन की मेज पर रखें तो उस को रखना चाहिये।

श्री नेकराम शर्मा—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न श्रीमन्, यह है कि आपकी व्यवस्था होने के पश्चात् कि उन्हें कारण बताने पड़ेंगे कि इन इन कारणों से सदन की मेज पर रखना जनहित में नहीं होगा और जो माननीय चन्द्रभानु गुप्त ने सदन में आश्वासन दिया था, इन दोनों के विरोध में क्या कोई निर्णय माननीय गृह मंत्री और मुख्य मन्त्री ले सकते हैं?

श्री हरगोविन्दसिंह---

मेरा नम्रतापूर्वक निवेदन यह है आपसे भी और सदन से भी कि यह तो गवर्नमेन्ट को देखना पड़ता है कि कौन चीज जनहित में है, कौन चीज हम दे सकते हैं और कौन चीज नहीं दे सकते हैं। सदन के माननीय सदस्यों का यह अधिकार किसी पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी में नहीं है कि वे यह कहें कि ये कागजात आप हमारे सामने जरूर रखें। एक घटना हुई। उस पर सरकार ने एक व्यक्ति को नियुक्त किया कि वह उस घटना की जांच करें और एक रिपोर्ट दें। वह रिपोर्ट उन्होंने सरकार को दी। सरकार ने उसमें से जो फ़ैक्चुअल रिपोर्ट थी वह सदन के सामने पढ़ दी।

श्री अधिष्ठाता—

जैसा कि मैंने अभी पढ़ कर सुनाया मंत्री महोदय का कहना यह है कि वह पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है। तो जो बातें पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ़ हैं उसके लिये सदन का उन्हें प्रेस करना मैं नहीं समझता कि उचित होगा। यह जरूर है कि जो फ़ैक्चुअल वह दे सकते थे वह दी। उस पर भी अगर आप को संतोष नहीं है तो और फ़ैक्ट्स जो दे सकते हैं वह वे देने की कृपा करेंगे। जब वह फ़ैक्ट्स देंगे उस पर आप डिबेट मांग सकते हैं फिर उस पर चर्चा हो सकती है।

श्री उग्रसेन—

एक सूचना चाहता हूं, मंत्री जी बतायें, मैंने तो ऐसी कोई रपट नहीं पढ़ी जिसमें घटना के क्रम की रपट तो हो जाय और सिफा रश न हो।

श्री नैनसिंह को जेल में सुविधाएं न मिलने के सम्बन्ध में गृह मन्त्री का वक्तव्य

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—

माननीय श्री गेंदासिंह ने सुबह अध्यक्ष महोदय से यह चाहा था कि मैं इस वक्त एक स्टेटमेंट दे दूं उन सत्याग्रहियों के सम्बन्ध में जो मुजफ्फरनगर में गिरफ्तार हुये हैं। अभी मैंने कहा था कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से बात कर के मैं इस सदन में आया था। तो उनसे मैंने यह कहा था कि यह भी शिकायत की गयी कि इन लोगों को कम्बल जेल में नहीं दिये गये। तो चूंकि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को पहले तो आभास नहीं था कि मैं उनसे यह सवाल पूछूंगा, वे जवाब भी नहीं दे सकते थे इसलिये उन्होंने कहा कि अभी मैं इसको दरियाफ्त करूंगा और फिर फोन करके आपको उत्तर दे दूंगा। तो वह उत्तर मेरे पास आ गया है। अगर आज्ञा हो तो उस को सुना दूं?

श्री अधिष्ठाता—

जी हां।

फारूक हत्याकांड सम्बन्धी गोलीकांड की जांच रिपोर्ट के सम्बन्ध में वक्तव्य (क्रमागत)

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

मैं यह नहीं मान सकता कि जितनी सिफारिशें हैं सब पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ हैं। मंत्री जी को सबूत देना हो तो सदन की मेज पर रख दें। हम यह जानते हैं अच्छी तरह से कि उसमें से एक आध सिफारिशें जनहित में हैं, हम बयान हलफ़ी देते हैं।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप अपना स्थान ग्रहण करें। आप काफी कह चुके हैं।

श्री उग्रसेन—

माननीय मंत्री जी की आंख पर दूसरा चश्मा है, हमारी आंख पर दूसरा चश्मा है और आप की आंख पर श्रीमन्, दूसरा चश्मा है। तो जो न्याय का चश्मा है वह देखा जाय और यह कह देना "जनहित के विरुद्ध है" कहां तक ठीक है ?

श्री अधिष्ठाता—

अब सदन की कार्यवाही चलने दें।

श्री उग्रसेन—

वह तो चल रही है, रोक कौन रहा है। इससे मंत्री जी की गोली चलाने की प्रवृत्ति बढ़ जायगी और वह फिर गोली चलायेंगे, इतनी में सदन को चेतावनी दिये देता हूं।

श्री नैनसिंह को जेल में सुविधाएं न मिलने के सम्बन्ध में गृहमन्त्री का वक्तव्य (क्रमागत)

गृह मन्त्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—

श्रीमन्, ३० हवालाती रात को ९ बजे जेल में दाखिल हुये हर एक को जिनके पास बिस्तर था, उन को भी और जिनके पास नहीं था, उन को भी दो-दो कम्बल दिये गये। सुबह शिकायत जरूर की गयी कि दो कम्बलों में सर्दी नहीं गई तो एक-एक कम्बल और दिया गया।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आर्डर, आर्डर।

श्री हरगोविन्दसिंह—

श्रीमन्, जेल के कायदे में यह है कि दो से ज्यादा कम्बल नहीं दिये जायेंगे। आप कभी जेल नहीं गये हैं। जो जेल गये होंगे उनसे जरा पूछिये। (व्यवधान)

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, गृह मंत्री जी ने जो कहा है उस को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। क्या उनको मालूम है कि जाड़े के दिनों में कैदियों को ४ कम्बल दिये जाते हैं ? (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य आपस में बात न करें।

श्री हरगोविन्दसिंह—

श्रीमन्, यह कैदी नहीं हैं, हवालाती हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

श्रीमन्, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने जो रिपोर्ट भेजी है तो क्या नैनसिंह जी से जानकारी कर ली गई है क्योंकि उनके पास से खबर आई है कि उनको ओढ़ने को नहीं दिया गया ?

श्री अधिष्ठाता—

यह सवालों का समय नहीं है। उनके पास जो जानकारी थी वह उन्होंने आपके सामने रख दी। अब कोई सवाल नहीं हो सकता है।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, अभी मन्त्री जी ने कहा कि सदस्य जेल नहीं गये हैं, वे क्या जानें; तो मैं कहना चाहता हूं कि क्या उन को सूचना है कि १९४२ के आन्दोलन में मैं जेल गया हूं। इसलिये वे अपने शब्द वापस लें और खेद प्रकाशित करें। मंत्री जी गैर जिम्मेदाराना ढंग से बात कह देते हैं।

श्री अधिष्ठाता—

अब तो आपने अपना क्लेरीफिकेशन दे दिया है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

श्रीमन्, मैं नियम ५३ के अन्तर्गत एक प्रश्न देता हूं। मेरा निवेदन यह है कि प्रोफेसर हुमायूं कबीर ने जो भाषण दिया उस में हिन्दू देवी देवताओं पर ही आक्षेप नहीं लगाये गए हैं बल्कि टीका की और हिन्दी के विरुद्ध भी विचार प्रकट किये हैं। मैं चाहता हूं कि अगर यह पुस्तिका जब्त न की गयी तो उत्तेजना बढ़ती चली जायगी। वहां पर छात्रों ने भाषण को नहीं सुना। मैं आप को कुछ अंश पढ़ कर सुना देना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

जी नहीं। अब आप अपना स्थान ग्रहण कहें। मैं समय नहीं दे सकता। सदन को एक बिल पास करना है। अब समय बहुत कम रह गया है और आखिरी दिन है।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

साढ़े पांच बजे के बाद पांच मिनट समय दे दीजिये। मंत्री जी का वक्तव्य दिलवा दीजिये।

श्री अधिष्ठाता—

नहीं, समय नहीं दे सकता। माननीय मुख्य मंत्री।

*उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९६३

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। जो आप माननीय मुख्य मंत्री से गन्ना क्रय कर विधेयक पेश करवा रहे हैं उस पर मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है कि आप मुख्य मंत्री को इस बिल को पेश करने की इजाजत नहीं दे सकते। इस पर मैं प्रक्रिया नियमावली के नियम १३४ की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उसमें साफ लिखा हुआ है—"(१) यथास्थिति किसी विधेयक पर सदन की प्रवर समिति अथवा सदनों की संयुक्त प्रवर समिति के अंतिम प्रतिवेदन के उपस्थापन के उपरान्त भार-साधक सदस्य प्रस्ताव कर सकेगा कि—

(क) यथास्थिति सदन की प्रवर समिति द्वारा अथवा सदन की संयुक्त प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक पर विचार किया जाय:

परन्तु यदि प्रतिवेदन की प्रतिलिपि सदस्यों के उपयोग के लिये प्रस्ताव किये जाने के दिन से तीन दिन पहले उपलब्ध न कर दी गयी हो तो कोई सदस्य इस तरह विचार किये जाने पर आपत्ति कर सकेगा"

कल इस आदरणीय सदन के सदस्यों को बताया गया कि संयुक्त प्रवर समिति की रिपोर्ट आयी है और कल ही पीजन होल में मिली है। आज ही इस पर विचार करने को प्रस्तुत करने जा रहे हैं, तो मैं आप से अनुरोध करूंगा कि आप इसकी इजाजत न दें और इसको संयुक्त प्रवर समिति के प्रतिवेदन के लिए लौटा दिया जाय।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

माननीय काशीनाथ मिश्र ने १३४ की तरफ ध्यान आकर्षित किया है। मैं नियम २६० की तरफ आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जहां तक नियम २६० का सवाल है वह

---

*१८ दिसम्बर, १९६३ की कार्यवाही में छपा है।

मुद्रण और प्रतिवेदन से संबंधित है। उसमें कहा गया है कि "सचिव प्रवर समिति के प्रत्येक प्रतिवेदन को मुद्रित करायेगा, और प्रतिवेदन की एक प्रति सदन के प्रत्येक सदस्य के उपयोग के लिए उपलब्ध की जायगी। प्रतिवेदन तथा विधेयक, यदि संशोधित किया गया हो, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप से, गजट में प्रकाशित किया जायगा और संशोधित विधेयक की एक प्रति प्रत्येक सदस्य को दी जायगी।" १३४ में एक बात और कहनी है, जो काशी नाथ जी ने बताया उसके पक्ष में मैं हूं। १३४ (क) के अनुसार आपको यह अधिकार है, लेकिन मैं आपसे यह आग्रह करूंगा कि जहां कहीं भी प्रतिबन्ध यह दिया गया है कि अध्यक्ष को अपना डिस्क्रिशन ऐसे अवसरों पर इस्तेमाल करने का अधिकार होगा, मैं यह प्रार्थना करूंगा कि जब भी आप यह विवेक इस्तेमाल करें वह न्याय के पक्ष में होना चाहिये। हमारी भावनाओं और हम जिन कठिनाइयों को सामने रखना चाहते हैं उनको देख कर आप अपनी व्यवस्था देंगे। इस नियम के बनाने वालों की एक मंशा थी कि कोई भी बिल जब संयुक्त प्रवर समिति या प्रवर समिति को भेजा जाता है तो जाहिर है कि सरकार और प्रतिपक्षी दोनों दलों के लोग इस सिद्धांत को स्वीकार करके भेजते हैं कि इस बिल के अन्तर्गत बहुत से नवीन संशोधन किये जायेंगे। आज हमारी कठिनाई जो हो रही है मान्यवर, वह यह है कि अभी कल ही यह बिल आया है। जहां तक मेरी जानकारी है गजट में भी यह शायद नहीं प्रकाशित किया गया है। अगर प्रकाशित किया गया हो तो उसकी चर्चा विधेयक में होनी चाहिये थी। तो इन तमाम कठिनाइयों को देखते हुए नियम १३४ और २६० को आप दृष्टि में रखें इसके पहले कि आप मंत्री जी को कोई आज्ञा दें, उसको दृष्टि में रखते हुये आप व्यवस्था देने की कृपा करें।

विद्युत् उपमंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं भी कुछ अर्ज करना चाहता हूं। जैसा माननीय सदस्यों को मालूम होगा इस बिल के लिये दो दिन का समय निश्चय हुआ था, इसके पेश होने और पारित होने के लिये। माननीय सदस्यों की यह राय थी कि इस बिल को एक प्रवर समिति को भेज दिया जाय। उसकी कदर करते हुए हमने इसको प्रवर समिति में भेजा और यूनानिमस एक रिपोर्ट आयी वहां से। और उस यूनानिमस रिपोर्ट के आने के बाद भी कल मैंने माननीय सदस्यों से यह अर्ज की थी कि यह बिल क्योंकि इतना आवश्यक है, हम उन सब नियमों को जानते हैं, लेकिन उनको जानते हुये भी हमने इस आदरणीय सदन के सदस्यों से यह प्रार्थना की थी कि यह अत्यन्त आवश्यक है, इसको नहीं पास करेंगे तो परपज हल न होगा, तो इतनी आप मेहरबानी करें कि इसको कल ले लें और इसको पारित करा दें और उस वक्त यहां इस आदरणीय सदन ने इस चीज को मान लिया था। उस समय माननीय रामायण राय जी भी थे और माननीय नेता विरोधी दल भी थे। और क्योंकि तमाम लोगों ने यह चीज मान ली थी, इसलिये हम यह आज लाये हैं और इस आशा से लाये हैं कि क्योंकि सबकी सहमति से यह आया है इसलिए किसी को इस पर एतराज नहीं होगा। एतराज अगर होता तो सेलेक्ट कमेटी में ही होता और सेलेक्ट कमेटी में भी इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों ने जो अमेंडमेंट्स दिये थे, उनको हमने मान लिया है। मैं यह समझता हूं कि इन तमाम हालात को देखते हुए और क्योंकि कल यह इस आदरणीय सदन ने निश्चय कर लिया था, नान-आफिशियल डे को जगह आफिशियल डे इसीलिये रखा गया था, और मैं समझता हूं कि नेता विरोधी दल तो नहीं हैं, त्रिपाठी जी हैं और डाक्टर साहब हैं, वह मेरी बात की पुष्टि करेंगे, तो उसके बाद अगर रामायण राय जी या कोई और सदस्य इससे पीछे हटना चाहते हैं तो वह चीज अच्छी नहीं है। मैं एक दफा फिर माननीय सदस्यों से यह प्रार्थना करूंगा कि इसे आज पारित कर दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

अब इस पर ज्यादा बहस नहीं होनी चाहिये। कल की प्रोसीडिंग्स मैंने देख ली है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

यह बहस का सवाल नहीं है। यह बिलकुल नियमों के पालन का सवाल है और जैसा मंत्री जी ने कहा, कि यह प्रवर समिति से सर्वसम्मति से आया है, यह बात सही नहीं है।

[श्री काशीनाथ मिश्र]

सर्वसम्मति से यह नहीं आया है । इसमें नोट आफ डिसेंट माननीय गेंदा सिंह ने लिखा है और और माननीय सदस्यों ने लिखा है । तो यह कोई घर की पंचायत तो है नहीं कि हमारे मंत्री महोदय तमाम नियमों को ताक पर रखकर बिल को पास करा लेंगे । यह चौधरी की चौपाल नहीं है और न घर की पंचायत है । यह तो आदरणीय सदन है और नियमों के अन्तर्गत संचालित होता है ।

श्री अधिष्ठाता—

इस संचालन में आपका सहयोग होना चाहिये ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

तो श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि आप नियमों का पालन करें । तीन दिन पहले यह नहीं बांटा गया है इसलिये आज आप इस पर विचार स्थगित करने का आदेश देने की कृपा करें ।

श्री अधिष्ठाता—

मैं कल की प्रोसीडिंग्स पढ़ रहा था । यह सदन सबसे सुप्रीम है । जो आप कहते हैं उससे मैं पूर्णतया सहमत हूं । जो एतराज आपने पैदा किया वह बिलकुल माकूल है । मगर जब सदन एक सुप्रीम बाडी है और उसने एक चीज तय कर दी है तो चेयर उसे रद्द कैसे कर सकती है । सदन ने कल निश्चय कर लिया कि आज गैरसरकारी दिवस नहीं रहेगा । सरकारी दिवस आज माना गया और वह इसी आधार पर माना गया कि इस बिल को आज लिया जायगा ।

श्री रामायणराय—

प्रोसीडिंग्स मंगाकर आप देख लें, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं हुआ है ।

श्री अधिष्ठाता—

तो मैं प्रोसीडिंग्स पढ़कर आपको सुनाता हूं ।

"श्री शांति प्रपन्न शर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, शुगर केन परचज टैक्स बिल जो कि सेलेक्ट कमेटी में गया था और वहां से वापस आ गया है, मैं यह चाहता हूं कि परसों के बदले उसको कल ले लें ।" ४ बजे जब वह पूरा हो जायगा और कल को नान आफिशियल डे है । उसको भविष्य में किसी एक रोज दे देंगे । यह ४ बजे तक हो जाय । मैंने सब नेताओं से बात कर ली है और वे सब आपस में सहमत हैं । इस पर माननीय शांति प्रपन्न जी कहते हैं कि मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है । इस पर उपाध्यक्ष महोदय की रूलिंग है । वे कहते हैं कि मुझे यह मंजूर है कि कल आफिशियल डे हो जाय । फिर जब आगे बैठेंगे तो एक दिन नानआफिशियल डे ले लेंगे । यह चीज कल तय हो चुकी है और सदन ने तय कर लिया है । अब उसको रि-ओपेन करना कोई माने नहीं रखता ।

श्री रामायणराय—

सब ने यह तय किया है कि गैरसरकारी दिन की जगह पर कल सरकारी काम होगा । इसके माने यह नहीं है कि यह बिल आयेगा । जहां तक इस बिल का सवाल है, इस बिल के बारे में मंत्री जी का यह कहना कि यह इस पर सर्वसम्मति से फैसला हुआ है सच नहीं है । जब तक यह बिल गजट में प्रकाशित न हो जाय और जब तक ३ दिन का समय हम लोगों को न दिया जाय तब तक यह पेश नहीं हो सकता । नियमों के अन्तर्गत इस बात को सदन अस्वीकार नहीं कर सकता है । यह नियम भी इसी सदन के बनाये हुये हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

यह चेयर इसमें कुछ नहीं कर सकती । यह सदन का फैसला है कि नान-आफिशल डे के बदले में आफिशल डे होगा और यह बिल लाया जायगा । तभी आपको यह एतराज करना चाहये था । अब इस पर कोई एतराज नहीं हो सकता ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

यह फैसला कभी नहीं हुआ । यह नियमों को तोड़-मरोड़ कर फैसला किया जा रहा है ।

श्री अधिष्ठाता—

विरोधी दल के नेता ने भी जो कुछ कहा उस पर आप लोगों ने कोई एतराज नहीं किया ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि सरकार की तरफ से यह कहा गया था कि आज इस बिल को पुर:स्थापित किया जायगा । यह बात नियमों को रेप करने के लिये कही जा रही है, क्या इस सदन के सामने कोई प्रस्ताव आया था ? अगर नियमों के कारण कोई दिक्कत पड़ती है तो नियमों को सस्पेंड नहीं किया गया ? जब नियमों को सस्पेंड नहीं किया गया तो कोई भी सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठा सकता है । यह नहीं हो सकता कि पुर:स्थापित करने के बाद उस पर विवाद शुरू कर दें । इन नियमों को वेव करने के लिये कोई प्रस्ताव सरकार की तरफ से या इधर से नहीं आया । जब यह बिल यहां पर आया तो उस समय हम लोगों ने इसका विरोध किया था । अपने अधिकार के अनुसार हमने विरोध किया था । उपाध्यक्ष महोदय ने भी नियमों को वेव नहीं किया । इसलिये इस पर विचार तब तक न किया जाय जब तक यह प्रकाशित न हो जाय या जब तक नियमों को वेव न कर दिया जाय । उस पर आप अपनी व्यवस्था देकर आगे बढ़ें ।

श्री अधिष्ठाता—

मैंने इस बारे में बहुत बातें सुन लीं । मुझे जो कुछ कहना था वह मैं पहले कह चुका । जब कल सदन ने इसके ऊपर सर्वसम्मति से फैसला ले लिया तो यह सदन सुप्रीम बाडी होने के नाते यदि कोई डिसीजन लेता है तो उसके बदलने का मुझे कोई अधिकार नहीं है । सर्वसम्मति से पास हो गया और सारे सदन में किसी ने उस पर एतराज नहीं किया

(व्यवधान)

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

नियमों को वेव किया गया या नहीं ?

श्री अधिष्ठाता—

हाउस सुप्रीम है । वह कर सकता है । (व्यवधान)

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

आप इस पर अपनी व्यवस्था दें कि नियमों को वेव करने की आवश्यकता है या नहीं ? यदि है तो वह वेव किये गये ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

मैं थोड़ी-सी शुद्धि करना चाहता हूं । पहले मैंने यूनानिमस डिसीजन की बात कह दी थी लेकिन बाद में देखा कि दो-तीन सदस्यों के इसमें नोट आफ डिसेंट हैं । मुझे थोड़ी गलतफहमी हो गयी थी इसलिये उसे आप ठीक करा दें । दूसरी बात, माननीय पांडेय जी के कथन के बारे में मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि जब हम कोई प्रस्ताव लेते हैं और उस पर बहुत से

[श्री शांतिप्रपन्न शर्मा]

अमेंडमेंट आ जाते हैं तो उसके बाद अगर अमेंडमेंट्स पर वोट लिये बिना मूल प्रस्ताव पास हो जाता है तो यह समझा जाता है कि वे अमेंडमेंट्स गिर गये। जब यहां उसी प्रकार हाउस ने यह तय कर दिया कि आज यह विधेयक ले लिया जायगा तो उसके बाधक जितने भी रूल्स हैं वे आटोमैटिकली सस्पेंड हो गये। यह एक साधारण नियम है और ऐसा आप पहले से करते चले आये हैं।

(व्यवधान)

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

आप कोई ऐसा नियम बतलावें।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

आंप ही बहुत नियम जानते हैं कि मैं बोल रहा था और आप बीच में खड़े हो कर बोलने लग गये। आप बतलाइये कि यह कहां का नियम है ? तो जैसा मैंने बतलाया, हाउस ने यह पास कर दिया था कि यह विधेयक आज लिया जायगा तो ये सारे बाधक नियम अपने आप सस्पेंड हो गये। मैं समझता हूं कि आपने अपनी कल की राय बदल दी है, लेकिन बाकी बहुत से लोग हमारी राय के होंगे और इस विधेयक को आज पास करेंगे।

श्री कल्पनार्थसिंह—

अधिष्ठाता महोदय, आपके खड़े होने के पूर्व ही मैं खड़ा हुआ था और आपकी निगाह खींचना चाहता था। मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात सुन लें।

श्री अधिष्ठाता—

कहिये, लेकिन वही बात रिपीट नहीं होनी चाहिये।

श्री कल्पनार्थसिंह—

मैं इस बात पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि अगर किसी सरकारी दिवस पर कोई सरकारी प्रस्ताव नियमों के अनुकूल नहीं आता है तो वह चर्चित, पारित या पुरःस्थापित नहीं हो सकता है। इस संदर्भ में मैं याद दिलाना चाहता हूं कि एक बार आपके स्थान पर उपाध्यक्ष महोदय आसीन थे और धन विधेयक सरकार लायी थी। बावजूद इसके कि वह धन विधेयक निश्चित तिथि पर, कार्य परामर्शदात्री समिति के प्रोग्राम के अनुसार सदन में लाया गया था, लेकिन उस पर वित्तीय ज्ञापन न होने से वह विधेयक उस दिन स्थगित कर दिया गया और पारित नहीं हुआ। तो उसी प्रकार अगर यह गैर सरकारी दिन को सरकारी दिन मान लिया जाय तो भी उस प्रस्ताव में इस विधेयक को पारित करने की बात नहीं आयी थी। इसलिये मैं चाहता हूं कि उस विधेयक पर आज विवाद नहीं होना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री रघुनार्थसिंह (जिला वाराणसी)—

अभी मंत्री जी दूसरों को शिक्षा दे रह थे, लकिन स्वयं वही कर रह हैं। श्रीमन्, गलती अगर जाने अनजाने में हो जाय तो उसको सुधारना चाहिये। कल एक बहुत बड़ी गलती असावधानी से हो गयी जो अवैधानिक है। किन्तु विधेयक पर विचार होने के पहले सदन उसे सुधार लेना चाहता है तो क्या हर्ज है ? अगर इसी तरह से नियमों की हत्या होती रही तो यह परम्परा बन जायगी, एक ऐतिहासिक बात हो जायगी इसे आप ठंडे दिल से विचार करके निर्णय दें।

श्री कल्पनार्थसिंह—

सदन का प्रस्ताव ४ बजे तक पास करने का था, अब वक्त हो गया, ४ बजकर दो-तीन मिनट हो गये, इस तरह से कल का सदन का प्रस्ताव अपने आप समाप्त हो गया।

श्री अधिष्ठाता—

आप स्थान ग्रहण करें।

श्री काशीनाथ मिश्र—

अगर गन्ना विधेयक नियमों के प्रतिकूल पास होगा तो यह कोई अच्छी परम्परा नहीं होगी। यह कोई निर्णय सदन ने नहीं लिया है कि नियमों के प्रतिकूल पास हो।

श्री अधिष्ठाता—

हर एक माननीय सदस्य उसी बात को दोहरा रहे हैं, यह समय का सदुपयोग नहीं है। अगर यह गलती भी मान ली जाय तो उसका खमियाजा आपको भुगतना चाहिये। कल ही आपको एतराज उठाना चाहिये था जब यह प्रस्ताव यहां आया, उस वक्त आप सोते रहे। अब इस स्टेज पर यह उचित नहीं होगा कि कोई दूसरा एतराज उठाया जाय। मेरी राय है कि यह लिया जाय।

श्री कल्पनाथसिंह—

एक व्यवस्था का सवाल मैंने खड़ा किया। उस प्रस्ताव में ४ बजे तक का निश्चित समय दिया गया था, अब ४ बजकर २ मिनट हो गये इसलिये उस प्रस्ताव के अन्दर यह प्रस्ताव पुरःस्थापित नहीं हो सकता।

श्री अधिष्ठाता—

फिर तो इसे पास किया हुआ मान लिया जा सकता है।

श्री कल्पनाथसिंह—

वह पुरःस्थापित ही नहीं हुआ था।

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

पुरःस्थापित पहले हो चुका है १८ तारीख को ही।

श्री अधिष्ठाता—

क्या आपकी राय है कि गिलोटिन किया जाय या पास किया जाय ?

श्री बंशीधर पांडेय—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९६३ पर, जैसा कि प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विचार किया जाय।

*श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। जिस रूप में यह प्रस्तुत किया गया है वह अल्ट्रा वायर्स और वायड है और सदन के समय को बढ़ा कर उस पर विचार नहीं किया जा सकता।

अधिष्ठाता महोदय, जो विधेयक प्रवर समिति से पास होकर इस सदन में पेश हुआ है उसमें खंड २ (ग) में इकाई की परिभाषा दी गयी है जो इस प्रकार है—"इकाई का तात्पर्य गुड़, राब या खांडसारी शक्कर बनाने वाली ऐसी इकाई से है जो किसी रक्षित क्षेत्र में गुड़, राब या खांडसारी शक्कर बनाने में लगी हो या साधारणतया लगी रहती हो, जो यंत्रशक्ति द्वारा चालित कोल्हू की सहायता से निकाले गये गन्ने के रस का प्रयोग में करने में समर्थ हो" श्रीमन्, बहुत से काश्तकार ऐसे हैं जो अपना गन्ना खुद क्शर आदि लगा कर पेरते हैं और राब आदि बनाते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—

जब बिल प्रवर समिति क पास भेजा गया था उस समय यह एतराज आपको करना चाहिये था ।

श्री कमलासिंह यादव—

लीगल आस्पेक्ट किसी भी समय उठाया जा सकता है ।

श्री बंशीधर पांडेय—

मैं पहले बिल प्रस्तुत तो कर दूं ।

श्री कमलासिंह यादव—

इन्ट्रोड्यूस तो हो गया । अब मुझे अधिकार है कि मैं अपनी बात कह सकूं । यह अल्ट्रावायरस है और उस पर मैं निवेदन करूंगा । मैंने बताया कि जो काश्तकार अधिक गन्ना बोता है उसको अधिकार है कि वह गन्ना अपना स्वयं क्रशर लगाकर पेर सके । संविधान की धारा ३१ में यह है :—

"(1) No person shall be deprived of his property save by authority of law.

(2) No property shall be compulsorily acquired or requisitioned save for a public purpose and save by authoriity of a law which provided for compensation for the property so scquired or requisitioned and either fixes the amount of the compe sation or specifies the principles on which, and the manner in which, the compensation is to be determined and given.... "

श्रीमन्, इसी पर श्री दुर्गादास बसु की कमेंटरी है संविधान के ऊपर, उसमें उन्होंने अपना मत व्यक्त करते हुये जो शब्द लिखे हैं वह भी मैं आपकी आज्ञा से इस आदरणीय सदन को सुनाना चाहता हूं । श्रीमन् दुर्गादास बसु ने लिखा है :

"*Protection of private property*—Subject to certain exceptions, this Article guarantees the fullest protection to private property. It not only provides that no person can be deprived of property by the Executive without legislative sanction but it has further provided that even the Legislature cannot deprive a person of his property unless there is a public purpose and that only on payment of compensation"

तो, श्रीमन्, जहां तक इस विधेयक का संबंध है यह मिल मालिकों को फायदा पहुंचाने जा रहा है ।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

क्या फायदा पहुंचाने जा रही है ?

श्री कमलासिंह यादव—

मंत्री जी, जरा मुझस डाइरक्ट बात न करें, जरा मिनिस्टर्स को समझाइये, श्रीमन् । वे लोग अगर इस तरह से डाइरेक्ट बातें करेंगे तो तेंस आफ ड्यूटी लोगों को कब आएगी ? अगर कोई बात करनी हो तो आपके द्वारा करें ।

खैर, तो मैं यह कह रहा था कि २ चीजें जरूरी हैं । एक तो यह कि वह पब्लिक परपजेज के लिये होना चाहिये और इसमें पब्लिक परपजेज के माने मिलओनर्स रखा है । आप करोड़पति की मदद करने जा रहे हैं किसकी कीमत पर ? काश्तकार की कीमत पर । जब तक गन्ना खेत में खड़ा है वह इम्मूवेबिल प्रापर्टी है और जब वह खेत से बाहर हो जाता है वह मूवेबिल प्रापर्टी हो जाती है । लेकिन उस महनत से बोये हुये किसान की दौलत को विधेयक के जरिये से जबरदस्ती मिल मालिक को दिलाने के लिये सरकार यह करने जा रही है ।

इसके उद्देश्य और कारण में तीन चीजें दी हुई हैं:—पहला, भारत सरकार ने चालू वर्ष के लिये शक्कर के लिये उत्पादन का लक्ष्य १५ लाख टन निश्चित किया है, जब कि हमारा पिछले वर्ष (१९६२–६३) का कुल उत्पादन केवल ८.५ लाख टन था। यह इष्टकर तथा आवश्यक समझा गया है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये सभी आवश्यक कदम उठाये जायं और गुड़ तथा खांडसारी के उत्पादन के लिये गन्ने की बड़ी मात्रा में होने वाली निकासी को रोका जाय। दूसरा यह है कि शक्कर के नियंत्रित मूल्य की अपेक्षा गुड़ और खांडसारी का वर्तमान बाजार मूल्य बहुत अधिक है, अतएव यह आवश्यक है कि शक्कर फैक्टरी के कम से कम १० मील के अर्द्धव्यास में गुड़ और खांडसारी बनाना अपेक्षाकृत महंगा कर दिया जाय। दूसरी चीज यह है कि गुड़ और खंडसारी अगर किसान बनाना चाहे तो उससे हम क्यों कहें कि खुद इसको नहीं बना सकते और इसीलिये यह मांग की जा रही है और इस तरह पर उनको उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। तीसरी बात है इकाई वाली, जिसके बारे में परिभाषा मैंने पढ़ी थी कि इसमें वह काश्तकार जो खुद अपने ऋशर लगाकर गन्ना पेरेंगे वह भी आते हैं। इसलिये मैंने इकाई की परिभाषा पढ़ी थी और तीसरा उद्देश्य इस प्रकार लिखा गया है "तदनुसार, यह प्रस्ताव किया जाता है कि समस्त इकाइयों के संबंध में क्रय-कर १६ नये पैसे से बढ़ाकर ३२ नये पैसे प्रति क्वींटल कर दिया जाय और बाद में फैक्टरियों के भू-गृहादि से १० मील के अर्द्ध-व्यास से अधिक दूरी पर स्थित इकाइयों के संबंध में, इस कर में मूल अधिनियम की धारा १४(२) के अधीन १६ नये पैसे तक की छंट दे दी जाय।"

तो हम, श्रीमन्, यह देख रहे हैं कि १६ नये पैसे से ३२ नये पैसे कर यह सरकार लगाने जा रही है। अब मूल अधिनियम के ३(३) में यह दिया हुआ है कि अगर वह फैक्टरी से संबंध रखता हो तो ६७ नया पैसा और यदि इकाई से संबंध रखता हो तो १६ नया पैसा प्रति क्वींटल की दर से टैक्स लगाया जायगा। तो यह रेट्स उसमें दिये हुये हैं। अब हमारी ओर से यह ज्यादती हो रही है कि १६ नये पैसे से २५ नये पैसे का प्रस्ताव प्रवर समिति से संशोधित हो गया है, लेकिन बढ़ा तो हम रहे ही हैं केवल इकाई पर।

श्री अधिष्ठाता—

समय का ध्यान रखिये।

श्री कमलासिंह यादव—

समय से ज्यादा ध्यान तो मैं ला पर देता हूं। ला के ऊपर जोर देना मेरा कर्त्तव्य है। मैं किसी बात को दोहरा नहीं रहा हूं, बल्कि केवल ला प्वाइंट बता रहा हूं। अगर दोहराऊं तो श्रीमन् मुझे रोक सकते हैं और मैं बैठ जाऊंगा।

श्री अधिष्ठाता—

जब सेलेक्ट कमेटी में गया था उस समय यह बात रखनी चाहिये थी।

श्री कमलासिंह यादव—

मैं सेलेक्ट कमेटी में नहीं था। कानूनी प्वाइंट तो किसी भी समय उठाया जा सकता है।

इस विधेयक से काश्तकार को बाध्य किया जा रहा है कि या तो वे गन्ना न बोवें, वरना उसे गुड़ इत्यादि में न इस्तेमाल करके मिलवालों को दें। मिलमालिक करोड़पति होता है। हर किसान का फंडामेंटल राइट है कि अपनी चीज को चाहे जैसे इस्तेमाल करे। उसे केवल पब्लिक परपज के लिये ऐसा करने से रोका जा सकता है, वह भी मुआवजा देकर। मिलवालों की मदद करना कोई पब्लिक परपज नहीं है। इसलिये यह विधेयक अवैधानिक है। एग्रीकल्चर के लिये भी ४३ में दिया है जो डाइरेक्टिव प्रिंसिपल है:

"The State shall endeavour to secure, by suitable legislation or economic organization or in any other way, to all workers, agricultural, industrial

[श्री कमलासिंह यादव]

or otherwise, work, a living wage, conditions of work ensuring a decent standard of life and full enjoyment of leisure and social and cultural opportunities and, in particular, the State shall....."

अन्त में यह है, इस पर जरा आप ध्यान देने की कृपा करें,

"endeavour to promote cottage industries on an individual or co-operative basis in rural areas."

बहुत सी जगह क्रशर्स कोआपरेटिव बेसिस पर लगाये गये हैं जो काटेज इंडस्ट्री में आता है। तो काटेज इंडस्ट्री की कास्ट पर और काश्तकारों की पर्सनल कास्ट पर यह सरकार एक मिलमालिक की मदद करना चाहती है। अगर इन मिलों का नेशनलाइजेशन हो गया होता तो दूसरी बात थी तब इनके लिये गन्ना लेना पब्लिक परपज हो सकता था। लेकिन चूंकि शुगर मिलें नेशनलाइज नहीं हुई हैं और करोड़पति को अधिक मालदार बनाने की व्यवस्था इस विधेयक से की जा रही है, यह हमारे संविधान के विरुद्ध है और किसान के फंडामेंटल राइट्स का हनन है।

किसान को एक और तरह से भी हानि पहुंचाई जा रही है और उसे मजबूर किया जा रहा है। अगर उसका पैसा मिलमालिक पर बकाया है तो उसे ६ पर सेंट का सूद मिल वाला देगा। अगर किसान गन्ने के लिये खाद वगैरह के लिये रुपया लेता है तो उसे ९ परसेंट सूद देना पड़ता है। तो ६ परसेंट लेकर ९ परसेंट देना, या ९ परसेंट देकर ६ परसेंट लेना, नियमों के और न्याय के अनुकूल नहीं है।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

क्या प्वाइंट आफ आर्डर का कोई समय मुकर्रर है, १ या २ घंटा ?

श्री कमलासिंह यादव—

इन शब्दों के साथ मैं यह बतलाना चाहता हूं कि यह विधेयक संविधान के विरुद्ध अल्ट्रा वायरस और वायड है। आर्टिकल ३१ की (१) और (२) का यह विधेयक ब्रीच करता है। जो फंडामेंटल राइट्स से संबंधित हैं।

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, जैसे ही इस विधेयक को मैंने पेश किया मैं उस पर कुछ कहने वाला था, तो माननीय कमलासिंह जी ने बड़ा विस्तृत विवरण प्रस्तुत कर दिया कि यह विधेयक पेश ही नहीं हो सकता। जब मैंने १० तारीख को इसे पेश किया था तो काफी ब्योरे से उद्देश्य और कारणों की सारी बातें मैंने बतलाई थीं। इसमें न किसी की व्यक्तिगत सम्पत्ति का कोई अपहरण है और न किसी मिल मालिक के खजाने में कोई सामान इकट्ठा करने की बात है। यह एक छोटा सा विधेयक है जिसमें मुख्यतः क्रय-कर के सम्बन्ध में सारी बातें हैं।

मान्यवर, प्रवर समिति ने जो परिवर्तन किया है मैं पहले माननीय सदन को वह बतला दूं कि मुख्य क्या परिवर्तन हुये हैं। इसमें जो इकाई की परिभाषा दी हुई है उसमें से 'या अभ्यर्पित' शब्दों को निकाल दिया गया है।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, मेरे प्वाइंट आफ आर्डर पर क्या रूलिंग दी गयी ?

श्री अधिष्ठाता—

इस सम्बन्ध में हमारा रूल १३५ इस प्रकार है :—

"The debate on a motion that the Bill as reported by the Select Committee be taken into consideration shall be confined to consideration of the report of the Select Committee and the matters referred to in that report or any alternative suggestions consistant with the principle of the Bill"

जब आप बोल रहे थे तो मैंने आपको २–३ बार मना किया, लेकिन बावजूद उसके आप बोलते रहे अन्यथा जो एतराज आप पेश कर रहे थे उनको पेश करने का वह मौका नहीं था। जब इस बिल को इन्ट्रोड्यूस किया गया था उस वक्त इसके प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया गया था। जब हमने उसको सेलेक्ट कमेटी के सामने भेज दिया तब हमने उसके प्रिंसिपल्स को स्वीकार कर लिया। इसलिये यह अल्ट्रावायरस नहीं हो सकता। इसलिये आप उसको अब ज्यादा इनसिस्ट न करें।

श्री बंशीधर पांडेय—

प्रवर समिति में जो दूसरा संशोधन किया गया है वह यह है कि ३२ पैसे के बजाय टैक्स २५ पैसे कर दिया गया है।

तीसरा संशोधन यह किया गया है कि खंड ३ के उपखंड (३) के प्रतिबन्ध में से शब्द "या निर्धारित, अभियाचित या यथास्थिति कर, ब्याज अथवा खंड के रूप में आरोपित कुल धन-राशि के कम से कम आधे के बराबर की धनराशि का, इसमें जो भी अधिक हो," निकाल दिये गये हैं।

इसके द्वारा अब बाध्य नहीं किया गया कि उसको इतना ही देना होगा, जब वह अपील कर सकेगा। अब उसको केवल अपनी स्वीकार की गयी धनराशि ही देनी होगी।

इसके आगे मूल अधिनियम की धारा ३ (क) और ३ (ख) को परिवर्तित कर दिया गया है। सदस्यों को ऐतराज यह था कि लाइसेंस देने और नवीकरण के बारे में एक सी धारायें नहीं होनी चाहिये। इसलिये लाइसेंस के लिये ३ महीने का समय रखा गया और नवीकरण के लिये दो महीने का रखा गया है। इन दोनों की शर्तों को अलग अलग करने के लिये इन दोनों धाराओं को नये रूप से बना दिया गया है।

इसके अलावा ३ (ख) में से "और न उसका नवीकरण किया जायगा" तथा "या उसके नवीकरण" शब्दों को निकाल दिया गया है। इसके द्वारा लाइसेंस देने में तो सरकार को अधिकार रखा गया है, लेकिन नवीकरण में उसको हटा दिया गया है। यह परिवर्तन इसमें किया गया है।

खंड ७ में शक्कर आयुक्त किसी लाइसेंस को इस आधार पर रद्द या निलम्बित कर सकता है। लाइसेंस प्रभावी होने के पश्चात् लगातार तीन महीने से अधिक अवधि तक, पर्याप्त कारणों के बिना इकाई को चालू न रखा हो, इसमें कुछ परिवर्तन कर दिया गया है और इसको तीन और दो में बांट दिया गया है। खंड ८,९ और १०. में प्रवर समिति ने कोई सुझाव परिवर्तन का नहीं दिया है। मैं समझता हूं कि अब यह बिल बहुत आसान हो चुका है। काफी रिलेक्सेशन भी हो चुका है। इसलिये यह सदन इस पर विचार करेगा और शीघ्र ही इसे पारित कर देगा, इसकी मैं आशा करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय कमला सिंह जी, क्या आप अपने प्रस्ताव को पेश करना चाहते हैं? वैसे तो यह आउट आफ आर्डर है।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९६३ जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित किया गया है, एक संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, वह संशोधन क्या इसमें है?

श्री अधिष्ठाता—

माननीय कमलासिंह जी, यह मनी बिल है, इसलिये वह ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में नहीं जा सकता है। यह आउट आफ आर्डर है, लेकिन मैंने आपको इसकी इसलिये इजाजत दे दी कि चूंकि आपके पास समय नहीं था पहले संशोधन देने का। वैसे मैं उसको आउट आफ आर्डर करार देता हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९६३ पर, जैसा कि प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गयी।)

श्री कल्पनार्थसिंह—

मैं चाहूंगा कि लाबी डिवीजन दिला दें।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

श्रीमन्, कल वोट गलत गिने गये थे।

श्री अधिष्ठाता—

इसकी आवश्यकता नहीं है। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९६३ पर, जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ—

पक्ष में—९७।

विपक्ष में—७४।)

खंड २

२—उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, १९६१ (जिसे आगे, मूल अधिनियम, कहा गया है) की धारा २ में— उ० प्र० अधि नियम संख्या ९,१९६१ की धारा २ का संशोधन

खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"(ग) 'इकाई' का तात्पर्य गुड़, राब या खांडसारी शक्कर बनाने वाली ऐसी इकाई से है जो किसी रक्षित क्षेत्र में गुड़, राब या खांडसारी शक्कर बनाने में लगी हो या साधारणतया लगी रहती हो, जो यंत्रशक्ति द्वारा चालित कोल्हू की सहायता से निकाले गये गन्ने के रस का प्रयोग करने में समर्थ हो;"

श्री कल्पनार्थसिंह—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (ग) में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य रख दिया जाय :

"किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि यदि किसी इकाई का स्वामी अपने गन्ने को पेरने के लिये इकाई का इस्तेमाल करता है, तो वह इसके लाइसेंस से शुल्क या अन्य प्रत्येक प्रतिबन्धों से मुक्त होगा।"

मैं आपके समक्ष और सदन के माननीय सदस्यों के समक्ष अपने वह विचार रखना चाहता हूं जो कि हमारे द्वारा प्रवर समिति में रखने के बावजूद भी वहां कैरी-आउट नहीं हो सके और उस सम्बन्ध में मुझे और माननीय गेंदासिंह जी को अपनी विमति टिप्पणी देना पड़ी। इस संशोधन को लाने से मेरा आशय यह है कि आज यह सरकार उस इकाई की सीमा पर भी नाना

प्रकार के प्रतिबन्ध लगाने जा रहो है। इसका अगर सीधे सीधे नाम ही देखा जाय तो यह परचेज टैक्स संशोधन विधेयक है और इसके द्वारा अधिकार लिये जा रहे हैं कि अगर कोई अपने गन्ने के लिये ही कोई इकाई बनाता है तब भी उसे लाइसेंस की कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ेंगीं। इसके पीछे भी सरकार की मंशा वही है कि सरकार...

श्री अधिष्ठाता—

सदन में शांति रहनी चाहिये ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

पूंजीपतियों के फायदे में, गन्ना मिल मालिकों के फायदे में यह सरकार इस संशोधन को स्वीकार करने में असमर्थ है। यह बहुत ही मासूम संशोधन है। अगर कोई इकाई का स्वामी अपनी इकाई स्थापित करता है तो उसके लिये लाइसेंस लेने की कोई व्यवस्था की जरूरत नहीं होनी चाहिये, उसे केन कमिश्नर के यहां जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिये। यह भी नहीं होना चाहिये कि तरह तरह के रजिस्टर रखे, जैसा यह बनाये हुए हैं कि किसी भी समय उस यूनिट को हटा सकते हैं, लाइसेंस नहीं दे सकते। इन सारे प्रतिबन्धों का शिकार वह होगा जो अपना ही गन्ना इन यूनिटों में पेरेगा। ऐसे भी लोग हैं जो इन इकाइयों के जरिये खांडसारी ही नहीं बल्कि गुड़ और राब बनाते हैं। यह गृह उद्योग हैं। अपने देश में किसान, मजदूर और गरीब आदमी ज्यादातर गुड़ पर रहते हैं। जो देहात में गरीब हैं वही गुड़ खाते हैं।

श्री जे० पी० मिश्र—

श्रीमन्, मैं व्यवस्था चाहता हूं कि प्रक्रिया नियमावली की धारा १३४ (ख) के मुताबिक सेलेक्ट कमेटी के फैसले के बाद कोई व्यक्तिगत संशोधन नहीं आ सकता। या तो माननीय सदस्य नई प्रवर समिति की मांग कर सकते हैं या जनमत लेने की मांग कर सकते हैं। कोई व्यक्तिगत संशोधन नहीं ला सकते हैं और नियम १३५ में उसकी हद मुकर्रर है कि कैसे उस पर अमल होगा।

श्री अधिष्ठाता—

संशोधन तो वह ला सकते हैं।

श्री जे० पी० मिश्र—

नया अमेंडमेंट नहीं ला सकते हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मैंने उनसे अपील की है, पब्लिक ओपीनियन की नहीं, कि वह हमारा यह संशोधन स्वीकार कर लें।

श्री जे० पी० मिश्र—

आप नियम १३५ देखें–"वादविवाद की व्याप्ति–इस प्रस्ताव पर कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक पर विचार किया जाय, वाद विवाद प्रवर समिति के प्रतिवेदन के विचार तक और उस प्रतिवेदन में निर्दिष्ट विषयों तक या विधेयक के सिद्धांत से सुसंगत किन्हीं वैकल्पिक सुझावों तक सीमित रहेगा।" इसलिये इनका संशोधन ऐडमिसिबिल नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

आपका जो संशोधन है उसी तक सीमित होकर बोल रहे हैं।

श्री कल्पनार्थसिंह—

मैं कह रहा था गुड़, राब बनाते हैं, शीरा पैदा करते हैं जिसकी सबसे ज्यादा खपत माननीय कृष्णानन्द राय, माननीय चन्द्रजीत यादव और मेरे जिले में होती है। इसलिये गुड़, राब बनाने वाली इकाइयों पर कोई प्रतिबन्ध लगाना जनमत का निरादर करना है, संविधान

[श्री कल्पनाथसिंह]

का निरादर करना है और संविधान की मान्यताओं के बिलकुल प्रतिकूल है। आज इस प्रदेश में गुड़ पर इस सरकार ने प्रतिबन्ध लगा दिया कि बाहर नहीं ले जा सकते। अब गन्ने के किसान को जिसने अपनी यूनिट लगायी है गुड़ न बनाने देना कहां तक उचित है। राब पैदा करने से जो खांडसारी पैदा होती है और उसमें जो जनशक्ति लगती है, राब से जो चीनी तैयार की जाती है उसमें कितनी जनशक्ति देहातों की लगती है ? जहां माघ के महीने में कोई दूसरा काम जीविकोपार्जन का नहीं रहता, इसका आपने ख्याल किया है ? अगर कोल्हू बन्द कर दिया जाय जो यंत्र संचालित है तो मैं समझता हूं कि यह बहुत नाइंसाफी की बात है और इतनी नाइन्साफी की बात बर्दाश्त करने के लिये प्रजा सोशलिस्ट पार्टी तैयार नहीं है। आज आप देखें कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष, श्री मुकुट बिहारी लाल, एम० पी०, श्री बलवान सिंह, श्री नैनसिंह, श्री रियासत हुसेन, श्री सालिग्राम जायसवाल जैसे लोगों को, जिन्होंने इस सरकार के अनेकों लोगों को क, ख, ग, घ, राजनीति का सिखाया होगा, आज इस सरकार के चलते जेल में बन्द हैं। अगर यह सरकार हठधर्मी पर अड़ी रहती है, जनमत की अवहेलना करती है और सालिग्राम जायसवाल जैसे व्यक्ति को जेल में बन्द रखने में अपनी शान समझती है, तो मैं यह निश्चय रूप से कहने के लिये तैयार हूं कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के आह्वान पर इस सरकार की दुर्गति होने वाली है। अगर मंत्री जी समय रहते नहीं चेते तो आप उस ज्वाल मुखी पर खड़े हैं जिसमें आपकी पार्टी का, इस सरकार का, श्री जवाहर लाल नेहरू की सरकार का पता नहीं लगने वाला है। क्योंकि जनहित विरोधी नीति अख्तियार कर के, किसान विरोधी नीति अख्तियार करके यह पार्टी और यह सरकार कतई जिन्दा नहीं रह सकती। आप तो जा रहे हैं, लेकिन किसान को मार रहे हैं। इसलिये मेरा यह कहना है कि मेहरबानी कर के मेरे इस मासूम संशोधन को मान लें और इन इकाइयों पर कोई प्रतिबन्ध न लगायें और अपने भ्रष्ट अधिकारियों के चंगुल में उनको न फंसायें जो आज ४–४, ६–६ महीने लाइसेंस के लिये दौड़ते हैं, जो छोटे-छोटे जुर्म के लिये उनकी मशीन का कोई पुर्जा उठा कर ले जायेंगे। इस प्रकार गरीबों पर, किसानों पर यह सरकार जुल्म ढाने पर उतारू है। इस सरकार का यह मंशा हम लोग कतई नहीं चलने देंगे। इसलिये सदन के सम्मानित सदस्य मेहरबानी करके मेरे इस संशोधन को स्वीकार करें और यूनिट की परिभाषा में जो प्रतिबन्धात्मक वाक्य मैंने रखा है उसे जोड़ दें।

इन शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट (जिला बरेली)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं एक व्यवस्था चाहता हूं, वह यह कि कृपया यह स्पष्ट कर दें कि वाद-विवाद किस तरह से चलेगा ? पहले आज्ञा देंगे कि सारे संशोधन प्रस्तुत हों और फिर उन पर विवाद हो और वोटिंग हो या १३५ के अनुसार भिन्न भिन्न व्यक्तियों को आज्ञा देंगे कि वे बोल सकें।

श्री अधिष्ठाता—

अगर आप ध्यानपूर्वक देखे होते तो मालूम हो जाता। पहले माननीय कल्पनाथ सिंह जी का संशोधन है, वह पेश है, वह चलेगा। आज कोई नई परिस्थिति पैदा नहीं हो गई है।

श्री जगदीश शरण अग्रवाल एडवोकेट—

श्रीमन्, १३५ में स्कोप आफ डिसकशन लिखा हुआ है, उसे कृपा कर देख लें।

श्री अधिष्ठाता—

आप १४३ को पढ़ें। अब वह स्टेज तो निकल गई। अब तो क्लाज वाइज डिस्कशन चल रहा है।

श्री जे० पी० मिश्र—

अधिष्ठाता महोदय, एक संशोधन पर कितना समय होगा और कितने आदमी बोलेंगे ?

श्री अधिष्ठाता—

यह कभी नहीं हुआ और ऐसी प्रथा नहीं रही कि मैं समय निर्धारित कर दूं। अगर यह बिजनेस कमेटी में जाता और इस पर समय निर्धारित होता तब तो समाप्त करने के लिये समय निर्धारित करता। अब तो सदन जब चाहेगा, खत्म करेगा ।

श्री जे० पी० मिश्र—

अधिष्ठाता महोदय, आज चार बजे तक इसको पास होना था। कल यह तय हुआ था।

श्री अधिष्ठाता—

वह तो आपने आनर किया नहीं। सारा दिन बहस में ही निकल गया। यह तो हाउस तय कर सकता है। आप कोई प्रस्ताव लाइये, मैं सदन की राय ले सकता हूं ।

*श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि आपने मुझे इस संशोधन पर बोलने का मौका दिया जिसे माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने सदन के सामने रखा है। मैं उसका समर्थन करता हूं। क्यों करता हूं ? मैं जहां तक समझ पाया हूं, वह यह है कि काफी सोच विचार के बाद सदन ने इसे संयुक्त प्रवर समिति में भेजा और आज भी इधर के बैठने वाले हमारे बड़े-बड़े विद्वानों ने प्रक्रिया नियमावली की धारायें आपके सामने रखीं और इस सरकार को बताया। लेकिन यह सरकार हटवादिता पर अड़ी हुई है। यह सरकार नहीं, बल्कि छोटे छोटे किसानों का काल है। इससे पहले गुप्ता जी की सरकार थी वह इससे भी डबल थी। हमने उससे कहा कि मान जाओ, लेकिन वह नहीं मानी। किसानों की आवाज ने उसे उलट दिया। अगर यही हाल किया तो ठीक नहीं होगा। हम समझते थे कि समिति छोटे किसानों का ख्याल करेगी और २५ पैसे वाली बात को खत्म करेगी। लेकिन इसे तो मिल मालिकों से मलतब है नहीं तो रुपया कैसे ऐंठेंगे चुनाव के लिये। सारी बीमारी गुड़ बनाने की है। गुड़ छोटे छोटे गरीब किसान खाते हैं। पूर्वी जिलों में राब की क्या परिभाषा है, मैं नहीं समझा। पश्चिमी जिलों के जो माननीय सदस्य हैं वह मेरी बात को समझेंगे कि छोटा किसान कम से कम सात आठ मन राब बना कर अपने मटकों में रख लेता है जिसको वह साल भर तक इस्तेमाल करता है। सारे काम उस राब पर चलते हैं, सारे त्योहार उस राब पर मनाये जाते हैं। मेहमानों को भी राब दी जाती है। शकर तो पढ़े लिखे लोग जो गला लंगोट वाले हैं, चीनी को कहते हैं। हमारे यहां पश्चिमी जिलों में शकर गुड़ की छोटी बहन बनती हैं। उसको भी किसान मन-दो मन रख लेता है। लेकिन यह काला कानून जो प्रवर समिति में जाने के बाद भी काला बना रहा है, मंशा यह कि यह छोटे किसानों का काल बन गया है।

मेरी यह प्रार्थना है कि इस सरकार का कभी दिमाग ठीक हो जाय, कभी परमात्मा सद्बुद्धि दे और यह कम से कम छोटे किसानों पर दया करे क्योंकि जिन जिलों में बाढ़ और गर्की से खरीफ और रबी की फसल को मार गयी, वहां सिर्फ ईख की फसल रह गयी है। मैं मथुरा जिले की बतलाता हूं। वहां खरीफ की फसल सब मारी गयी और रबी की फसल है थोड़ी सी, बाकी जमीन में पानी भरा है और उस गुड़ को बना कर, शकर को बना कर किसान कुछ अपने बच्चों की गुजर करता लेकिन इस अन्यायी सरकार ने, दिल्ली की अन्यायी सरकार ने काला कानून बना कर कहा कि राजस्थान को पंजाब को मत भेजो, तो किसान मर गया। किसान

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री लखीसिंह]

अपनी खून की कमाई की रुपये में दो आने भी कीमत न पा सका। यह सरकार उस प्रतिबन्ध को हटायेगी, लेकिन तब हटायेगी जब किसान का गुड़ लुट जायगा।

(इस समय ४ बजकर ५३ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

डेढ़ दो महीने के बाद यह किसान विरोधी सरकार प्रतिबन्ध को हटायेंगी जब व्यापारी के गोदामों में गुड़ जा चुका होगा। श्रीमन्, इस संशोधन में माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने कहा है—"किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि यदि किसी इकाई का स्वामी अपना गन्ना पेरने के लिए इकाई का इस्तेमाल करता है।"

तो वह इसके लाइसेंस से शुल्क या अन्य प्रत्येक प्रतिबन्धों से मुक्त होगा। चलो इतना ही मान लो। मेरे अन्दाज से तो मानेंगे नहीं। आज भी हमने काफी कोशिश की। अब इस समय तो इधर ३०-४० ही बैठे होंगे लेकिन जब वोट लिया जायगा तो घंटी बजेगी और जैसे टिड्डी का दल आता है वैसे ही उस दरवाजे से आकर वह हमारे संशोधन को गिरा जायेंगे। लेकिन इस समय हमारे बराबर भी नहीं है। तो यह मैं आपके माध्यम से इस सरकार से फिर एक बार प्रार्थना करूंगा कि इस संशोधन को मान लो और छोटे छोटे किसानों को बचाओ, छोटी-छोटी इकाइयों को बचाओ, नहीं तो हम आपको बताये देते हैं। अब तो तीन-साल रह गये हैं और तीन साल के बाद इस सरकार का काल है। हमको पता है।

श्री उपाध्यक्ष—

लखीसिंह जी, यह तो आप कई बार बता चुके हैं।

श्री लखीसिंह—

अगर छोटे किसानों को मार दिया और यह इकाई मुक्त नहीं की, इस इकाई को रिहाई नहीं दी आपने तो याद रखिये सन् ६७ में मंत्री बनना और मंत्रिमंडल बनना अलग रहा, जनाब यहां सबसे छोटी विरोधी पार्टी जिसके कि सबसे थोड़े मेम्बर होते हैं, इतने भी नहीं आ सकते। मैं आपको बताये देता हूं। इन शब्दों के साथ में इस संशोधन का समर्थन करता हूं

*श्री गेंदासिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि यह विधेयक प्रवर समिति में जाने के बाद भी इतना जहरीला रह गया कि वह इस सूबे के किसानों को अपने जहर से प्रभावित किये बिना नहीं रहेगा। श्रीमन्, जो संशोधन कल्पनाथ जी ने रखा है उसका समर्थन करना चाहता हूं। मैं यह सोचता हूं कि शायद विचार विनिमय से कुछ उसका नतीजा निकले। श्रीमन्, कल्पनाथ जी के प्रस्ताव का अर्थ सिर्फ इतना है कि अगर कोई किसान केवल अपने गन्ने से यंत्र संचालित कोल्हू से गुड़ बनाता है या खांडसारी बनाता है या राब बनाता है तो सरकार उसके ऊपर कोई बन्धन न रखे। वह जैसे हल रखता है, जैसे ट्रैक्टर रखता है, जैसे ट्यूबवेल रखता है पानी निकालने के लिये, उसी तरह से वह एक कोल्हू भी रखे जिससे कि गुड़ बना ले, चीनी बना ले या खांडसारी बना ले। अपने गन्ने का प्रोसेसिंग कर ले। केवल इतना प्रस्ताव माननीय कल्पनाथ जी का है। श्रीमन्, सरकार इसे प्रवर समिति में मानने के लिये तैयार नहीं हुई। हम नहीं जानते कि उसका कारण क्या है . . .

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)—

उपाध्यक्ष जी, माननीय गेंदा सिंह जी फरमा रहे हैं कि जैसे ट्रैक्टर रखता है या और सामान रखता है वैसे ही कोल्हू भी रखने दिया जाय, तो कोल्हू की इजाजत तो है। उसकी तो रुकावट है ही नहीं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री गेंदासिंह—

राममूर्ति जी असल में मेरे ऊपर बड़ी कृपा रखते हैं कि कहीं पर अगर मैं भूल करूं तो उसे वह सुधार लें। मैंने यह कहा और मुझे याद है कि मैंने कहा यंत्र संचालित। और मैं ऐसा समझता हूं कि राम मूर्ति जी जैसा किसान यंत्र संचालित कोल्हू क्या नहीं चला सकता है? माना हमने कि गरीब आदमी हैं तो दो चार आदमी मिलकर के बैल कोल्हू चला सकते हैं। लेकिन अगर २०–२५ एकड़ खेत वाला आदमी है और वह ५–७ एकड़ गन्ना बोता है तो वह एक यंत्र संचालित कोल्हू अगर चला लेता है तो क्या जुर्म करता है? उसको यह चलाने न दिया जाय। मैं समझता हूं यह विवेक की कमी है। मैं फिर विवेक को अपील करना चाहता हूं कि अगर किसान अपने गन्ने को पेरना चाहे तो सरकार को मान जाना चाहिये कि वह पेर ले और उसके ऊपर लाइसेंसिंग अथारिटी न हो। उसके ऊपर कोई पाबन्दी यह न हो कि वह हिसाब दे या उसने धान कूट लिया तो बन्धन में आ गया। आज सुबह नेगी जी ने बताया कि उसमें कोई पाबन्दी नहीं है। धान से चावल हम कूट लें या हम और कोई चीज ऐसी बना सकते हैं जिसको हम बाजार में ले जा सकें। रुई ओट लें या गुड़ को ही बनाने में बिजली लगा दी या डिजिल ही लगा दें तो उस पर कोई पाबन्दी नहीं होनी चाहिये। अगर एक आदमी बैल से कोल्हू चलाता है तो कोई कसूर नहीं है और उससे कोई लाइसेन्स नहीं मांगा जाता, लेकिन अगर उसने बिजली लगा दी तो उसका कसूर हो गया। मैं ऐसा समझता हूं कि जो १९५६ का हमारा इंडस्ट्रियल पालिसी रेजोलूशन है वह उसके विरुद्ध है। वह रेजोलूशन स्माल स्केल उद्योग की मदद करने के लिये कहता है। मदद करने के लिये वह प्रस्ताव कहता है कि उसको धन दो और बिजली दो और उसके लिये बाजार बनाओ, उसके लिये टैक्नीकल मदद दो, तो क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि यह जो विधेयक है यह विधेयक उसकी टैक्नीकल मदद के लिये है या कर्जा देने के लिये है? या बिजली की मदद देने के लिये है? किस चीज में उसकी मदद करने की बात आप करते हैं? मैं समझता हूं उसके ऊपर आप यह अनावश्यक बोझ डाल रहे हैं जिसका परिणाम यह होगा कि हम अगर गन्ना पेरना चाहते हैं, अपने यन्त्र संचालित कोल्हू से तो हम लाइसेन्स के झंझट में पड़कर अपना गन्ना मिलमालिक को दें।

मैं इतनी ईमानदारी सरकार की मानता हूं कि उसने अपने उद्देश्य को बहुत स्पष्ट तरीके से कह दिया है। आप मिलों के लिये गन्ना सप्लाई कराना चाहते हैं इसलिये यह सारे बन्धन लगा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि अगर कोई गन्ने का व्यवसाय करने वाला इस सदन में हो या सरकार की तरफ हो तो वह मेरी इस बात को ध्यानपूर्वक सुन ले और मेरी यह भी दरख्वास्त है कि अगर कोई मिलमालिक का प्रतिनिधि यहां पर हो तो वह भी सुन ले। श्रीमन्, मैं यह नहीं समझता हूं कि यह बुद्धिमानी की बात हो रही है। यह विधेयक जो है उसके माने यह हैं कि इस विधेयक के अन्दर वह बूर तक जा रहे हैं। इस वर्ष तो डी० आई० आर० है और डी० आई० आर० के अनुसार सारे किसान बंधे हुये हैं कि वह अपना दो तिहाई गन्ना किसी तरह से भी मिल-मालिक को दें। अगर वह इस डी० आई० आर० के अनुसार अपना गन्ना मिलमालिक को नहीं देगा तो वह ३ वर्ष की सजा का भागी होगा और १ हजार तक का जुरमाना भी हो सकता है। वह तो दो तिहाई देगा। आपके ऊपर उसका बन्धन नहीं है। किसान बंधा है। उसकी यूनियन बंधी है, कोआपरेटिव यूनियन बंधी है, उसका सभापति केन कमिश्नर बंधा हुआ है। उसने बांड किया हुआ है। उतना किसान को देना है। उतना अगर वह नहीं देता है तो २० नये पैसे फी मन उसको पैनाल्टी देनी होगी लेकिन जितना उसका गन्ना बांड हो गया है तो क्या वजह है कि सरकार उस बांड किये हुये को भी स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं है? फिर उसके बाद सरकार को डी० आई० आर० से भी सब्र नहीं है। फिर जो सप्लाई परचेज करने का अधिनियम है उससे उसको मजबूर किया जाता है कि उसका गन्ना दूसरे जोन में नहीं दिया जा सकता। यह सारी पाबन्दी उस गरीब आदमी पर आप लगा रहे हैं कि जिसके गन्ने के लिये कोई गारन्टी नहीं है। उस गरीब के लिये कल यह कहा जा सकता है कि हम गन्ना तुम्हारा नहीं पेर सकते और तुम एक यंत्र संचालित कोल्हू लगाओ। मैं ठाकुर फूलसिंह जी से

[श्री गेंदासिंह]

अपील करूंगा कि उनका जो बयान निकला है उसको वह अपने दोस्तों को पढ़वाने की कृपा करें। ये भाई कोई बयान पढ़ते नहीं है। मैं गन्ना विभाग के अफसरों के खिलाफ कुछ कहना नहीं चाहता लेकिन मैं समझता हूं कि वह मिल मालिकों के गुलाम हैं। क्यों नहीं ठाकुर फूलसिंह की बात सुनी जाती? आप कह सकते हैं कि मैं विरोधी हूं, लेकिन वह तो आपके पक्ष के हैं। आप इल्जाम उन पर नहीं लगा सकते। उन्होंने सहारनपुर के इलाके में घूम कर, देख कर जो बयान दिया है उसमें कहा है कि इन पाबन्दियों का परिणाम यह होगा कि जुलाई तक किसान को अपना गन्ना खड़ा रखना पड़ेगा।

मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि वह कितने दिन का सीजन चाहती है? अगर आप १५० दिन का सीजन चाहते हैं तो २२७ दिन का सीजन चल चुका है सन् १९६०-६१ में जब कि प्रदेश में १५ लाख टन चीनी बनी थी। मैं धीरे से इस बात को कहना चाहता हूं कि साढ़े चौदह लाख टन चीनी बनाने में प्रदेश की कुछ मिलों को २२७ दिन चलना पड़ा था जैसे बिजनौर की, सहारनपुर की और बुलन्दशहर की। अगर यही आप चाहते हैं तो जुलाई तक फैक्टरियों को आपको चलाना पड़ेगा। क्या यह देश के हित में है? क्या यह किसानों के हित में है? जैसा कमलासिंह जी ने कहा, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि गन्ने के किसान ने जिसने अपनी चमड़ी उसके लिये जलाई है और जो चाहता है कि कातिक, अगहन तक अपना खेत उससे खाली कर ले, तो क्या यह उसके हित में है?

आज लाइसेंसिंग अथारिटी और टैक्स लेने वाले उसके गले पर छुरी फेर रहे हैं। मुझे जाती तौर पर मालूम है कि कुछ माननीय सदस्य यहां हैं जिनकी अपनी खेती है गन्ने की। वह अपना गन्ना पेरना चाहते हैं, लेकिन मेरे दोस्त लाइसेंसिंग अथारिटी उनको लाइसेंस नहीं देते। उनका अपना गन्ना है, उनके खेत में खड़ा है, उनका अपना क्रशर है, वह चाहते हैं कि गन्ना खाली हो तो खेत में मटर और उर्द बोयें, लेकिन उनको २५ नवम्बर के पहले क्रशर चलाने की इजाजत नहीं मिली। हम तो किसी से कुछ मांगने जाते नहीं, हम सरकार से कुछ नहीं चाहते फिर इसमें सरकार को क्या आपत्ति है? आप रेगुलेट करिये कीमत को। क्यो नहीं स्टेट ट्रेडिंग की बात चलायी जाती है? उसकी बात करने पर सरकार बगलें झांकने लगती है, लेकिन मिल मालिक के लिये जुलाई तक हमारा गन्ना खड़ा रखने के लिये यह विधेयक है। क्यों जुलाई तक हम इंतजार करें? हमारे गन्ने की कीमत दो रुपये है। जून, जुलाई तक वह ४० फीसदी सूख जायगा। क्यों हम अपने १०० मन गन्ने की कीमत के बजाय ६० मन गन्ने की कीमत लें?

श्रीमन्, मैं समझता हूं कि इन बातों पर गहराई से सोचने की कोशिश नहीं की जाती। आज सदन के ५-७ सदस्य और पार्लियामेंट के मुकट बिहारी लाल जी, जो कितने वहां के लोगों को शिक्षा दिये होंगे, आज मेरठ की जेल में हैं। मैं गर्मी में नहीं बात कर रहा हूं। हमारा कर्त्तव्य है कि हम इस बिल का उस दम तक विरोध करें जिससे यह बिल पास न होने पाये। मैं अपने को भी बचाना चाहता हूं, उधर के लोगों को भी बचाना चाहता हूं। मैं अभी बैठ जाऊंगा अगर कहा जायगा कि जो अपने हाथ से गन्ना पेरता है उस पर कोई लाइसेंस नहीं रहेगा, कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा, सिर्फ यह संशोधन है कल्पनार्थसिंह जी का। आप कितने दिन में ४३ करोड़ मन गन्ने के लिये सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलन्दशहर, बरेली, शाहजहांपुर की फैक्टरियों को दिलवाना चाहते हैं? कितने दिन का आपका सीजन होगा? बंशीधर जी पता लगावें कि आज तक कितना गन्ना उन्होंने पेरा है, क्रशिंग मंगा लें उससे पता चल जायगा कि ३० अप्रैल तक फैक्टरियों को चलाने के लिये कितने रिजर्व गन्ने की जरूरत है और उतना गन्ना रिजर्व कर लें। लेकिन उस हालत में मैं जानता हूं और सभी को पता है कि कितना गन्ना काश्तकार को खड़े खड़े जलाना पड़ेगा। पूरब के लिये नहीं कहता, उनके लिये दो रुपये मन हो गया कि मिलों को दो, लेकिन पश्चिमी जिलों की जो फैक्टरियां हैं उनको ३० अप्रैल से आगे नहीं चलना चाहिये। उतना रिजर्व करके हमको छुट्टी दें। इन बातों को

कह कर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर ५०,००० टन चीनी उत्तर प्रदेश में कम हो जाय तो हो जाने दें लेकिन आज यह ऐसा कदम है जो पाप है, सरकार इसको न उठाये ।

किसान अगर एक क्रशर, जो ऐग्रिकल्चरल इम्पलीमेंट है वह रखना चाहता है तो सरकार उसको छीने मत, उसको ले आने दे, एनकरेज करे । उत्तर प्रदेश में आप थर्ड फाइव ईयर प्लान के रिजल्ट पढ़ें तो मालूम होगा कि ऐग्रिकल्चरल इम्पलीमेंट की कितनी कमी है। उसके पास एक ऐग्रिकल्चरल इम्पलीमेंट है ईख पेर लेने का वह भी छीन रहे हैं ।

श्रीमन्, इन सब बातों को सोचते हुये मैं माननीय कल्पनाथ सिंह जी के संशोधन पर जोर देता हूं । सरकार को यह खतरा लेने की जरूरत नहीं है, वरना यह सरकार बदनाम हो जायेगी । इसलिये मैं फिर यह निवेदन करूंगा कि सरकार माननीय कल्पनार्थसिंह जी के संशोधन को स्वीकार कर ले ।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि अब ८,१० मिनट हैं, इस बिल के बारे में उनकी क्या राय है, क्या आज ही इसको पास होना है या क्या विचार है ?

मख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)---

मैं तो चाहूंगी कि परसों भी यह हाउस चले ताकि इस बिल पर अच्छी तरह बहस हो जाय ।

श्री उग्रसेन---

इसका हम घोर विरोध करते हैं । ऐसा कभी विधान सभा के इतिहास में नहीं हुआ है कि अंतिम समय में सदन एक दिन के लिये बढ़ा दिया गया हो । यह कोई बेटे, बेटी की शादी नहीं है । अगर सदन बढ़ेगा तो हमारी लाश पर बढ़ेगा .....

(व्यवधान)

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी---

श्रीमन्, कल यह बात थी कि आज का गैरसरकारी दिवस फिर दे दिया जायेगा और आज यह बिल ले लिया जाय । तो मेरा निवेदन यह है कि बजाय दूसरा दिन बढ़ाने के अच्छा यही होगा कि जो कुछ करना हो उसे आज ही कर लिया जाय । आज ही समय बढ़ा कर जो करना हो उसे कर लिया जाय ।

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)---

मैं माननीय माधोप्रसाद जी की बात से सहमत हूं कि आज ही यह विधेयक पारित कर दिया जाय । इसलिये सदन का समय तब तक के लिये बढ़ा दिया जाय जब तक कि यह विधेयक पारित न हो जाय । मेरी राय से एक घंटा समय और बढ़ा दिया जाय ।

श्री कल्पनार्थसिंह---

मैं इसका विरोध करता हूं.....

श्री गेंदासिंह---

मैं भी बनारसीदास जी के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । मैं यह नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार बदमजगी न पैदा करे । हम १२ बजे तक, २ बजे तक, जब तक दम रहेगा, बैठेंगे और इस बिल को पास नहीं होने देंगे ।

(व्यवधान)

श्री झारखण्डे राय (जिला आजमगढ़)---

मैं यह निवेदन करूंगा कि हाउस परसों तक के लिये बढ़ा दिया जाय क्योंकि पूरी रात बैठकर इसको पास करना सम्भव नहीं होगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं चाहता हूं आपस में कोई समझौता हो जाना चाहिये ।

श्री कल्पनार्थासिह—

श्रीमन्, यह अमर्यादित सरकार जिस तरह से ४ बजे तक इस बिल को पास नहीं करा पायी, अपनी संख्या के बल पर, वह परसों भी पास नहीं करा पायेगी । मेरे काफी संशोधन हैं और मैं अपनी राय व्यक्त करना चाहता हूं । अगर परसों यह बिल लाया गया तो मैं विरोध-स्वरूप परसों सदन में उपस्थित नहीं रहूंगा और संशोधन उपस्थित नहीं करूंगा । हमारी भावना सुनी जाय । मैं माननीय झारखंडे राय जी से कहना चाहूंगा, माननीय बनारसीदास जी से कहना चाहता हूं और माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपकी तादाद है और आप चाहे जो पास करा लें, जितना चाहे समय लगा लें, लेकिन हर चीज की मर्यादा होती है और अगर आज मर्यादा का उल्लंघन होगा तो हमें विरोध प्रदर्शित करना होगा और उसके लिये हमने यह फैसला किया है कि हम संख्या बल के बल पर, जबरदस्ती के बल पर झुकने के लिये तैयार नहीं हैं ।

श्री राममूर्ति—

उपाध्यक्ष जी, गेंदासिह जी हमारे बड़े हैं और उनकी पार्टी के लोग बड़े माने जाते हैं और सम्मानित लोग हैं । उनको इस बात का खयाल भी नहीं लाना चाहिये कि कोई तनातनी है । बिल आया, पेश हुआ, आपने इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजा । हमारे माधोप्रसाद जी त्रिपाठी ने एक बात कही उसको हमने माना, झारखंडे राय जी कहते हैं हम उसको मानने के लिये तैयार हैं, हम सभी की बात मानने के लिये तैयार हैं । इसको खामखा के लिये प्रेस्टिज का ईश्यू बनाने से लाभ क्या है ? सद्भावना से काम चल सकता है । आप जो भी बात कहें उसको हम समझकर मानने के लिये तैयार हैं ।

श्री उग्रसेन—

अगर यह बात है तो माननीय मंत्री जी से आप कहें कि वह इस बिल को वापस ले लें ।

श्री उपाध्यक्ष—

दो बातें हैं, या तो हम २६ तारीख को बैठें और उस दिन इस पर विचार हो ।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)—

१२ बजे रात तक असेम्बली नहीं चलनी चाहिये ।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, अगर हम चाहते हैं कि इस बिल की धाराओं पर डिस्कशन हो तो फिर २६ तारीख ही रखा जाय जिससे काफी डिस्कशन हो सके ।

श्री गेंदासिह—

भानु प्रताप सिंह जी जो कह रहे हैं वह सद्भावना इससे जो वह हासिल करना चाहते हैं उसके लिये मैं कहता हूं कि वह सद्भावना नाम की चीज इस बिल में आने वाली नहीं है । मैं जानता हूं कि यह सरकार इस बिल को ताकत के बल पर पास करवाना चाहती है ।

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसी बात नहीं है । २६ तारीख को इस पर विचार होगा और उस दिन प्रश्न नहीं रहेंगे । नियमों के अनुसार इस पर २६ को हम विचार कर सकते हैं यह सेंस आफ वि हाउस है ।

श्री उग्रसेन—

व्यवस्था का प्रश्न है । आप जबरदस्ती मत कीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष---

इसम जबरदस्ती की बात नहीं है। यह सेंस आफ दि हाउस है उसको लेकर मैंने २६ तारीख एनाउंस कर दिया है।

श्री उग्रसेन---

आप उपाध्यक्ष हैं या सरकार के मंत्री हैं जो इस तरह से काम किया करते हैं? आपका यह तरीका बहुत अनुचित है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष---

मैंने विरोधी दलों की तरफ से कम्यनिस्ट पार्टी की राय भी देखी और सरकार की भी राय देखी।

श्री उग्रसेन---

तो आप मत क्यों नहीं इस पर ले लेते?

श्री उपाध्यक्ष---

इस पर मत लेने की जरूरत नहीं है। मैंने अब एनाउन्स कर दिया और अब इस पर आगे विचार नहीं होगा उस दिन प्रश्न नहीं होंगे और यह बिल चलेगा

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)---

बिना मत लिये यह आपने कैसे एनाउन्स कर दिया?

राज्य सरकार एवं उसके अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय संकट का दुरुपयोग करने के सम्बन्ध में नियम ५३ के अन्तर्गत चर्चा

*श्री जेड० ए० अहमद (जिला आजमगढ़)---

अधिष्ठाता महोदय, मैं एक प्रस्ताव पेश कर रहा हूं जिसका ताल्लुक सरकार और उसके अधिकारियों के जरिये राष्ट्रीय संकट का दुरुपयोग करने के संबंध में है। मुझे इस प्रस्ताव को पेश करते हुये कोई खास खुशी नहीं है इसलिये कि आज जो देश की परिस्थिति है उसमें अलग अलग नुक्ते निगाह से एक दूसरे की आलोचना करना कोई अच्छी बात नहीं है। चूंकि हमारा राष्ट्र जो पिछले एक डेढ़ साल से जिस खतरे का सामना करता आया है, वह खतरा अभी दूर नहीं हुआ और न यह मालूम है कि वह कब खत्म होगा। ऐसे मौके पर जब किसी राष्ट्र और उसकी सीमाओं को खतरा हो उस वक्त हमें एक आवाज से राष्ट्र की सीमाओं के बारे में, खासतौर से देश की एकता को बढ़ाने के लिये, देश को मजबूत करने के लिये, देश को अपनी सुरक्षा और हिफाजत के काबिल बनाने के लिये, हमें मिल कर आवाज उठानी चाहिये लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे देश की हालत ऐसी है कि जिसमें हमें आलोचना की बातें करनी पड़ती हैं, सरकार की तनकीद करनी पड़ती है। आज मैं जो बातें कहूंगा वे कुछ कड़ी बातें हैं। मैं अपने दूसरी तरफ के साथियों से माफी चाहता हूं अगर मैं उनके सामने कुछ कड़ी बातें पेश करूं।

डी० आई० आर० का मकसद क्या है? क्या उसका मकसद यह है कि जब मुल्क को खतरा है, मुल्क के अन्दर ऐसा वातावरण पैदा किया जाय जिससे सारी जनता उत्साहित होकर, एक मत होकर देश के बचाव के काम में जुट जाय। खास तौर से वह जनता जो देश की रीढ़ की हड्डी है उसमें वह जोश और हिम्मत पैदा हो, वह विश्वास पैदा हो कि हां, आज पूरा मुल्क एक साथ होकर खड़ा है, हरएक के साथ न्याय हो रहा है, किसी के साथ

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जेड० ए० अहमद]

ज्यादती नहीं हो रही है और आम लोगों को जो अधिकार हैं वे सब सुरक्षित हैं तथा सरकार हरएक के साथ न्याय करना चाहती है। अगर यह लक्ष्य सरकार का था तो डी० आई० आर० लगाने का उसका लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। इसके खिलाफ बहुत सी बातें हुई हैं जिनको मैं सदन के सामने पेश करना चाहता हूं।

जब यह प्रस्ताव आया और मेरे साथियों ने उसको लिखकर भेजा तो मैंने उनसे कहा कि इससे क्या फायदा होगा? हम तो चिल्लाते रहेंगे, लेकिन सरकार की चाल जैसी है वैसी ही रहेगी। बड़े कड़वे अनुभव के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आज हम यहां चाहे कितना ही चिल्लायें, कितनी ही उचित बातें कहें, लेकिन जैसे चिकने घड़े पर पानी पड़ जाता है, हमारी बातों का इस सरकार पर कोई असर नहीं होता। या तो सरकार कुछ कह देती है या हमारी बातों पर शकोशुबहा जाहिर करती है और प्रदेश की नौकरशाही उससे जो चाहती है कराती है। सरकार को वे जो हिदायतें देते हैं और वही सरकार करती है। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आमतौर पर मंत्रियों के हाथ में हुकूमत की लगाम नहीं है। हुकूमत की बागडोर और लगाम आज नौकरशाही के हाथों में है। जो नोट वे तैयार करते हैं, जो रिपोर्ट वे पेश करते हैं, उसकी छानबीन किये बगैर वह हमारे सामने आ जाती है और उसी के ऊपर फैसला हो जाता है। डिफेंस आफ इंडिया रूल्स को लागू करने की यह परिस्थिति पिछले डेढ़ वर्ष से कायम रही है। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं और मेरी बात को मेरे दोस्त जो इधर बैठे हैं या उधर बैठे हैं, ईमानदारी से जांच करेंगे और परिस्थितियों पर गौर करके देखेंगे तो इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि डिफेंस आफ इंडिया रूल्स का जो लक्ष्य था वह न सिर्फ पूरा नहीं हुआ बल्कि उससे उल्टी बात हो गयी। इस जमाने में जिन वर्गों व तबकों पर इसे डिफेंस आफ इंडिया रूल्स के जरिये एक जबरदस्त बोझ लाद दिया गया है, जैसा कि माननीय गेंदा सिंह व दूसरे लोगों ने भी बतलाया, कि आज वर्षों के बाद गुड़ की कीमत बढ़ी और किसान को मौका मिला कि वह अपने पसीने की कमाई का कुछ फायदा उठावे और दो रोटी ज्यादा हासिल करे, लेकिन उस पर रोक लगा दी गयी। यह खुशी की बात है कि एक पिछड़े हुए तबके को मौका मिला कि कुछ पैसे उसकी जेब में आवें लेकिन फौरन डिफेंस आफ इंडिया रूल उसी गरीब के धंधे पर चढ़ गया। जहां पहले गुड़ की कीमत ३५–४० रुपये मन थी, वह घट कर कहीं कहीं १६, १८, २० और २२ रुपये मन तक पहुंच गयी है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर यह क्यों? जब हमारा यह देश किसानों का देश है और एक दफा किसानों को कमाने का मौका मिला तो उसे कमाने दो। बड़े बड़े लोगों ने, व्यापारियों ने और पूंजीपतियों ने दो-दो और तीन तीन सौ परसेंट मुनाफा उठाया और आप विचार करें कि अगर ४०–५० साल के बाद किसान को मौका मिला कि वह थोड़ा ज्यादा पैसा वसूल कर ले तो उसे आप खा लेने दो। लेकिन नहीं उसको भी आप डिफेंस आफ इंडिया रूल के अन्तर्गत काट रहे हैं और इससे मुल्क के सामने एक खतरे की बात आपको दिखलायी देती है और आप समझते हैं कि किसान को गुड़ की कीमत अधिक देने से हमारी सुरक्षा खतरे में पड़ जायगी। मैं पूछता हूं कि किस तरह से सुरक्षा खतरे में दिखलायी पड़ती है और किस माने में गुड़ की कीमत में सुरक्षा इनवाल्व्ड है?

मजदूर वर्ग पैदावार के लिये जिम्मेदार है। मजदूर वर्ग से अपील की गयी कि तुम पैदावार बढ़ाओ। चीनी हमले के बाद ट्रिपार्टाइट कांफ्रेन्स हुई जिसमें इंडस्ट्रियल ट्रूस का प्रस्ताव सभी ने मंजूर किया। उस कांफ्रेन्स में आई० एन० टी० यू० सी०, आई० टी० यू० सी०, हिन्द पंचायत और मजदूर पंचायत, सभी ने इस प्रस्ताव को मंजूर किया, लेकिन शर्त यह थी कि इस जमाने में जब कि राष्ट्रीय संकट है, तीन चार चीजें नहीं होनी चाहिये। अगर कोई मजदूर और मालिक में झगड़ा हो तो उस झगड़े को आर्बिट्रेशन के सुपुर्द कर दिया जाय और मजदूर और इम्पलायर दोनों की जिम्मेदारी है कि ऐसे झगड़े को आर्बिट्रेशन के सुपुर्द करें। दूसरी बात यह कि इस जमाने में कोई रिट्रेंचमेंट यानी छंटनी नहीं होगी। तीसरी चीज यह कि इस

जमाने में मजदूर सभाओं के कार्यकर्त्ताओं का विक्टिमाइजेशन नहीं होगा। ये तीन चीजें थीं। लेकिन देखने की बात यह है कि इन चीजों पर इम्पलायर्स द्वारा अमल कितना हुआ।

अमल करने की बड़ी लम्बी कहानी है। मगर हिन्दुस्तान के जमाने में उस कहानी के एक-एक चैप्टर को खोलूं तो बड़ी भयंकर बातें दिखलायी देंगी। जहां एक तरफ मजदूरों ने डिफेंस फंड में कंट्रिब्यूशन किया, मजदूरों ने इतवार के दिन भी काम किया, मजदूरों ने उस को पूरा किया और सभी तरह के उत्पादन को बढ़ाया और दूसरी तरफ मिल मालिकों ने डिफेंस फण्ड में पैसा अच्छी तरह से नहीं दिया और उन्होंने कोई कुरबानी नहीं की, बल्कि अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिये मजदूरों की छंटनी की और जब भी मजदूरों और मिलमालिकों के झगड़े हुए तब उनको आर्बिट्रेशन के सुपुर्द करने के लिये मिलमालिक ही तैयार नहीं हुये। मजदूर बेचारे हर तरह से तैयार थे। मजदूरों की सभाओं के कार्यकर्ताओं का विक्टिमाइजेशन हुआ और उन को फैक्ट्री से निकाला गया। मैं आप से मिसाल दूं कि सीतापुर प्लाई वुड फैक्ट्री के मजदूर मांग करते रहे कि उनका मामला आर्बिट्रेशन में दिया जाय, लेकिन मालिक नहीं माने और नतीजा यह हुआ कि मजदूरों का नुकसान हुआ। गवर्नमेंट का फर्ज था कि इंडस्ट्रियल ट्रूस के कायदे के मुताबिक मालिकों को मजबूर करती कि वह आर्बिट्रेशन में जायं और वहां उनका मामला तय कराती। लेकिन सरकार ने उस में दखल नहीं दिया और ११ मजदूर वर्कर गिरफ्तार किये गये। ९ मजदूर जो कोई ट्रेड यूनियन लीडर्स भी नहीं थे और जो साधारण फैक्ट्री के मजदूर कार्यकर्ता थे, जिन पर कि दफा १०७ और ११७ के चार्जेज लगाये गये और इस तरह से मजदूरों की जायज मांगों को खत्म किया गया। इसी तरह से हिन्दुस्तान अलमुनियम, मिर्जापुर में भी प्रश्न उठा, वहां के ३ प्रमुख मजदूर कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया डी०आई०आर० में। बनारस की सोडा ऐश फैक्ट्री भी आप जानते हैं कि एक बहुत बड़े सरमायेदार की है, यह किसी से छिपी बात नहीं है। वहां के फैक्ट्री मैनेजर को, सिक्योरिटी आफिसर को पुलिस के अधिकार दिये गये जो कि अभी तक कहीं नहीं हुआ था। उनको सब तरह के गिरफ्तारी तक के अधिकार दिये गये। यह सब डिफेंस रूल्स के मातहत चल रहा है। जहां मजदूरों ने मांग की, आवाज बुलन्द की तो राष्ट्र खतरे में हो गया, देश खतरे में है। मुरादाबाद की बात है, बहुत सी बातें हैं, छोटे छोटे उद्योगों की बातें हैं। यह हमारे साथी भगवान दास जी बैठे हैं, फिरोजाबाद में क्या नहीं हुआ? वहां मिलमालिकों ने क्या नहीं किया? वहां मजदूरों से १२-१२ १४-१४ घंटे लगातार काम लिया गया। क्या मुरादाबाद और अलीगढ़ के कारीगरों के साथ नहीं हुआ मजदूरों से १४-१४ घंटे काम लिया गया और आवाज जरा उठाई किसी ने और डी० आई० आर० लागू हुआ और राष्ट्र खतरे में हुआ।

यह बातें कहने की है लेकिन क्या असर है? मैं जानता हूं कि उधर से जवाब मिल जायगा कि उत्पादन घट जाता, देश की सुरक्षा को नुकसान पहुंच जाता, चीनी आ जाते, हमारी सीमाओं पर खतरा हो जाता। मैं चाहता हूं कि इन समस्याओं के लिये आपको रिअलिस्टिक होना चाहिय। आपने तो नौकरशाही को एक हथियार दे दिया और मिल मालिकों को मौका दे दिया कि मजदूरों की सभी उचित मांगों को भी डी० आई० आर० की आड़ में खत्म कर दिया जाय। अभी थोड़े दिन हुए यहीं साहू कैमिकल्स बनारस में इंडियन नैशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के वर्कर, जिस संस्था का संबंध कांग्रेस जमाअत से कुछ दबे तौर पर है, वहां के लोगों ने स्ट्राइक बैलट किया और उसमें ४० वर्कर्स गिरफ्तार हुए। कहा गया कि राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में है। मोदीनगर में क्या हो रहा है? हमारे मुजफ्फरनगर के दोस्त जानते हैं कि किस तरह से वहां वर्कर्स निकाले जा रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं होती। तो अगर गरीब मजदूरों और किसानों के लिये इसी तरह की चीजें चलती रहीं तो यह अन्याय नहीं तो और क्या है? इसी जमाने में किसानों को मजबूर किया गया कि दो तिहाई गन्ना तुम को जबरदस्ती मिलों को देना होगा। क्यों वह दे? क्यों आप उनको मजबूर करते हैं? इसलिये कि मिलमालिकों के मुनाफे को आप महफूज रखना चाहते हैं। डी० आई० आर० ने हर तरह से गरीब किसान मजदूर को दबाया है और आप नौकरशाही और वेस्टेड इन्टरेस्ट को उसके द्वारा पूरे अधिकार देते हैं, हथियार देते हैं और उस की मार्फत ग़रीब तबके की मांगों को कुचला जा रहा है।

[श्री जेड० ए० अहमद]

अब इसकी दूसरी तस्वीर देखिये । इन डेढ़ वर्षों में कितना ब्लैक मार्केट हुआ, चोर बाजारी हुई । चीनी की मिसाल आपके सामने है । आज हम लोग २ रुपये २ आना किलो चीनी खरीदते हैं । शर्म की बात है, और खुल्लमखुल्ला बिकती है । मैं पूछता हूं कि इतने बड़े पैमाने पर देहातों, शहरों में क्या चीनी की चोर बाजारी नहीं हो रही है ? बेलगाम हर चीज की कीमतें बढ़ रही हैं । उन पर क्यों नहीं आप डी० आई० आर० लगाते हैं ? तब राष्ट्र खतरे में नहीं होता ? लेकिन मैं जानता हूं कि आप ऐसे तत्वों पर नहीं लगायेंगे, क्योंकि वे वह तत्व हैं जिनके आधार पर हमारे बहुत से हाकिम अधिकारी उन्हीं के कंधों पर अपनी ताकत बनाये हुये है । वह उनकी जड़ें हैं इसलिये कुछ नहीं होता । चोर बाजारी, करप्शन आम तौर पर हो रहा है । घूसखोरी की कोई इन्तहा नहीं । अगर राष्ट्र को मजबूत करना था सुरक्षा के लिये तो जितने करप्ट तत्व ऐडमिनिस्ट्रेशन में हैं सबसे पहले उनको निकालते और जनता के सामने खड़ा करते कि देखो यह करप्ट तत्व हैं । आपने किसी एक अफसर पर कार्यवाही की ? जो छोटा अफसर करता है उसकी हिफाजत उससे बड़ा अफसर करता है और इसी तरह ऊपर चढ़ते चढ़ते मंत्रि-मंडल में जाकर सब की हिफाजत होती है ।

राजनीतिक दृष्टि से इसको देखिये । ठीक है देश के अन्दर संकट है, मैं मानता हूं कि जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं उनको दबाना चाहिये, कुचलना चाहिये चाहे वह मेरी ही पार्टी के क्यों न हों । लेकिन पहले तय कर लीजिये कि यह आदमी वर असल राष्ट्र विरोधी है । क्योंकि सवाल सिविल लिबर्टीज का है, फंडामेंटल राइट्स का है । अगर आप किसी पर ऐक्शन लेते हैं, चाहे कोई पार्टी हो, आज मेरी है तो कल को जनसंघ भी हो सकता है, सोशलिस्ट हो सकती है, लेकिन अगर ऐसे तरीके अख्तियार किये गये जिनमें बुनियादी अधिकारों की सुरक्षा न रहे और केवल कानून कायदे के आधार पर आपने पूरी अथारिटी नौकरशाही को दे दी तो आप निश्चय समझिये कि आप यहां डेमोक्रेसी की जड़ें उखाड़ रहे हैं । आपने लोगों को गिरफ्तार किया । उससे पहले कुछ अन्दाज किया कि यह आदमी क्या करता था, क्या था, क्या इसके खयालात थे ? माननीय लाल बहादुर शास्त्री ने पार्लियामेंट में कहा था कि हम उन्हीं को रिगफ्तार करेंगे जो अपने अमल से हमारे सुरक्षा के कामों में खलल डालते हैं । लेकिन यहां क्या हुआ ? पहले तय हो गया, अफसरों ने तय कर लिया कि इसको बन्द करना है । एक चन्द्र सिंह गढ़वाली है, १९३१–३२ में पेशावर में फौज में थे, उन्होंने गोली चलाने से इन्कार किया था । अब उसका तब से वही रेकार्ड चला आ रहा है । हमारे मुख्य मंत्री गुप्ता जी गढ़वाल गये, उन्होंने कहा कि चन्द्रसिंह गढ़वाली ऐसे बहादुर जब तक गढ़वाल में है तब तक चीन की हिम्मत नहीं हो सकती कि अन्दर घुस सके, भारत में । यह उन्होंने सर्टीफिकेट दिया और ५ दिन बाद उनको डी० आई० आर० में बन्द कर दिया । श्री शिव वर्मा, भगत सिंह के साथी उन पर केस था कि बम फेंकने में इन्होंने हिस्सा लिया । अब वह रेकार्ड चला आ रहा है, वह भी बन्द कर दिये गये क्योंकि अधिकारियों ने कहा कि इनको बन्द करना चाहिये । जो गलत आदमी हों उनको दबाइये ।

फिर आपने अधिकार किसको दिया बन्द करने का ? जिलाधीश को । डी० आई० आर० में किसी आदमी को अनलिमिटेड पीरियड के लिये बन्द करने का प्रावीजन है, लेकिन अधिकार दिया है जिलाधीश को । मैंने माननीय गुप्ता जी से कहा कि वहां के स्थानीय झगड़े होते हैं इसलिये जिलाधीश को यह अधिकार न दीजिये क्योंकि वह जब चाहेगा किसी को बन्द कर देगा । आप किसी राजनीतिक आदमी को यह सुपुर्द कर दीजिये, माननीय नवल किशोर जी को यह अधिकार दे दें । मैंने इसलिये कहा कि उस समय वह डिप्टी मिनिस्टर पुलिस थे । बजाय किसी अधिकारी के कांग्रेस की कोई कमेटी बना दें कि जो जेल में बन्द किये गये हैं उनसे पूछा जाय कि तुम क्या हो, अंग्रेजों के जमाने में पूछा जाता था कि तुम स्टेटमेंट देना चाहते हो तो दो । लेकिन आज कुछ नहीं । फिर उसके बाद रिव्यू होता है । वह कौन करता है ? जो प्रासीक्यूटर है वही रिव्यू करता है । जो होम सेक्रेटरी आर्डर देता है बन्द करने का वही रिव्यू करता है । आप क्यों नहीं एक कमेटी बना देते ? मैं कहता हूं कि सारे कांग्रेस वालों की ही

कमेटी बना दीजिये, लेकिन राजनीतिक आदमियों की बनाइये ताकि उन कम्बख्तों से जो जेल में बन्द हैं पूछ तो लें। वैसे ही उन्हें जेल में बन्द कर दिया और ३–३, ६–६ महीने "सी" क्लास में रहे। शेक्सपियर के ड्रामे को अन्दर नहीं जाने दिया। अभी मेरठ से मुझे खबर आयी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की "डिस्कवरी आफ इंडिया" को जेल में जाने नहीं दिया। वहां के जेल सुपरिटेन्डेन्ट साहब बहुत दिलचस्प आदमी हैं, उन्होंने कहा जवाहरलाल भी तो आधे कम्युनिस्ट हैं। किस दुनिया में हम रहते हैं ? कुछ को आपने छोड़ा तो एक्सटर्नमेंट कर दिया। मैंने कहा कि या तो बन्द रखिये और अगर छोड़िये तो छोड़िये। एक मिसाल मैं बताऊं। मन्नासिंह एक गरीब, जाहिल, बे पढ़ा लिखा मजदूर है। वह साल भर जेल में रहा। उसकी नौकरी गयी, उसके बच्चे भूखों मर रहे हैं। मालूम नहीं वह क्या कानपुर में जाकर बम फेंक देगा जो उससे कहा गया कि तुम कानपुर नहीं जा सकते ?

अब यू० पी० पुलिस ने एक नया तरीका आख्तियार किया और मैं, उपाध्यक्ष महोदय, इस चीज को बड़ी सख्ती के साथ कहना चाहता हूं। गाजीपुर के अन्दर पुलिस की धांधलियों के खिलाफ हमारे कुछ कार्यकर्त्ताओं ने आन्दोलन उठाया। यहां लिख कर मुख्य मंत्री को और होम मिनिस्टर साहब को दिया कि ये ये दरोगा हैं, इन्होंने इतना इतना घूस लिया, रकम बतायी गयी, नाम दिया गया, जगह दी गयी। हुआ क्या ? उन अफसरों को कहा कि इन सब को गिरफ्तार कर लो डी० आई० आर० में। लिख कर भेजा कि सब कम्युनिस्टों को बन्द कर दो इसलिये कि ये तो बड़ा बवन्डर मचा रहे हैं। मैंने पूछा, क्या ये राजनीतिक हैं ? उन्होंने कहा कि नहीं, वे तो ऐंटीशोशल एलीमेन्टस हैं, तार काटते हैं, वे मालूम नहीं क्या क्या गुप्त बातें करते हैं। पब्बर राम, एक्स एम० एल० ए०, गऊ आदमी, वह तार काटेगा ? मैं झूठ बोल सकता हूं, पार्टीजन हूं, कम्युनिस्ट हूं, लेकिन मैं एक चिट्ठी पढ़ना चाहता हूं श्री विश्वनाथ सिंह गहमरी की जो कि पार्लियामेंट के मेम्बर हैं कांग्रेस टिकट पर। आपकी इजाजत से मैं उसे पढ़ना चाहता हूं। उन्होंने होम मिनिस्टर, श्री नन्दाजी को यह खत लिखा है :—

"My dear,

I do hope that you will kindly take this letter in the spirit in which it is written. I thought it my duty to apprise you of the latest position regarding the situation of Law and Order created by the local police of Ghazipur district (U. P.). As you know, it is the firm belief of the masses that Police are the guardian of Law and Order. The guardian of Law and Order himself has indulged in corrupt practices in our district since the posting of Shri....., Superintendent of Police, Ghazipur. He has organised the entire police set up in such a way that no body would touch the corrupt police officials.

As a result of such misconduct of local police, the welfare of the masses is in danger and has given a feeling of insecurity and doubts as regards living in Ghazipur District with self-respect and dignity as free citizen of India ..... At one stage it appears to me that the entire population of the Ghazipur District will go against Congress Rule due to mishandling and misgiving of the situation by the police authority in their own way will lead an uprising of the masses in true sense. As a loyal Congressman I would be failing in my duty if this is not brought to the notice of the Government which is headed by the Congress Party.....

After a short duration, district Police tried to take avenge from the organisers of the meetings and demonstrations whcih included in fact majority of Congressmen than sympathisers of others parties. As the present Superintendent of Police could not rope in Congressmen, he went to such an extent instead of fishing out corrupt police officials that he got managed to get externment orders against four Communist Party workers Sarvasri Pabbar

[श्री जेड० ए० अहमद]

Ram, Ex-M.L.A., Baijnath Singh, Sheo Murat Singh and Jannat Khan of Ghazipur District under the cover of Defence of India Rules. The said four worke s are still externed from the Ghazipur. D'stric! Though a number of staunch Communists have been released recent'y in West Bengal. Surely, it was not the intention of Defence of India Rules to punish political workers in such a way as to endanger the very ex'stence of demociacy.

I personally feel that this way of doing things is not a lasting one and gives an adverse effect on the minds of our masses which results in hatered for Congress Rule. Truth cannot be hidden by political weight. The democracy, if not guided proper'y wou'd degenrate into some sort of totali tarianism.

I suggest that Shri....., Superintendent of Police, Ghazipur (U. P.) may be transferred from the district immediately and an inquiry in to the matter may kindly be made through some independent and reliable agency and the exterment orders served on Sarvashri Pabbar Ram, Ex-M.L.A., Raj Nath Singh, Sheo Murat Singh and Jannat Khan of Ghazipur District may be withdrawn in order to create congenial atmosphere in the district."

कहते हैं कि उनको एक्सटर्न कर दिया । मैं कहता हूं कि कम्युनिस्टों का आज सवाल नहीं है । सवाल यह है कि अगर पुलिस अधिकारी डी० आई० आर० को इस्तेमाल करेंगे उनके खिलाफ जो उनके करप्शन और घूसखोरी के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो यह कहां तक ठीक है, इस पर हाउस गौर कर सकता है । इनके लिये कहा जाता है कि यह तार काटते हैं, यह ऐन्टी सोशल एलीमेंट हैं । अगर वे एंटीसोशल ऐलीमेंट हैं तो मैं भी हूं । आज यह होना चाहिये कि यहां से ५ आदमी चले जायं और हम लोग नहीं जायेंगे । वहां जाकर मालूम करें कि क्या श्री पब्बर राम और राजनाथ जी ऐन्टी सोशल एलीमेन्ट हैं ? अगर यह बात सही निकल आये तो मैं ईमानदारी से कहता हूं कि मैं असेम्बली सीट से रिजाइन कर दूंगा । यह क्या मजाक की बात है कि कह दिया कि ये लोग पुल तोड़ने वाले हैं या तार काटने वाले हैं ।

हमारे माननीय गंगा प्रसाद वर्मा जी ने १०० रुपये की घूसखोरी का एक केस पकड़ा था । पुलिस ने उसे पकड़ लिया और और बड़ा शोरगुल मचा । बहुत से आदमी जमा हो गये । वह रुपया वापस दिलाया गया और पुलिस ने मामले को रद्द करने की कोशिश की । वहां जो एक्साइज आफिसर था उनका इंसपेक्टर था । उसने किसी सुनार से घूस ली थी । इसलिये उन्होंने अलग से इंक्वायरी की क्योंकि उनको फिक्र हुई कि कहीं उनके ऊपर भी कोई बात न आये । गंगा प्रसाद वर्मा जी से कहा गया कि आप गड़बड़ चीजें करते हैं इसलिये डी० आई० आर० में आपके खिलाफ कार्यवाही होगी । श्री गंगा प्रसाद वर्मा मुलजिम बनाये गये, जिन्होंने दो-तीन घूसखोरी के केसेज पकड़े । उनके खिलाफ भी कहा जाता है कि डी० आई० आर० में कार्यवाही होगी । यह एटा के एम० एल० ए० हैं । आज डी० आई० आर० जिस तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है उस पर कड़ी नजर रखिये । जो जुल्म हो रहा है उसको खत्म कीजिये ।

छोटे किसानों से तो ड्यूज वसूल कर लिये गये, लेकिन यह सरकार मिल मालिकों से १० करोड़ वसूल नहीं कर पाई । इनकी इच्छा नहीं थी वसूल करने की । मैं सरकार पर यह चार्ज लगाता हूं । आज नौकरशाही ने गवर्नमेंट कनइवेंस से डी० आई० आर० वैपन आफ ओपरेशन बना लिया है । इसको चेंज होना चाहिये । गरीबों की रक्षा होनी चाहिये न कि लुटेरों को रक्षा करें । इमर्जेन्सी में सिचुयेशन बदल गई है इसलिये अजसरे नौ गौर करना होगा । इसको ही लेकर कब तक चले जायेंगे ? इसकी भी कोई हद होगी ? इसलिये मैं माननीया मुख्य मंत्री जी से आजिजी से अर्ज करूंगा, मैं सख्त कलामी नहीं करूंगा, मैं चाहता हूं कि उनके नये दौर में नया वातावरण शुरू हो । गरीब किसान और मजदूरों

की सुरक्षा हो इस प्रकार से हम सही डेमोक्रेसी की परम्परा को ऊंची उठायें और डेमोक्रेसी के झंडे को बुलन्द करें ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब समय डेढ़ घंटा बाकी है इसलिये १०-१० मिनट ही में खत्म करें ।

*कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--

श्रीमन्, अगर जरूरत पड़े तो थोड़ा समय दे दीजिये, वैसे में जल्दी खत्म करने का प्रयास करूंगा ।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं और कुछ निवेदन करने के पहले आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं और बड़े दुख के साथ निवेदन करना पड़ रहा है कि हमारे सामने बैठने वाले जिनको अब मुझे कांग्रेसी कहने में भी लज्जा आती है, परन्तु चूंकि पुराने नाम पर चले आ रहे हैं इसलिये कहना पड़ता है, इनकी पुरानी आदत है । राज्य मिलने के पहले इनकी आदत दूसरी थी, राज्य मिलने के बाद इनकी आदत दूसरी हो गई । अंग्रेजों की विरासत इनको मिली है, सारी अपनी भलाई बुराई देकर अंग्रेज गया है, जिस प्रकार अंग्रेज अपने कानून को हर प्रकार से भलाई बुराई से इस्तेमाल करता था ठीक वही तरीका इन्होंने बना रखा है । (व्यवधान) बेशक पालीवाल जी उस वक्त कुछ और करते थे अब कुछ और कर रहे हैं । जो आपके गुरू, आका, परवरदिगार अंग्रेज किया करते थे, वही कर रहे हैं ।

गोंडा में एक किस्सा हुआ । एक साहब थे, उनके बाप मर गये । उन्होंने मरे हुये बाप को घर में फूंक दिया और कुछ लोगों का नाम दे दिया कि इन लोगों ने मेरा घर जला दिया जिसमें मेरे बाप जल कर मर गये । जैसा उन्होंने किया वैसा ही यह सरकार भी कर रही है । पूज्य बापू की हत्या हुई । उनकी हत्या को ले कर तमाम विरोधियों को चुन-चुन कर इन्होंने पकड़ा । भारत माता के ऊपर चीन का हमला हुआ, उस हमले में इन्होंने डी०आई०आर० का नाजायज फायदा उठाया । पकड़ा किसको ? जो देश भक्त थे और जो दूसरों के अन्दर भी देश भक्ति की भावना जाग्रत करना चाहते थे, वह पकड़े गये । इसलिये कि कांग्रेस के खिलाफ थे । यह कांग्रेस को ही देश समझते हैं । हमारे पालीवाल जो अपने छोटे से दायरे के अन्दर कांग्रेस को ही भारतवर्ष समझते हैं । उसके अतिरिक्त जितने लोग हैं वह सब देश द्रोही हैं । पिछले वर्ष यही 'मां की पुकार' प्रदर्शनी लगी । उसमें क्या था ? मुर्दादिल नौजवान भी जो उसका एक चक्कर लगा लेता था तो उसका दिल चीनियों के विरोध में डेढ़ गज का हो जाता था । खून खौलने लगता था । उसको कहा कि डी० आई० आर० में बन्द कर दिया जाय । १५ तारीख को प्रदर्शनी समाप्त हो गई और १७ तारीख को डी० आई० आर० को ले कर पहुंचे कि इसको बन्द कर दो ।

एक पुस्तक है, इस पर भी डी० आई० आर० चला है । जरा देखा जाय कि डी० आई० आर० आपने किन चीजों पर लागू किया है । एक कवि की लिखी है । छैलबिहारी बाजपेयी नाम है । अच्छे लेखक हैं । नौजवान आदमी हैं । हृदय में राष्ट्र प्रेम है, देश के लिये जलन है । उन्होंने जो लिखा उसके थोड़े से उद्धरण मैं देना चाहता हूं । :

"लड़ना है जीवन भर हमको राष्ट्र-द्रोह के दोषों से।"
"चौराहों पर टांगा जाता बहादुरों का भाल था "
हर जवान, बालक बूढ़ों को आजादी का ख्याल था ।।
डायर की गोली से जूझा जहां कि मदनगुपाल था ।।
सिसक रही वह भूमि हमारी अमर बाग जलियान की।
कांग्रेस ने कर डाली बरबादी हिन्दुस्तान की ।"

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[कुंवर श्रीपालसिंह]

केवल इस वाक्य के ऊपर डी० आई० आर० में इस किताब को ले लिया। कांग्रेस के मानी हिन्दुस्तान कभी नहीं हो सकते।

आप याद रखिये। वह और क्या कहते हैं ---

"जहां के नर नाहर ने नारा बन्देमातरम् का बोला।
लन्दन लोक सभा में जय भारत का पहला स्वर बोला।।
जिसको सुन गोरों का आसन, शासन, सिंहासन डोला।।
सरेआम ललकार के भूना पापी डायर का चोला।"

ऐसी भाषा और कविता लिखते हैं, उसको कहते हैं कि यह देश द्रोह है।

और यह हमारे पालीवाल साहब जो हैं चीनी मिलों की सिफारिश करने वाले, यह देश द्रोही नहीं हैं, यह बड़े भारी देश भक्त हैं। श्रीमान् जी, डी० आई० आर० का इस्तेमाल किस प्रकार से किया गया है। ऐसे-ऐसे देश भक्तों के ऊपर डी० आई० आर० लगाया गया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यहीं आपके लखनऊ में इसी शहर में इसी कांग्रेसी सरकार की नाक के नीचे १५ ट्रांसमीटर गुप्त रूप से चल रहे हैं। यह एक मिलिटरी के अधिकारी की कही हुई बात है जो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, नाम नहीं लूंगा, नहीं तो शायद उसकी नौकरी भी ले लें क्योंकि इसमें बड़े तेज हैं, उसी को डी० आई० आर० में फंसा देंगे कि तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? तो यहीं आपके लखनऊ में १५ ट्रांसमीटर गुप्त रूप में चल रहे हैं जो रोजाना दुश्मनों को खबर देते हैं और उन १५ ट्रांसमीटरों में से चार आपके हजरतगंज एरिया में हैं। मगर यह हमारे लाड़ले सरकार के बैठे हुये हैं, इस देश-द्रोह का पता नहीं लगा सके। मगर जो डायर को भूनने की आवाज उठाता है उसके ऊपर डी० आई० आर० लगाते हैं।

(व्यवधान)

यह हमें मालूम हुआ है एक बहादुर की जबान से जिसकी आपके यहां इज्जत नहीं है। आपके यहां इज्जत किसकी है? यह भी सुनाता हूं घबड़ाइये मत। एक तरफ जैसा कि डाक्टर साहब ने बताया गरीब मजदूर है---जो किसी तरह से अपना पेट पालने वाला और पेट काटकर आधा चौथाई भोजन करके भी २४ घंटे में १८-१८ घंटे काम करने वाला है और वह राष्ट्रीय रक्षा के नाम आवाज निकालते ही अपना सर्वस्व न्योछावर कर देता है, उसको तो पकड़ा जाता है और श्रीमान् जी, जो बड़े-बड़े मिल मालिक साहबान हैं जो चोर बाजारी करते हैं, उनसे हमारी सरकार बोल नहीं सकती है। (व्यवधान)। मेरे पास मिल नहीं है। वह आप लोगों के पास है। मेरे पास तो जो था वह था। अब आप हैं उस जगह पर। एन० आर० शुगर फैक्ट्री, पीलीभीत की तरफ से एक नोटिस निकलती है, १८ नवम्बर को। एक पत्र बांटा गया, इसमें स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि सरकार के डी० आई० आर० के अन्तर्गत कोई व्यक्ति निम्न नियमों की अवहेलना करता है तो तीन वर्ष की सजा या जुर्माना या दोनों सजा उसको दी जायगी। किस चीज के लिये? गन्ना न देने के लिये। किसान अपना गन्ना दे और नहीं दे तो डी० आई० आर०। और डी० आई० आर० की यह धमकी निकाली किसने, शुगर फैक्टरी वालों ने। सरकार की तरफ से नहीं निकली, क्योंकि वह तो हमारी सरकार के बड़े लाड़ले बेटे हैं न। जब चुनाव लड़ना पड़ता है तो पैसा वही देते हैं। किसान के पास वोट है और उनके पास नोट है। वोट की पांच साल में एक बार जरूरत पड़ती है, लेकिन नोट की तो चौबीसों घंटे जरूरत पड़ती है। और जब वोट लेने जाते हैं तो रंग बदल जाता है। अभी हुमायूं कबीर अंग्रेजी की हिमायत में यहां एक कबीर बोल गये और लाल बहादुर शास्त्री ने किसानों के बीच में सही बात कही। यहां वह कह गये कि बगैर अंग्रेजी के सभ्यता नहीं आती है, तरक्की नहीं होती है। तो बताइये अंग्रेजी के भक्त हम हैं या आप? अंग्रेजी के बच्चे हम हैं या आप? मिनिस्टर साहबान यहां बैठे हुये हैं, पास कर चुके हैं कि यहां की भाषा हिन्दी होगी, लेकिन फाइलें उठाकर देख लीजिये नोट किसमें लिखते हैं?

तो डी० आई० आर० में तो इनको पकड़ना चाहिये। जब राष्ट्र पर संकट आया कांग्रेस के दो गुट आपस में लड़ रहे थे। सरकार को कमजोर करके यह लोग यहां बैठे हुये हैं। डी०आई० आर० आज भी लागू है। क्यों नहीं ये पकड़ कर बन्द किये जाते? सीधे इन मंत्रियों को पकड़ कर बंद कर देना चाहिये क्योंकि इनकी वजह से प्रदेश कमजोर हो रहा है। अभी अभी हमारे गृह मंत्री जी ने बताया कि बाराहोती में तिब्बती जासूस घुस आये तो उनको आपकी लाड़ली पुलिस ने हथकड़ी भी नहीं लगायी, खच्चर पर बैठाकर ले चले जैसे द्वारचार में जा रहे हों। इतना ही नहीं वह निकल भागे और जिधर से आये थे उधर ही चले गये।

हमारी सरकार की पुलिस भागती है पकड़ने के लिये गंगा प्रसाद वर्मा एम० एल० ए० को कि आपने क्यों किसी को रिश्वत लेते हुये पकड़ा, इसलिये आप डी० आई० आर० के भागी हैं। श्रीमन्, मैं भी भुक्तभोगी हूं। मुझसे भी कहा गया कि क्यों मैंने जौनपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के इलेक्शन में कांग्रेसी महोदय का विरोध किया? इसलिये मेरे पास भी लिख कर आया कि जरा डी० आई० आर० का खयाल रखियेगा। मैंने कहा कि मैंने आप का डी० आई० आर० देखा है। हम तो जरूर विरोध करेंगे, चाहे मरें या जियें। हम को तो धमकी देते हैं लेकिन वह चीन के जासूस इधर उधर काम करते हैं। पाकिस्तान के जासूस हैं जो घर बैठें यहां से खबर दे रहे हैं, उनके लिये आपका डी० आई० आर० धरा रह जाता है। न भारतीय सुरक्षा कानून उनके लिये काम करता है और न दूसरा सुरक्षा का कानून काम करता है। केवल सुरक्षा है तो वह कांग्रेसवालों की है। मगर कांग्रेस में भी दो भाग हो गये हैं। आधा भाग कुछ कहता है और आधा भाग कुछ कहता है। एक तीसरा भाग भी पंजाब में निकल रहा है। मैं दरख्वास्त करूंगा कि जो कोई भी डी० आई० आर० लगाने वाले हैं उनको सब से पहले कांग्रेस के दोनों गुटों के जो लोग हैं इन पर चलाना चाहिये। इन दोनों को पकड़ कर बन्द कर दिया जाय इस वजह से कि इनके कारण प्रदेश कमजोर हो रहा है और ठीक से सरकार का काम नहीं चल रहा है।

*श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने दो भाषण सुने। राष्ट्रीय संकट के सम्बन्ध में डाक्टर अहमद साहब को भी सुना। कुंवर श्रीपाल जी का भी भाषण सुना जो ऐसा मालूम होता था कि वह दरबार चला रहे हों। वह पुराने ताल्लुकेदार हैं और ताल्लुकेदारी देखी है और तबले की झंकार देखी है। उसी मकसद से वह राष्ट्रीय संकट की बात कर रहे थे। उनकी बात में कोई वजन नहीं था। लेकिन अहमद साहब ने कुछ बातें कहीं जो मुनासिब थीं, किसी हद तक उन पर विचार करना है।

डाक्टर साहब की शिकायत सब से पहले डी०आई०आर० के सम्बन्ध में है। इस उत्तर प्रदेश में कितने इन्सान डी० आई० आर० के मातहत गिरफ्तार हुए इसका जिक्र उन्होंने नहीं किया। इस प्रदेश की जनसंख्या ७ करोड़ ७० लाख है। अगर ५० या ४० आदमी या १०० आदमी डिफेन्स आफ इंडिया रूल्स में उत्तर प्रदेश में सरकार ने गिरफ्तार किये हैं तो यह बहुत छोटी तादाद है। उस तादाद का रिव्यू और स्क्रूटनी होती रहती है और रिलीज भी होते रहते हैं। मैं नम्र निवेदन करूंगा कि इस राष्ट्र संकट को इस तरह से डिसकस करना और इस तरह से उस पर आलोचना करना उचित नहीं है। उसका दूसरा पहलू भी देखने की जरूरत है। जब से उत्तर प्रदेश में इमरजेन्सी डिक्लेयर हुई है तब से कितने आदमी गिरफ्तार किये गये? हमारे देश के मुकाबले में कितना बड़ा दुश्मन चीन है। पाकिस्तान भी नित्य प्रति कोल्ड वार दोनों सरहदों पर चलाने के लिये आमादा है। बड़ी तेजी के साथ वह लड़ाई के रास्ते पर जा रहा है। हमारे भाई यहां पर कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस का शासन यहां पर हिन्दुस्तान में २ हजार वर्ष तक रहेगा। आप अपनी उमर भर कांग्रेस शासन को यहां से हटा नहीं सकते। इस किस्म की बातों से और इस किस्म की गलत बयानियों से उत्तर प्रदेश की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जे० पी० मिश्र]

जनता बहक नहीं सकती है। राष्ट्रीय संकट से कितना बड़ा फ़ायदा देश और प्रदेश को हुआ है इस तरफ भी आप को देखना पड़ेगा। राष्ट्रीय संकट ने देश में जीवन जाग्रत किया और उसके डिक्लेयरेशन से देश जागा, सजग हुआ। उसकी तैयारियां बढ़ीं और देश मजबूती की तरफ बढ़ा। पांच, दस या पचास आदमियों की गिरफ्तारी का कुछ असर पड़ना था और उससे आपको कुछ परेशानी हुई और डाक्टर अहमद को कुछ शिकायत हुई। यह ठीक है। और मैं उनसे कहूंगा कि बजाय इसके कि वह इस तरह का प्रस्ताव लाते, अच्छा यह होता कि वह माननीय मुख्य मन्त्री जी से कहते कि हमारे दो, चार आदमी बंद हैं, उनकी स्क्रूटनी कर ली जाय। डाक्टर साहब ने जिस तरह से यह प्रस्ताव मूव किया है उससे मैं इतना ही समझता हूं कि उनके दो चार साथी जेल में हैं और अभी तक छूटे नहीं हैं। अब डाक्टर साहब की दरख्वास्त माननीय मुख्य मन्त्री जी ने सुन ली है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस पार्टी और सरकार उदार है और उदारतापूर्वक आपकी दरख्वास्त पर गौर करेगी और मैं कांग्रेस सरकार की तरफ से आप को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उन पर सहृदयता से विचार होगा। (व्यवधान)

अभी मैं बैठ कहां रहा हूं। राष्ट्रीय संकट है कहां से, यह बात मैं जरूर आप से कहना चाहता हूं। वह पैदा किया जा रहा है। इमरजेंसी की गाड़ी रोकने के लिये अड़चनें डाली जा रही हैं। यहां मिल मालिकों के बहुत से एजेंट्स बैठे हैं। अगर पूरी लिस्ट देखी जाय तो उसमें १/४ लोग ताल्लुकेदार हैं और १/४ सीताराम जयपुरिया के पैसे से चुनाव लड़ कर यहां आये हैं लाखों रुपया सीताराम जयपुरिया से उन्हें पार्टी के नाम से मिलता है ....,,..

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

देखिये .....

श्री चैतन्यराजसिंह (जिला अलीगढ़)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप शान्त रहें। आपका व्यवस्था का का प्रश्न क्या है?

श्री चैतन्यराजसिंह—

मेरा प्रश्न यह है कि माननीय मिश्र जी ने यह कहा कि लाखों रुपया सीताराम जयपुरिया का लेकर चुनाव लड़ कर ये लोग यहां आये हैं। यह सर्वथा इधर के लोगों के साथ अन्याय है और उनका अपमान करना है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है। (व्यवधान)

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)—

मैं प्वाइंट आफ आर्डर रेज करना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष—

कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है।

श्री जे० पी० मिश्र—

मैं फिर कहना चाहता हूं कि जयपुरिया के पैसे से, रामरतन गुप्ता के पैसे से, टाटा और बिडला के पैसे से वह चुन कर आये हैं, और कहां से उनके पास दौलत आयी?

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

जरा टाइम का खयाल रखियेगा, वैसे हम शान्त हैं।

श्री जे० पी० मिश्र—

मजदूरों के मुताल्लिक जो डाक्टर अहमद की शिकायत है तो इंडस्ट्रियल ट्रूस का एक सिद्धान्त देश में स्वीकार हुआ है और हिन्द सरकार के प्रमुख मजदूर नेतृत्व की तरफ से, उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से भी स्वीकार हुआ ताकि देश और प्रदेश में उत्पादन बढ़े। आज भी सरकार उस पर कटिबद्ध है। लेकिन जिन्होंने अपनी जमीन खो दी है वह हड़ताल इन्स-टीगेट करना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश और हिन्द सरकार इमरजेंसी के बीच हड़ताल नहीं होने देगी। मैं डाक्टर साहब की योग्यता को चैलेंज नहीं करता, उन्होंने सीतापुर और दूसरी जगह की मिसालें दीं, लेकिन उनमें कोई ऐसी अड़चनें नहीं थीं। दूसरी तरफ से जिससे ट्राइपा-टाइट कांफ्रेंस का फैसला रिवाइज नहीं किया जा सकता है और मैं स्वयं कांग्रेस पार्टी की तरफ से माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उनका रिवीजन शीघ्र से शीघ्र करें।

उत्तर प्रदेश सरकार ने गुड़ वगैरह के ऊपर कोई रैस्ट्रिक्शन नहीं लगाया, यह तो केन्द्रीय सरकार का कदम है। केन्द्रीय सरकार ने दो-तीन बार विचार किया और पार्लियामेंट में विरोधी दलों ने एक बहस की। (लालबत्ती होने पर) श्रीमन्, अभी तो ५ मिनट ही हुए होंगे? और उस बहस के बाद प्रजातांत्रिक प्रणाली के अनुसार जो निर्णय हुआ और जो भारत सरकार का आदेश हुआ उस पर माननीया सुचेता जी की सरकार ने अमल किया। अब आप उसके खिलाफ हड़ताल कराते फिरते हैं, सर पर ६ सेर गुड़ लाद कर गंगा पार जाते हैं, कानून को तोड़ते हैं, और फिर कहते हैं डी० आई० आर० का उपयोग हो रहा है। यह सरकार कानून तोड़ने को इजाजत नहीं देगी। (व्यवधान) आप यहां यह सूचना अगर दे दें कि कौन एम० एल० ए० गिरफ्तार हुआ है तो वायरलेस आदि की जरूरत ही न पड़े। बापू जी जब सत्याग्रह करते थे तो पहले से तिथि तथा समय का एलान कर देते थे, कहां होगा, बता देते थे। हम जाते थे और गिरफ्तार हो जाते थे। आप क्यों अपने इरादों को छुपाते घूमते हैं? जो भी कानून तोड़ेगा, उसके साथ रिआयत नहीं की जायेगी।

*श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, माननीय मिश्र जी के ओजस्वी भाषण के बाद.....(अत्यन्त शोर)

श्री उपाध्यक्ष—

यह कोई तरीका नहीं है कि दोनों तरफ से इस तरह शोर हो। यह कोई शोभा की बात नहीं है।

श्री राधेश्याम शर्मा—

सरकारी पार्टी को शान्त कर दिया जाय।

श्री रामायणराय—

श्रीमन्, इस महत्व के प्रश्न पर दोनों ओर से जो जोश दिखाई दे रहा है उसके देखते हुये उधर से जो बातें कही गयीं, अगर वह न कही गयी होतीं तो विषय के साथ अधिक न्याय हुआ होता। प्रश्न तो यह था कि आज राष्ट्रीय संकट की बेला में राज्य सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारी जिनके बारे में डाक्टर साहब ने भी आरोप लगाये हैं, वे इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। जो बातें कही गयी थीं, अगर उनका जवाब मिलता तो हम समझते कि क्या बात है। मैं उम्मीद में बैठा हूं, माननीया मुख्य मंत्री यहां बैठी हैं, वे जरूर हमारी बातों का जवाब देंगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामायणराय]

डाक्टर साहब ने यह कहा कि इस डी० आई० आर० का उपयोग मजदूरों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ किया गया, और उन लोगों के खिलाफ किया गया जो लोग इस देश को संकट से बचाना चाहते हैं। मान्यवर, मेरी व्यक्तिगत राय है कि जो कोई भी देश से प्रेम करने वाला होगा आज उसने जो कुछ इस सदन में इस महत्व के विषय पर विवाद के समय देखा है उसको दुख हुये बिना न रहेगा। मैं ऐसा समझता था कि माननीय मिश्र जी इस तरह के आरोप न लगाते.....

श्री उपाध्यक्ष—

आरोप प्रत्यारोप दोनों ओर से होते हैं किसी एक तरफ से नहीं। श्री मैनेजर सिंह द्वारा कुछ जोर-जोर से बोलने पर) माननीय मैनेजर सिंह, आप बैठेंगे या नहीं ?

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

आप निष्पक्षता के साथ इस सदन का कार्य चला नहीं सकते। माननीय जे० पी० मिश्र ने जिस तरह की अनर्गल बातें सभी पार्टियों के लिये कहीं हैं..... (बहुत ज्यादा शोर)

श्री उपाध्यक्ष—

श्री मैनेजरसिंह, आप बैठ तो जाइये। आप, रामायणराय जी बोलिये।

श्री रामायणराय—

तो मैं आप से निवेदन कर रहा था ....

श्री राजदेव (जिला देवरिया)—

मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं कि भाई मैनेजर सिंह ने हम लोगों को घूंसा अभी दिखाया है तो घूंसे का जवाब कैसे दिया जाय यह जरा हमको बता दीजिये ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जाइये। इस तरह की बातों से कोई फायदा नहीं है। शान्ति से चलिये।

(पुनः अत्यधिक शोर)

आप बैठ लोग जाइये। रामायण राय जी चलिये।

श्री रामायणराय—

क्या यह सही नहीं है कि जो लोग इस देश को संकट से मुक्त कराना चाहते हैं वह चाहते हैं कि देश का मनोबल न टूटे, लेकिन जनता के नुमाइन्दों द्वारा ऐसे नमूने प्रस्तुत किये जाते हैं जिनका परिणाम ऐसा होता है जिससे जनता का मनोबल टूटे। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि सुरक्षा के नाम पर धन इकट्ठा किया गया और उन पैसों का आज तक पता नहीं है। चन्दे की रसीदें छपवाई गईं और पैसे वसूल किये गये, लेकिन पैसे कहां गये पता नहीं। केवल वाराणसी का ही यह मामला नहीं है। लद्दाख में, नेफ़ा में, और हमारे प्रदेश के उत्तरी भाग में जो लोग आज इस कठिन शीत में डटे हुये हैं, यदि उनके मनोबल को बढ़ाये रखना है तो आज शासन में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसे सब से पहले समाप्त करना होगा। जैसे तेजपुर के हाकिम, जब कि सैकड़ों मील दूर चीनी सेना थी, भाग कर चल गये। अगर ठीक इसी तरह से हमारे ये अधिकारी बने रहे तो यह देश कदापि बचाया नहीं जा सकता है। सुरक्षा कानून का इस्तेमाल उन नौजवानों पर आज किया जा रहा है, उन विद्यार्थियों के ऊपर किया जा रहा है, जिन्होंने यह फ़ैसला किया था कि अगर देश को आवश्यकता होगी तो हम अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिये तैयार हैं। आज बात क्या है ? एक साल भी बीतने नहीं पाया, मुझे अच्छी तरह से याद है, इसी सदन में इधर के बैठने वाले सभी दलों ने, और माननीय कुंवर श्रीपाल सिंह जी ने विशेष तौर से, ऐलान किया था कि मेरा यह शरीर, मेरे २ बच्चे और मेरी

सारी सम्पदा देश के इस महायज्ञ के लिये प्रस्तुत हैं। मैं तो उस दल का हूं जिसके नेता ने मध्य प्रदेश में अपनी समूची सम्पत्ति और सम्चे परिवार को इस महायज्ञ के लिये अर्पण कर दिया था। लेकिन आज इस प्रश्न पर जब हमारी ओर से कुछ कहा जा रहा है तो उधर के बैठने वालों में सुनने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। (व्यवधान) आप घबराते क्यों हैं? आप हमारा मुंह बन्द कर सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की ७।। करोड़ जनता, जो कुछ आप कर रहे हैं उसे अच्छी तरह से देख ही नहीं रही हैं, बल्कि भोग रही है। अगर चीजों की कीमतें बढ़ती हैं, अगर चोर और डाकुओं का आतंक बढ़ता है, अगर नौजवानों के साथ इसी तरह का व्यवहार किया जाता है, तो क्या आप समझते हैं कि यह कागज पर लिखा हुआ कानून इस देश की रक्षा कर सकेगा? अगर मुल्क को बचाना है तो केवल उधर के बैठने वाले ही इस मुल्क को नहीं बचा सकेंगे। इस मुल्क को बचाने के लिये आपको सारे जन-समाज से सहयोग का आहवान करना होगा और साहस और धैर्य रखना होगा।

इधर के लोगों को अगर आप कहते हैं कि ये जैपुरिया के पैसे से चुनकर आये हैं तो जनाब मैं इधर के लोग कह देंगे कि आप अमेरीका के पैसे से आप राज चलते हैं। इन बातों से देश की रक्षा होने वाली नहीं है। देश की रक्षा होगी जनता के मनोबल को ऊंचा उठाने से। उसके लिये आप के अन्दर इतनी हिम्मत होनी चाहिये कि आप जनता की जिन्दगी के सवालों के बारे में सक्षम होकर आगे आइये और उन्हें हल करने की कोशिश करिये। मैं गांजे की क्या बात करूं? मुझे याद है कि ब्रिटेन में जिस एमेरी ने दूसरे महायुद्ध में ब्रिटेन की रक्षा की थी, उसके बेटे पर जब यह संदेह हुआ कि यह राज-द्रोही है तो उसके ऊपर मुकदमा चलाया गया। मैं जानता हूं कि आज मन्त्रियों के आसपास रहने वाले बहुत से लोग तिब्बत को सीमेंट भेजने में लगे हुए हैं। हमारा ५० रुपये बोरे का चावल आज ५०० रुपये पर बेचा जा रहा है। इसी सदन में मैंने जिम्मेदारी के साथ कहा था कि नौतनवां में हमारी चीनी पकड़ी गयी। यह काला बाजार चल रहा है। इस शासन द्वारा ऐसे कार्य हो रहे हैं जिनसे जनता का मनोबल बजाय बढ़ने के गिर रहा है। इन बातों पर जरा आप ठंडे दिल से ग़ौर कीजिये। हमको आप जो चाह कह दीजिये, लेकिन आपको भी इतिहासकार माफ नहीं करेगा और वैसे ही लिखेगा कि 'जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था।' हमें आप गाली दे लीजिये, अपने पिट्ठुओं से दिलवा लीजिये, लेकिन अगर आप के दिल में सचमुच इस मुल्क को बचाने के लिये दर्द है जो शहीदों का मुल्क है, तो आखिर जयपुरिया . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसी बातों को छोड़ें।

श्री रामायणराय—

अच्छा, मैं ऐसी बातों को छोड़े देता हूं।

अन्त में, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि चाहे राम रतन हों, चाहे जयपुरिया हों, मैं इन सब लोगों को हिन्दुस्तान का रहने वाला मानता हूं। जैसे लाल कपड़े से सांड़ भड़कता है, मैं इनसे भड़कता नहीं हूं, लेकिन मालूम होता है कि उधर दाल में काला है, यह ठीक वैसे ही है जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हकीकत सामने आकर रहेगी। कोई ऐसी शुगर फैक्ट्री नहीं है जिसने चुनाव के जमाने में, उनका बैलेंसशीट आप उठाकर देख लें, जिसने १० हजार या १२ हजार इन लोगों के चुनाव के लिये चन्दा न दिया हो। चन्दे लिये जाते हैं, उनकी चर्चा आज यहां नहीं होनी चाहिये थी। चर्चा कुछ और ही होनी चाहिये थी। मैं कुछ और ही सुनने की उम्मीद कर रहा था। मैंने बड़े दुख के साथ सुना। गाजियाबाद में हमारी पार्टी की ओर से जो सत्याग्रह चल रहा है उसके बारे में, माननीय, यह व्यंग किया गया कि "गुड़ ले लेते हैं, उधर चले जाते हैं, यह भी क्या सत्याग्रह है।" धरसाना में जो नमक सत्याग्रह हुआ था, चम्पारन में जो सत्याग्रह हुआ था, उन्हें तो आप सत्याग्रह मानत हैं और जो इस प्रदेश की ऐसी जनता के लिये जो आज

[श्री रामायणराय]

आपके कुशासन के कारण तड़प रही है, उसकी हिम्मत को बढ़ाने के लिये यदि हमने कोई संघर्ष छेड़ा है तो उससे आपको परेशानी होती है। लगा लीजिये डी० आई० आर०, जैसे चाहे लगा लीजिये। लेकिन याद रखिये कि इन चीजों का नतीजा कभी अच्छा नहीं हुआ करता है। आप कभी भी तलवार के बल पर समाज की समस्याओं को हल करने का दुस्साहस करने की कृपा न करें।

*श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़े गौर से डाक्टर साहब की बातों को सुनता रहा। डाक्टर साहब के दिल में एक दर्द था, उनके दिमाग में जो उलझन थी, मैं उसको महसूस कर रहा था। दरअसल उनको चोट लगी थी और उस चोट को वह ईमानदारी से महसूस कर रहे थे। मैं उनसे दरख्वास्त करना चाहता हूं कि उनकी बातें बिलकुल सही हैं। मैं उनको एक-एक अक्षर सही मानने के लिये तयार होता, यदि आप इतनी मेहरबानी किये होते कि दूसरी तरफ की बातों को भी आपने कहा होता। सीतापुर में जो मजदूर पकड़े गये वे क्यों पकड़े गये? उन्होंने क्या किया था, यह उन्होंने नहीं बताया। लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर और दूसरे स्थानों में वे क्यों नहीं पकड़े गये। हो सकता है कि सरकारी कर्मचारियों ने कुछ ज्यादती की हो, लेकिन क्या यह कहा जा सकता है कि मजदूरों की तरफ से कोई बात शुरू न की गयी हो? मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि दूसरी तरफ की भी बहुत बातें उसमें शामिल हैं जिनकी वजह से ऐसी घटनायें घटीं।

उपाध्यक्ष महोदय, इमर्जेन्सी सरकार के लिये शौक की चीज नहीं है, सरकार ने उसको खुशी से नहीं मांगा, और उसको लगाकर सरकार खुश नहीं हो रही है। इमर्जेन्सी एक ऐसे वक्त में आयी जब कि हिन्दुस्तान की सरकार अपने देश को बचाने के काम में लगी हुई थी। उस समय एक ऐसी परिस्थिति घटी जिसके कारण ये नियम लागू करने पड़े।

माननीय श्रीपाल सिंह जी ने दरअसल एक आर्टिस्ट की तरह से भाषण दिया। उस भाषण में बहुत ही सुन्दर और रोचक बातें बड़ी नजाकत से कहीं गयीं, लेकिन उसमें मुझे कोई तथ्य दिखायी नहीं दिया। इस तरह का बनावटी आचरण शुरू से ही बना हुआ है और उससे फायदा उठाया जाता है। इन्हीं सब बातों से किसानों को उल्टा-पुल्टा कह कर बहका लिया जाता है। कितने ही भाई पढ़े-लिखे यहां भी उनसे गुमराह हो जाते हैं और सोचते हैं कि सरकार की आलोचना की जा रही है, जरूर इसमें कोई बात तो सच होगी ही। किसान और मजदूर जो अपढ़ है, दिन भर मजदूरी करके पेट पालता है वह भला इन पालिटिक्स की बातों को किस प्रकार से समझ सकता है, इस आडंबर को किस प्रकार से समझ सकता है? वह इस प्रकार की मायवी रचना में फंस जाता है और ये लोग सामने विराजमान होते रहते हैं।

दरअसल इमर्जेंसी के मैं भी खिलाफ हूं अगर देश को कोई खतरा नहीं है और देश के वह तत्व जो देश को मिटाना चाहते हैं, दूसरे के हाथों में देश को सौंपना चाहते हैं और उनकी तरफ से इत्मीनान हो जाय, तो इसको तुरन्त समाप्त कर दिया जाना चाहिये। लोक सभा और असेम्बली में बड़ी-बड़ी लच्छेदार बातें कही जाती हैं, लेकिन उनके कारनामे दूसरे ही होते हैं और उनकी ही हरकतों की वजह से विरोधी तत्वों को इनकरेजमेन्ट मिलता है। वे सोचते हैं कि हमारे पीछे तो लोक सभा कौंसिल तथा असेम्बली के सदस्य हैं और नतीजा यह होता है कि आपके पीछे वे भी तबाह होते हैं। देश आपका भी है और हमारा भी है। इस देश को चलाने की ठेकेदारी कोई कांग्रेस ने नहीं ले रखी है। अगर आप ऐसा समझते हैं तो यह गलत है। अगर आप सरकार चलाना चाहते हैं तो पहले अपने अन्दर ऐसी लियाकत पैदा कीजिये, इस लायक बनिये और जनता द्वारा अपने को चुनवा कर यहां आइये, फिर सरकार बनाइये। कांग्रेस का इतिहास बहुत पुराना है। कांग्रेस ने देश को बनाने में बहुत बड़ा हिस्सा लिया है। वर्षों के जद्दोजहद के बाद कांग्रेस ने विदेशियों से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस देश को आजादी दिलाने में सफलता पायी । आज इधर के लोगों को बोलने नहीं दिया जाता, गालियां दी जाती हैं और मुक्के दिखलाये जाते हैं । मैं समझता हूं कि इस तरह की चीजें बहुत गलत हैं । मैं तो अपनी तरफ के लोगों से कहूंगा कि जो विरोधी दल के लोग कर रहे हैं उन्हें करने दीजिये क्योंकि इससे तो हमारा फायदा ही है । जो पढ़े लिखे लोग यहां मौजूद हैं वे भी इस तरह की इनकी हरकतें देख कर समझ जायेंगे कि बिना कुर्सी पर बैठे हुए तो इनकी यह हालत है और यदि कहीं ये सरकार चलाने के लिये कुर्सी पर बैठ गये तब समाज को कहां ले जायेंगे और ये देश के लिये क्या कर सकेंगे । तो इसमें हमारे लिये परेशान होने की कोई बात नहीं है । आप सरकार बनाने का ख्वाब देखते हैं तो हम आपको दावत देते हैं और देश आपको दावत देगा कि पहले आप अपने अन्दर हिम्मत पैदा कीजिये, जिम्मेदारी के रास्ते पर चलने की कोशिश कीजिये, जो लोग देश को चलाने वाले हैं पहले उनकी नकल कीजिये, उसके बाद आप सरकार बनावें । बाहर के मुल्कों में दो तीन-चार साल के बाद ही सरकारें बदलती रहती हैं । उसी तरह से आप भी अपने यहां सरकार बदलने की कोशिश कीजिये । सरकार चलाने की ठेकेदारी केवल पंडित जवाहर लाल नेहरू पर ही नहीं है, लेकिन अपने को पहले इस काबिल तो बनाइये कि सरकार को चला सकें ।

अन्त में मैं इतना ही कहता हूं कि इमर्जेन्सी की सख्त जरूरत थी और इसका अभी जारी रखना बहुत ही आवश्यक है । एक बात डाक्टर जेड० ए० अहमद साहब ने कही और दरअसल अगर उनकी बात सही है कि किसी आफिसर ने केवल दुश्मनी की वजह से किसी कार्यकर्ता को पकड़ा, तो यह बहुत गलत है और ऐसे आफिसर को सजा मिलनी चाहिये । चाहे कोई सोशलिस्ट पार्टी का हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी का हो, चाहे किसी भी पोलिटिकल पार्टी का हो, किसी के खिलाफ पोलिटिकल प्वाइंट आफ व्यू से डी० आई० आर० का इस्तेमाल नहीं होना चाहिये । अगर किसी आफिसर ने किसी दुश्मनी की वजह से किसी शख्स को पकड़ा हो तो उसे सरकारी सर्विस से सरकार को निकाल देना चाहिये । आज भी इमर्जेंसी की बहुत जरूरत है और यह तब तक रहेगी जब तक हमारे देश की स्थिति ठीक न हो जाय ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहता हूं । अभी जो माननीय सदस्य ने सीतापुर के मजदूरों के लिये कहा कि गद्दारी की वजह से उनको पकड़ा गया, तो मैं बतला दूं कि भ्रमवश वे सभी मजदूरों को गद्दार समझ रहे हैं । सभी मजदूर गद्दार नहीं थे, बल्कि उन्होंने केवल अपने वेतन की मांग की थी ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

श्रीमन्, जो बीमे का रुपया लेकर भाग गये उन पर मुकदमा चलेगा कि नहीं ?

*श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा विचार इस वाद विवाद में भाग लेने का नहीं था । परन्तु जो दृश्य मैंने अभी इस सदन में देखा, उससे मुझे इतना दुख हुआ कि कुछ न कुछ दो-चार शब्द कह देना मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं । जिस प्रकार से जिस उच्च लेविल पर माननीय जेड० ए० अहमद साहब ने इस बाद विवाद को शुरू किया था, यदि उसी प्रकार यह विवाद चलता तो उससे कुछ न कुछ इस दो घंटे में हम लोगों को लाभ होता और इस प्रदेश के निवासियों को भी लाभ होता । लेकिन यकायक माननीय मिश्रा जी ने यहां के वातावरण को एक ऐसा मोड़ दिया और इस तरह की बातें कहीं जिससे पूरे सदन का वातावरण ही दूषित हो गया और उनके उस भाषण के बाद यहां जो स्थिति देखने में आई और जिस तरह से एक दूसरे की तरफ इधर और उधर के सदस्यों ने मुक्के तक ताने तो मुझे ऐसा लगा कि अगर देश की सुरक्षा को कहीं से कोई

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

[श्री भानुप्रतापसिंह]

खतरा है तो वह खतरा हम सब से ही है। मैं कह सकता हूं कि इस देश पर चीनी या पाकिस्तानी कभी विजयी नहीं हो सकते और उन से हमें कोई ऐसा खतरा नहीं है जैसा कि देश में एक दूसरे के प्रति असहिष्णुता और पारस्परिक घृणा की भावना से पैदा हो रहा है, असली खतरा वह है। जो आज डींग मारते हैं कि हम २००० वर्ष तक यहां राज्य करते रहेंगे, उन की यह भावना ही उनके लिये घातक सिद्ध होगी।

माननीय मिश्रा जी ने कहा कि इधर के बैठने वाले पूंजीपतियों के पिट्ठू हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि बहुत से लोग इस सदन के अन्दर ऐसे हैं और सदन की कोई पार्टी ऐसी नहीं है कि जिसने पूंजीपतियों से पैसा न लिया हो, कांग्रेस ने भी लिया और मैं अपनी पार्टी तक को कहता हूं कि स्वतंत्र पार्टी ने भी लिया, सोशलिस्ट, प्रजा सोशलिस्ट, जनसंघ सब ने पूंजीपतियों से पैसा लिया, किन्तु सब से ज्यादा पैसा अगर किसी ने लिया तो वह कांग्रेस दल ही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि पूंजीपतियों से यदि पैसा लेकर चुनाव लड़ना बुरी बात है, तो क्या कारण है कि पिछले आम चुनाव के पहले जब लोक सभा में प्रस्ताव रखा गया कि इंडियन कम्पनीज ऐक्ट में संशोधन कर दिया जाय कि कोई पूंजीपति राजनीतिक दलों को पैसा न दे सके और उस प्रस्ताव को सारे विरोधी दलों का समर्थन प्राप्त था, किन्तु यदि कोई राजनीतिक दल इस चीज को नहीं माना और जिस ने उस का विरोध किया, वह कांग्रेस दल ही था। क्या कारण है कि कांग्रेस ने उसी समय पूंजीपतियों से पैसा लेकर चुनाव लड़ने के प्रस्ताव का विरोध नहीं किया, इस से साफ है कि सब से अधिक लाभ इस देश में कोई दल यदि पूंजीपतियों से उठाता है तो वह कांग्रेस दल है और यदि पूंजीपतियों की कोई ठेकेदार है तो वह कांग्रेस पार्टी ही है।

यह इस बात से भी स्पष्ट है कि उन्होंने अभी तक डी० आई० आर० का किस प्रकार से प्रयोग किया है। मैं उन से जानना चाहता हूं कि क्या एक भी मिसाल वह दे सकते हैं कि जिस में उन्होंने इस कानून को पूंजीपतियों के खिलाफ इस्तेमाल किया हो? आये दिन हमारे प्रधान मंत्री पंडित नेहरू कहते हैं कि हम पूंजीपतियों की इजारेदारी देश में कायम करना नहीं चाहते और उस को दर करना चाहते हैं, लेकिन यह गुड़ और खांडसारी की जो पाबन्दी है जिस का उद्देश्य यही है कि चीनी मिल मालिकों और पूंजीपतियों की इजारेदारी चीनी उद्योग में कायम की जाय। स्वतंत्र पार्टी जिस को पूंजीपतियों की पार्टी वह कहते हैं उसका कहना है कि वह इस कानन को वापस ले, और आज उसको कौन लगा रहा है? यही पूंजीपतियों की ठेकेदार कांग्रेस गवर्नमेंट। यह भी कहा गया कि राजा महाराजाओं की तादाद इधर ज्यादा है और वह लोग चनकर आ जाते हैं। कांग्रेस के पास तो इस समय भी ऐसे तमाम लोग हैं। उन के पास ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि पूंजीपतियों और राजा महाराजाओं की सहायता से आये है। उन की तरफ किस तरह के लोग आते हैं वह मैं बताना चाहता हूं। क्या वह महाराजा जिसने जेल में, देवसुमन को कोड़े मार मार कर मरवा डाला, क्या उन्हीं के पुत्र कांग्रेस के टिकट पर आज लोकसभा के सदस्य नहीं हैं? और क्या ७७ राजा महाराजा कांग्रेस टिकट पर साधारण सदस्य से लेकर मंत्रिमंडल के सदस्य तक चुने हुये नहीं हैं? मैं चुनौती देता हूं कि स्वतंत्र पार्टी में तीन महाराजाओं के सिवाय कोई और बता सकें जब कि कांग्रेस में ७७ मौजूद हैं। तो किस मुह से हमारी तरफ उंगली उठा सकते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। इस प्रकार के तर्क देना अपनी बुद्धि का दिवालियापन घोषित करना है।

माननीय जे०पी० मिश्र जी ने कहा कि कानून तोड़ना कोई अच्छी बात नहीं है। मैं भी जानना चाहता हूं कि जब देश आजाद हो गया, जनतंत्र प्रणाली लागू हो गई तो कानूनों की रक्षा करना हमारा भी कर्त्तव्य है और कोई भी साधारण स्थिति में नहीं कह सकता कि कानून तोड़ा जाना चाहिये जो हम यहां बनाते हैं। उन्होंने कहा कि कोई वैधानिक कार्यवाही क्यों नहीं की, क्यों ६ सेर गुड़ ले कर पार करने की आवश्यकता पड़ी? यद्यपि मैं उस पार्टी का नहीं हूं जो ऐसा कर रही है, परन्तु बधाई देना चाहता हूं कि उस पार्टी ने बहुत सही कदम उठाया।

मैं मिश्रा जी को और उनकी पार्टी को यह आह्वान करता हूं कि कोई भी वैधानिक उपाय वह बता दें जिसके द्वारा डी०आई० आर० द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध का इस्तेमाल बन्द हो जाय। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप कोई उपाय बता दें तो मैं माननीय गेंदा सिंह जी के, जो हमारी पार्टी के नहीं हैं, हाथ पैर जोड़ कर आन्दोलन बन्द करा दूं।

कहा गया कि कुछ थोड़े से आदमियों के साथ अन्याय हो गया होगा। न्याय का नियम है कि १० आदमी संदेह में छूट जायं तो उतना बुरा नहीं होता जितना कि एक बेगुनाह सजा पास जाय। मैं कहता हूं इसमें संख्या नहीं देखी जाती, बल्कि न्याय और अन्याय देखा जाता है। जैसा उन्होंने आसानी से कह दिया कि १००, १५० आदमी गिरफ्तार हो गये होंगे तो कौनसी बड़ी बात हो गई। मैं कहता हूं चुन कर १५० आदमी गिरफ्तार कर लिये जायं जो यहां जनतंत्र समाप्त हो सकता है। यह आप कहते कि हमसे गलती हो गई, उसको सुधार लेंगे तो ठीक था, लेकिन इस प्रकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन करना और फिर कहना कि संख्या से क्या होता है, कुछ शोभा नहीं देता। इस प्रकार के तर्क निरंकुश शासन को मानने वाले ही देते हैं। जैसा मैंने कहा, इस देश को न चीन से न पाकिस्तान से खतरा है, बल्कि उनसे है जिनमें इस प्रकार की भावनायें हैं जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बिलकुल मामूली चीज समझते हैं जो तर्क से नहीं बल्कि असहिष्णुता से अपना निरंकुश शासन देश में कायम रखना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय राधेश्याम जी, आप ५ मिनट ही बोलें।

***श्री राधेश्याम शर्मा—**

श्रीमन्, आरोप और प्रत्यारोप की बातें यहां पर हुईं, लेकिन मैं तो कुछ मौलिक सिद्धांत रखना चाहता हूं। हमारे ही मुल्क में कोई युद्ध नहीं हुआ। इंगलैण्ड में, जहां डेमोक्रेसी पैदा हुई है, युद्ध चला, लेकिन वहां डी० आई० आर० नहीं लगाया गया और चर्चिल जैसा प्रधान मंत्री सेनापति बन कर लड़ने के लिये गया और पार्लियामेंट में अच्छी तरह से बात करता रहा और कभी भी डी० आई० आर० की बात नहीं की गई।

मैं आपके सामने ३,४ बातें रखना चाहता हूं। यदि कीमतें घटाने की बात हुई होती या लोक कल्याणकारी बात होती तो हर एक विरोधी पार्टी इसका समर्थन करती। लेकिन राजनीतिक आधार पर डी० आई० आर० के नाम से राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं से आपसी रंजिश निकालने के लिये जो इसका इस्तेमाल किया जा रहा है यह बहुत ही अनुचित है। जब इस प्रकार इसका इस्तेमाल किया जाता है तो गुस्सा भी आता है। सरकारी पार्टी साफ तौर पर सुन ले। ३३ फीसदी वोट ले कर आप यहां आये हैं और ६७ फीसदी वोट हमेशा आपके खिलाफ गये हैं। मैं मिश्रा जी की बात का तो जवाब नहीं दूंगा, यदि कोई जिम्मेदार आदमी कहता तो जवाब देता। आपकी लोकप्रियता गोआ के चुनाव में मालूम पड़ गयी। सब की जमानत जब्त हो गयी, सिर्फ एक ही चुन कर आया। मैं तो कहता हूं कि उत्तर प्रदेश का कोई चैलेंज का चुनाव सरकारी पार्टी लड़े। एक माननीय राजनारायण जी का चुनाव हो रहा है और एक मोहनलाल गंज में हो रहा है। आचार्य कृपालानी के चुनाव को मैंने देखा। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने चैलेंज के साथ राष्ट्रीय संकट के नाम पर उस चुनाव को लड़ाया लेकिन नतीजा क्या हुआ? राजकोट का चुनाव भी आपके सामने है। इसलिये लोकप्रियता की बात आप मत करिये। आपको हमेशा ३३ फीसदी वोट मिले और गोआ में आपकी लोकप्रियता धराशायी हो गयी। मैं एक बार नहीं, अनेक बार इस सदन में कह चुका हूं कि सरकारी पार्टी का कोई भी आदमी किसी भी चुनाव क्षेत्र को जनता का मत जानने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामेश्याम शर्मा]

के लिये चुन ले। आप वहां राष्ट्रीय संकट की वकालत करिये और कहिये कि राष्ट्रीय संकट के बहाने हमने डी०आई०आर० लगाया है, लेकिन जिस वक्त हम यह कहेंगे कि यह डी० आई०आर०, गरीबी, भुखमरी, बेकारी पर जुल्म ढाने के लिये लगाया है तो आपको मालूम हो जायगा कि आपकी लोकप्रियता कितनी है। अभी राजनारायण जी का चुनाव हो रहा है। मिश्रा जी की सारी सरकार की पूरी लोकप्रियता का वहां पर्दाफाश होगा। मुझे फर्रुखाबाद और अमरोहा का चुनाव मालूम है, कितनी गुंडागर्दी वहां करायी गयी। वह तो आचार्य कृपालानी ने पार्लियामेंट में भी कहा। मैं तो यहां जितने विरोधी दलों के सदस्य हैं उनसे कहता हूं कि यहां मुक्का दिखाने से काम नहीं,चलेगा। एक महायज्ञ रचिये और उसमें इस सरकार की भुखमरी, गरीबी, जुल्म, भ्रष्टाचार और पक्षपात् के साथ साथ इस कांग्रेसी हुकूमत को १९६७ में दफनाओ और डी० आई० आर० को समाप्त करो तभी कोई अच्छा काम होने वाला है, वरना नहीं। यह नहीं होना चाहिये कि गेंदा सिंह जी एक वकालत करें, भानुप्रताप जी दूसरी वकालत करें। जेड० ए० अहमद साहब की आज बात सुन कर मुझे प्रसन्नता हुई कि कम से कम वे समझ तो। उस वक्त नहीं समझे थे। मुझे मालूम है कि लगान बढ़ाने वाली बात पर कम्युनिस्ट पार्टी ने हस्ताक्षर किये थे और सब ने विरोध किया था। तो सब पार्टियां एक हो कर एक महायज्ञ रचें और उस महायज्ञ में इस कांग्रेसी हुकूमत को दफनायें।

एक बात मैं और कहूं। यहां तो आप चाहे जितनी आवाज तेज कर लें और चाहे जितनी हम तेज कर लें, लेकिन या तो आप कोई बुद्धिजीवी कांस्टीटुएंसी ले लीजिये या कोई जनता की कांस्टीटुएंसी ले लीजिये और वहां अपनी तकदीर आजमाइये। आपको मालूम हो जायगा कि आपकी लोकप्रियता कितनी है।

एक बात अन्त में मैं और कहूंगा। मिश्रा जी से कुछ नहीं कहता, मैं खासतौर से बहन सुचेता जी से कहूंगा। मैं जानता चाहता हूं कि वह प्रगतिशील विचार की हैं और यह भी जानता हूं कि राष्ट्रीय संकट के बहाने डी०आई०आर० का इस्तेमाल करके इस सरकार के साथ साथ अपने व्यक्तित्व को भी अगर वह लोकप्रिय नहीं रखना चाहती हैं तो बड़ी गलती होगी। राष्ट्रीय संकट है तो उसके लिये कोई दूसरा स्वरूप निकालिये, राजनीतिक पार्टियों से सहयोग लीजिये। हम सब लोगों ने चन्दा दिया है। सरकारी पार्टी से हम कभी भी पीछे नहीं रहे। चीन से लड़ाई के लिये वालंटियरों की बात हुई तो मैंने खुद अपने जिले में वालंटियरों को तैयार किया और फौज में उन्हें भरती कराया। तो जो भी सहयोग देश के उत्थान के लिये चाहिये हम उसे देने के लिये तैयार हैं। लेकिन आरोपों और प्रत्यारोपों से कोई काम चलने वाला नहीं है और न कोई लाभ ही होने वाला है। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा यह बताना चाहता हूं कि ठीक कार्यक्रम बनाया जाय।

श्री भगवानदास यादवेन्दु—

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि १०० दफा खड़े होन के बाद आपने मुझे ५ मिनट का समय दिया। उसके लिये आपको बड़ा आभारी हूं। आज जो डी० आई० आर० की टीका टिप्पणी की जा रही है उसको सरकारी बैंच के लोगों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिये था। लेकिन उन्होंने यह समझ लिया कि विरोधी दल के लोग तो विरोध के लिये बात करते हैं। किसी भी प्रजातंत्र में विरोधी दलों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। वे सरकार को सजग प्रहरी की तरह से सदैव सावधान करते रहते हैं। सरकार को सुझाव देते हैं जिससे सरकार सजग रहे। विदेशों में तो विरोधी दल के लोगों का सरकारी बैंचों के लोगों की तरह से सम्मान होता है, लेकिन यहां मैंने देखा कि गामा और दारा सिंह की तरह से लोग आस्तीन चढ़ा रहे थे और झगड़ा करने का इरादा कर रहे थे। जिस समय चीन लद्दाख और नेफा पर बम बरसा रहा था उस समय हमारे बहादुर कांग्रेसी जो सदन में आस्तीन चढ़ाते हैं कहां चले गये थे? उनको उस समय चीन का मुकाबला करना चाहिये था अगर उनमें जवानी है, और खून में तेजी है।

श्रीमन्, डी० आई० आर० का उपयोग वहां किया जाता है जहां नहीं करना चाहिये। डाक्टर साहब ने बताया कि इंडस्ट्रियल टाउन्स में मजदूरों के ज्यादा काम करने के विरोध की वजह से मिल मालिकों द्वारा आपके भ्रष्ट कर्मचारियों, पुलिस तथा सी० आई०डी० के द्वारा झूठी रिपोर्ट लिखा कर कि ये राष्ट्र के लिये संकट पैदा करना चाहते हैं, ऐसा कह कर जेलों में उनको भरते जा रहे हैं। इस तरह की उनकी गतिविधियां बढ़ती चली जा रही हैं। श्रीमन्, ९० प्रतिशत लोगों के लिये डी० आई० आर० बनना चाहिये था जो बड़े बड़े लोगों की रक्षा के लिये इस्तेमाल होता है।

अभी पिछले सप्ताह बी० पी० मौर्य जो रिपब्लिकन पार्टी के मेम्बर हैं और एम० पी० हैं, उनको इसी डी० आई० आर० में फांस रखा है। यहां तक कि उनको पकड़ने के बाद जेल में उनको पानी तक नहीं दिया गया, खाने की बात तो दूर रही। मच्छर पांवों में काटते रहे और उनके पैर सूज गये। उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया। मुख्य मंत्राणी जी बैठी हुई हैं, जब उन्होंने टेलीफोन किया तो व्यवस्था हुई। आज ब्यूरोक्रेसी आपके ऊपर हावी है। इससे राष्ट्र के लिये खतरा उत्पन्न हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष---

आपका समय समाप्त।

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत गौर से सब भाषणों को सुन रही थी। भाषणों में बहुत-सी बातें थीं मगर सारी बातों को सुनने से मुझे ऐसा लगा कि ऐसे भाषण इलेक्शन के जमाने में दिये जाते हैं। वही बात, ब्यूरोक्रेसी का राज्य चल रहा है, वही करप्शन, कैपिटलिस्ट्स के एजेंट, वही सारी पुरानी बातें जो दसियों दफा सुन चुकी हूं। विषय दूसरे ढंग का था। फिर मुझे याद आया कि दो बाई-इलेक्शनल चल रहे हैं तो मैंसमझ गयी कि आज वह धारा चल जायगी। डाक्टर साहब ने कहा कि डी० आई० आर० का दुरुपयोग हुआ है। तो हमें देखना है कि डी० आई० आर का दुरुपयोग इस प्रदेश में हुआ है या नहीं।

पहले जब डी० आई० आर० लगाया गया तो उस समय बड़ा भयावह चित्र था। जैसा कि माननीय राधे श्याम जी ने कहा--उस समय सब लोग साथ थे कुछ हिस्से को छोड़कर जो चीनियों के साथ थे। बाकी सारे लोग साथ थे, इससे सहमत थे। मुल्क को बचाने का सवाल था। उस वातावरण में डी० आई० आर० चलाया गया। उन्हीं दिनों में ज्यादा गिरफ्तारियां हुईं। हमारे प्रान्त के बारे में सोचना चाहिये। दो सौ मील हमारी सरहद है। वह इस ढंग की है कि हमें काफी हिफाजत करने की जरूरत है। सरहद के उस पार चीनी अपनी सड़क बना रहे हैं। उस तरफ बड़ी मुश्किल जगह है। कोई उधर जाय तो पकड़ना मुश्किल है। मुश्किल इलाका है। तो हमें भी दखना है कि हमारे बीच में कौन से ऐसे लोग हैं जो हमारी सुरक्षा चाहते हैं, कौन नहीं चाहते हैं। यह सोच विचार करके गिरफ्तारी की जाती है। हमारा बड़ा भारी प्रान्त है, साढ़े सात करोड़ की जिसकी आबादी है उसमें साल भर में दुरुपयोग करके कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? कुल ५८ लोगों को गिरफ्तार किया गया। ५८ में से दुरुपयोग करते करते कितने लोग आज जेल में हैं? केवल १५, इनमें से १२ कम्युनिस्ट और ३ नान पार्टी के हैं।

श्री रामायणराय---

गाजियाबाद में किस जुर्म में गिरफ्तार किये हैं?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

सत्याग्रही लोग जेल में रहना पसन्द करते हैं। ऐतराज करें तो सत्याग्रह ही नहीं रहता, दुराग्रह हो जाता है। इतने लोग जेल में हैं। जब मैंने राज्य भार संभाला उस समय शायद

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

३२ लोग जेल में थे। मैंने, जैसे लोगों ने रिप्रेजेंट किया, खुद देख कर बहुत से लोगों को छोड़ दिया। अब १५ आदमी हैं। कोई बहुत दिन रखने का किसी का मंशा नहीं है। जो ठीक समझा जायगा किया जायगा। ज्यादातर सरकार से पूछ करके ही गिरफ्तारियां की जाती हैं। जहां डी० एम० को अधिकार भी है, ज्यादातर केस को पूछ करके ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि मनमानी करते हैं। गाजीपुर के कस में डाक्टर साहब बड़े नाराज ह। उन्होंने मुझ से बात भी ी। कहा गया कि केवल पुलिस की अदावत के कारण कुछ लोगों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है। मैंने पुछवाया, क्योंकि मैं बताना चाहती हूं कि हम भी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के बड़े भक्त हैं। भारतवर्ष में डेमोक्रेटिक कांस्टीट्यूशन आखिर हम लोगों ने लागू किया है और हम भी इनडिविजुअल फ्रीडम के ऊपर कहीं किसी प्रकार से आक्षेप हो, यह नहीं चाहते हैं। यह कदम जो हमने लिया है यह बड़े दुख के साथ लेना पड़ा है और खास परिस्थिति में लेना पड़ा है। हम भी नहीं चाहते थे ऐसा करना। यह कांस्टीट्यूशन हमने बनाया, भारत की स्वाधीनता हासिल की, इनडिविजुअल फ्रीडम को सुरक्षित रखने के लिए। हमारे लिए उसका बहुत महत्व बड़ा है। लेकिन हमारे वास्ते देश की सुरक्षा का भी बड़ा महत्व है।

अब देश की सुरक्षा में बहुत-सी बातें आती हैं—इन्टर्नल पीस आती है, फारेन कन्ट्रीज के साथ रिलेशंस आते हैं, अपने मिलिटरी आपरेशंस अच्छी तरह से हों, यह आता है। सप्लाई ठीक मेन्टेन हो प्रोडक्शन अच्छा हो, यह सब बातें उसमें आती हैं। केवल सरहद की रक्षा ही उसमें अकेली नहीं होती। फिर उसमें हर एक की छानबीन होती है। धांधली अगर्चे कहीं हुई होती है तो वह छोड़ भी दिये जाते हैं, रखे नहीं जाते। (व्यवधान) चोरबाजारी का भी जवाब दूंगी, घबड़ाइये मत। आपने बताया कि गाजीपुर में पुलिस की अदावत से गिरफ्तारी हुई। मैंने फौरन फाइल मंगवायी। मुझसे यह कहा गया कि ये लोग निर्दोष हैं और ऐसे निर्दोष लोगों को पकड़ा गया। लेकिन जब मैंने फाइल मंगा-मंगा कर देखी तो पता चला कि चार में से तीन केसेज में कन्विक्शन हुआ है कोर्ट से। तो कोर्ट भी अगर धांधली करे तब तो बड़ा मुश्किल है। अगर पुलिस की कहीं गड़बड़ी है, किसी आफिसर ने गलती की है तो मैं उसको भी स्पेयर करने वाली नहीं हूं। मैं जरूर उसको सजा देने वाली हूं और आप सब मेरे हाथ में शक्ति बढ़ाइये तो मैं जरूर यह करूंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे राज में धांधली रहे, चाहे मेरा राज दस दिन चले, चाहे साल भर चले, मगर मैं धांधली नहीं चलने देना चाहती। अब अगर कोई चीज मेरे सामने न आवे तो बात अलग है। लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूं। मगर इसको भी मैं ठीक नहीं समझती हूं कि एकदम झाड़ लेकर सबका सफाया कर दो कि सारे लोग, सारे अफसर धांधली करते हैं। जहां मैं यह चाहती हूं कि ऐडमिनिस्ट्रेशन सही हो वहीं मैं यह भी चाहती हूं कि आफिसर जो सही काम करें तो उसके ऊपर झूठ-मूठे इलजाम न लगाये जायं।

तो मैं यह कहना चाहती थी कि किसी तरीके से एक दिन भी किसी को गलत तरीके से रखने की जरूरत नहीं है और मैं एक दिन भी किसी को नहीं रखूंगी। हां, यह बात सही है, हमको उनकी रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। डाक्टर साहब ने मजाक उड़ाया कि ब्यूरोक्रेसी यहां राज करती है। उनकी रिपोर्ट पर सारा काम होता है। तो रिपोर्ट तो उनकी आयेगी और उसको हम देखेंगे। जब तक कि कोई साबित न करे कि वह गलत है, तब तक हम उसी से काम चलायेंगे, क्योंकि वही हमारे हाथ-पैर हैं, ५४ जिलों में हम तो नहीं पहुंच सकते। ५४ मिनिस्टर भी रख दें तो भी नहीं पहुंच सकते। जिसकी ऐसी शिकायत आती है या जिसका कन्विक्शन होता है उसको सजा हम जरूर देंगे, लेकिन नाजायज जेल में किसी को हम रखेंगे भी नहीं।

बहुत-सी बातें यह कही गईं कि पोलिटिकल लोगों को तो गिरफ्तार किया गया है, लेकिन औरों को नहीं किया है जो कि चोरबाजारी इत्यादि गलत काम करते ह। मैं जानती हूं कि करप्शन भी है, मैं जानती हूं घूंसखोरी भी चलती है, यह सारी बातें चल रही ह। मगर यह

केवल सरकार की गलती से नहीं चल रही हैं। हमारे समाज म वातावरण ऐसा बना हुआ है जिसमें यह चीजें पनपती हैं। सरकार की ज्यादा जिम्मेदारी है, वह काफी सख्ती से पेश आये तो कुछ हद तक यह चीजें रुक सकती हैं। मगर साथ-साथ यह बात भी है कि हमारी जहनियत बिगड़ी हुई है। सब लोग तैयार रहते हैं घूस देने के लिये। तो घूस दिया जाता है तो घूस लिया भी जाता है।

अब दूसरी चीज यह कही गई कि होर्डिंग, प्राफिटियरिंग आदि के लिए गिरफ्तारी नहीं हुई। तो यह भी मैं बताती हूं कि हमने दूसरे आफेंसेज के लिये २५८ आदमियों को गिरफ्तार किया जिसमें से २२९ प्रासीक्यूट हो गये। (व्यवधान) मिल मालिकों के ऊपर भी केस चल रहा है। और होर्डिंग और प्राफिटियरिंग में ६६७ लोगों को अरेस्ट किया गया है जिसमें ५१९ आदमी कन्विट हो गये हैं। तो जहां ५८ दूसरे हैं वहां उसकी जगह करीब-करीब ७ सौ इधर हैं। तो इसका अर्थ नहीं यह कि हमने बाकी मामले तो नजरअन्दाज कर दिये और केवल पोलिटिकल लोगों को गिरफ्तार किया है। तो यह जो सारी बहस आज हुई है यह मुझे तो ऐसा लगता है कि पोलिटिकल बहस है। हाउसेज में होती रहती है और होनी भी चाहिये, हम भी पोलिटिशियन हैं, सब बातें हमारे सामने आनी चाहिये, इस तरह की बहस होनी चाहिये, कोई मौका ढूंढना चाहिये कि जिसमें सरकार के सामने इस तरह की बातें आयें, लेकिन मैं सारी बहस को सुनने के बाद यह कहती हूं कि डी० आई० आर० का मिसयूज नहीं किया गया है। अगर डी० आई० आर० का इस्तेमाल किया गया है तो वह बहुत छोटे दायरे में किया गया है। हमारा मन्शा यह नहीं है कि लोगों को डी० आई० आर० के अन्दर बहुत दिनों तक रखें। जैसे ही हम समझेंगे कि एक भी आदमी का रखना मुनासिब अब नहीं है तो हम उनको नहीं रखेंगे।

डाक्टर साहब ने शिकायत की कि कुछ लोगों का वहिष्कार किया गया। मैं यह कहूंगी कि हमारे सामने च्वायस दो ही रह जाती हैं कि या तो उनको जेल में रखें या वहिष्कार करें। जो ऐन्टी सोशल ऐक्टीविटीज करते हैं, अशांति पैदा करते हैं उनको जेल में रखना अच्छा है। उनके लिये जेल में रखना बहुत माइल्ड सजा है। इस सम्बन्ध में डाक्टर साहब भी मुझसे मिले थे। हमने कहा कि हम इनको देखेंगे। अगर डाक्टर साहब जरा सन्तोष रखते और धीरज से काम लेते तो आज इस बहस की यहां पर जरूरत नहीं थी। हम उन केसेज को देख रहे थे। पर उन्होंने कहा कि मैं बहुत परेशान हूं और उनके घर पर लोग डटे हुये हैं। मैं नहीं चाहती कि उनके घर पर लोग इस तरह से डटे रहें। मैं चाहती हूं कि उनके लिये कोई रास्ता निकले। रास्ता यही हमारे सामने है कि जिनके खिलाफ कुछ ऐसी रिपोर्ट है कि जिनको कामों को संयत करने की जरूरत समझते हैं तो उनको हम इस तरह से Externed रखते हैं। हरएक केस को हम देखते हैं और उसकी छानबीन करते हैं और सारी छानबीन करने के बाद आज हमारे जेल में १५ आदमी हैं और वह भी कितने दिनों तक जेल में बैठे रहें यह कुछ पता नहीं है।

डाक्टर साहब ने लेबर की बात कही। कितने आदमी लेबर आन्दोलन के इस समय जेल में हैं इसकी पूरी रिपोर्ट तो मालूम नहीं हो सकी, लेकिन अल्यूमिनियम फैक्टरी, मिर्जापुर के ३ आदमी गिरफ्तार हुये थे। सीतापुर की रिपोर्ट नहीं मिल सकी है। जहां पर ये लेबर गिरफ्तार किये गये हैं वह मालिकों की मदद करने के लिये गिरफ्तार नहीं किये गये हैं। मैं यहां पर ३ साल तक लेबर मिनिस्टर थी। मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि मैं उत्तर प्रदेश में लेबर लीडरी के लिये नहीं आई थी, लेकिन यहां आकर मैंने देखा कि लेबर से मुझको सहयोग मिला है और ३ साल तक मैंने लेबर से विश्वास पाया है। जहां वह लेबर लीडर पर भरोसा नहीं करते थे वहां पर वह मेरे पास आकर सब बातें बताते थे। यह इस बात का सबूत था कि लेबर के साथ हमने अच्छा बर्ताव किया था। अगर ऐसा न करते तो वह विश्वास नहीं कर सकते थे और उनका सहयोग भी हमको नहीं मिलता। यहां पर लेबर के ऐडमिनिस्ट्रेशन का जितना सम्बन्ध है वह बहुत अच्छा ऐडमिनिस्ट्रेशन यहां पर रहा है। साथ ही यह बात भी है कि अगर कहीं पर मालिक जुल्म करने की कोशिश करते हैं तो उनको दबाने की कोशिश की जाती है।

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

पैसे की बात कही जाती है कि उनसे वसूल नहीं किया गया। मेरे पास सारे आंकड़े नहीं हैं। मैंने आंकड़े जानने की कोशिश की, लेकिन वह पूरे आंकड़े मुझे इस समय मिल नहीं सके। जहां तक मुझे मालूम है करीब ६,७ करोड़ रुपया वसूल हो गया है। यह बात नहीं कि हम लोग उनके एजेन्ट बने बैठे हैं। भानुप्रताप सिंह जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हर पार्टी उनसे पैसा लेती है क्योंकि आजकल हमारे एलेक्शन का इतना ज्यादा खर्चा है। यह इल्जाम लगाया कि कांग्रेस वाले पूंजीवादियों के एजेन्ट हैं और उनसे चुनाव के लिये पैसा लेते हैं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूं कि कौन-सी पार्टी मिल वालों से चुनाव के लिये पैसा नहीं लेती है? चुनाव का खर्च इतना ज्यादा हो गया है कि सभी पार्टियां मिल मालिकों से पैसा लेती हैं। और जब सभी पार्टियां ऐसा करती हैं, तो फिर सिर्फ एक पार्टी को लेकर दोषारोपण करने या आलोचना करने के कोई माने नहीं होते। इसलिये ऐसे विषय की निरर्थक सदन में चर्चा नहीं करनी चाहिये।

मैं सारी बातों को सुनने के बाद आपके सामने खड़ी होकर यह दावे से कहती हूं कि हमने डी० आई० आर० का कहीं पर भी इस तरह से दुरुपयोग नहीं किया है जो आप खड़े होकर यह कह सकें कि हमने कोई गलत काम किया है। हमने कोई गलत काम नहीं किया है। हमने बड़ी संजीदगी से, बड़े रिस्ट्रेन्ट से काम लिया है और जहां मुल्क के लिये खतरा समझा है वहां ही इसका इस्तेमाल किया है। हम लोग उसका इस्तेमाल करना नहीं चाहते, क्योंकि हम डेमोक्रेसी चाहते हैं और इंडिविजुअल फ्रीडम में विश्वास रखते हैं। अगर हम डेमोक्रेसी में बिश्वास न रखते तो हम उन पोलिटिकल पार्टीज को बैन कर देते जिन्होंने खुलेआम चीनियों के साथ इस संकट के समय में अपनी हमदर्दी दिखायी थी। हमने इंडिविजुअल केसेज को पकड़ा है। अगर हममें डेमोक्रेटिक फीलिंग न होती तो कम से कम हम कम्युनिस्ट पार्टी को तो जरूर बैन कर देते और सब को जेल में डाल देते। जो कम्युनिस्ट मुल्क हैं वहां की हालत क्या है वे स्वयं देखें। क्या उनको ऐसी बात कहना शोभा देती है? क्या हम उनके मुकाबिले में ज्यादा डेमोक्रेसी का हनन करने वाले हैं? हम तो उसकी सुरक्षा कर रहे हैं जहां तक मुमकिन है। अगर आप हमारी बात को गलत समझे हैं तो समझिये।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

आप नाम बतला कर साफ कर दें तो ज्यादा ठीक होगा।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

नाम तो हमारे पास सभी के आया करते हैं, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती। हम मुल्क में तानाशाही नहीं चाहते। हमको मुल्क प्यारा है और उसी के लिये हमको यह करना पड़ रहा है। उसे बचाने के लिये अगर इस तरह की कुछ बदनामी भी उठानी पड़ेगी तो हम उसे उठायेंगे।

मौजूदा असिस्टेंट टु आई० जी० पी० का सर्विस स्टेटस आदि के विषय में नियम ५० के अन्तर्गत चर्चा

श्री हलीमुद्दीन (जिला मुरादाबाद)—

इस समय साढ़े सात बज रहे हैं। अच्छा हो कि इसे परसों ले लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

यह आज के लिये ही है। आधे घंटे का समय है इसके लिये। आप ५, ६ मिनट में अपनी बात कह दीजिये। फिर मिनिस्टर साहब बोलेंगे।

श्री हलीमुद्दीन—

मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। मैंने मौजूदा असिस्टेंट टु आई० जी० पी० के मुताल्लिक तीन सवाल किये थे कि उनके आफिशियल रेकार्ड में इंट्री क्या हैं, उनकी इल्मी

काबलियत क्या है और वह इल्मी काब्लियत उन्होंने कब-कब और कहां हासिल की है? उनका जवाब पढ़ कर मुझे हैरत हुई। हमारे मुख्य मन्त्री जी ने फरमाया कि वह ऐडमिनिस्ट्रेशन की पूरी देखभाल करेंगी। "सुन तो सही जहां में तेरा फसाना क्या, कहती है तुझे खल्के खुदा गायबाना क्या?" जो शख्स आपका मुलाजिम है वह अपने रिकार्ड में बी० ए०, एल एल० बी० लिख लेता है और जब सवाल किया जाता है तो सरकार से जवाब मिलता है कि वह डिग्री गलत लिख दी गयी थी, उसे काट दिया गया है। यह गौर करने की बात है कि वह एक जिम्मेदार अफसर है। क्या वह इस काबिल है कि उस ओहदे पर बैठे? क्या इसकी सजा उसे नहीं मिलनी चाहिये? और क्या वह इस काबिल है कि ईमानदारी से उस ओहदे का काम चला सके? वह खुद कितनी बेईमानी करता रहेगा, यह सब देखने की जरूरत है।

मैंने पूछा इनका सर्विस कैडर क्या है, कौन सी इनकी काब्लियत है, इस सीनियर कैडर की पोस्ट इनको देने की बेसिस क्या है, कोई सही उत्तर सरकार की ओर से नहीं मिला। मैंने सन् ४७ से सिविल लिस्ट भी देखी, पता यह चला कि सन् ४८ में इमर्जेन्सी रिक्रूटमेंट के लिये एप्लीकेशन्स मांगी गयी थीं, उसी समय उसमें यह भी कैद रखी गयी थी कि इसके लिये वही लोग एप्लाई करेंगे जो ग्रेजुएट होंगे, मगर इन साहब की कैसे एम्प्लीकेशन पहुंची, यह सरकार बताये। इनकी तरक्की हुई, उस जगह पर नियुक्ति हुई जो आई० पी० का पद है। सन् ५३ में जब इनके कन्फर्मेशन का प्रश्न आया, उस वक्त तक किसी को यह मालूम नहीं था कि यह बी० ए०, एल० एल० बी० कैसे हो गये। तो यह रुकावट इनके कन्फर्मेशन में पड़ी क्योंकि इनके पास यह डिग्री नहीं थी। मगर पता नहीं कौन-सा ऐसा वक्त आया, कब वह बाहर गये, जहां उन्होंने बी० ए०, एल० एल० बी० की डिग्री हासिल की और मैं नहीं जानता कि किस तरह से वह उनके नाम के आगे जुड़ गयी। कैसे उनका कन्फर्मेशन हो गया। मैंने जानने की कोशिश की, मगर कहा गया कि दिल्ली के रेकार्ड में काब्लियत का विवरण रहता है, वहां होगा। यहां सरकार के पास उसका विवरण नहीं है। मैं यह गुजारिश करूंगा कि मुझे इस सम्बन्ध में झूठा जवाब दिया गया, क्योंकि दिल्ली के रिकार्ड्स में जो इन्ट्री काब्लियत आदि के बारे में रहती है, उसमें वही होता है जो यहां से यू० पी० की सरकार के जरिये लिख कर जाता है। यू० पी० के रेकार्ड्स में जरूर यह इन्ट्री होगी। उस इन्फार्मेशन को सप्रेस किया गया है। अगर मान्यवर, उसको सप्रेस भी कर लिया गया, तो सर्विसेज की हिस्ट्री मौजूद है, उसमें इन महोदय के बारे में भी लिखा हुआ जरूर मौजूद होगा। उससे यह मालूम होगा कि इन महोदय ने कभी बी० ए०, एल एल० बी० नहीं किया, जब कन्फर्मेशन का वक्त आया तो उन्होंने अपने नाम के आगे बी० ए०, एल एल० बी० लिखवा दिया। यह किस लिये हुआ? सरकार इसका उत्तर दे। सरकार बताये कि सन् ४९ से अब तक जो यह महोदय वेतन पाते रहे हैं, भत्ता पाते रहे हैं, यह किस तरह से उनके पास पहुंचा और इस सब का अब क्या होगा। यह बड़ा अहम सवाल है, इस पर सरकार को विचार करना होगा। अगर सर्विसेस में ऐसा ही होता रहेगा तो इसका क्या नतीजा होगा, सरकार को इस पर विचार करना चाहिये।

मैं चाहता हूं कि सरकार इस बात का पता लगाये कि आज सर्विसेज में कितने इसी प्रकार के लोग भरे हुए हैं। सरकार इसका पता लगाये कि किसने कब-कब डिग्री प्राप्त की है। यह अहम सवाल है। मुझे ऐसे आई० पी० भी मालूम हुए हैं जिन्होंने आज तक न मुरादाबाद से ट्रेनिंग ली है, न माऊन्ट आबू की ट्रेनिंग ली है। अनट्रेन्ड आई० पी० एस० हैं और महज आई० पी० एस० ही नहीं हैं बल्कि डी० वाई० एस० पी० होने के बावजूद हालांकि आई० जी० नहीं हैं उनको कमान्डेन्ट पी० ए० सी० बना दिया गया है, हालांकि अभी उधर से फरमाया गया कि हम ब्यूरोक्रेसी के चंगुल में नहीं फंसे और हम लोगों को आजादी दिलाना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप एक मिनट में खत्म कर दीजिये।

श्री बनवारीलाल विप्र—

पार्टी के लीडर को तो १० मिनट का समय दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

१० मिनट हम दे चुके हैं। खैर मौलाना साहब आप एक मिनट में खत्म कर दीजिये।

श्री हलीमुद्दीन—

कहिये तो बिलकुल न बोलूं। इससे एक अहम मसला पैदा हो गया और सरकार का फर्ज है कि वह मालूम करे कि जितने गैर जिम्मेदार लोग ऐसे हैं जैसे ये महाशय हैं उनके बारे में छान-बीन करे ताकि ऐडमिनिस्ट्रेशन में गलत आदमी न रहने पावें।

*विद्युत् उपमन्त्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि मौलाना साहब को कुछ थोड़ी-सी गलतफहमी है और अगर वह मेरी बात सुन लेंगे तो वह गलतफहमी उनकी दूर हो जायेगी। इसलिये मैं थोड़ी डिटेल में यह बात बताना चाहता हूं। मौलाना साहब ने जिनका नाम लिया है वह श्री पी० एस० रतूड़ी हैं, ये असिस्टेंट टु आई० जी० पी० हैं। आपने सवाल किया था कि आपके नाम के सामने बी० ए०, एल० एल० बी० लिखा हुआ था मगर वह बी० ए०, एल० एल० बी० नहीं हैं, तो इसमें कोई बड़ी ज्यादती हो गयी। इसका इतिहास यह है कि यह सज्जन प्रिन्स आफ वेल्स रायल इंडियन मिलिटरी कालेज, देहरादून में पढ़े और वहां पढ़ने के बाद चीफ्स कालेज का एक डिप्लोमा होता है जो उन्होंने लिया है। इसके बाद उन्होंने इंडियन मिलिटरी एन्ट्रेन्स एक्जामिनेशन पास किया और उसके बाद फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में एक कम्पेटीशन होता था और उस कम्पेटीशन के लिये जो जरूरत है कालेज डिप्लोमा की वह उसी इंडियन मिलिटरी कालेज डिप्लोमा की होती थी।

श्री हलीमुद्दीन—

और वह हाई स्कूल के बराबर है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

हाई स्कूल से ज्यादा होता है और उसके बाद वे रेगुलर सेलेक्शन में आ गये।

एक सदस्य—

एक्जेम्प्ट उनको कर दिया गया?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जी नहीं एक्जेम्प्शन का कोई सवाल नहीं है। वही क्वालिफिकेशन उसके लिये थी। असल में होता यह था कि रायल इंडियन मिलिटरी कालेज के जो लड़के होते थे वह इस तरह से ले लिये जाते थे कि एन्ट्रेन्स होते थे और उसी इम्तिहान को पूरा समझा जाता था। उसके बाद इनको परमानेन्ट कमीशन आर्मी में १९४१ में दे दिया गया। परमानेन्ट कमीशन के बाद ये इंडियन आर्मी में कैप्टेन हो गये और लड़ाई में गये। यह आई० एन० ए० में लेफ्टिनेन्ट कर्नल थे। वहां उनको बहुत से प्राइजेज और तमगे भी मिले थे और बड़ा इनका नाम रहा और ये प्रसिद्ध देश भक्त आई० एन० ए० लोगों में थे और आज भी हैं। उसके बाद जब यह यहां आये तो उस वक्त हमने कुछ आई० एन० ए० वालों को होम-गार्ड्स में ले लिया था, उसमें ज्वाइन्ट कमान्डेन्ट आफ पी० ए० सी० इनको १९४८ में ऐप्वाइन्ट कर दिया गया। १९४९ में इमर्जेन्सी कमीशन का रिक्रूटमेंट हुआ। उसमें इन्होंने एप्लाई किया और उसमें भी उन्होंने वही पुरानी क्वालिफिकेशन्स को बताया। इस पर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने हमें लिखा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि इनकी क्वालीफिकेशन नहीं है, लेकिन अगर आप इनको रिकमेंड करें तो विचार किया जा सकता है। क्योंकि यह एक आई० एन० ए० के आफिसर थे और इनका सर्विस रिकार्ड भी अच्छा था इसलिये हमने इनका नाम रिकमेंड कर दिया। क्योंकि क्वालिफिकेशन नहीं थी इसलिये इनको ओपिन मार्केट में नहीं लिया गया। जब हमने उनका नाम भेजा तो इनके सर्विस रिकार्ड के कारण इनको ले लिया गया। इस प्रकार से रेग्युलर आई० पी० एस० में उनको ले लिया गया। धीरे-धीरे प्रमोशन होते-होते ये आई० जी० के असिस्टेंट हो गये। सन् ५६ में हमने जब फिर क्वालिफिकेशन्स लिखने को कहा, जैसा कि कभी-कभी कहा करते हैं, तब भी इन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन बी० ए०, एल० एल० बी० नहीं लिखा। लेकिन न मालूम कहां गलती हुई और सिविल लिस्ट में बी० ए०, एल० एल० बी० छप गया। बार्डर में भी वे बहुत दिनों तक थे इसलिये उनके निगाह में वह चीज नहीं आयी। इन तमाम बातों से यह पता चलता है कि उनका किसी प्रकार की कोई बेईमानी करने का इरादा नहीं था, उस वक्त भी और अब भी। और जब यह लिखा गया उस वक्त उसके लिखने से उनको कोई फायदा नहीं हो सकता था। यह मैं मानता हूं कि जो यह लिखा गया, वह नहीं लिखा जाना चाहिये था। यह एक भूल हो गयी और देखने से ऐसा मालूम होता है कि यह एक क्लेरोकल मिस्टेक हुई। जहां तक इनका सवाल है यह एक निहायत ईमानदार और अच्छे आफिसर हैं। मैं इस हाउस में यह डैफिनिटली कह सकता हूं कि ये हमारे यहां के अच्छे आफिसरों में से एक हैं और आई० जी० साहब का भी यही कहना है।

मेरी समझ में नहीं आया कि न जाने क्या चीज हो गयी कि राहत मौलाई साहब को इसमें कोई राज मालूम पड़ा। जिस वक्त इनका नाम रिकमेंड किया गया था उस वक्त इनके नाम के साथ एक नाम और रिकमेंड किया गया था, लेकिन उनको न लिया जाकर इनको लिया गया। मैं समझता हूं कि मौलाना साहब को इसमें कुछ गलतफहमी हो गयी है। मुझे आशा है कि इस सफाई से वह दूर हो जायगी और वह मेरी बात को मान लेंगे।

*श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)---

अभी माननीय मंत्री जी ने जो ब्योरा दिया उस पर मुझे कोई एतराज नहीं है। आई० एन० ए० वालों के साथ हम लोगों की हमदर्दी रही है और आज भी है। संबंधित अधिकारी यदि आई० एन० ए० में रहे हैं तो वे आज भी कृपा के पात्र हैं, लेकिन एक बात मैं जानना चाहता हूं कि उनके नाम के सामने जो बी० ए० एल० एल० बी० की डिग्री छप गयी वह किस अधिकारी की गलती से छपी और इसके लिये कौन जिम्मेदार है ? माननीय मंत्री जी उसकी जांच कराने की कृपा करें। क्योंकि इस तरह की गलती से जैसे माननीय राहत मौलाई साहब का भ्रम हुआ है वैसे हमें भ्रम हो सकता है। सर्विस में रहने वाले और संबंधित अधिकारियों को भी भ्रम हो सकता है, असन्तोष पैदा हो सकता है। इस संबंध में एक उदाहरण मैं आपको बलिया का दे दूं कि आज से करीब चार रोज पहले बलिया में एक पर्चा बंटा जिस पर्चे में लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेशीय सरकार के कार्यवाहक अध्यक्ष श्री अलगूराय शास्त्री का बलिया में शुभागमन। तो इस प्रकार का जो कार्य किया गया है और जिन लोगों के जरिये यह पर्चा छाप कर बांटा गया है उस पर इस सदन के एक विधायक का भी नाम है, साथ ही जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व जिला परिषद् के अध्यक्ष के भी नाम हैं। जहां आप इस की खोज करें वहां इस पर्चे के संबंध में भी जांच व खोज करें ताकि इस तरह की ४२० करने वालों की रोकथाम हो सके। यह पर्चा भी मैं माननीय मंत्री के पास दे दूंगा।

एक सदस्य---

मैं चाहता हूं कि इनको गिरफ्तार किया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हलीमुद्दीन—

मुझे यह गुजारिश करनी है कि इमर्जेंसी रिक्रूटमेंट के लिये जो ऐडवरटाइजमेंट हुआ, उसमें ऐप्लीकेंट के लिये क्वालिफिकेशन की कैद लगायी गयी थी कि उसे ग्रेजुएट होना चाहिये। अगर माननीय मंत्री जी को नहीं मालूम हो तो मैं उनको ऐडवरटाइजमेंट दिखा सकता हूं, वे पढ़ लें और अगर यह सही है कि उसमें यह कैद थी तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि बावजूद इस कैद के होने के कि सिर्फ ग्रेजुएट्स ही अप्लाई कर सकते हैं—डिपार्टमेंट की तरफ से तो उनकी ऐप्लीकेशन जा नहीं सकती थी, क्योंकि वे टेम्पोरेरी थे, परमानेंट नहीं थे। फिर उनकी ऐप्लीकेशन किस आधार पर वहां भेज दी गयी? किन उसूलों की बिना पर यह ऐप्लीकेशन चली गयी और इसके लिये कौन जिम्मेदार हैं? महज आई० एन० ए० के होने की वजह से ग्रेजुएशन की कैद तो हट नहीं गयी, फिर मंत्री जी आज यह कहने लगे कि उनसे ज्यादा ईमानदार आज हमारी इस सर्विस में कोई नहीं है। इससे बढ़ कर नेपोटिज्म की मिसाल और कोई नहीं हो सकती है। किन उसूलों पर ग्रेजुएशन से उनका एक्जेम्शन हो गया?

श्री उपाध्यक्ष—

मेरा खयाल है, आपको कोई सवाल करना हो तो कर लीजिये।

श्री हलीमुद्दीन—

अगर एक्जेम्शन की कोई दरख्वास्त उन्होंने दी थी तो क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि किस के जरिये उनको इजाजत दी गयी और कब इजाजत दी गयी थी?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

अभी बताया गया था कि रतूरी साहब का जो सेलेक्शन हुआ था वह सब फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा हुआ था और जो पहले उन्होंने दरख्वास्त दी थी वह सब मौजूद है।

श्री हलीमुद्दीन—

किस तरह से एप्लाई किया था?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)—

आपिन तरीके से डायरेक्ट एप्लाई किया और शायद उनका एम्फेसिस इस बात पर है कि जब उन की क्वालिफिकेशन नहीं थी तो उन को क्यों लिया गया। उस का जवाब यह है कि चूंकि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को इस सरकार की तरफ से लिखा गया कि उन के पास वह क्वालिफिकेशन नहीं हैं, लेकिन उस के बाद भी उन्होंने उनको लिया तो यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है, यह तो सेन्ट्रल कमीशन की जिम्मेदारी है। दूसरे एक मसला माननीय मैनेजर सिंह ने सुबह भी उठाया था और अब फिर उठा दिया, तो मैं उन को बता दूं कि सरकार के अन्दर कोई अध्यक्ष कार्यवाहक नहीं होता और अगर श्री मैनेजर सिंह कुछ करना चाहते हैं तो उस के लिये वह एक इस्तगासा दायर कर दें।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, जो बयान दिया गया है वह काफी स्पष्ट है लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि जिन सज्जन के बारे में बातचीत हो रही है वह आई० एन० ए० में किस पोस्ट पर थे?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

वह लेफ्टिनेंट कर्नल थे और मैं आप की जानकारी के लिये एक चिट्ठी पढ़ दूं, यह गवर्नमेंट आफ इंडिया ने लिखी है—

"As he does not possess the requisite educational qualification he is not eligible for consideration as an open market candidate by Special Recruitment Board. I am to add that since he has been holding a post in the Provincial Police Service for sometime, though only as a temporary basis, Government of India would have no objection to his case being considered along with those of other Provincial Police Service Officers in the United Provinces."

तो केन्द्रीय सरकार ने हमें उन की क्वालिफिकेशन्स देखकर सजेस्ट किया, मतलब यह कि उन का नाम हम कंसीडर करने को तैयार हैं अगर आप नाम भेंजे ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

उनको यू० पी० पुलिस में किस रैंक पर रखा गया ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

वह कमान्डेन्ट थे उस के बाद आई० पी० एस० हो गये ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

इस तरह से प्रोमोशन का कायदा है या नहीं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

हमने जिस पी० ए० सी० की पोस्ट पर रखा था उस के काबिल उन को समझा था ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

उनकी एजूकेशनल क्वालिफिकेशन्स क्या थीं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

वह केप्टेन थे और इसीलिये उन को रखा गया था ।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

क्या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कोई इस तरह की सिफारिश कर रहा है कि ऐसी पोस्टों को भरते समय विश्वविद्यालय की डिग्री को कोई महत्व न दिया जाय ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

हमें इस की जानकारी नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और २६ तारीख को साढ़े दस बजे मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन ७ बजकर ५८ मिनट पर बृहस्पतिवार, २६ दिसम्बर, १९६३ के १० १/२ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
२४ दिसम्बर, १९६३ ।

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५८१ पर]

(१) स्थानों का विवरण जहां २० नलकूपों का निर्माण हो चुका है—

१—कटका	तहसील	फूलपुर	११	चनेयू	तहसील	हंडिया
२—उमरी	,,	,,	१२	बड़गांव	,,	,,
३—चिलौधा	,,	,,	१३	कौरी	,,	,,
४—मलावा बुजुर्ग	,,	,,	१४	बंशीपट्टी	,,	,,
५—रमईपुर	,,	,,	१५	चकननूद	,,	,,
६—सरायहरीराम	,,	हंडिया	१६	शरीफपुर	,,	,,
७—उग्रसेनपुर	,,	,,	१७	भदुआ	,,	,,
८—मालथुआ	,,	,,	१८	कुकड़ा	,,	,,
९—नीमी	,,	,,	१९	सदरेपुर	,,	,,
१०—आरा कलां	,,	,,	२०	बेलासिघा मऊ		,,

(२) १० नलकूपों के निर्माण हेतु चुने गये स्थानों का विवरण—

१—बाबूरपुर बेलन
२—कटेहरी
३—साथर
४—मगवारू
५—बनस्ता कलां
६—मुनतजीपुर
७—मोतिहा
८—चम्पापुर
९—वारी खास
१०—रामापुर

नत्थी 'ख'

(देखिय तारांकित प्रश्न २३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५९५ पर)

नत्थी की गई सूची

(क) स्थान जिनका विद्युतीकरण किया जा चुका है।

१—चौरी बाजार
२—घोसिया
३—उगापुर बाजार
४—विन्डारा (वारसी पुर)
५—सुरियावना
६—अनाई बाजार
७—कौर बाजार
८—ताड़ी बाजार
९—बंगीगंज
१०—बरौरा बाजार
११—मौध
१२—कटरा
१३—थाकील गंज
१४—नेवदा बाजार
१५—काथरवां
१६—गोपीपुर
१७—चकिया
१८—चन्दौली
१९—सईद रजा
२०—साकलडिहा

(ख) स्थान जो विद्युतीकरण के लिये छांट लिये गये हैं।

१—मुसलियातपुर
२—गोधना
३—डिगा
४—बड़वा
५—बरही नेवादा
६—मिरजामुराद (गौर)
७—औरूनीपुर अथगवान
८—माथोसिंह
९—कराना
१०—रामरायपुर
११—खरौन्जा
१२—एलिया
१३—निगुरा
१४—कांटा
१५—कल्यानपुर
१६—नौबतपुर
१७—धरोरा

(ग) स्थान जिनकी जांच पड़ताल की जा रही है

१—डिधौत
२—प्रभुपुर
३—धरांव
४—रामगढ़
५—नवीनी धौरा
६—टांडा
७—कमालपुर
८—हिंगुतर
९—धानापुर
१०—डिगवत
११—बथुरी
१२—सिकन्दरपुर
१३—नियामताबाद
१४—अलीनगर ।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५९६ पर)

उत्तर प्रदेश विधान सभा के द्वितीय सत्र १९६३ के ६ठे मंगलवार के लिये निर्धारित श्री यशपाल सिंह वर्मा के तारांकित प्रश्न संख्या ३१ से सम्बन्धित सूचना—

१—जिले में चालू नलकूपों की संख्या तथा उनका "परफारमैन्स" (performance)

२—जिले की स्थिति तथा जिले में उपलब्ध अन्य सिंचाई के साधन.

३—जिले में पानी का श्रोत (spring level) कितनी गहराई पर है, तथा

४—काश्तकारों की नलकूपों से सिंचाई करने के रुचि, आदि ।

विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ३७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५९७ पर)

ता० प्र० संख्या ३७ के उत्तर में उल्लिखित सूचना

योजनाओं की सूची

	प्रस्तावित योजनाओं की संख्या	योजनायें जिन पर काम हो रहा है	योजनायें जो स्थगित कर दी गईं	योजनायें जिन पर काम आरम्भ होना है
१	२	३	४	५
बृहत योजनायें ..	२	१	१	०
माध्यमिक योजनायें ..	३४	२१	१३	०
लघु सिंचन योजनायें ..	४३	१७	२६	०

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६०० पर)

विज्ञप्ति संख्या १५७५/२३-अ-४३-५९, दिनांक ५-५-६० के अनुसार प्रोफेशनल परीक्षा पास कर लेने वाले असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर्स की सूची।

१—श्री एम० सी० माथुर,
२—श्री हीरालाल टंडन,
३—श्री यू० एस० तिवारी,
४—श्री आर० सी० अग्रवाल,
५—श्री एन० पी० श्रीवास्तव,
६—श्री रेवती प्रसाद शर्मा,
७—श्री बी० पी० हजेला।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ११–१२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६०३ पर)

प्रश्न संख्या ११ से सम्बन्धित सूचना

प्रश्न का प्रथम भाग:

फरही ड्रेन

ठेकेदार का नाम		अवधि	
१—श्री राम अवतार सिंह ..	..	(१) १२–५–६१	से १६–६–६१
		(२) १२–५–६१	से १५–६–६१
२—श्री मरछू सिंह ..	..	१२–५–६१	से १५–६–६१
३—श्री श्याम देव सिंह ..	..	१२–५–६१	से २६–५–६१
४—श्री बच्चन सिंह ..	..	१२–५–६१	से १५–६–६१
५—श्री केशव प्रसाद यादव ..	..	३१–५–६१	से १५–६–६१
६—श्री राधे प्रसाद ..	..	११–२–६१	से २५–६–६२

बेला ड्रेन

१—श्री मसूद अहमद ..	..	२–२–६२	से १६–४–६२
२—श्री सहदेव राम ..	..	२–२–६२	से १४–५–६२

प्रश्न का दूसरा भाग—अभी तक खुदाई के बाद का एल सेक्शन (L. Section) नहीं लिया जा सका है क्योंकि इन ड्रेनों का निर्माण का पूर्ण रूपेण पूरा नहीं हुआ है और अभी इन में पानी भी भरा हुआ है । अतः इस समय भूमि का धरातल बताना सम्भव नहीं है ।

प्रश्न संख्या १२ से सम्बन्धित सूचना—

फरहीड्रेन

ठेकेदार का नाम	कितनी मिट्टी काटनी थी (लाख घन फुट)	कितनी मिट्टी काटी गई (घन फुट में)	भुगतान ह० में
१	२	३	४
१—श्री राम अवतार सिंह ..	(१) २.५०	१,९४,१४४	२,२२३
	(२) २.००	२,०८,४१८	२,३८६
२—श्री मरघू सिंह ..	.. ४.००	२,२८,१४३	२,६१२
३—श्री श्याम देव सिंह ..	.. ३.५०	१,७७,१९६	२,०२९
४—श्री बल्धन सिंह ..	.. ०.५०	५१,५३२	५९०
५—श्री केशव प्रसाद यादव	.. २.८०	१,९८,३७२	२,२७१
६—श्री राधे प्रसाद ..	.. २०.००	४,८२,८६४	५,५२९ बिल डिपोजिट में है।

बेला ड्रेन

१—श्री मसूद अहमद ..	..	३.००	२,१५,५८८	२,६०२
२—श्री सहदेव राम ..	..	०.७०	१,०३,९५५	१,१४४
३—श्री सरजू सिंह ..	..	१६.००	..	..

सत्थी 'छ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६०४ पर)

रोडवेज लखनऊ क्षेत्र के मुअत्तिल कर्मचारियों का विवरण

क्रम-संख्या	नाम	कितने समय से मुअत्तिल है (१५-१२-६३ तक)		चार्जशीट देर में देने का कारण
		साल माह	दिन	
१	२	३		४
	जूनियर स्टेशन इंचार्ज—१			
१	श्री बी० एन० पी० मिश्रा ..	० ६	६	इनकी पनिशिंग अथारिटी उप परिवहन आयुक्त (रोडवेज-संचालन) हैं। ड्राफ्ट चार्जशीट जनरल मैनेजर के यहां से बनकर आने तथा उसे निरीक्षण के बाद उप परिवहन आयुक्त (रोडवेज-संचालन) की स्वीकृति प्राप्त कर वापस लौटाने में समय लगा और समय के अन्दर चार्जशीट का देना सम्भव न हुआ।
	असिस्टेंट ट्राफिक इंस्पेक्टर—१			
२	श्री बी० एल० कनौजिया ..	० ३	७	इनके विरुद्ध अभी तक केस का निरीक्षण हो रहा है और विभिन्न कर्मचारियों के बयान आदि लिये जा रहे हैं। इसके समाप्त होते ही चार्जशीट दी जायगी।
	असिस्टेंट कैशियर—३			
३	श्री डी० एस० शुक्ल ..	४ ४	८	इन तीनों कर्मचारियों के मामले विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन हैं इसी कारण इनको अभी तक चार्जशीट नहीं दी गयी।
४	श्री आर० ए० अग्रवाल ..	४ ४	८	
५	श्री लाल बहादुर सिंह ..	१ ०	२५	
	बुकिंग क्लर्क—३			
६	श्री डी० डी० त्रिपाठी ..	० ३	२०	यह दोनों कर्मचारी कानपुर स्टेशन के एक बहुत

क्रम-संख्या	नाम	कितने समय से मुअत्तिल है (१५-१२-६३ तक)			चार्जशीट देर में देने का कारण
१	२	३			४
७	श्री आई० बी० निगम ..	०	२	२०	ही उलझे हुये रीसेलिंग केस के विषय में मुअत्तल हैं। भारी संख्या में कागजात चेक करने के बाद इनको चार्जशीट दी जा सकी।
८	श्री आर्थर टप्पर ..	०	२	१७	इस विषय में प्रथम जांच रिपोर्ट मिलने में देर होने के कारण चार्ज-शीट देर में दी गई।
	कंडक्टर—४				
९	श्री संतराम	०	३	२१	इनके मामले में भारी संख्या में कागजात चैक किये जा रहे हैं।
१०	श्री बी० एल० बाल्मीकी ..	०	२	१७	इस विषय में प्रथम जांच रिपोर्ट देर से मिलने के कारण चार्जशीट देने में देर हुई।
११	श्री दयाशंकर श्रीवास्तव ..	०	१	९	यह कर्मचारी एक उलझे हुये केस में मुअत्तिल किया गया है। कई महीनें का रेकार्ड चैक किया जा रहा है।
१२	श्री खलील अहमद ..	०	१	१७	जो पता इनकी फाइल में था उस पर चार्जशीट भेजी गई परन्तु इनके न मिलने के कारण २-१२-६३ से पहले चार्जशीट नहीं दी जा सकी।
	ड्राइवर—३				
१३	श्री कमर अली ..	०	१	३	इन्हें समय के अन्दर चार्ज-शीट दी गई है।
१४	श्री अब्दुल कयूम ..	०	१	३	,, ,,
१५	श्री राजमंगल सिंह ..	४	४	२१	मजिस्ट्रेट की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद इस मामले में महालेखापाल से भी परामर्श की जरूरत हुई जिससे चार्जशीट देने में देरी हुई।

क्रम-संख्या	नाम	कितने समय से मुअत्तिल हैं (१५-१२-६३ तक)			चार्जशीट देर में देने का कारण
१	२	३			४
	असिस्टेंट मैकेनिक—२				
१६	श्री प्रकाश नरायन मिश्रा	..	०	५	७ फोरमैन से आवश्यक सूचना लेने तथा जांच पड़ताल करने के कारण चार्ज-शीट देने में देर हुई।
१७	श्री जहूर अहमद	..	०	२	२८ इनको समय के अन्दर चार्जशीट दी गई थी।

नत्थी 'ज'

(देखिये अतारांकित प्रश्न २२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६०५ पर)

सूची 'क'

लखनऊ के फर्म्स से खरीदी गई गाड़ियां

वित्तीय वर्ष १९६०–६१ में

क्रमांक	फर्म्स के नाम	मोटर गाड़ी की संख्या
१	कामरशियल मोटर्स, लखनऊ	३२
२	स्पीड मोटर्स, लखनऊ	२९
३	प्रीमियर मोटर्स, लखनऊ	२४
४	के० टी० आटोमोबाइल्स, लखनऊ	१०
५	मोटर्स सेल्स, लखनऊ	५
६	नारायन आटोमोबाइल्स, लखनऊ	७८
७	मोटर साइकिल हाउस, लखनऊ	५

वित्तीय वर्ष १९६१–६२ में

१	नारायन आटोमोबाइल्स, लखनऊ	१५०
२	प्रीमियर मोटर्स, लखनऊ	५२
३	मोटर्स सेल्स, लखनऊ	१०
४	स्पीड मोटर्स, लखनऊ	३२
५	के० टी० आटोमोबाइल्स, लखनऊ	२८
६	मोटर साइकिल हाउस, लखनऊ	५

वित्तीय वर्ष १९६२–६३ में

१	नारायन आटोमोबाइल्स, लखनऊ	१७६
२	मोटर सेल्स, लखनऊ	७
३	स्पीड मोटर्स, लखनऊ	१२१
४	नेशनल आटोमोबाइल्स, लखनऊ	२१
५	प्रीमीयर मोटर्स, लखनऊ	९४
६	के० टी० आटोमोबाइल्स, लखनऊ	५
७	मोटर साईकिल हाउस, लखनऊ	३०

सूची 'ख'

कानपुर के फर्म्स से खरीद्दी गई गाड़ियां

वित्तीय वर्ष १९६०–६१ में

क्रमांक	फर्म्स के नाम	मोटर गाड़ी की संख्या
	कोई गाड़ी नहीं खरीदी गई	

वित्तीय वर्ष १९६१–६२ में

१	इंडिया मोटर कारपोरेशन, कानपुर	१
२	हिन्दुस्तान आटोमोबाइल्स, कानपुर	१
३	कैलाश मोटर्स, कानपुर	७

वित्तीय वर्ष १९६२–६३ में

	हिन्दुस्तान आटोमोबाइल्स, कानपुर	९

सूची 'ग'

लखनऊ में स्वीकृत फर्म्स के नाम

१—मैसर्स प्रीमियर मोटर्स, लखनऊ

२—मैसर्स के० टी० आटोमोबाइल्स, लखनऊ

३—मैसर्स नारायन आटोमोबाइल्स, लखनऊ

४—मैसर्स मोटर सेल्स, लखनऊ

५—मैसर्स स्पीड मोटर्स, लखनऊ

६—मैसर्स नेशनल आटोमोबाइल्स, लखनऊ

७—मैसर्स ओरियन्टल मोटर कार कम्पनी, लखनऊ

८—मैसर्स मोटर साईकिल हाउस, लखनऊ

९—मैसर्स धरम सिंह राम सिंह मोटर्स, लखनऊ

१०—मैसर्स कमरशियल मोटर्स, लखनऊ ।

विधान सभा

सूची 'घ'

कानपुर में स्वीकृत फर्म्स के नाम

१—मैसर्स कैलाश मोटर्स, कानपुर

२—हिन्दुस्तान आटोमोबाइल्स, कानपुर

३—मैसर्स विक्रम मोटर्स, कानपुर

४—मैसर्स इंडिया मोटर्स कारपोरेशन, कानपुर ।

विधानसभा सचिवालय

परिशिष्ट 'अ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न २४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६०५ पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र, १९६३ के ६वें मंगलवार के लिये निर्धारित श्री मुमताज मुहम्मद खां के अतारांकित प्रश्न संख्या २४ के उत्तर से सम्बन्धित सूची।

क्रम संख्या	ट्यूबवेल-नम्बर	गांव का नाम	क्रम संख्या	ट्यूबवेल-नम्बर	गांव का नाम
१	३९ जे० बी० ..	बुद्ध बाजीतपुर	३०	४७ जे० बी०	असरफपुर
२	४० के० बी०	महाव	३१	४६ ,,	जदोल
३	४१ ,,	खाद्यमोहन नगर	३२	५० ,,	परवाना
४	४२ ,,	गधीया बादशाहपुर	३३	७७ ,,	जदोल
५	६० ,,	हरबनपुर	३४	२७ ,,	टेगोरा
६	६१ ,,	खाद्य मोहन नगर	३५	१५ ,,	भीरखेरा
७	८९ ,,	थलवीयतपुर	३६	१६ ,,	इलना
८	९५ ,,	महाव	३७	६८ ,,	हसनपुर
९	९० ,,	सथला	३८	४ ,,	रामगढ़
१०	८५ ,,	हिंगवारा	३९	१८ ,,	भटपुरा
११	८६ ,,	भोबहादुरनगर	४०	१७ ,,	पाली
१२	८८ ,,	चितसौनाअलीपुर	४१	२४ ,,	सिकरी
१३	४५ ,,	पिपला	४२	२५ ,,	मथुरा नागल
१४	४६ ,,	पसुली	४३	५१ ,,	सुरजपुर टिकरी
१५	४७ ,,	लखावटी	४४	६९ ,,	शेखपुर
१६	९४ ,,	हकलडी	४५	९ ,,	मनपुर
१७	७३ए ,,	बानीपुर	४६	४९ ,,	परवाना
१८	३८ ,,	भो बहादुरनगर	४७	१० ,,	परवाना
१९	४४ ,,	सैगा जगतपुर	४८	२६ ,,	जदोल
२०	६२ ,,	अलावा रहीमपुर	४९	९३ ,,	गुंगरावली
२१	७५ ,,	मोधीबाकापुर	५०	४के०टी०बी०	धनसुरपुर
२२	५ जे० बी०	बरोली	५१	७ ,,	सराय स्यामा
२३	६ ,,	छिन्गरावती	५२	९ ,,	सरैया
२४	७ ,,	लडाना	५३	८ ,,	लोगा
२५	८ ,,	बरौली	५४	१४ ,,	बहसोरा
२६	१९ ,,	डकरौली नयाबास	५५	१६ ,,	किसोखा
२७	२० ,,	गिरोला	५६	१७ ,,	रानापुर
२८	२१ ,,	खानपुर	५७	२८ ,,	सरस्याना
२९	२२ ,,	चिनौरा	५८	७३ जे० बी०	गनौरा नगली

नत्थी 'ञ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न २८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६०६ पर)

कार्यालय, अधिशासी अभियन्ता

नलकूप विभाग, आजमगढ़

पत्रांक : १७६५ दिनांक आजमगढ़ अगस्त २२, १९६० ई०

विषय : उम्मीदवार अमीन व मुंशीगण की लिस्ट

उप राजस्व अधिकारी सहायक अभियन्ता प्रथम एवं द्वितीय प्रेसीडेंट अंजुमन अनाहार।

डिवीजन में अमीन व मुंशियों के पदोन्नति के लिये कोई मंजूरशुदा लिस्ट नहीं है। यह लिस्ट कूपचालकों व पतरौलों में से होनी चाहिये। जिसके कारण किसी समय पदोन्नति देने में बड़ी कठिनाई होती है।

अतः लिस्ट सीनियार्टी कूपचालक गण व पतरौलान जो इस समय इस डिवीजन में कार्य कर रहे हैं, फिक्स की जाती है। सम्बन्धित नलकूप चालकगण व पतरौलान को इस बात की सूचना फौरन दे दी जावे कि इसमें उन्हें अगर कोई आपत्ति हो तो १५ दिन २०-९-६० के अन्दर हमारे यहां प्रार्थना-पत्र दें। बाद गुजरने मियाद लिस्ट सही मान ली जावेगी और बाद में कोई उज्र सुना नहीं जावेगा, सब को सूचना शामिल किया जावे।

एस० डी०
सी० यफ० किरमानी,
अधिशासी अभियन्ता।

लिस्ट

उम्मीदवार अमीनयान व मुंशीगण

१—श्री राम प्रसाद पांडे
२—श्री यदुनाथ सहाय
३—श्री बजरंग बली लाल
४—श्री शम्भु नरायन सिंह
५—श्री राम चन्द्र सिंह
६—श्री छट्ठू राम
७—श्री नरसिंह राय
८—श्री पारस नाथ लाल
९—श्री हवालदार सिंह
१०—श्री महेन्द्रनाथ सिंह
११—श्री तुलसी राम
१२—श्री शिवनाथ लाल
१३—श्री मुहम्मद फाजिल
१४—श्री श्रीपति सिंह
१५—श्री सूर्य देव शुक्ला
१६—श्री रघुवंश पाण्डे
१७—श्री गायत्री प्रसाद
१८—श्री सूर्यनाथ सिंह
१९—श्री लक्ष्मी शंकर दुबे
२०—श्री रामचन्द्र राम
२१—श्री राम चन्द्र शुक्ला
२२—श्री रामचन्द्र सिंह (जौनपुर)
२३—श्री फूलचन्द सिंह
२४—श्री राजेन्द्र लाल
२५—श्री लक्ष्मी शंकर पान्डे
२६—श्री रघुराई प्रसाद

एस० डी०,
सी० यफ० किरमानी,
अधिशासी अभियन्ता।

नत्थी 'ट'

(देखिए पीछे पृष्ठ ६०६ पर)

उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (क्षेत्राधिकार का प्रयोग) विधेयक, १९६३

(जैसा कि वह उ० प्र० विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।)

उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से सम्बद्ध विषयों की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के चौदहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रसार

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (क्षेत्राधिकार का प्रयोग) अधिनियम, १९६३ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

परिभाषाएं

२—इस अधिनियम में—

(क) "उच्च न्यायालय" का तात्पर्य उच्च न्यायालय इलाहाबाद से है;

(ख) "मुख्य न्यायाधिपति" का तात्पर्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति से है।

लखनऊ में बैठने वाले न्यायाधीशों के क्षेत्राधिकार

३—लखनऊ में बैठने वाले उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय में तत्समय निहित क्षेत्राधिकार तथा अधिकारों का प्रयोग, उत्तर प्रदेश के ऐसे क्षेत्रों के सम्बन्ध में करेंगे जो मुख्य न्यायाधिपति, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के अनुमोदन से समय-समय पर निदेशित करें :

प्रतिबन्ध यह है कि जब तक कि अन्यथा निदेशित न किया जाय, लखनऊ में बैठने वाले न्यायाधीश जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पहिले उच्च न्यायालय में तत्समय निहित क्षेत्राधिकार और अधिकारों का प्रयोग, उत्तर प्रदेश के किन्हीं क्षेत्रों के सम्बन्ध में करते थे, इस (अधिनियम) के प्रारम्भ होने के पश्चात् उक्त क्षेत्राधिकार तथा अधिकारों का प्रयोग उन क्षेत्रों के सम्बन्ध में करते रहेंगे।

वादों की सुनवाई से सम्बद्ध आदेश

४—धारा ३ में दी गई किसी बात के होते हुए भी मुख्य न्यायाधिपति स्वविवेक से यह आदेश दे सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के किसी क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले किसी वाद या वादों के वर्ग की सुनवाई इलाहाबाद या लखनऊ में होगी।

उद्देश्य और कारण

यू० पी० हाई कोर्ट्स (अमलगमेशन) आर्डर, १९४८ के खण्ड १४ के उपबन्ध अत्यन्त अनम्य और ऐसे पाये गये जिनसे मुख्य न्यायाधिपति का अधिकार तथा विवेक अनुचित रूप से निर्बन्धित होता है क्योंकि उनमें भूतपूर्व आगरा प्रान्त में उत्पन्न होने वाले किसी वाद को उच्च-न्यायालय के लखनऊ बेंच को संक्रमण करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी है और न उनमें राज्य के किसी और क्षेत्र को उक्त बेंच के अधिकार क्षेत्र में मिलाने की अनुज्ञा दी गयी है। प्रशासकीय और विवादियों की सुविधा के विचार से अधिक आनम्यता (flexibility) की आवश्यकता है। अतएव, मुख्य न्यायाधिपति को यह अधिकार देने का प्रस्ताव किया जाता है कि वह वादों को इलाहाबाद से लखनऊ और लखनऊ से इलाहाबाद को संक्रमित कर सकें अथवा उच्च न्यायालय के दोनों बेंचों के प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र में, जब और जैसे आवश्यक हो, परिवर्तन कर सकें।

तदनुसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

सैयद अली जहीर,
न्याय मंत्री।

विधान परिषद

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—१८८ एल० ए०—१९६४—८६०।